

अध्याय—1

- 1.1 संक्षिप्त नाम एवं प्रसार**
- 1.1.1 ये उपविधि वाराणसी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2018 कहलाएगी।
- 1.1.2 ये उपविधि सम्पूर्ण वाराणसी विकास क्षेत्र में लागू होगी।
- 1.2 परिभाषाएं**
- 1.2.1 “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है।
- 1.2.2 “विकास” का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य कियाएं अथवा किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनर्विकास भी शामिल है।
- 1.2.3 ‘परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन’ का तात्पर्य संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा मानव निवास के लिए मूल रूप से निर्मित किए गए भवन का परिवर्तन, ऐसे स्थान पर एक भवन के रूप में मूलतः निर्मित भवन का मानव निवास हेतु एक से अधिक स्थानों में परिवर्तन तथा मानव निवास के लिए दो अथवा अधिक स्थानों का ऐसे अधिक स्थानों में परिवर्तन है। इसके अन्तर्गत किसी भवन का ऐसा परिवर्तन, जो उसकी नाली अथवा सफाई व्यवस्था को प्रभावित करता हो, अथवा उसकी सुरक्षा को तात्पर्य रूप से प्रभावित करता है, किसी भवन के किसी कक्ष, निर्माण, गृह अथवा अन्य संरचनाओं का परिवर्द्धन तथा किसी सड़क से संलग्न दीवार अथवा दीवार के खामी से असम्बद्ध भूमि में, ऐसी सड़क अथवा भूमि में, दरवाजा खोलना आदि सम्मिलित है।
- 1.2.4 ‘अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति’ का तात्पर्य ऐसे ‘प्रोफेशनल’ से है जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा—57 खण्ड (टी) के अधीन प्रभावी (विकास प्राधिकरण का नाम) विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अधीन पंजीकृत हो अथवा किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी निकाय जिसके अधीन उक्त प्रोफेशन अधिशासित है, के अधीन पंजीकृत हो। ‘प्रोफेशनल’ के पंजीकरण हेतु अपेक्षाएं अनुलग्नक—1 के अनुसार होंगी। ऐसे सिविल इंजीनियर्स, जो इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के साथ पंजीकृत हैं, को नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 में निर्धारित कार्य क्षमता एवं क्षमता के अधीन प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा तथा उन्हें पंजीकरण से छूट होंगी।
- 1.2.5 “बेसमेन्ट” का तात्पर्य भू—तल के नीचे या अंशतः भू—तल के नीचे के निर्माण से है।
- 1.2.6 “स्टिल फ्लोर” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भों (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मीटर हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।
- 1.2.7 “आच्छादित क्षेत्रफल” का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनाएं आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होंगी:—
- (क) बाग, राकरी, कुआं एवं कुएं से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों ओर प्लेटफार्म, टैंक, फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा।
 - (ख) ड्रेनेज कल्वर्ट, कैच—पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।
 - (ग) चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।
 - (घ) वाचमैन बूथ, पम्प—हाउस, गारबेज शाफ्ट, विद्युत केबिन/सब—स्टेशन एवं विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य ‘यूटीलिटीज स्ट्रक्चर्स’।
- 1.2.8 “तल क्षेत्रफल” (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से है।



- 1.2.9 “तल क्षेत्रफल अनुपात” (एफ.ए.आर.) का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है।
- 1.2.10 “कय—योग्य एफ.ए.आर” (पर्चेजेबल एफ.ए.आर.) का तात्पर्य महायोजना/ परिक्षेत्रीय योजना/भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में अनुमन्य एफ.ए.आर. के ऊपर विनिर्दिष्ट सीमा तक अनुमन्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. से है, जो आवेदक द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करने पर कय किया जा सके।
- 1.2.11 “प्रतिपूरक एफ.ए.आर” (कम्पनसेटरी एफ.ए.आर.) का तात्पर्य ‘राईट—आफ—वे’/ सड़क विस्तारीकरण अथवा जनसुविधाओं हेतु भू—स्वामी द्वारा निजी भूखण्ड से प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित की जानी वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अब भूखण्ड पर विनिर्दिष्ट सीमा तक अनुमन्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. से है।
- 1.2.12 “निवास योग्य कमरे” का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु इसमें रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय, बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।
- 1.2.13 “लाफ्ट” का तात्पर्य दो तलों के बीच मध्यवर्ती ऐसे तल या किसी ढालदार छत (पिच्ड रुफ) के बचे हुए स्थान से है जो साधारणतया भूतल से ऊपर हो और जिसे भण्डारण के प्रयोजनार्थ बनवाया गया हो।
- 1.2.14 “मेजनाइन तल” का तात्पर्य भूतल के ऊपर किन्हीं दो तलों के मध्यवर्ती तल से है जिस पर निचले तल से पहुँचा जा सके।
- 1.2.15 “उपयोग समूह” (यूज ग्रुप) का तात्पर्य अधिभोग के अनुसार भवन के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए मुख्य उपयोग से है, जिसके लिए भवन या भवन का कोई भाग प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हो। अधिभोग में अनुषांगी अधिभोग भी सम्मिलित है। अधिभोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-
- (I) “आवासीय भवन” के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें ‘एक’ अथवा ‘एक से अधिक’ आवासीय इकाई शामिल हैं।
 - (II) “शैक्षिक भवन” के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कालेज या प्रतिष्ठान जहाँ शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु लोग एकत्र होते हों।
 - (III) “संस्थागत भवन” के अन्तर्गत वे सभी भवन या भवनों के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों यथा चिकित्सालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार या भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल या दुर्बल शिशुओं की देखभाल, आरोग्य प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के रहने, वृद्ध व्यक्तियों अथवा दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरुद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान भी सम्मिलित हो। संस्थागत भवन में अस्पताल, सैनीटोरियम, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएं और दण्डात्मक संस्थाएं यथा जेल, कारागार, मानसिक—चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी।



- (IV) “असेम्बली भवन” के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो जन समुदाय के लिए आमोद-प्रमोद, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, सिविल, ट्रैवल, तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो, उदाहरणस्वरूप नाट्यशाला, छविगृह, सामुदायिक भवन, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, पूजा स्थल, संग्रहालय, स्केटिंग, व्यायामशाला, नृत्य गृह, कलब, यात्री स्टेशन, वायु, थल अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल्स, मनोरंजन पार्क, क्रीड़ा-स्थल, आदि।
- (V) “व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन” के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिकी, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो व्यवसायिक माल की बिकी से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।
- (VI) “कार्यालय भवन” के अन्तर्गत वह भवन या भवन का कोई भाग सम्मिलित होगा जो किसी अभिकरण, संस्था, एवं प्रतिष्ठान के प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन तथा लेखों एवं अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रयुक्त होता हो।
- (VII) “औद्योगिक भवन” के अन्तर्गत वह भवन या भवन का वह भाग या संरचना सम्मिलित होंगे जिनमें किसी प्रकार के उत्पाद या सामग्री बनाई जाती हो, संयोजन किए जाते हों या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) किए जाते हों।
- (VIII) “संग्रहगार भवन” के अन्तर्गत ऐसे भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जो मुख्यतः माल के संग्रहण या भण्डारण हेतु प्रयोग में आते हों, उदाहरणार्थः वेयरहाउस, शीतगृह, फ्रीट डिपो, ट्रान्जिट शेड्स, स्टोर हाउस, हैंगर, ग्रेनेलीवेटर, धान्यागार (बार्न) और अस्तबल, आदि।
- (IX) “संकटमय भवन” के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।
- (X) “युप हाउसिंग” के अन्तर्गत समूह या बहुमंजिले भवन, जिसमें प्रत्येक तल पर एक या एक से अधिक स्वतन्त्र आवासीय इकाईयाँ हों तथा जिनमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थल व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व हो, सम्मिलित होंगे।”
- (XI) “बहुमंजिला भवन” का तात्पर्य भूतल सहित चार मंजिले से अधिक भवन अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन से है।
- (XII) “मल्टीप्लेक्स” का तात्पर्य ऐसे भवन परिसर से है जो न्यूनतम दो सिनेमा हाल के साथ-साथ वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत हो।
- 1.2.16 “खुले स्थान” का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जो भूखण्ड का अभिन्न भाग हो और आकाश तक खुला हो।



- 1.2.17 “स्वामी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका किसी भूमि या भवन पर विधिक अधिकार हो अथवा किराया प्राप्त करता हो अथवा परिसर किराए पर होने की दशा में किराया प्राप्त करने का हकदार हो एवं इसमें निम्न भी शामिल होंगे:—
- (I) कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो स्वामी की ओर से किराया प्राप्त करता हो।
 - (II) कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो किराया प्राप्त करता हो या जिसे किसी भूमि या भवन का प्रबन्ध सुपुर्द किया गया हो जो धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए हो।
 - (III) किसी सक्षम प्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर या प्रबन्धक जिसे परिसर में स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने का प्रभार / अधिकार दिया गया है।
- 1.2.18 “कुर्सी” (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भूतल के फर्श तक हो।
- 1.2.19 “कुर्सी का क्षेत्रफल” से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल है जो बेसमेंट, भूतल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाए।
- 1.2.20 “सर्विस लेन” का तात्पर्य ऐसी गली से है जो भूखण्ड के पीछे या पाश्व में सर्विस के प्रयोजन के लिए हो।
- 1.2.21 “सेट-बैक लाइन” का तात्पर्य भूखण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा से है जो भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्दिष्ट की गई हो और जिसके बाहर भूखण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।
- 1.2.22 ‘बिल्डिंग इन्वेलप’ का तात्पर्य किसी भूखण्ड हेतु निर्धारित सेट-बैक छोड़ने के उपरान्त अवशेष क्षेत्र से है, जिसके अन्दर नियमानुसार निर्माण अनुमन्य है।
- 1.2.23 “भूखण्ड” का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हो।
- 1.2.24 “कोने का भूखण्ड” का तात्पर्य उस भूखण्ड से है जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़कों पर स्थित हो।
- 1.2.25 “मंजिल” का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुर्वती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।
- 1.2.26 “सड़क” (स्ट्रीट) का तात्पर्य—स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ—वे, संकरी गली (ऐले), रास्ते (पैसेज), कैरियर—वे, पगडण्डी (फुट—वे), स्क्वायर, खुले पुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हों, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक—टोक के चलने, गुजरने का या आने—जाने का अधिकार हो, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया, साइड वाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंग वाल, बैरियर एवं रेलिंग, जो ‘राइट—आफ—वे’ के भीतर हों, शामिल होंगे।
- 1.2.27 “सड़क का तल या ढाल” से तात्पर्य सड़क की मध्य रेखा पर अधिकृत रूप से स्थापित उँचाई या ढाल से है जिस पर किसी भूखण्ड का ‘फन्टेज’ हो और यदि अधिकृत रूप से स्थापित कोई ढाल न हो, तो सड़क के मध्य बिच्चु पर विद्यमान ढाल माना जाएगा।



- 1.2.28 “सड़क रेखा” से तात्पर्य वह रेखा है जिसकी ओर किसी सड़क की पार्श्व सीमाएं निर्धारित होती हैं।
- 1.2.29 “सड़क की चौड़ाई” का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा ‘राइट-आफ-वे’ से है।
- 1.2.30 “बरामदा” से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलां में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊँचाई तक के पैरापिट का प्राविधान हो।
- 1.2.31 ‘निर्मित क्षेत्र’ से तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र से है, जिसका अधिकांश भाग व्यवसायिक, औद्योगिक, आवासीय अथवा अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है तथा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं यथा—सड़क जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जा चुकी है और महायोजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है।
- 1.2.32 ‘विकसित क्षेत्र’ का तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकासयुक्त ऐसे क्षेत्र से है, जहां विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, निजी विकासकर्ता, सहकारी आवास समिति अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा समर्त अवस्थापना सुविधाएं यथा—सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, पार्क एवं खुले स्थल आदि का विकास किया जा चुका है।
- 1.2.33 ‘नए/अविकसित क्षेत्र’ का तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे क्षेत्र से है, जिसके अन्तर्गत नगरीय विकास से सम्बद्धित अवस्थापना सुविधाएं, सेवाएं एवं भवन आदि का विकास/निर्माण अभी नहीं हुआ है।
- 1.2.34 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ (एस.ई.जेड.) का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र से है, जो ‘स्पेशल इकोनोमिक जोन’ अधिनियम, 2005 की धारा—3 की उपधारा (4) एवं धारा—4 की उपधारा(1) (जिसमें फी—ट्रेड एवं वेयर हाउसिंग जोन भी शामिल हैं), के प्राविधानों के अधीन अधिसूचित किया गया हो एवं उसके अन्तर्गत विद्यमान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र भी शामिल हैं।
- 1.2.35 “बाजार स्ट्रीट” का तात्पर्य सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण से है जो महायोजना/जोनल प्लान में इस रूप में चिह्नित किया गया हो।
- 1.2.36 “सेक्टर/नेबरहुड” का तात्पर्य नियोजन की उस इकाई से है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 एकड़ हो और जहां पर उस क्षेत्र की जनसंख्या हेतु आवासीय, वाणिज्यिक, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध।
- 1.2.37 “उप नगर केन्द्र/जोनल शापिंग सेन्टर” का तात्पर्य जोन के स्तर पर महायोजना में चिह्नित व्यवसायिक केन्द्र से है।
- 1.2.38 “सिटी सेन्टर” का तात्पर्य नगर स्तर पर महायोजना में चिह्नित व्यवसायिक केन्द्र से है।
- 1.2.39 भवन की ऊँचाई से तात्पर्य आस—पास की भूमि के औसत सतह से भवन के अन्तिम तल के टेरेस तक की ऊँचाई से है एवं ऊँचाई की गणना में भवन के आर्किटेक्चरल फीचर्स, जो सिर्फ सजावट के उद्देश्य से हों, समिलित नहीं होंगे।
- 1.2.40 ‘कन्चीनिएन्ट’ स्टोर्स का तात्पर्य ऐसे परिसर से है जहां समुदाय के लिए दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों।



- 1.2.41 "सर्विस फ्लोर" का तात्पर्य किन्हीं दो मंजिलों के बीच फर्श से बीम तक अधिकतम 2.10 मीटर की ऊँचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है।
- 1.2.42 'एंट्रियम' का तात्पर्य किसी भवन के आन्तरिक आंगन (Court)/प्रवेश हाल (Entrance Hall) से है, जो 'स्काईलाइटेड' (Sky lighted) हो अथवा टेरेस फ्लोर पर पारदर्शी स्थाई संरचना से ढका हुआ हो।
- 1.2.43 'सर्विस अपार्टमेन्ट' का तात्पर्य पूर्णतया सुसज्जित एवं "सेल्फ कन्ट्रोल अपार्टमेन्ट", से है, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (रसोईघर/किचन) हो और जो अल्प अवधि की रिहायशी के लिये उपयोग में लाया जाए।
- 1.2.44 'पोडियम पार्किंग' का तात्पर्य बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन के अन्तर्गत पार्किंग प्रयोजनार्थ भूतल के ऊपर फर्श से बीम की निचली सतह तक अधिकतम 2.10 मी. ऊँचे तल/तलों से है, जिसमें वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए रैम्प की व्यवस्था हो तथा मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थिति में वास्तविक डिजाइन के अनुसार प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो।
- 1.2.45 "टॉट-लाट" का तात्पर्य ऐसे पार्क या खेल के मैदान से है, जो आवासीय क्षेत्र में स्थित हों तथा छोटे बच्चों (12 वर्ष से कम आयु) के उपयोगार्थ नियोजित किया गया हो।"
- 1.2.46 "पार्क एवं खुले स्थल" का तात्पर्य ऐसे स्थल से है, जो खुला तथा अनिर्मित हो या जिसका विन्यास एवं विकास सार्वजनिक पार्क या उद्यान के रूप में किया गया हो।"
- 1.2.47 "ले-आउट प्लान/सब डिवीजन प्लान/उप-विभाजन तलपट मानचित्र" का तात्पर्य किसी भूमि अथवा उसके भाग को एक से अधिक भूखण्डों में विभक्य हेतु अथवा अन्यथा उप-विभाजित किए जाने से है, जिसके अन्तर्गत सड़कों का विन्यास, भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा विकास की पद्धति (यथा-रो-हाउसिंग, सेमी-डिटैच्ड, डिटैच्ड ग्रुप हाउसिंग) दर्शाई गई हो एवं समस्त भूखण्डों के आकार, उपयोग, क्षेत्रफल का विवरण दिया गया हो।"
- 1.2.48 'ग्रीन बिल्डिंग' का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसमें परम्परागत भवन की तुलना में जल का कम उपयोग, समुचित ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अपशिष्टों का न्यूनतम सृजन तथा अध्यासियों को स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध हो।
- टिप्पणी:** वे शब्द या पद जो इन उपविधियों में प्रयुक्त किए गए हों परन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनके वही अर्थ होंगे जैसा उन्हें महायोजना/ज़ोनिंग रेगुलेशन्स/उपविधियों/अधिनियम/नेशनल बिल्डिंग कोड में निर्दिष्ट किया गया है।
- 1.3 उपविधियों की प्रयोज्यता**
- (I) यह उपविधियाँ किसी भू-खण्ड के विकास, पुनर्विकास, उप-विभाजन अथवा भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन किए जाने पर यथास्थिति समस्त भवन अथवा स्वसम्पन्न भाग पर गिराने के बाद अवशेष भाग पर तथा भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति में प्रभावित भवन के समस्त भाग के लिए प्रयोज्य होंगी।
 - (II) विकास एवं निर्माण सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएं/प्राविधान जो इस उपविधि में नहीं हैं, के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड तथा आई.एस./बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा।



अध्याय—2

2.1 विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं

2.1.1 अनुज्ञा हेतु आवेदन

- (I) विकास अनुज्ञा के लिये निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-1**) पर आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ, मानचित्रों के चार सेट/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जाएंगे।
- (II) जमा किये जाने वाले मानचित्रों में, 'की प्लान', 'महायोजना में स्थिति का मानचित्र', 'साइट प्लान', 'तलपट मानचित्र' और 'सर्विसेज प्लान' भी शामिल होंगे।
- (III) मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदत्त हो जाने पर एक सेट प्राधिकरण में अभिलेख हेतु रखा जाएगा।
- (IV) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके द्वारा नाम, पता, योग्यता और प्राधिकरण की अनुज्ञापित संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भू/भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।

2.1.2 सूचनाएं एवं दस्तावेज

2.1.2.1 प्राधिकरण योजना में

आवेदन पत्र, यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-

- (I) कब्जा पत्र तथा लीज/लाइसेन्स डीड के साथ जारी साइट प्लान की प्रतिलिपि।
- (II) भू-खण्ड के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति।

2.1.2.2 अन्य क्षेत्रों/ योजनाओं में

आवेदन पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-

- (I) आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति या रजिस्ट्रीकृत विलेख।
- (II) साइट प्लान (जिसमें भू-खण्ड संख्या और क्षेत्रफल/भवन की संख्या, गाँव, मोहल्ला का नाम, आदि का उल्लेख होगा)।
- (III) नजूल अथवा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि होने की दशा में सम्बन्धित विभाग से फ़ी-होल्ड डीड अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

2.1.2.3 'की-प्लान'

भूखण्डों के उप-विभाजन अथवा कालोनी के विकास या पुर्वविकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ 'की-प्लान' जिसमें उत्तर दिशा-सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।

2.1.2.4 साइट प्लान

- (I) आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या या अन्य स्थानीय प्राविधानों सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिए जाएंगे।
- (II) सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व में उप-विभाजन स्थीकृत होने पर उसमें उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्गों का भी उल्लेख होगा।
- (क) प्रस्तावित उप-विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुँचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सड़क का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाए जाएंगे।
- (ख) समस्त विद्यमान संरचनाओं और 'फीचर्स' की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन/बिजली के खम्मे, अप्डर ग्राउण्ड पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन, जलाशय, तालाब, वाटर बॉडीज़ आदि एवं संरक्षित स्थलों की परिसर सीमा, आदि जो स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हों, दर्शाई जाएंगी।



(ग) भूखण्ड की समस्त मुख्य भौतिक विशेषताएं जिनके अन्तर्गत किसी जलाशय की स्थिति और लगभग आकार, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और स्थल का ढाल (1:20 से अधिक होने पर 0.3 मीटर के अन्तराल पर समोच्च रेखाएं (कन्टूर) सहित) दर्शाई जाएंगी।

(घ) महायोजना/ जोनल प्लान में स्थल की स्थिति।

(ड.) प्रयुक्त पैमाना और उत्तर दिशा—सूचक।

2.1.2.5 उप—विभाजन तलपट मानचित्र

उप—विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे:—

- (I) पैमाना तथा उत्तर दिशा—सूचक।
- (II) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
- (III) भूखण्डों के माप सहित सेट—बैक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा 'रो—हाउसिंग', 'सेमी—डिटेच्ड' अथवा डिटेच्ड।
- (IV) सर्विसेज़ प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर—सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
- (V) तालिका जिसमें उप—विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (VI) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप—विभाजन में प्रस्तावित हो), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।
- (VII) निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप—विभाजन की दशा में उपर्युक्त (I) से (VI) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएंगी।
- (VIII) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।
- (IX) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे:—
- (क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/ हाइड्रोलॉजीकल /हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू—जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।



- (ख) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/ जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सबधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलोजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व “स्टेगेनेशन” का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के “सरफेस—रन—आफ” को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/ रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/ रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू—जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।
- (ग) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव ‘परमीएबिल’ या ‘सेमी परिमीएबिल परफोरेटेड ब्लाक्स’ के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
- (घ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्मऋतु में भी हरे भरे रह सकें।
- (ङ.) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले—आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवरथापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ—साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू—जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/ भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग रस्कर्वर्स की व्यवस्था हो।
- (च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।
- (X) स्थल के अन्दर प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर आई.पी. बेरस्ड सी.सी.टी.वी. कैमरों का विवरण।



	2.1.2.6 विशिष्टियाँ	भूखण्ड के उप-विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टियाँ व विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे :-
(I)	प्रस्तावित समस्त विकास कार्यों यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पेविंग, नालियाँ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।	
(II)	स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवरथापना सुविधाएं यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल-निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सड़क, विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्त्रोत, इत्यादि।	
(III)	औद्योगिक इकाईयों की स्थिति में उत्सर्गों के प्रकार एवं मात्रा।	
(IV)	विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।	
2.1.3	विकास अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना	प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु जमा कराये जाने वाले शुल्क (विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश / प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो)।
2.1.4	विकास अनुज्ञा हेतु अनुबन्ध	विकास अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदक के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।
2.1.5	विकास अनुज्ञा—पत्र की वैधता	(I) एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जाएगा। (II) प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर अधिकतम तीन वर्षों हेतु समयावृद्धि दी जा सकती है।
2.1.6	विकास के प्रारम्भ की सूचना	अनुज्ञा के अधीन विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) में दी जाएगी।
2.1.7	विकास के समय विचलन	विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
2.1.8	पूर्णता प्रमाण-पत्र	विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति / कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुलग्नक-2 के अनुसार होगी।



2.2 खुले स्थान

2.2.1 (क) जोनल डेवलपमेन्ट प्लान

(ख) ले—आउट प्लान

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के उद्देश्य से जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत जोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल/हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जायेगी।

(I) आवासीय भू—उपयोग

आवासीय ले—आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले—आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे 'टाट—लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'युप हाउसिंग' भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(II) अनावासीय भू—उपयोग

अनावासीय क्षेत्र के ले—आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पटिकाएं और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले—आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले—आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रस्तर—2.2.1 के (I) तथा (II) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात् महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर—2.2.1 के (I) एवं (II) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्डेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप—विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा।

2.2.2 खुले स्थान के मानक

- (I) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा।
- (II) खुले स्थान की सीमा यथास्थिति भूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ—वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ—वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ—वे जे अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।
- (III) जोनल डेवलपमेन्ट प्लान जहाँ प्रभावी हैं, के अनतर्गत 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के अनावासीय भूखण्डों में निर्माण अनुज्ञा हेतु खुले स्थानका क्षेत्रफल न्यूनतम 5 प्रतिशत अथवा 200 वर्गमीटर जो भी अधिक हो, होगा तथा जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थान का क्षेत्रफल न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा जिसे पार्क ग्रीनरी, ग्रीन बैल्ट, खुले स्थल इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा।



2.2.3 लैण्डस्केप प्लान

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता—पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी :—

- (I) 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10–10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (II) औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन भी आवश्यक होगा जिसमें कुल खुले स्थल के भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।
- (III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
- (IV) वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
- (V) संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं, कीड़ास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (VI) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जाएंगे।



2.3 सड़कें, पाथवेज तथा साईकल ट्रैक्स

2.3.1 आवासीय भू-उपयोग

आवासीय भू-उपयोग (**ग्रुप हाउसिंग सहित**) के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा:-

- (I) 200 मीटर तक लम्बे पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी, तथा 201–400 मीटर तक 12 मीटर, 401–600 मीटर तक 18 मीटर एवं 601–1000 मीटर तक 24 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर होगी।
- (II) 'लूप-स्ट्रीट' की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 400 मीटर होगी।
- (III) पार्क / खुले स्थल से सटी हुई सर्विस रोड तथा ऐसी सड़क जिसके केवल एक ओर ही भूखण्ड प्रस्तावित हों, की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी जा सकती है, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।
- (IV) 7.5 मीटर एवं 9 मीटर चौड़ा मार्ग जो सीधा हो तथा एक छोर से बन्द हो (डेड-एण्ड-स्टीट्रू), वहाँ मोड़ के लिए न्यूनतम 7.5 मीटर के अर्द्ध व्यास वाले पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। परन्तु 25 मीटर तक लम्बाई की 'डेड-एण्ड-स्ट्रीट' में 'कल-डी-सैक' की आवश्यकता नहीं होगी।
- (V) बल्क सेल के रूप में आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. एवं 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मी. होगी तथा योजनान्तर्गत आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी. होगी।

टिप्पणी: (I) उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से कम होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।

(II) दुर्बल / अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजनाओं में उक्त आय वर्गों के आवासों के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा दिए जाने पर वाहनों के उपयोग में आने वाले मार्ग न्यूनतम 6 मीटर चौड़े होंगे। पैदल मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मार्ग के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर 3 मीटर तथा दोनों ओर भूखण्ड होने पर न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी। 3 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी। कोई भी आवासीय इकाई 9 मीटर चौड़े मार्ग से 150 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी।

(III) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना / जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

2.3.2 अनावासीय भू-उपयोग

- (I) अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू-उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी। 201 से 400 मीटर लम्बी सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी और 401 से 1000 मीटर तक लम्बी सड़क की चौड़ाई 24 मीटर होगी तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बी सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी।
- (II) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना / जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।



- 2.3.3 सड़कों के संगम**
- (I) यथा सम्बव सड़कों समकोण पर मिलाई जायेंगी तथा कास जंकशन पर समस्त सड़कों की मध्य रेखाओं का 'एलाइनमेंट' एक सीधे में होगा।
 - (II) 30 डिग्री से कम के कोण पर प्रस्तावित सड़कों की अनुज्ञा तभी दी जाएगी, जब यातायात के परिचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो और आवश्यक 'वीबिंग लेन्थ' उपलब्ध हो।
 - (III) सड़कों के जंकशन्स इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।
 - (IV) 18 मीटर तक चौड़ी सड़कों (मेटल भाग) के मिलन बिन्दु पर न्यूनतम 4.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर न्यूनतम 6 मीटर के अर्द्ध-व्यास की गोलाई होगी।
 - (V) 18 मीटर से कम चौड़ी सड़कों में दो 'टी-जंकशन' के मध्य न्यूनतम दूरी, जंकशन पर मिलने वाली अधिक चौड़ी सड़क (वाइडर रोड) की चौड़ाई का ढाई गुना होगी।
 - (VI) 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर जंकशन के मध्य परस्पर न्यूनतम दूरी निम्नानुसार होगी:—
 - (क) 18 मीटर से 24 मीटर तक 150 मीटर,
 - (ख) 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क तक 300 मीटर।
- 2.3.4 सड़क की लम्बाई की गणना**
- सड़क की लम्बाई की गणना उस मार्ग से अधिक चौड़े मार्ग के मिलन बिन्दु से की जाएगी।
- 2.3.5 ब्लाक लेन्थ** भूखण्डीय विकास में ब्लाक की अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।
- 2.3.6 ड्रेनेज व्यवस्था** ड्रेनेज व्यवस्था हेतु नालियाँ सड़क का अभिन्न अंग होंगी तथा उनमें पर्याप्त ढाल होगा, ताकि जल की निकासी स्वतः हो सके।
- 2.3.7 अन्य अपेक्षाएँ** सड़कों के किनारे यथासम्बव कच्चे रखे जाएंगे अथवा पाथ-वे का प्राविधान किया जाएगा। ऐसे पाथ-वे परफोरेटड सामग्री से निर्मित होंगे या "ब्रिक-ऑन-एज"/"लूज स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।



2.3.8 साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान

योजनाओं के ले-आउट में 18.0 मी. एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर साईकिल ट्रैक का प्राविधान किया जाएगा। साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान निम्नवत होंगी:-

साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान

आइ.आर.सी.:11-1962 के Draft Revision में मानकों के अनुसार साईकिल ट्रैक के निर्माण हेतु निम्न विशिष्टियाँ/प्राविधान होंगे। यदि आइ.आर.सी.:11-1962 के संशोधित ड्राफ्ट आने पर किसी मद का प्राविधान आई.आर.सी. कोड में भिन्न है, तो आई.आर.सी. कोड के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

Design

(A) Width

Desirable Lane Width

• Arterial Roads & Sub Arterial Roads	2.5 m
• Distributory Roads	1.5 to 2.5 m

- Minimum width for a two lane cycle track should be 2.2 m. and 3 m to 4 m for a common cycle track and footpath. In case of distributory roads minimum width should be 1.2 m.

Obstacles

Where trees, electric poles and other encroachments create hindrance in the natural path of cycle, change the course of the cyclist with proper turning radius and bring back to the natural path. At such places minimum width in a stretch of 40 m can be:-

Cycle Track = 0.75 m

Pedestrian = 0.6 m

(B) Pavement Thickness

(i) Sub-base (GSB)	10 cm thick
(ii) Base (WMM)	7.5 cm
(iii) BM	5 cm thick
(iv) BC	2.5 cm

बी.सी. एवं एस.डी.बी.सी. के स्थान पर Micro surfacing भी की जा सकती है।



(C) Edge Treatment

(1) Inner side

मुख्य कैरिज—वे एवं साईकिल ट्रैक को अलग करने के लिये मुख्य कैरिज—वे की एज की ओर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :—

- (i) उपलब्ध के अनुसार प्लान्टर निर्माण।
- (ii) मार्ग की सतह से 15 सेमी 0 ऊंचे 30X10 सेमी 0 साइज के Kerb स्टोन।
- (iii) रेलिंग।


ड्रेनेज के लिये यह उपर्युक्त होगा कि मुख्य कैरिज—वे मार्ग से साईकिल ट्रैक का लैवल यथा सम्भव 2 से 2.5 सेमी 0 नीचा रखा जाएगा।

(2) Outer side


साईकिल ट्रैक के बाहरी किनारे पर रेज्ड/लैवल फुटपाथ बनाया जाना चाहिये एवं पानी को ड्रेन करने के लिये केंद्रीय ड्रेन का निर्माण किया जाएगा।

(D) Signage Marking

- (i) कैरिज—वे के ऊपर 50 से 60 मी 0 की दूरी पर White colour से साईकिल का Symbol बनाया जाएगा :—



- (ii) साईकिल ट्रैक जिस स्थान पर मुख्य मार्ग को क्रास करेगा, उस स्थान पर भी 4 मी 0 चौड़ाई में हरे रंग से Coloured surfacing कर साईकिल ट्रैक का Symbol बनाया जाएगा :—



(iii) रोड मार्किंग के लिये आई0आर0सी0 : 11-1962 में प्राविधानित साईनेज का निम्नानुसार उपयोग किया जाएगा:-



Cycle Prohibited Note - to prohibit cyclists from using elevated roads like flyovers and they should remain at grade for movement.	Compulsory cycle track/ cycles only	Compulsory Route For Cyclists & Pedestrians
---	--	---

Segregated Cycle & Pedestrian Route	Cycle Crossing	Cycle Route Ahead
--	----------------	-------------------


(E) Junction



Exit to Junction

(F) Typical Cross section





2.4 सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों/क्रियाओं हेतु मानक

2.4.1	सुविधाओं हेतु मानक	सामुदायिक सुविधाओं हेतु निम्न मानकों के अनुसार प्राविधान किए जायेंगे:-		
क्र.सं.	मुख्य श्रेणी	उप—श्रेणी	मानक	न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	शैक्षिक सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● नर्सरी स्कूल 	2500 जनसंख्या पर—1	500 वर्गमीटर
		<ul style="list-style-type: none"> ● प्राइमरी स्कूल 	5000 जनसंख्या पर—1	1000 वर्गमीटर
		<ul style="list-style-type: none"> ● जूनियर हाईस्कूल / हाईस्कूल 	7500 जनसंख्या पर—1	2000 वर्गमीटर
		<ul style="list-style-type: none"> ● इंटर कालेज 	10000 जनसंख्या पर—1	4000 वर्गमीटर
		<ul style="list-style-type: none"> ● 'डिग्री कालेज / पोस्ट ग्रेजुएट कालेज 	80,000 से 1,00,000 जनसंख्या पर—1	नगरीय क्षेत्र—5000 वर्गमीटर ग्रामीण क्षेत्र—10000 वर्गमीटर टिप्पणी: —महिला डिग्री कालेज के लिए उपरोक्त का 50 प्रतिशत।
		<ul style="list-style-type: none"> ● इन्जीनियरिंग कालेज 	10,00,000 जनसंख्या पर—1	2.0 हेक्टे.—मेट्रो नगरों में 4.0 हेक्टे.—अन्य नगरों में
		<ul style="list-style-type: none"> ● मेडिकल कालेज 	10,00,000 जनसंख्या पर—1	10.0 हेक्टेयर
		<ul style="list-style-type: none"> ● डेंटल कालेज 	10,00,000 जनसंख्या पर—1	2.0 हेक्टेयर
		<ul style="list-style-type: none"> ● अंगनबाड़ी 	5000 जनसंख्या पर—1	250 वर्ग मीटर

टिप्पणी: हाईस्कूल/इंटर कालेज के अन्तर्गत प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल का प्राविधान समाहित किया जा सकता है, जिसके दृष्टिगत प्रत्येक स्तर के स्कूल के लिये जनसंख्या मानकों के अनुसार पृथक भूखण्ड आरक्षित करना आवश्यक नहीं होगा।

2.	चिकित्सा सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य केन्द्र 	15000 जनसंख्या पर—1	800 वर्गमीटर
		<ul style="list-style-type: none"> ● बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह 	45000 जनसंख्या पर—1	2000 वर्गमीटर
		<ul style="list-style-type: none"> ● सामान्य चिकित्सालय (न्यूनतम 100 शैय्याओं का) 	100000 जनसंख्या पर—1	2 हेक्टेयर
3.	दूर संचार सुविधाएं एवं अन्य सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● उप—डाकघर 	10,000 जनसंख्या पर—1	उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। उप डाकघर का प्राविधान व्यावसायिक/ सुविधाजनक दुकानों/ कार्यालय भवनों / संस्थागत भवनों में करने की स्थिति में न्यूनतम तल क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर होगा।



		<ul style="list-style-type: none"> टेलीफोन एक्सचेंज 	1,00,000 जनसंख्या पर-1	4000 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।
		<ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस स्टेशन (कर्मचारियों के आवास सहित) 	50,000 जनसंख्या पर-1	4000 वर्गमीटर जिसमें 800 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा।
		<ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस चौकी (कर्मचारियों के आवास सहित) 	15000 जनसंख्या पर-1	1500 वर्गमीटर जिसमें यथावश्यकता निर्मित क्षेत्र होगा।
		<ul style="list-style-type: none"> ● फायर स्टेशन (कर्मचारियों के आवास सहित) 		
		(i) श्रेणी-ए के नगर	4 लाख जनसंख्या एवं 10 वर्ग कि.मी क्षेत्र में।	12400 वर्गमीटर जिसमें 5600 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा।
		(ii) श्रेणी-बी के नगर	2.5 लाख जनसंख्या एवं 10 वर्ग कि.मी क्षेत्र में।	10000 वर्गमीटर जिसमें 4200 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा।
		(iii) श्रेणी-सी के नगर	2 लाख जनसंख्या एवं 10 वर्ग कि.मी क्षेत्र में।	8000 वर्गमीटर जिसमें 3500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा।
		(iv) तहसील एवं अन्य कस्बे	1 लाख जनसंख्या एवं 3.00 वर्ग कि.मी क्षेत्र के लिए।	6000 वर्गमीटर जिसमें 2800 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा।
		<ul style="list-style-type: none"> ● ई-सुविधा केन्द्र 	15000 जनसंख्या पर-1	50 वर्ग मीटर अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। इसका प्राविधान व्यावसायिक / कार्यालय भवनों / संस्थागत भवनों में करने की स्थिति में न्यूनतम तल क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा।
		<ul style="list-style-type: none"> ● विद्युत सब-स्टेशन 		
		11 के.वी.ए.	15000 जनसंख्या पर-1	500 वर्ग मीटर
		33 के.वी.ए.	-	1.0 एकड़
		66 के.वी.ए	5000 जनसंख्या पर -1	1.5 एकड़
		132 के.वी.ए.	-	5.0 एकड़
		220 के.वी.ए.	500000 जनसंख्या पर-1	10.0 एकड़
		<p>टिप्पणी : विद्युत सब-स्टेशन हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए उक्त मानकों से कम क्षेत्रफल प्रस्तावित करने की स्थिति में संबंधित विभाग से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर संलग्न करनी होगी।</p>		
4.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● बारात घर / कम्यूनिटी सेन्टर ● वलब 	25000 जनसंख्या पर -1 25000 जनसंख्या पर- 1	1500 वर्ग मीटर 1000 वर्गमीटर



5.	व्यवसायिक	<ul style="list-style-type: none"> ● सुविधाजनक दुकाने 	400 व्यक्तियों पर-1 दुकान (दुकान का क्षेत्रफल 10–15 वर्गमी.)	कुल योजना क्षेत्रफल का अधिकतम 5 प्रतिशत (कार्यालय उपयोग सहित)
		<ul style="list-style-type: none"> ● सेक्टर शापिंग 	200 व्यक्तियों पर-1 दुकान (दुकान हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल—25 वर्गमी.)	
		<ul style="list-style-type: none"> ● अनौपचारिक क्षेत्र हेतु कियास्क/बूथ/ चबूतरा 	500 व्यक्तियों पर-1 (एक सेक्टर में लगभग 50 चबूतरे नियोजित किए जा सकते हैं।)	7.5 वर्गमीटर
6.	वितरण सेवा	<ul style="list-style-type: none"> ● एल.पी.जी गोदाम/गैस गोदाम 	प्रत्येक 40000–50000 जनसंख्या पर-1	1000 वर्गमीटर
7.	कीड़ा कियाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर कीड़ा केन्द्र 	प्रत्येक 1000000 जनसंख्या पर-1	20 हेक्टेयर
		<ul style="list-style-type: none"> ● ज़ोनल कीड़ा केन्द्र 	प्रत्येक 100000 जनसंख्या पर-1	8 हेक्टेयर
		<ul style="list-style-type: none"> ● नेबरहुड कीड़ा केन्द्र 	प्रत्येक 15000 जनसंख्या पर-1	1.5 हेक्टेयर
		<ul style="list-style-type: none"> ● आवासीय इकाईयों में कीड़ा केन्द्र 	प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर-1	5000 वर्गमीटर
		<p>टिप्पणी : “नेबरहुड कीड़ा केन्द्र” तथा “आवासीय इकाईयों में कीड़ा—केन्द्र” का प्राविधान ले—आउट प्लान स्तर पर प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थान के क्षेत्रफल के अन्तर्गत किया जा सकेगा।</p>		
8.	कूड़ा एकत्रीकरण स्थल		500 व्यक्तियों पर-1	15.0 वर्गमीटर

टिप्पणी: सुविधाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्यता प्रदान की जायेगी परन्तु पूर्व स्वीकृत ले आउट में आरक्षित प्लाट के अनुसार ही निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

- 2.4.2 जनसंख्या घनत्व एवं आंकलन**
- (I) भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ले—आउट प्लान हेतु नए/अविकसित क्षेत्र में अधिकतम घनत्व 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा तथा निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में घनत्व महायोजना के अनुसार होगा।
 - (II) ग्रुप हाउसिंग के लिए नए/अविकसित क्षेत्र में अधिकतम 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (200 इकाईयों प्रति हेक्टेयर) घनत्व अनुमन्य होगा। निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में ज़ोनल प्लान/ले—आउट प्लान अनुमोदित होने की दशा में अनुमोदित ज़ोनल/ले—आउट प्लान के अनुसार घनत्व अनुमन्य होगा अन्यथा अधिकतम घनत्व 150 इकाई प्रति हेक्टेयर अनुमन्य होगा।
 - (III) जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेतु (ग्रुप—हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 150 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाईयों, 300 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 20 इकाईयों के आधार पर जनसंख्या का आकलन किया जायेगा।



2.5 निर्मित क्षेत्र में विकास/पुनर्विकास/पुनर्निर्माण

2.5.1 निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित स्थलों पर विकास/पुनर्विकास/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा हेतु निम्न मापदण्ड होंगे:—

- 2.5.1.1 विद्यमान सड़क की चौड़ाई 4.0 मीटर से कम होने पर भूखण्ड का अग्र भाग सड़क की मध्य रेखा से 2.0 मीटर की दूरी पर होगा एवं इसके उपरान्त फन्ट सेट बैक प्रस्तर—2.5.1.3 में दी गई तालिका के अनुसार छोड़ा जाएगा।
- 2.5.1.2 0.3 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का सब-डिवीजन नए क्षेत्रों के सब-डिवीजन रेगुलेशन्स के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 2.5.1.3 200 व.मी. तक के भूखण्डों पर भवन के पुनर्निर्माण की अनुज्ञा हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., न्यूनतम फन्ट सैट-बैक तथा बेसमेन्ट के प्राविधान निम्नानुसार होंगे:—

क्र. सं.	निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं	भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर मानक	
		100 व.मी. तक	101—200 व.मी.
1.	भू-अच्छादन	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत
2.	एफ.ए.आर.	2.0	1.75
3.	फन्ट सैट-बैक	1.2 मीटर	1.2 मीटर
4.	बेसमेन्ट	अनुमन्य नहीं	अनुमन्य नहीं

- 2.5.1.4 200 वर्गमीटर तक के गैर-व्यवसायिक भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, जबकि 200 वर्गमीटर तक के व्यवसायिक भवनों में अनुमन्य भू-आच्छादन के अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में बेसमेन्ट अनुमन्य होगा।
- 2.5.1.5 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों पर पुनर्निर्माण की अनुज्ञा नए क्षेत्रों के बाई-लॉज के अनुसार देय होगी।
- 2.5.1.6 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग व्यवस्था इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी, जबकि 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित तल क्षेत्रफल पर पार्किंग का प्राविधान निम्नानुसार किया जाएगा:—

- (i) खुले क्षेत्र में — 23 वर्ग मीटर
- (ii) कवर्ड पार्किंग — 28 वर्ग मीटर
- (iii) बेसमेन्ट पार्किंग — 32 वर्ग मीटर

परन्तु 200 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में जहाँ मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है, वहाँ पार्किंग हेतु वांछित क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय सर्किल रेट पर आंकलित मूल्य के बराबर भू-स्वामी से धनराशि जमा कराकर निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा तथा समुचित धनराशि जमा होने पर यथासंभव समीपस्थ क्षेत्र में कामन पार्किंग विकसित की जाएगी।

- 2.5.1.7 महायोजना में चिह्नित निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत यदि किसी भी स्तर का वाणिज्यिक क्षेत्र शामिल है, तो ऐसे क्षेत्र में स्थित भूखण्डों के विकास/पुनर्विकास/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा नए क्षेत्रों के बाई-लॉज के अनुसार देय होगी।



- टिप्पणी:**
- (I) 100 वर्ग मीटर तक के कोने के भूखण्डों में साईड सैट-बैक अनिवार्य नहीं होगा, 101 से 200 वर्ग मीटर के कोने के भूखण्डों हेतु न्यूनतम साइड सैट-बैक एक मीटर होगा।
 - (II) सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम होने की दशा में व्यवसायिक भूखण्डों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
 - (III) "समस्त प्रकृति के भवनों की अधिकतम ऊचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई एवं फंट सेट-बैक के डेढ़ गुना के बराबर होगी, परन्तु भूखण्डीय विकास में स्टिल्ट रहित 10.50 मीटर तथा स्टिल्ट के साथ 12.50 मीटर होगी।"



अध्याय—3

3.1 भवन निर्माण हेतु अनिवार्यताएं

3.1.1 अनुज्ञा से छूट

- (क) सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के भाग—4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक उपविधियों का उल्लंघन न होने पर निम्नलिखित कार्य के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी, परन्तु विद्यमान भवन का पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं परिवर्धन जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन यथा— कालम, बीम का निर्माण, नई लोड बियरिंग दीवार का निर्माण, नई स्लैब डालना, आदि निहित हो, में नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के भाग—4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन अनिवार्य होगा :—
- (I) ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना अथवा बन्द करना, जो किसी दूसरे की सम्पत्ति की ओर न खुलते हों।
 - (II) आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजों का प्राविधान।
 - (III) न्यूनतम मापदण्डों का उल्लंघन न होने पर आन्तरिक विभाजन।
 - (IV) बागवानी।
 - (V) सफेदी करना।
 - (VI) रंगाई करना।
 - (VII) पूर्व स्चीकृत आच्छादन पर पुनः टाईल्स लगाना या छत का निर्माण करना (परन्तु मेजनाइन तल की छत का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा)।
 - (VIII) पुनः फर्श निर्माण।
 - (IX) प्लास्टर करना या प्लास्टर की आंशिक मरम्मत।
 - (X) अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनशेड का निर्माण।
 - (XI) अपने भूखण्ड के सीमाकान्न उपरांत सड़क की मध्य रेखा से फैन्ट में अधिकतम 1.65 मीटर ऊँची बाउन्ड्रीवाल का निर्माण परन्तु आगे, पीछे एवं पाश्व में अधिकतम 2.40 मीटर ऊँची बाउन्ड्री वाल जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा। महायोजना/जोनल प्लान/ले—आउट प्लान में निर्धारित सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर बाउन्ड्री वाल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (XII) मल—नालियों, मुख्य गलियों, पाइपों, केबिलों या अन्य संयंत्र का निरीक्षण या उसके नवीनीकरण तथा मरम्मत के प्रयोजनार्थ किसी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा किन्हीं सेवाओं के क्रियान्वयन किए जाने के लिए निर्माण कार्य।
 - (XIII) छत/टेरेस, बालकनी/बरामदे में पैरापेट का निर्माण।
 - (XIV) भवन उपविधियों में प्राविधानित मानकों के अनुसार पोर्टिको/पोर्च का निर्माण।
 - (XV) सैप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण।
 - (XVI) हैण्ड पम्प लगाना।
 - (XVII) निर्माण कार्य हेतु अस्थाई वाटर टैंक का निर्माण।
 - (XVIII) प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक जिस सीमा तक नष्ट होने से पूर्व निर्माण था, का पुनर्निर्माण।
 - (XIX) वर्षा जल के संचयन, संरक्षण एवं हार्डस्टिंग हेतु आवश्यक संरचनाओं (भूमिगत वाटर टैंक सहित) का निर्माण।
 - (XX) वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण।



(ख) उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत घोषित मेला क्षेत्र को छोड़कर नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए किसी प्रकार की स्थीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि महायोजना व भवन उपविधियों, आदि के अनुसार सेट-बैंक छोड़े गए हैं एवं निर्माण तीन मंजिल से अधिक न हो तथा अनाधिकृत रूप से विभाजित न हों।

- 3.1.2 अनुज्ञा हेतु आवेदन किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन हेतु अनुज्ञा आवेदन-पत्र (परिशिष्ट-4) की दो प्रतियाँ एवं निम्नलिखित मानचित्रों के 4 सेट निम्न कलर स्कीम के अनुसार तथा कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में एवं सूचनाएं नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित प्रस्तुत किए जाएंगे:-

3.1.2.1 कलर स्कीम : मानचित्र/ड्राइंग सीट की कलर स्कीम निम्न तालिकानुसार होगी:-

क्र.सं.	मद	साइट प्लान		भवन मानचित्र	
		सफेद प्लान	ब्लू प्रिन्ट/अमो. प्रिन्ट	सफेद प्लान	ब्लू प्रिन्ट/अमो. प्रिन्ट
1	2	3	4	5	6
1.	भूखण्ड सीमाएं	मोटा काला	मोटा काला	मोटा काला	मोटा काला
2.	वर्तमान मार्ग	हरा	हरा	—	—
3.	प्रस्तावित मार्ग यदि कोई हो	डॉटेड हरा	डॉटेड हरा	—	—
4.	अनुमन्य भवन रेखाएं	मोटा डॉटेड काला	मोटा डॉटेड काला	—	—
5.	खुले स्थल	कोई रंग नहीं	कोई रंग नहीं	कोई रंग नहीं	कोई रंग नहीं
6.	विद्यमान निर्माण	काला (आउट लाइन)	काला (आउट लाइन)	काला (आउट लाइन)	काला (आउट लाइन)
7.	प्रस्तावित शमनीय निर्माण	हैच्ड पीला	हैच्ड पीला	हैच्ड पीला	हैच्ड पीला
8.	प्रस्तावित ध्वस्तीकरण	हैच्ड लाल	हैच्ड लाल	हैच्ड लाल	हैच्ड लाल
9.	प्रस्तावित कार्य (टिप्पणी : (1))	लाल (फिल्ड)	लाल	लाल	लाल
10.	ड्रेन एवं सीवर	डॉटेड लाल	डॉटेड लाल	डॉटेड लाल	डॉटेड लाल
11.	जलापूर्ति लाइन	पतला काला डॉटेड	पतला काला डॉटेड	पतला काला डॉटेड	पतला काला डॉटेड

टिप्पणी : (1) नए निर्माण हेतु यह आवश्यक नहीं होगा, विद्यमान निर्माण के विस्तारीकरण में यह लागू होगा।

(2) भू-विकास, सब-डिवीजन, ले-आउट हेतु यथोचित कलरिंग स्कीम प्रयोग में लाई जाएगी जिसके लिए इन्डेक्स दर्शाया जायेगा।

- 3.1.2.2 स्थल मानचित्र एक हेक्टेयर तक मानचित्र न्यूनतम 1:500 के पैमाने पर, एक हेक्टेयर से अधिक मानचित्र के मानचित्र न्यूनतम 1:1000 के पैमाने पर तैयार किए जाएंगे और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाएं जाएंगे:-
- (I) प्रस्तावित निर्माण स्थल की सीमाएं।
 - (II) सीमावर्ती सड़कों की स्थिति।
 - (III) प्रस्तावित निर्माण से निकटतम सड़क का नाम तथा उसकी वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई।
 - (IV) स्थल पर विद्यमान भवन (यदि हो)।
 - (V) प्रस्तावित निर्माण के सीमावर्ती भूमि पर भवनों की स्थिति।
 - (VI) प्रस्तावित भवन/भवनों हेतु मुख्य सड़क से पहुँच की सुविधा।
 - (VII) अबाध संवातन, प्रकाश एवं सफाई हेतु भवन के अन्दर तथा भवन के चारों ओर



छोड़े जाने वाला खुला क्षेत्र, सेट-बैक (भवन के सामने, पार्किंग एवं पीछे) तथा पार्किंग स्थल, आदि।

- (VIII) विद्यमान भौतिक संरचनाएं तथा नालियों आदि।
- (IX) जल-सम्पर्क लाइनें तथा डिस्चार्ज बिन्दु तक मल-निस्तारण, स्वं जल-निकास लाइन एवं रुफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था।

- (X) पैमाना और उत्तर दिशा-सूचक।
- (XI) लैण्डस्केप प्लान जिसमें सरकुलेशन एरिया को अवरोध मुक्त रखते हुए वृक्षारोपण निम्न प्रकार से दर्शाया गया हो:-

(क) आवासीय भूखण्डों में

- (i) 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर एक पेड़।
- (ii) 200 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो पेड़।
- (iii) 301 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर चार पेड़।
- (iv) 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड में प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल या इसके भाग पर एक पेड़।
- (v) समूह आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग) में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़।

(ख) औद्योगिक भूखण्डों में

प्रति 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर एक पेड़।

(ग) व्यवसायिक भूखण्डों में

प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़।

(घ) संस्थागत/सामुदायिक सुविधाएं, कीड़ा स्थल, खुले क्षेत्र एवं पार्क

कुल क्षेत्रफल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।

- (XII) योजना क्षेत्र के अनुमोदित उप-विभाजन मानचित्र (यदि हो) की एक प्रति।

- (XIII) प्राधिकरण द्वारा विहित कोई अन्य विवरण।

3.1.2.3 भवन मानचित्र भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्षण 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाएंगे :-

- (I) समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।
- (II) भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग।
- (III) मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।
- (IV) जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।
- (V) ग्रुप हाउसिंग, होटल तथा बहुमंजिले व्यवसायिक/कार्यालय भवनों में दूर संचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार टेलीकाम वायरिंग व्यवस्था।
 - (a) नवनिर्मित होने वाले सभी श्रेणी के भवन परिसरों में मानकों के अनुसार आर्टिकल फाइबर के लिए डक्ट का प्राविधान।
 - (b) पाइप नेचुरल गैस का प्राविधान (स्थानीय आवश्कता/उपलब्धता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने की स्थिति में)।



- (VI) सेक्षण ड्राइंग में स्पष्ट रूप से पदाधार (फुटिंग) के आकार, तहखानों की दीवारों की मोटाई, तल, स्लैब, छत, दरवाजे, खिड़कियों के आकार, भवन और कमरों तथा पैरापिट की ऊँचाई, जल निकास और छत की ढाल प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक सेक्षण, जीने एवं मशीन रूम से होगा।
- (VII) सभी सड़कों की ओर के एलीवेशन।
- (VIII) खुली जगहों में अनुमन्य प्रक्षेपित भाग की मापें।
- (IX) टैरेस प्लान में जल—निकास और छत की ढाल।
- (X) उत्तर दिशा—सूचक और प्रयुक्त पैमाना।
- (XI) जल संग्रहण हेतु भूमिगत टैंक जिसकी न्यूनतम क्षमता 1000 लीटर होगी।
- (XII) समूहिक रिचार्ज नेटवर्क न होने की दशा में 300 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल (युप हाउसिंग सहित) के समस्त उपयोगों के भूखण्डों में (वाटर लाइंग की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर) रुफ—टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाएगा ताकि भू—जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। वाटर लाइंग की समस्या वाले क्षेत्रों में भू—जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनाई जाए, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।
- (XIII) 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों, अस्पताल तथा नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र बल/अर्द्ध—सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक, सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र स्थापना हेतु अनुलग्नक—3 के अनुसार आवश्यक प्राविधान।
- (XIV) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उस पर उसके द्वारा नाम, पता, योग्यता और प्राधिकरण की अनुज्ञापि संख्या अथवा 'काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर' की पंजीकरण संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे। मानचित्रों पर भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।
- (XV) किसी योजना में विशिष्ट आकार के भू—खण्ड के लिए विकास प्राधिकरण से मानक भवन मानचित्र (*Standard Design*) स्वीकृत कराया जा सकेगा और उस योजनानात्तर्गत उसी आकार के अन्य भूखण्डों पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए स्टैण्डर्ड डिज़ाइन के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा बशर्ते निर्धारित शुल्कों का भुगतान कर दिया जाए।
- (XVI) "समस्त उपयोगों के भूखण्ड जिनमें न्यूनतम 10 हजार लीटर प्रतिदिन का वाटर डिस्चार्ज हो, में 'वैस्ट वाटर रिसाइकिलिंग सिस्टम'/'रिसाइकिलिंग वाटर' का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।"
- (XVII) "500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों (युप हाउसिंग सहित) तथा समस्त गैर—आवासीय भवनों में कूड़ा प्रबन्धन हेतु भूखण्ड के प्रवेश द्वार के समीप भूतल पर दो प्रकार के (**Biodegradable and non-biodegradable**) डस्टबिन की व्यवस्था की जायेगी ताकि स्थानीय निकाय द्वारा प्रतिदिन डस्टबिन से कूड़ा एकत्र कर वार्ड अथवा सेक्टर लेवल पर ही प्रोसेस करके पर्यूल केक, खाद, पेपर इत्यादि तैयार किया जाना आसान हो"।

3.1.2.4 बहुमंजिले एवं विशिष्ट भवन

- (I) चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू—आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, के भवन मानचित्रों में नेशनल बिलिंग कोड—2005 के भाग—4 की अपेक्षाओं के साथ—साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दर्शाना आवश्यक होगा:-



- (क) अग्निशमन संयंत्रों एवं वाहनों के पहुँच मार्ग, वाहनों के मुड़ने के स्थान, भवन के चारों ओर वाहनों के आवागमन हेतु सर्कुलेशन क्षेत्र तथा पार्किंग व्यवस्था।
- (ख) फायरएस्केप, स्टेयरकेस।
- (ग) मुख्य सीढ़ियों का आकार (चौड़ाई) तथा उसके साथ बालकनी, कारिडोर व लॉबी से प्रवेश के विवरण।
- (घ) लिफ्ट के प्राविधान सहित लिफ्ट कक्ष की स्थिति।
- (च) कचरा डालने का कक्ष, शूट्स तथा सर्विस डक्ट्स।
- (छ) वातानुकूलित पद्धति, फायर डैम्पर, यान्त्रिक संवातन पद्धति, विद्युत सेवाएं तथा सभी सेवाओं के पाइप्स, आदि।
- (ज) विद्युत एलार्म पद्धति का विवरण।
- (झ) स्थाई पानी की टंकी तथा उसकी क्षमता।
- (ञ) रुफ-टॉप रेन वाटर हार्डस्टिंग व्यवस्था।
- (II) भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं यथा—वाटरवर्क्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेन्ज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत सब-स्टेशन, विद्युत टावर, छविगृह, आडिटोरियम, सभा—भवन, शैक्षिक संस्थाएं, बस टर्मिनल जिनका भू—आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो (चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो), इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भू—स्वामी/बिल्डर, पंजीकृत आर्किटेक्ट के साथ—साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्पराधी डिजाइन होने का प्रमाण—पत्र परिशिष्ट-10 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जाएगा। साथ ही परिशिष्ट-8 “बिल्डिंग इन्फार्मेशन शिड्यूल” में उल्लिखित विवरण का सुसंगत अंश (इस ड्राइंग से सम्बन्धित) एक तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित किया जाएगा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हो।

3.1.2.5 स्वामित्व प्रमाण—पत्र

- (I) मूल विक्रय पत्र (पट्टा की प्रमाणित प्रति/अभिलेख)।
- (II) प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य कोई विलेख।

3.1.3 अनुज्ञा की प्रक्रिया

3.1.3.1 आवासीय भवन

- (I) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले—आउट प्लान में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत समस्त आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र दाखिल किए जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएंगे एवं स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख 02 कार्य—दिवस में उपलब्ध करा दिये जायेंगे। उक्त भवन मानचित्र प्राधिकरण प्रदत्त एवं अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध (डाउनलोडेबल) स्टैण्डर्ड डिजाइन के अनुरूप होने पर अथवा अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किये जाने तथा उस पर यह प्रमाण पत्र अंकित किये जाने कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपयोगियों के अनुसार है, मान्य होंगे। इस हेतु विभिन्न मदों में वांछित शुल्क यथा—मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, आदि नियमानुसार जमा करना आवश्यक होगा।
- (II) नए विकसित/विकासषील क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत ले—आउट प्लान्स के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर भूखण्ड तक के आवासीय भवन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त स्टैण्डर्ड डिजाइन के अनुसार बनाए जा सकेंगे तथा इसके लिए अलग से भवन मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक सुविधानुसार आन्तरिक परिवर्तन कर सकेगा परन्तु



सैट-बैक व खुले स्थान में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। स्टैपर्डर्ड डिजाइन से भिन्न किसी डिजाइन के अनुसार निर्माण करने के लिए दाखिल मानचित्र पर अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिए जाने पर कि मानचित्र महायोजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

- (III) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले-आउट प्लान में भू-खण्डीय विकास के मानचित्रों को छोड़कर अन्य समस्त आवासीय भूखण्डों के मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएंगे बशर्ते अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाण अंकित हो कि मानचित्र महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है तथा सभी सम्बन्धित विभागों यथावश्यक अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए.एस.आई. आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

3.1.3.2 औद्योगिक भवन

- (I) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित प्रदूषणरहित औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धित नगर की महायोजना, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से नेशनल बिल्डिंग कोड/आई.एस.आई. एवं उसके अधीन जारी विनियमों, शासनादेशों के अनुरूप हैं एवं सुसंगत औद्योगिक विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, ऐसे भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण/अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। मानचित्र जमा करते समय उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, निर्धारित शुल्क जमा किए जाने की रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे भवन मानचित्र जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वीकृति मानी जाएगी।
- (II) औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा इन क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाले अति प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर शेष औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र जो अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हों, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क सहित जमा किए जाने पर स्वतः अनुमोदित माने जाएंगे। ऐसे भवन मानचित्र जमा करने की प्राप्ति रसीद ही स्वीकृति मानी जाएगी।

उपर्युक्त प्रस्तर— (I) एवं (II) में उल्लिखित व्यवस्था निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू होगी :—

- (अ) यह व्यवस्था केवल भूखण्डीय विकास के लिए लागू होगी।
- (ब) प्रस्तावित इकाई/भवन का भूखण्ड औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित होना चाहिए एवं सम्बन्धित नगर की महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार उक्त स्थल पर उसकी अनुमन्यता होनी चाहिए।
- (स) औद्योगिक क्षेत्र/स्थान का ले-आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होना चाहिए।
- (द) प्रस्तावित निर्माण संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्परोधी व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षित होना चाहिए तथा उक्त के सम्बन्ध में समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मानचित्र के साथ संलग्न होने चाहिए।
- (य) प्रस्तावित औद्योगिक इकाई का भूखण्ड औद्योगिक आस्थान/ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित होने की दशा में स्थल पर जलापूर्ति, ड्रेनेज, सड़क, विद्युत-आपूर्ति, आदि की व्यवस्था प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की आवश्यकता के सापेक्ष उपलब्ध होनी चाहिए।



3.1.3.3 अन्य भवन

- (I) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे परन्तु 30 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते मानचित्र पर अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित हो कि मानचित्र महायोजना / परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है।
- (II) इस श्रेणी के मानचित्रों की स्वीकृति सुगम करने हेतु विकास प्राधिकरण स्तर पर सम्बन्धित विभागों की एक तकनीकी समिति उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाएगी जो इन मानचित्रों का परीक्षण करेगी और स्वीकृति हेतु संस्तुति देगी। इस समिति में वे सभी विभाग आवश्यक रूप से शामिल होंगे जिनसे अनापत्ति प्रमाण—पत्र अपेक्षित होते हैं।
- (III) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त न होने पर भी 30 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जाएंगे कि निर्माणकर्ता, विकास प्राधिकरण व ऐसे विभाग, जिनकी अनापत्ति / आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ करा सकता है, परन्तु उसे अनापत्ति हेतु अवशेष विभागों से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करें उसमें लगाई गई शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करें।
- (IV) ऐसे भवनों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किए जाएंगे जब इन सभी विभागों की अनापत्ति निर्माणकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली गई हो।
- (V) विद्यमान होटलों (जो अधिकृत रूप से निर्मित हैं) में लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आंतरिक परिवर्तन से सम्बन्धित मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण महायोजना / भवन उपविधि, संरचनात्मक स्थिरता तथा अग्नि शमन सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार है, निर्धारित शुल्क सहित विकास प्राधिकरण में जमा किये जाने पर औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विकास प्राधिकरण में मानचित्र जमा करने की रसीद ही मानचित्र स्वीकृति का प्रमाण—पत्र होगी। परन्तु जमा किये गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित वास्तुविद को उत्तरदायी माना जाएगा तथा मौके पर निर्माण, जमा मानचित्र से भिन्न पाए जाने की स्थिति में, निर्माणकर्ता / भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जाएगा और दोनों ही स्थितियों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से भिन्न परिवर्तन हेतु सम्बन्धित मानचित्र निर्धारित शुल्क सहित आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु जमा किया जा सकता है।
- ऐसे भवन जिनमें अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य हो, आवश्यक रूप से उपरोक्त (II) के अनुसार गठित तकनीकी समिति के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे।
- (VI) किसी भी प्रकार का शॉर्टफॉल (मानचित्र / डॉक्यूमेंट सम्बन्धी) जारी किये जाने के उपरान्त 15 दिवस में आवेदक / आर्किटेक्ट / इंजीनियर द्वारा शॉर्टफॉल निस्तारित / मानचित्र ठीक कराते हुये संशोधित मानचित्र / डॉक्यूमेंट जमा किया जायेगा। 15 दिवस के अन्दर शॉर्टफॉल का निस्तारण न किये जाने पर मानचित्र स्वतः—निरस्त (आटो—रिजेक्ट) हो जायेगा। शुल्क डिमांड जारी किये जाने के उपरान्त 30 दिवस में आवेदक द्वारा समस्त शुल्कों को जमा किया जायेगा। 30 दिवस के अन्दर उक्त का अनुपालन न किये जाने पर मानचित्र स्वतः—निरस्त (आटो—रिजेक्ट) हो जायेगा।
- ऐसे मानचित्र जो उप—प्रस्तर (II) के अनुसार स्वतः—निरस्त (आटो—रिजेक्ट) मानचित्र हुये हैं, के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा निरस्तीकारण की तिथि से 03 माह की अवधि के अन्दर आवेदन करने की स्थिति में स्वतः—निरस्त (आटो—रिजेक्ट) आवेदन पुर्नजीवित हो जायेगा। आवेदन के पुर्नजीवित होने के समय प्रभावी देवय शुल्क का 30 दिवस की अवधि में भुगतान किये जाने के उपरान्त मानचित्र निर्गत होगा एवं 30 दिवस के अन्दर उक्त का अनुपालन न किये जाने पर पुनः मानचित्र स्वतः—निरस्त (आटो—रिजेक्ट) हो जायेगा। पुर्नजीवन की उक्त सुविधा मात्र एक बार ही देय होगी।

3.1.3.4 स्वतः: निस्तीकरण (आटो रिजेक्शन)

3.1.4 निर्माण अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना

3.1.5 निर्माण अनुज्ञा पत्र की वैधता

निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के सम्बन्ध में जो भी शुल्क (यथा सुदृढ़ीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विकास शुल्क, अम्बार / मलबा शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क) आवेदक से जमा कराए जाएंगे, की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश / प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।

- (I) समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 5 वर्ष के लिए वैध होगी। क्रय योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण हेतु समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।



- (II) पॉच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 3 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है। नवीनीकरण शुल्क का अवशेष निर्माण क्षेत्रफल पर आरोपित होगा।
- 3.1.6 निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना**
- (क) **निर्माण कार्य का निरीक्षण/जॉच**
- अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना विहित प्रपत्र (**परिशिष्ट-5**) में दी जाएगी।
- भवन निर्माण के समय स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मौके पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले-आउट प्लान में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत समर्त आवासीय भूखण्डों को छोड़कर शेष समस्त श्रृंगी के भवनों का स्थिति लेवल तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन स्वामी/निर्माणकर्ता स्थल के जी.पी.एस. को आर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स शासकीय अभिकरण को अपलोड कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आशय का एफीडेविट (**परिशिष्ट-18**) भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.1.1 के अन्तर्गत वर्णित अनुज्ञा से आच्छादित कार्य तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-52 के अन्तर्गत अनुमन्य निर्माण से इतर निर्माण कराया गया है तो शासकीय अभिकरण द्वारा सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।
- फोटोग्राफ्स प्राप्त होने पर प्रभारी अभियंता द्वारा 48 कार्यालय घण्टे में स्थल निरीक्षणोपरान्त भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण से विचलन/त्रुटि/गलत पाये जाने पर तत्काल उसे नोटिस दी जाएगी (**परिशिष्ट-19**)। इसके साथ ही प्रभारी अभियंता द्वारा अपनी आख्या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त आख्या के सापेक्ष स्थल पर विचलन/त्रुटि का निर्धारण उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा तथा विचलन पाये जाने पर निर्माण कार्य को सीलबन्द कर दिया जाएगा। यह कार्यवाही अधिकतम 07 कार्य-दिवस में सुनिश्चित की जाएगी।
- 3.1.7 निर्माण कार्य के समय विचलन**
- 3.1.8 निर्माण कार्य का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण-पत्र**
- (I) पुराने/निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर निर्मित आवासीय भवनों को छोड़कर सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो, प्राधिकरण में जमा कर अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। भवन निर्माण के समय किये गये ऐसे परिवर्तन/विचलन जो उपविधि के प्रस्तर-3.1.1 से आच्छादित हैं, में निर्माण के समय पुनरीक्षित भवन मानचित्र प्रस्तुत किया जाना अथवा ऐसे परिवर्तनों हेतु निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु ग्रुप-हाउसिंग, व्यवसायिक एवं अन्य बहुखण्डीय भवनों के प्रकरणों में पुनरीक्षित मानचित्र जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (II) भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों तथा महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों का निर्माण पूर्ण हो जाने पर भू-स्वामी/निर्माता द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ उपविधि के **परिशिष्ट-11** पर सम्बन्धित आर्किटेक्ट, साईट इंजीनियर, भू-स्वामी/निर्माता द्वारा संयुक्त रूप से



यह प्रमाण—पत्र दिया जाएगा कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित विशिष्टियों, गुणवत्ता तथा परिशिष्ट—7 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल विल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाइडलाईन्स पर आधारित स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं भूकम्परोधी समस्त प्राविधानों के साथ किया गया है तथा भवन उपयोग हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा रेन वाटर हार्डिंग एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- 3.1.9 संरक्षित स्मारकों/ हेरिटेज स्थलों के समीप निर्माण की अनुज्ञा**
- (I) "पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों के प्रोहिबिटेड एरिया के अन्दर निर्माण अनुज्ञा देय नहीं होगी तथा इसके पश्चात रेगुलेटेड एरिया के क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुज्ञा "दि एनसिएन्ट मान्यूमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1958 (यथा संशोधित)" के प्राविधानों के अधीन पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर देय होगी।"
- (II) संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/भवनों के आस—पास विकास/निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण समुचित शर्ते एवं प्रतिबन्ध निर्धारित कर सकता है।
- 3.1.10 गंगा नदी के किनारे 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण अनुज्ञा**
- (I) गंगा नदी के किनारे बसे नगरों में नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में केवल विद्यमान भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार तथा हेरिटेज भवनों के सम्बन्ध में 'इंटैक' (INTACH) के परामर्श से संरक्षण कार्य अनुमन्य होंगे, शेष गतिविधियां निशिद्ध होंगी।
- (II) गंगा नदी के किनारे रिथ्त प्रमुख तीर्थ स्थलों पर नदी तट से 200 मीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत मठ, आश्रम तथा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा :
- (क) भू—आच्छादन 35 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा।
 - (ख) प्रस्तावित निर्माण के साथ एक योजना प्रस्तुत की जाएगी जिसमें यह सुनिश्चित हो कि नदी में प्रदूषण नहीं होगा। योजना जल निगम/जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।
 - (ग) झेनेज सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य नालों, आदि में ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।
 - (घ) यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है, तो निवास स्थान/धर्मशाला, आदि अनुमन्य नहीं होंगी।
- टिप्पणी:**—नदी तट का आशय सम्बन्धित विभाग (राजस्व/सिंचाई) के अभिलेखों में अंकित तट से है।
- 3.1.11 आर्किटेक्चुरल कन्ट्रोल**
- किसी क्षेत्र विशेष में भवनों का आर्किटेक्चुरल फसाड/एलीवेशन अथवा उस सीमांकित क्षेत्र के आर्किटेक्चुरल फीचर्स विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण अनुज्ञा हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप होंगे। आर्किटेक्चुरल कन्ट्रोल में परिस्थिति के अनुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों में समस्त या किसी एक का प्राविधान सुनिश्चित कराया जा सकता हैः—
- (क) सामने अथवा गली/सड़क की ओर भवन के अभिदर्शित पाश्व की अनिवार्य ऊँचाई, जहाँ तक भवन निर्माण किया जा सकता है,
 - (ख) तलों की अनिवार्य ऊँचाई,
 - (ग) कार्निस सिल, खिड़कियों के ऊपरी भाग, सन—शेड तथा प्रथम एवं अनुवर्ती तलों पर प्रोजेक्शन की अनिवार्य ऊँचाई एवं डिजाइन,
 - (घ) भवन निर्माण के साथ अनिवार्य बिल्डिंग लाइन,
 - (च) बालकनी के अनिवार्य टाइप डिजाइन,
 - (छ) कलर स्कीम।



3.2 भूखण्डों के आकार और अपेक्षाएं

- 3.2.1 आवासीय** आवासीय प्रयोजन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर तथा भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 3.50 मीटर होगी। दुर्बल एवं अत्य आय वर्गों तथा अन्य वर्गों को अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए मानकों की अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-24 के अनुसार होंगी।
- 3.2.2 शुप हाउसिंग** शुप हाउसिंग भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर होगा। शुप हाउसिंग के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के प्रस्तर-3.3 के अनुसार होंगी।
- 3.2.3 होटल** भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-5 के अनुसार होंगी।
- 3.2.4 नर्सिंग होम** गैर-आवासीय भू-उपयोग में नर्सिंग होम की अनुमन्यता के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर, न्यूनतम फन्टेज 15 मीटर तथा मार्ग की विद्यमान चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होगी जबकि आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर होगा जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा तथा जिसका न्यूनतम फन्टेज 12 मीटर होगा। नर्सिंग होम के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-6 के अनुसार होंगी।
- 3.2.5 फार्म हाउस** भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर होगा, जो न्यूनतम 9 मीटर चौड़े विद्यमान पहुँच मार्ग पर स्थित होगा। फार्म हाउस के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-7 के अनुसार होंगी।
- 3.2.6 पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन** पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30 मी. x 17 मी., फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 36 मी. x 30 मी. होगा, जो निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-8 के अनुसार होंगी।
- 3.2.7 एल.पी.जी.गैस गोदाम हेतु** भूखण्ड का माप न्यूनतम 26 मीटर x 20 मीटर होगा, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। एल.पी.जी. गैस गोदाम के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-9 के अनुसार होंगी।
- 3.2.8 डेरी फार्म** भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा, जो न्यूनतम 9 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। डेरी फार्म के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-10 के अनुसार होंगी।
- 3.2.9 शापिंग माल** शापिंग माल हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर तथा न्यूनतम फन्टेज 40 मीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। शापिंग माल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-21 के अनुसार होंगी।
- 3.2.10 मल्टीप्लेक्स** मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिह्नित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात् भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल तथा विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-14 के अनुसार होंगी।



3.2.11	छविगृह/ सभा भवन	निर्मित क्षेत्र में छविगृह तथा सभा प्रयोजन के लिए व अन्य ऐसे भवनों के भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई (फन्टेज) 30 मीटर होगी, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर होगा। परन्तु विकसित, विकासशील एवं नए क्षेत्र में छविगृह, सभा भवन व अन्य भवनों में भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई 45 मीटर होगी जो न्यूनतम 24 मीटर विद्यमान सड़क पर होगा। निर्मित/विकसित क्षेत्र में स्थित विद्यमान छविगृहों को ठोड़कर उसके स्थान पर छविगृह प्रस्तावित होने की स्थिति में उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे अर्थात् भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल तथा विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा।
3.2.12	कन्वीनिएन्स स्टोर	भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम फन्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए। कन्वीनिएन्स स्टोर के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-15 के अनुसार होंगी।
3.2.13	बारातघर/ उत्सव भवन	बारातघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। बारात घर/उत्सव भवन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-16 के अनुसार होंगी।
3.2.14	शीतगृह	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। शीतगृह के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-17 के अनुसार होंगी।
3.2.15	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नियमावली, 2006, की धारा-5 में निहित प्राविधानों के अनुसार किसी एक श्रेणी/विभिन्न श्रेणियों के विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (स्पेशल इकोनोमिक जोन) हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एवं अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-18 के अनुसार होंगी।
3.2.16	अतिथि गृह (गेस्ट हाउस)	अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। अतिथि गृह के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-19 के अनुसार होंगी।
3.2.17	धर्म-कांटा	धर्म-कांटा (Weight-Bridge) (I) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 525 वर्ग मीटर (पहुँच मार्ग पर भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 25 मीटर एवं गहराई 21 मीटर) रहेगी जिसमें अग्र सेटबैक 06 मीटर तथा पृष्ठ व पार्श्व सेटबैक 03-03 मीटर ठोड़कर 4मी. x 5मी. का कमरा देय होगा। (ii) 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में धर्मकांटा हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर व अन्य नगरों में न्यूनतम 18 मीटर अनिवार्य है।



3.3 समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग)

- 3.3.1 सामान्य अपेक्षाएँ समूह आवास/ग्रुप हाउसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले—आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा। चार हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में ले—आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा ले—आउट प्लान एवं भवन मानचित्र एक साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- 3.3.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।
- 3.3.3 पहुँच मार्ग ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। ग्रुप हाउसिंग ले—आउट प्लान के अन्तर्गत वाहन योग्य मार्गों/सड़कों की चौड़ाई एवं लम्बाई इस उपविधि के प्रस्तर-2.3.1 (I) के अनुसार होगी।
- 3.3.4 स्टिल्ट फ्लोर (I) ग्रुप हाउसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा।
 (II) यदि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग से भिन्न उपयोग में लाया जाता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।
- 3.3.5 पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा लैण्डस्केपिंग 3000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में योजना के कुल क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। भवन मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा; जिसके अनुसार ग्रुप हाउसिंग योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।
- 3.3.6 भू—आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं घनत्व (I) “ग्रुप हाउसिंग भवनों में सैट—बैक, भू—आच्छादन, तल क्षेत्रफल अनुपात एवं घनत्व निम्नवत् होगा:—
 (क) 12.5 मीटर तक ऊँचाई के भवनों में चारों ओर न्यूनतम 5.0 मीटर सैट—बैक होगे।
 (ख) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रस्तर 3.4.5 पर दी गई तालिका के अनुसार सैट—बैक।
 (II) (i) अधिकतम भू—आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। सुरक्षा जोन एवं संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम भू—आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।
 (ii) ग्रुप हाउसिंग परियोजना में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 0.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. कन्चीनिएन्ट शॉप्स के लिए अनुमन्य होगा।
 (III) नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमन्य होगा तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर.1.5 अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा—वातानुकूलित संयंत्र, लिफ्ट के सामने (लिफ्ट के बाहर गलियारे को छोड़कर) 10 वर्ग मीटर तक लॉबी, मस्टी, लिफ्ट के लिए मशीन कक्ष, अलमारियां एवं



वे—विन्डोज (अधिकतम 0.60 मीटर गहराई एवं 1.80 मीटर लंबाई तक), रिप्यूज एरिया (एन.बी.सी. के अनुसार), सर्विस डक्ट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अनुमन्य होगा।

ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

- (IV) नियोजित रूप से विकसित कालोनियों/क्षेत्रों, जिनके ले—आउट प्लान्स सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं, में भूखण्डीय विकास की पद्धति पर एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (V) नियमों के अन्तर्गत क्य—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (VI) “नए/अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के लिए जनसंख्या घनत्व 330 इकाईयां (1650 व्यक्ति) प्रति हैक्टेयर तक निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा, जबकि निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में ज़ोनल प्लान/ले—आउट प्लान अनुमोदित होने की दशा में तदनुसार घनत्व अनुमन्य होगा अन्यथा अधिकतम 150 इकाई प्रति हैक्टेयर तक घनत्व अनुमन्य होगा—
 - (i) 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 200 इकाईयां प्रति हैक्टेयर।
 - (ii) 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 250 इकाईयां प्रति हैक्टेयर।
 - (iii) 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर 330 इकाईयां प्रति हैक्टेयर।”
- (VII) सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान इस उपविधि के प्रस्तर—2.4.1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। सुविधाजनक दुकानों का प्राविधान प्रति 1000 व्यक्तियों पर 5 दुकानों के आधार पर किया जाएगा, जो अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत ही होगा। प्रति दुकान का अधिकतम तल क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर होगा।
- (VIII) प्रवेश द्वार पर 1.6 वर्गमीटर माप का चौकीदार/गार्ड रूम (जिसकी न्यूनतम चौड़ाई अथवा व्यास 1.2 मीटर होगा) अनुमन्य होगा, परन्तु किसी भी दशा में अग्निशमन हेतु वांछित न्यूनतम सैट—बैक में निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (IX) चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजना/भूखण्ड के लिए योजना/ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए “नेट” भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मी० एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।



- (X) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'बल्क' सेल के रूप में ग्रुप हाउसिंग हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर 2.5 एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि योजनान्तर्गत अन्य उपयोगों यथा—व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, संरक्षणगत एवं सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण के लिए एफ.ए.आर. उस उपयोग हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. की सीमा के अन्तर्गत रहेगा।
- (XI) ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के सेटबैक क्षेत्र के अंतर्गत बालकनी के प्रोजेक्शन्स इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होंगे कि अग्नि सुरक्षा हेतु फायर टेंडर के आवागमन हेतु भू-तल से न्यूनतम 6 मी० ऊँचाई का क्षेत्र अवरोध मुक्त रहेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन अनुमन्य नहीं होगा। 1.5 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबकि 1.5 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 3.0 मीटर चौड़ाई तक (स्ट्रक्चरल सेफटी सुनिश्चित होने की दशा में) बालकनी के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी, परन्तु जहाँ दो भवनों के मध्य की दूरी 9.0 मीटर से कम हो वहाँ 1.5 मीटर से अधिक चौड़ी बालकनी अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में अनिश्चित विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत की जानी होगी।
- 3.3.7 पार्किंग व्यवस्था (I) पार्किंग हेतु मानक इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 के अनुसार होंगे।



3.4 सेट-बैक

3.4.1 आवासीय भवन भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 12.5 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.5 मीटर होगी एवं सेट-बैक निम्नवत होंगे :—

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट-बैक (मीटर)			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पाश्व-1	पाश्व-2
(क) रो-हाउसिंग				
50 तक	1.0	—	—	—
50 से अधिक 100 तक	1.5	1.5	—	—
100 से अधिक 150 तक	2.0	2.0	—	—
150 से अधिक 300 तक	3.0	3.0	—	—
(ख) सेमी-डिटेच्च				
300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	—
(ग) डिटेच्च				
500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5
1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0
1500 से अधिक	9.0	6.0	6.0	6.0

- (I) पृष्ठ सेट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर अधिकतम 7.0 मीटर की ऊँचाई तक कुल आच्छादन के अन्तर्गत निर्माण अनुमन्य होगा। परन्तु कोने के भूखण्ड में उक्त आच्छादन पाश्व सेट-बैक छोड़ने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा। केवल पार्किंग प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर सभी प्रकार के भवनों में अनुमन्य होगा। परन्तु डिटेच्च भवनों में पीछे के सेट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (II) नये सब-डिवीजन में कोने के भूखण्ड में पाश्व का सेट-बैक सम्बन्धित भूखण्ड के फॉन्ट सेट-बैक के समान होगा। अन्य क्षेत्रों में यदि लै-आउट प्लान के अन्तर्गत सेट-बैक निर्धारित नहीं है, तो समस्त प्रकृति के निर्माण में 300 वर्गमीटर तक के कोने के भूखण्डों में पाश्व का न्यूनतम सेट-बैक 1.5 मीटर तथा 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के कोने के भूखण्डों में पाश्व सेट-बैक उपर्युक्त तालिका के अनुसार होगा।
- (III) किसी ब्लाक में भूखण्डों की संख्या विषम होने पर 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्ड में दोनों पाश्व में सेट बैक छोड़े जाने की आवश्यकता को देखते हुए कोने के भूखण्ड की चौड़ाई तदनुसार अधिक रखी जायेगी। कोने के भूखण्ड हेतु अग्र एवं पृष्ठ भाग के सेट-बैक वही रहेंगे जो उस स्कीम के अन्य भूखण्डों हेतु निर्धारित हैं ताकि 'बिल्डिंग ब्लाक' में एकरूपता रहे।
- (IV) नियोजित रूप से विकसित क्षेत्र/योजना में किसी भूखण्ड का सब-डिवीजन अनुमन्य होने की दशा में उप-विभाजित भूखण्डों में सेट-बैक मूल भूखण्ड के अनुरूप होंगे।
- (V) विशेष परिस्थिति में कोने के भूखण्ड के साईड सेट-बैक में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा शिथिलता दी जा सकेगी।
- (VI) प्रस्तर-3.4.1 की तालिका में निर्दिष्ट सेट-बैक नये सब-डिवीजन/लै-आउट प्लान में लागू होंगे। परन्तु विकसित तथा विकासशील क्षेत्रों में जिन आवासीय भूखण्डों में सेट-बैक निर्धारित नहीं है, में भी उपरोक्त प्रस्तर 3.4.1 के अनुसार सेट-बैक होंगे।



3.4.2 (I) व्यवसायिक / कार्यालय भवन (15 मीटर ऊँचाई तक अधिकतम चार मंजिल)

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सैट-बैक (मीटर)			
	अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
200 तक	3.0	3.0	—	—
201—500 तक	4.5	3.0	3.0	3.0
500 से अधिक	6.0	3.0	3.0	3.0

टिप्पणी: (I) व्यवसायिक भवनों में जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवाटन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट-बैक आवश्यक नहीं होगा, जबकि कोने के भूखण्ड में अग्रभाग के सेट-बैक के बराबर पार्श्व सेट-बैक अनिवार्य होगा। परन्तु निर्मित/विकसित क्षेत्र में पूर्व नियोजित ले-आउट प्लान्स में निर्धारित सेट-बैक्स ही लागू होंगे।

(II) 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय भूखण्डों में न्यूनतम फन्ट सेट-बैक 1.5 मीटर होगा।

(III) 101 से 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय भूखण्डों में न्यूनतम फन्ट सेट-बैक 3.0 मीटर होगा।

(IV) भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत सेक्टर/ नेबरहुड/स्थानीय स्तर के शापिंग सेन्टर का नियोजन पंक्तिबद्ध दुकानों के रूप में किया जा सकता है, जिनमें अग्रभाग में अधिकतम 3 मीटर चौड़े आच्छादित गलियारे (आर्केड) का प्राविधान अनुमत्य होगा।

3.4.2 (II) संस्थागत / सामुदायिक सुविधा (शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर) भवन (12.5 मीटर ऊँचाई तक)

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सैट-बैक (मीटर)			
	अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
200 तक	3.0	3.0	—	—
201—500 तक	6.0	3.0	3.0	—
501—2000 तक	9.0	3.0	3.0	3.0
2001—4000 तक	9.0	4.0	3.0	3.0
4001—30000 तक	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

3.4.3 शिक्षण संस्थायें (स्टिल्ट रहित भवन की ऊँचाई 10.5 मीटर होगी जबकि स्टिल्ट के साथ ऊँचाई 12.50 मीटर होगी)

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अग्र भाग	सैट-बैक (मीटर)		
		पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
500 तक	6.0	3.0	3.0	—
501—2000 तक	9.0	3.0	3.0	3.0
2001—4000 तक	9.0	4.0	3.0	3.0
4001—30,000 तक	9.0	6.0	4.5	4.5
30,000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0



3.4.4 औद्योगिक भवन—(12.5 मीटर ऊँचाई तक)

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सेट-बैक (मीटर)			
	अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पाश्वर्व-1	पाश्वर्व-2
100 तक	3.0	—	—	—
101–200 तक	4.5	1.5	1.5	—
201–300 तक	4.5	2.0	2.0	—
301–400 तक	4.5	3.5	3.0	—
401–500 तक	6.0	3.5	3.5	—
501–600 तक	6.0	4.0	3.5	3.5
601–1000 तक	7.5	4.5	4.0	4.0
1001–5000 तक	9.0	4.5	4.5	4.5
5001–30000 तक	9.0	9.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

टिप्पणी: औद्योगिक भवनों में प्रवेश द्वारा के निकट बाउण्ड्रीवाल से सटे हुए गार्डर्सम, जनरेटर रूम का निर्माण अनुमत्य होगा जिसका क्षेत्रफल भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत परन्तु 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड में अधिकतम 50 वर्ग मीटर होगा जबकि 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में अधिकतम 100 वर्ग मीटर होगा।

3.4.5 12.50 मी. से (I) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों (15 मीटर ऊँचाई तक के व्यवसायिक/कार्यालय भवनों को छोड़कर) हेतु सेट-बैक निम्नवत् होंगे :-

भवन की ऊँचाई (मीटर)	चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर)
12.5 से अधिक एवं 15 तक	5.0
15 से 18 तक	6.0
18 से 21 तक	7.0
21 से 24 तक	8.0
24 से 27 तक	9.0
27 से 30 तक	10.0
30 से 35 तक	11.0
35 से 40 तक	12.0
40 से 45 तक	13.0
45 से 50 तक	14.0
50 से 55 तक	15.0
55 से अधिक	16.0

(II) किसी भी भवन की अधिकतम ऊँचाई इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि 30 मीटर से कम छोड़े मार्गों पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई मार्ग की विद्यमान चौड़ाई तथा फन्ट सेट-बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक छोड़े मार्गों पर स्थित भवनों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्पारक/हैरिटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फन्नेल ज़ोन तथा अन्य स्टेटयुटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी। हवाई अड्डों/हवाई पट्टी के समीप इन्टरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन के मानकों के अनुरूप विभिन्न नियमों की अधिकतम ऊँचाई नागरिक उड़ायन अनुभाग के शासनादेश सं—202/छप्पन/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2010 के अनुपालन में निम्नवत् होगी:-



(1) Parallel to runway from the centre line of runway(on both sides):

मध्य रेखा से दूरी (मीटर)	अनुमति
(क) 125 तक	कोई निर्माण नहीं।
(ख) 125–150 तक	3 मी. ऊँचाई तक
(ग) 150–175 तक	6 मी. ऊँचाई तक
(घ) 175–200 तक	9 मी. ऊँचाई तक
(च) 200–225 तक	12 मी. ऊँचाई तक
(छ) 225–250 तक	15 मी. ऊँचाई तक
(ज) 250–275 तक	18 मी. ऊँचाई तक
(झ) 275–300 तक	21 मी. ऊँचाई तक
(ट) 300–325 तक	25 मी. ऊँचाई तक
(ठ) 325–350 तक	29 मी. ऊँचाई तक
(ड) 350–375 तक	33 मी. ऊँचाई तक
(ढ) 375–400 तक	37 मी. ऊँचाई तक
(ण) 400–425 तक	41 मी. ऊँचाई तक
(त) 425–4100 तक	45 मी. ऊँचाई तक
(थ) 4100 से अधिक	कोई प्रतिबन्ध नहीं

(2) Beyond both ends of runway from the edge of runway:

किनारों से दूरी (मीटर)	अनुमति
(क) 500 तक	कोई निर्माण नहीं।
(ख) 500–750 तक	9 मी. ऊँचाई तक
(ग) 750–1000 तक	15 मी. ऊँचाई तक
(घ) 1000–1250 तक	20 मी. ऊँचाई तक
(च) 1250–1500 तक	25 मी. ऊँचाई तक
(छ) 1500–1750 तक	30 मी. ऊँचाई तक
(ज) 1750–2000 तक	35 मी. ऊँचाई तक
(झ) 2000–2250 तक	40 मी. ऊँचाई तक
(ट) 2250–4000 तक	45 मी. ऊँचाई तक
(ठ) 4000 से अधिक	कोई प्रतिबन्ध नहीं।

(III) यदि भवन दो या अधिक भिन्न ऊँचाई की सड़कों पर स्थित हो तब अधिक चौड़ी सड़क की ओर भवन का अग्र भाग माना जाएगा तथा उपरोक्त (II) के अनुसार भवन की ऊँचाई अपेक्षाकृत कम चौड़े मार्ग के साथ 24 मीटर गहराई तक अनुमत्य होगी।

(IV) उपरोक्त प्रस्तर-(I) के विकल्प में निम्न सैट बैक अनुमत्य किये जा सकते हैं:-

- (क) 24 मीटर ऊँचाई तक अनुवर्ती तलों पर एक सैट बैक के साथ भूतल पर चारों ओर का न्यूनतम सैट बैक 6 मीटर होगा।
- (ख) 24 मी.से 37.5 मी. ऊँचाई तक अनुवर्ती तलों पर एक सैट बैक के साथ भूतल पर चारों ओर का न्यूनतम सैट बैक 9 मी. होगा।



- (g) 37.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में अनुवर्ती तलों पर दो सैट बैक के साथ भूतल पर चारों ओर का सैट बैक न्यूनतम 12 मीटर होगा।
- (घ) प्रस्तर—3.4.5 की तालिका में दिए गए सैट बैक की कमी को ऊपरी तलों पर दिए गए सैट बैक से पूरा किया जाएगा, परन्तु अनुवर्ती तलों पर सैट बैक में कमरों या फ्लैट से कोई पहुँच नहीं होगी।
- (V) दो ब्लाकों के मध्य परस्पर दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6 मी. जो भी अधिक हो, होगी। 'ब्लाक' का तात्पर्य एक ऐसी भवन संरचना से है जो विभिन्न कमरों, फ्लैट्स/अपार्टमेंट्स या कार्यालयों या हाल/कक्ष में विभाजित हो और जिसके साझा क्षेत्र यथा—प्रवेश हाल, गलियारे, लिफ्ट, सीढ़ी, फायरस्केप, आदि उस भवन विशेष का अखण्ड भाग हों तथा परस्पर निरन्तरता में हों।
- 3.4.6 सेट बैक में छूट** 12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवनों हेतु सेट बैक में निम्नवत छूट प्रदान की जा सकती हैं—
- (I) खुले स्थान में अधिकतम 0.75 मीटर तक की चौड़ाई का छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं होगा, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। उक्त छत/छज्जे का निर्माण सम्पूर्ण खुले स्थान के क्षेत्रफल की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक अनुमन्य होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (II) ड्राइव—वे के ऊपर साइड सेटबैक में प्रवेश द्वार के निकट अधिकतम 3.0 मीटर चौड़े और 6.0 मीटर लम्बे प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित पोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होगा। पोर्टिको के अन्तर्गत साइड सेट—बैक से आच्छादित भाग के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (III) अधिकतम 6.0 वर्ग मीटर क्षेत्र का परगोला, जिसमें खुला भाग न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा तथा ऊँचाई न्यूनतम 2.2 मीटर होगी।



3.5 भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर.

3.5.1 भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक

विभिन्न भू—उपयोगों हेतु भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक निम्नवत् होंगे:—

1. भूखण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड)

	भू—आच्छादन (प्रति शत)	एफ.ए.आर.
--	--------------------------	----------

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

● 100 वर्गमीटर तक	75	2.00
● 100—300 वर्गमीटर तक	65	1.75
● 300—500 वर्गमीटर तक	55	1.50
● 500 वर्गमीटर से तक अधिक	45	1.25

(ख) नए/अविकसित क्षेत्र

● 100 वर्गमीटर तक	75	2.00
● 100—300 वर्गमीटर तक	65	1.75
● 300—500 वर्गमीटर तक	55	1.50
● 500 वर्गमीटर से तक अधिक	45	1.25

2. व्यवसायिक

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

(I) नगर केन्द्र/सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	45	2.00
---	----	------

(II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/जोनल व्यवसायिक केन्द्र	50	1.75
--	----	------

(III) अन्य व्यवसायिक	60	1.50
----------------------	----	------

(ख) नए/अविकसित क्षेत्र

(I) नगर केन्द्र/सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	40	3.00
---	----	------

(II) उपनगर केन्द्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/जोनल व्यवसायिक केन्द्र	45	2.50
--	----	------

(III) अन्य व्यवसायिक	50	1.75
----------------------	----	------

टिप्पणी: 'अन्य व्यावसायिक' के अन्तर्गत सेक्टर/नेबरहुड/स्थानीय स्तर के शापिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट तथा सुविधाजनक दुकानें शामिल होंगे।

3. कार्यालय

(क) निर्मित क्षेत्र	50	1.50
---------------------	----	------

(ख) विकसित क्षेत्र	45	2.00
--------------------	----	------

(ग) नए/अविकसित क्षेत्र	40	2.50
------------------------	----	------

टिप्पणी: 200 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के कार्यालय भवनों में उपरोक्त तालिका में निर्धारित भू—आच्छादन के स्थान पर बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक भू—आच्छादन अनुमन्य होगा।

4. शैक्षिक

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

● प्राइमरी व नर्सरी स्कूल	35	1.00
● हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/उच्चतर संस्थाएं	30	1.00



(ख) नए/ अविकसित क्षेत्र			
● नर्सरी स्कूल / प्राइमरी स्कूल	40	1.20	
● हाईस्कूल/ इन्टरमीडिएट	35	1.20	
● डिग्री कॉलेज	35	1.50	
● तकनीकी प्रबंधन	35	2.00	
5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं			
(क) निर्मित/ विकसित क्षेत्र	40	1.50	
(ख) नए/ अविकसित क्षेत्र			
● सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50	
● अन्य संस्थागत	30	2.00	
6. भण्डारण			
(क) निर्मित/ विकसित क्षेत्र	35	0.80	
(ख) नए/ अविकसित क्षेत्र			
● गोदाम	40	1.20	
● भवन निर्माण सामग्री यार्ड	30	0.60	
7. औद्योगिक			
(क) निर्मित/ विकसित क्षेत्र			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
● 1000 तक	60	1.50	
● 1001–12000 तक	60	1.30	
● 12000 से अधिक	55	1.00	
(ख) नए/ अविकसित क्षेत्र			
● फ्लैटेड फैक्ट्रीज	50	1.50	
● सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
(i) 1000 तक	60	1.50	
(ii) 1001–12000 तक	60	1.30	
(iii) 12000 से अधिक	55	1.00	
● वृहद उद्योग	40	0.80	
8. होटल			
(क) निर्मित/ विकसित क्षेत्र	40	2.00	
(ख) नए/ अविकसित क्षेत्र	40	2.50	
9. थोक व्यवसायिक			
(क) निर्मित/ विकसित क्षेत्र			
● फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00	
● अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20	
(ख) नए/ अविकसित क्षेत्र			
● ग्रेन मार्केट	35	1.00	
● फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00	
● अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50	



स्पष्टीकरण:-

“नए/अविकसित क्षेत्र” कालान्तर में “विकसित क्षेत्र” की श्रेणी में चिन्हित होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. ले-आउट/बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के समय लागू भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. से कम नहीं होगा।

10. चिकित्सा

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

- | | | |
|-------------------------------|----|------|
| ● वलीनिक/डिस्पेन्सरी | 35 | 1.50 |
| ● नर्सिंग होम 50 शैय्याओं तक | 35 | 1.50 |
| ● अस्पताल 50 शैय्याओं से अधिक | 35 | 1.50 |

(टिप्पणी : 1.50 के ऊपर अधिकतम अतिरिक्त 1.00 एफ.ए.आर. क्रय-योग्य आधार पर अनुमन्य होगा)

(ख) नए/अविकसित क्षेत्र

- | | | |
|--------------------------------|----|------|
| ● वलीनिक/डिस्पेन्सरी | 40 | 1.50 |
| ● नर्सिंग होम 50 शैय्याओं तक | 35 | 1.50 |
| ● अस्पताल 50–100 शैय्याओं तक | 30 | 2.00 |
| ● अस्पताल 100 शैय्याओं से अधिक | 30 | 2.50 |

11. सेवा-उद्योग

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

- | | | |
|----------------------------------|----|-----|
| ● फिलिंग स्टेशन | 10 | 0.1 |
| ● फिलिंग स्टेशन—कम—सर्विस स्टेशन | 20 | 0.2 |

(ख) नए/अविकसित क्षेत्र

- | | | |
|--|----|------|
| ● पेट्रोल पम्प/सर्विस गैराज, रिपेयर शॉप, आदि | 10 | 0.15 |
|--|----|------|

12. उपयोगिताएं एवं सेवाएं

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

(ख) नए/अविकसित क्षेत्र

13. खुले स्थल (पार्क एवं कीड़ा स्थल को छोड़कर)

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र

(ख) नए/अविकसित क्षेत्र

14. कृषि भू-उपयोग

नोट : कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के उपरोक्त मानक विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य क्रियाओं के लिए लागू होंगे।

15. एम्बूज़मेन्ट पार्क **

20 1.0

16. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स**

20 0.4

17. बस टर्मिनल/आई.एस.बी.टी.**

30 1.5

** यह भू-उपयोग महायोजना/ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान/ले आउट प्लान में आरक्षित भूमि पर ही अनुमन्य होंगे, परन्तु एम्बूज़मेन्ट पार्क तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत भी अनुमन्य होंगे जिसके लिए नियमानुसार ‘इम्पैक्ट फ़ीस’ देय होगी।

- टिप्पणी :**
- (I) भू-आच्छादन व तल क्षेत्रफल की गणना प्रस्तावित भूखण्ड के क्षेत्रफल के एक स्तर नीचे से प्रारम्भ करते हुए टेलिस्कोपिक ढंग से की जाएगी।
 - (II) व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोगों में 2.00 से अधिक एफ.ए.आर. 2500



- वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ही अनुमन्य होगा।
- (III) हाई-टेक टाउनशिप/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना में ज़ोनल शापिंग सेन्टर हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 50 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 2.50 अनुमन्य होगा।
- (IV) किसी भूखण्ड के लिए उपरोक्तानुसार एफ.ए.आर. की अनुमन्यता इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि 30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा फन्ट सेट-बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फनल ज़ोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।
- (V) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'ब्ल्क' सेल के रूप में ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाओं हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा, जबकि अन्य योजनाओं के लिए 'नेट' भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।
- (VI) विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से सिटी सेन्टर, ज़ोनल शापिंग सेन्टर तथा कार्यालय काम्पलेक्स की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग करते समय व्यक्तिगत (Individual) भूखण्डों हेतु अपेक्षित पार्किंग के अतिरिक्त, योजना के कुल क्षेत्रफल के 05 प्रतिशत भाग पर अलग से पार्किंग काम्पलेक्सेज़ की व्यवस्था करनी होगी।
- (VII) **विलोपित**
- (VIII) वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों में देय होगी तथा ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित निर्माण हेतु इन्फास्ट्रक्चर सुविधाएं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं तथा उस क्षेत्र के ट्रंक इन्फास्ट्रक्चर नेटवर्क से एकीकृत है। यदि ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य किया जाता है, तो ऐसे भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय वर्तमान वाह्य एवं आन्तरिक विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा। परन्तु जिन क्षेत्रों में विद्यमान नीति के अनुसार सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जाए वहाँ पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं हेतु कनेक्टीविटी प्रदान किये जाने जाने की स्थिति में समानुपातिक विकास शुल्क देय होगा।
- (IX) उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट एफ.ए.आर. के अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोगों के लिए नियमानुसार क्य-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (X) पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में नियमानुसार क्य-योग्य एफ.ए.आर. की गणना पुराने एफ.ए.आर. की सीमा पर की जाएगी।
- (XI) ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- (XII) शासन द्वारा घोषित नीतियों यथा-हाईटेक टाउनशिप नीति, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, न्यू टाउनशिप नीति, अफोर्डेबल हाउसिंग नीति, समाजवादी आवास योजना, आदि हेतु भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक सम्बन्धित नीति के प्राविधानों के अनुसार होंगे।



3.5.2 क्रय—योग्य एफ.3.5.2.1
ए.आर.

एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड' के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:—

- (क) निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर क्रय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, मिश्रित, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक/ सामुदायिक सुविधाएं भू—उपयोगों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण की व्यवहारिकता तथा भवन निर्माण की अन्य अपेक्षाओं यथा सेट—बैक, पार्किंग, स्ट्रक्चरल एवं फायर सेफ्टी, इत्यादि मानकों की पूर्ति सुनिश्चित होने की दशा में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता सड़क की चौड़ाई के आधार पर निम्नवत् होगी:—

क्षेत्र की प्रकृति	क्रय—योग्य एफ.ए.आर.
• निर्मित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत
• विकसित क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> • 18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत • 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत
• नए/अविकसित क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> • 18 मी. एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत • 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत

टिप्पणी : 'निर्मित/विकसित क्षेत्र में स्थित ऐसे ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवन यथा—व्यावसायिक, कार्यालय, मिश्रित उपयोग, संस्थागत/सामुदायिक सुविधाएं भू—उपयोगों के भूखण्ड जिनका न्यूनतम् क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर हो एवं न्यूनतम् 30.0 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुंच की सुविधा उपलब्ध है, के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य बेसिक एफ.ए.आर. के ऊपर क्रय—योग्य एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि क्रय—योग्य सहित अधिकतम एफ.ए.आर. 3.0 होगा। ग्रुप हाउसिंग में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवासीय इकाईयाँ अनुमन्य होंगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी।

3.5.2.2 क्रय योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु निम्न अपेक्षाएं पूर्ण होना अनिवार्य है:—

- (क) भवन की ऊँचाई के अनुसार सैट—बैक का प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा।
- (ख) ग्रुप हाउसिंग योजना में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवासीय इकाईयाँ अनुमन्य होंगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी।
- (ग) भवन में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सम्बन्धी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निहित अपेक्षाओं के अनुसार किए जाने होंगे।
- (घ) प्रस्तावित भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।
- (च) भवन में प्रस्तावित कुल तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर. क्रय उपरान्त) के लिए भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था करनी होगी।

3.5.2.3 निर्मित, विकसित क्षेत्र तथा नए/अविकसित क्षेत्र में क्रय—योग्य एफ.ए.आर. की



अनुमति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर देय होगी, जिसमें लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जिलाधिकारी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, अग्निशमन विभाग तथा सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि, जो न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के हों, सदस्य होंगे। उक्त समिति मानचित्रों के परीक्षण एवं रथल निरीक्षणोपरान्त प्रस्तावित भवन के सैट-बैक, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, अग्निशमन सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था तथा अवस्थापना सुविधाओं के मानकों की निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर अपनी आख्या/संस्तुति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी कि क्रय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य किया जा सकता है अथवा नहीं। समिति की संस्तुति के आधार पर ही उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा क्रय—योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

3.5.2.4 क्रय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी:—

$$C = Le \times Rc \times P$$

$$C = \text{शुल्क (चार्ज)}$$

Le = क्रय योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e. $Fp \div FAR$

FP = क्रय—योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

FAR = महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)

Rc = भूमि की वर्तमान दर

नोट: भूमि की वर्तमान दर का तात्पर्य प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर से है, जहां प्राधिकरण की दर उपलब्ध नहीं है, वहां जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से है।

P = क्रय—योग्य फैक्टर

क्रय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु भू—उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:—

क्र.सं.	भू—उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1.	वणिज्यिक	0.50
2.	मिश्रित	0.45
3.	कार्यालय/संस्थागत	0.45
4.	होटल	0.40
5.	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
6.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं	0.20

नोट:

- (i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू—उपयोग के लिए क्रय योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू—उपयोग में क्रय योग्य एफ.ए.आर. केवल ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।
- (ii) कार्यालय/संस्थागत भू—उपयोग के अंतर्गत समर्त प्रकार के कार्यालय, तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं शमिल होंगी।
- (iii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेषन, फायर स्टेषन, बारात घर/सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे।



स्पष्टीकरण:

क्रय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट का आशय क्रय—योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन की तिथि को लागू दर से है।

- 3.5.2.5 यदि किसी भूखण्ड हेतु कम्पनसेटरी एफ.ए.आर. दिया गया हो, तो उस पर क्रय—योग्य एफ.ए.आर. अधिकतम निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगा।
- 3.5.2.6 क्रय—योग्य एफ.ए.आर. भूखण्डीय विकास (आवासीय) में तथा औद्योगिक भू—उपयोग में अनुमन्य नहीं होगा।
- 3.5.2.7 क्रय—योग्य एफ.ए.आर. हेतु निर्माण अनुज्ञा के समय आवेदन किया जाएगा और आवेदक से एफ.ए.आर. शुल्क मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लिया जाएगा।
- टिप्पणी— बिना अनुज्ञा प्राप्त कर निर्मित किया गया क्रय—योग्य एफ.ए.आर. शमनीय नहीं होगा
- 3.5.2.8 क्रय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क से प्राप्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा एक अलग खाते में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग इस प्रयोजनार्थ गठित समिति की संस्तुति के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण / संवर्धन में ही किया जाएगा।
- 3.5.3 कम्पनसेटरी एफ. (I) ए.आर.**
- महायोजना/जोनल प्लान/ले—आउट प्लान में “राइट—आफ—वे” से प्रभावित/सड़क विस्तारीकरण के अंतर्गत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलेक्ट्रिक सब—स्टेशन, पोस्ट अफिस, बस स्टैंड,आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेटरी एफ.ए.आर.अनुमन्य होगा, बशर्ते ऐसी भूमि, भू—स्वामी द्वारा प्राधिकरण/सम्बन्धित विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। कम्पनसेटरी एफ.ए.आर प्रभावित भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसका उपयोग उस भूखण्ड की अवशेष भूमि/ले—आउट पर विभिन्न भू—उपयोगों में समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
- 3.5.4 जैव — प्रौद्योगिकी इकाईयों को अतिरिक्त एफ.ए.आर.**
- (I) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों जो घोषित जैव प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं एवं जिनके ले—आउट प्लान उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं, को महायोजना/जोनल प्लान/भवन उपविधि/शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (II) उपर्युक्त प्रस्तर— (I) में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों, जिनके ले—आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं, के अन्तर्गत स्थित इकाईयों को जनसंख्या घनत्व, अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, विद्युत आपूर्ति आदि की उपलब्धता तथा पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त “केस—टु—केस” के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (III) पंजीकृत जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों को उपरोक्तानुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की सुविधा सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने पर अनुमन्य होगी।
- 3.5.5 सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को अतिरिक्त एफ.ए.आर.**
- साफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सामान्यतः अनुमन्य एफ.ए.आर. से 50 प्रतिशत अधिक एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा जिसकी सीमा यथार्थित आवासीय/कार्यालय (जिसका भी एफ.ए.आर. अधिक हो) हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. तक होगी। परन्तु अधिकतम भू—आच्छादन महायोजना/भवन उपविधि/शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।



- 3.5.6 भू-आच्छादन से छूट (I) आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत, उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड, फब्बारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुज्ञेय सीमा तक परगोला, छज्जे, बालकनी तथा पोर्च एवं आर्कड (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।
- (II) 4000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्गमीटर जबकि 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिकतम 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र गार्ड रूम (प्रवेश द्वार के निकट), जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक स्विच रूम, मीटर रूम व ट्र्यूबवेल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।
- 3.5.7 ऊँचाई का अपवाद भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क अथवा आस-पास के औसत भूतल से नापी जाएगी तथा निम्नलिखित सहायक संरचनाएं भवन की ऊँचाई में सम्मिलित नहीं की जाएंगी:-
- (I) छत पर टैंक और उनकी सहायक संरचनाएं जो ऊँचाई में 2.0 मीटर से अधिक न हों, वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाएं, संवातन, एयर कण्डीशनिंग उपकरण, लिफ्ट रूम जो 4.5 मीटर से अधिक ऊँचा न हो और ऐसे अन्य सर्विस उपकरण, सीढ़ी जो ममटी से आच्छादित हो और 3.0 मीटर से अधिक ऊँची न हो, चिमनी, पैरापेट वाल और भवन के सौन्दर्य वृद्धि हेतु संरचनाएं जो 1.5 मीटर से अधिक ऊँची न हों बर्ते बरसाती को सम्मिलित करते हुऐ ऐसी संरचनाओं का कुल क्षेत्रफल भवन की उस छत जिस पर निर्माण है, के क्षेत्रफल के एक तिहाई से अधिक न हो।
- (II) एरोड्रोम के निकट स्थित भवनों की ऊँचाई भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी।



3.6 भवन की आन्तरिक संरचनाएं, आकार और क्षेत्रफल

3.6.1 निवास योग्य कमरे	<p>(I) निवास योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर होगा तथा उसकी चौड़ाई 2.4 मीटर होगी। जहां दो निवास योग्य कमरे प्रस्तावित हों तो एक कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर तथा दूसरे निवास योग्य कमरे का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.1 मीटर होगी।</p> <p>(II) कमरों की सीलिंग की ऊँचाई फर्श की सतह से न्यूनतम 2.75 मीटर होगी।</p> <p>(III) वातानुकूलित कमरे में वातानुकूलन डक्ट या (फाल्स सीलिंग) के सबसे निचले बिन्दु तक फर्श की सतह से ऊँचाई न्यूनतम 2.4 मीटर होगी।</p> <p>(IV) शहरीर (बीम) के नीचे ऊँचाई न्यूनतम 2.45 मीटर होगी।</p> <p>(V) शिक्षण संस्थाओं के छात्रावासों में एक व्यक्ति के लिए कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 7.5 वर्ग मीटर होगा।</p>
3.6.2 रसोईघर	<p>(I) रसोईघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 5.0 वर्ग मीटर होगा तथा न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर होगी परन्तु 60 वर्ग मीटर या इससे कम क्षेत्रफल के भूखण्ड में रसोईघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 3.5 वर्ग मीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर अनुमत्य होगी।</p> <p>(II) रसोईघर के कमरे की ऊँचाई फर्श की सतह से छत (सीलिंग) तक न्यूनतम 2.75 मीटर होगी।</p> <p>(III) पृथक स्टोर होने पर रसोईघर का क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर तक हो सकेगा।</p> <p>(IV) रसोई घर को भोजन कक्ष के रूप में प्रयोग किये जाने पर उसका न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी।</p>
3.6.3 स्नानघर एवं संडास	<p>(I) स्नानागार का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 वर्ग मीटर होगा और उसकी चौड़ाई 1.0 मीटर होगी।</p> <p>(II) संयुक्त स्नानागार व संडास होने पर तल का क्षेत्रफल न्यूनतम 2.8 वर्ग मीटर होगा और चौड़ाई न्यूनतम 1.2 मीटर होगी।</p> <p>(III) संडास का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.1 वर्गमीटर होगा, चौड़ाई 0.9 मीटर तथा ऊँचाई 2.2 मीटर होगी।</p> <p>(IV) खुले स्थान की ओर एक दीवार होना आवश्यक होगा।</p>
3.6.4 मेजनाइन तल	<p>(I) मेजनाइन कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्गमीटर होगा।</p> <p>(II) मेजनाइन तल का कुल क्षेत्रफल भवन की कुर्सी के क्षेत्रफल का अधिकतम 33 प्रतिशत तथा ऊँचाई न्यूनतम 2.2 मीटर होगी तथा इसे एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।</p> <p>(III) मेजनाइन तल के लिए प्रकाश और संवातन व्यवस्था मापदण्डों के अनुकूल होगी।</p>
3.6.5 कुर्सी	<p>(I) कुर्सी, जल निस्तारण की पर्याप्त सुविधा सहित चारों तरफ की भूमि से या सड़क की सतह से न्यूनतम 0.30 मीटर ऊँची होगी।</p> <p>(II) आन्तरिक आंगन तथा गैराज सड़क/सामान्य भूतल से न्यूनतम 0.15 मीटर ऊँचाई पर होगा और उसमें जल निस्तारण की व्यवस्था होगी।</p> <p>(III) भवन हेतु पहुँच मार्ग की ऊँचाई सड़क के मध्य से 0.30 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु कें0सी0 ड्रेन के ऊपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।</p>
3.6.6 लाप्ट	<p>(I) लाप्ट का अधिकतम आच्छादन कमरे के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत होगा, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी।</p> <p>(II) आवासीय भवनों में गलियारा (कारीडोर) के ऊपर लाप्ट बनाया जा सकेगा।</p> <p>(III) हेडरूम अधिकतम 1.0 मीटर होगा।</p>



- (IV) लाप्ट के नीचे का हेड रूम 2.0 मीटर होगा।
- 3.6.7 पार्किंग गैराज**
- (I) पार्किंग गैराज का न्यूनतम आकार 2.5 मीटर X 5.5 मीटर होगा।
 - (II) पार्किंग गैराज की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।
- 3.6.8 सर्विस फ्लोर** भवन से संबंधित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के बहुमंजिले भवनों में सर्विस फ्लोर अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जायेगी। बहुमंजिले भवनों में प्रत्येक 4 मंजिल पर एक सर्विस फ्लोर अनुमन्य होंगे, परन्तु एक भवन में अधिकतम 3 सर्विस फ्लोर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि दो अनुवर्ती तलों में निरन्तरता में दो सर्विस फ्लोर का प्राविधान नहीं किया जाएगा।
- 3.6.9 अन्य अपेक्षाएं** भवन की अन्य अपेक्षाएं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नेष्टल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी।



3.7 प्रकाश की व्यवस्था और संवातन

- 3.7.1 कमरे में प्रकाश और संवातन
- (I) कमरे में प्रकाश व संवातन हेतु एक या एक से अधिक खुले भाग जैसे खिड़कियों, रोशनदान होंगे, जो कि खुले स्थान अथवा बरामदे, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर होगी, की ओर खलेंगे।
 - (II) कमरों में दरवाजे को छोड़कर खिड़कियों/रोशनदान आदि के रूप में खुला भाग, फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिषत होगा।
 - (III) किसी कमरे का कोई भाग खुले हुए भाग से 7.5 मीटर से अधिक की दूरी होने पर प्रकाशमान नहीं माना जाएगा, परन्तु वातानुकूलन सिस्टम का प्राविधान किए जाने पर यह प्रतिबन्ध अनिवार्य नहीं होगा।
 - (IV) यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और संवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के लिए न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुले स्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के $1/5$ के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा—सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है, तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल $(30 \times 1/5) \times (30 \times 1/5) = 36$ वर्गमीटर होगा।
 - (V) निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे का प्रकाश और संवातन व्यवस्था यदि सेट—बैंक से हो तो प्रस्तर (iv) में उल्लिखित आन्तरिक खुले स्थान हेतु वांछित न्यूनतम क्षेत्रफल तथा न्यूनतम चौड़ाई की अनिवार्यता से छूट होगी।
- 3.7.2 रसोईघर न्यूनतम 1.0 वर्गमीटर या फर्श क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, क्षेत्रफल की खिड़की होगी, जो सीधे ही भीतरी या बाहरी खुले स्थान की ओर खलेगी।
- 3.7.3 संडास एवं स्नानघर
- (I) संडास और स्नानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा :—

शाफ्ट की कुल ऊँचाई (मीटर में)	संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)
10 तक	1.2	0.9
12 तक	2.8	1.2
18 तक	4.0	1.5
24 तक	5.4	1.8
30 तक	8.0	2.4
30 से अधिक	9.0	3.0

टिप्पणी :

- (I) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शाफ्ट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।
- (II) 30 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में न्यूनतम संवातन शाफ्ट की व्यवस्था के साथ—साथ यान्त्रिक संवातन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।



3.8 अन्य आन्तरिक संरचनाएं

- 3.8.1 जीना**
- (I) तीन मंजिल तक ऊँचाई के आवासीय भवनों को छोड़कर सब भवनों में आन्तरिक जीने अज्वलनशील सामग्री के होंगे।
 - (II) कोई भी जीना लिफ्ट के चारों तरफ स्थित नहीं होगा जब तक कि लिफ्ट अग्नि निरोधक सामग्री से घिरा हुआ न हो।
 - (III) खोखले एवं ज्वलनशील निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (IV) आन्तरिक जीने की न्यूनतम चौड़ाई आवासीय भवनों में 1.0 मीटर, ग्रुप हाउसिंग (तीन मंजिल तक) तथा गेस्ट हाउस में 1.5 मीटर तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में 1.5 मीटर होगी। तीन मंजिल से अधिक ऊँचे ग्रुप हाउसिंग भवनों में जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। परन्तु दो मंजिले तक के एकल आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की न्यूनतम चौड़ाई 75 सेन्टीमीटर रखी जा सकती है।
 - (V) आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 25 सेन्टीमीटर होगी तथा अन्य भवनों में पैड़ी की चौड़ाई 30 सेन्टीमीटर होगी।
 - (VI) आवासीय भवनों में राइजर अधिकतम 19 सेन्टीमीटर ऊँचा और अन्य भवनों में 15 सेन्टीमीटर ऊँचा होगा।
 - (VII) आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होंगे तथा अन्य भवनों में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।
 - (VIII) हाथ पट्टी की न्यूनतम ऊँचाई ट्रेड के मध्य से 85 सेन्टीमीटर होगी।
- 3.8.2 चहारदीवारी**
- (I) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
 - (II) पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी।
 - (III) कोने के भूखण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊँचाई 1.65 मीटर से अधिक नहीं होगी।
 - (IV) उक्त उपबन्ध जेल, सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होंगे।
- 3.8.3 एट्रियम**
- (I) परिभाषा एट्रियम का तात्पर्य किसी भवन के आन्तरिक आंगन (Court)/ प्रवेश हाल (Entrance Hall)/ से है, जो 'स्काइलाइटेड' (Sky lighted) हो अथवा टैरेस फलोर पर पारदर्शी अस्थाई संरचना से ढँका हुआ हो।
 - (II) प्रयोज्यता एट्रियम का उपयोग भवन में प्राकृतिक रोशनी, आन्तरिक सरकुलेशन तथा लैण्डस्केपिंग के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।
 - (III) अनुमन्यता एट्रियम की अनुमति व्यवसायिक (शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, होटल, आदि), कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अद्व-सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर हो, में देय होगी। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत एट्रियम की अनुमति भूखण्ड का न्यूनतम आकार सम्बन्धी अपेक्षाएं पूर्ण होने की स्थिति में देय होंगी।



<p>(IV) न्यूनतम चौड़ाई</p> <p>(V) अन्य अपेक्षाएं</p>	<p>एट्रियम की आंतरिक चौड़ाई उसकी कुल ऊँचाई की आधी अथवा 7.5 मीटर, दोनों में जो अधिक हो, होगी।</p> <p>(क) एट्रियम को टैरेस फ्लोर पर पारदर्शी फाईबर शीट से ढँका जा सकता है, ताकि वर्षा, धूल, गर्मी, आदि से बचाव हो सके और एट्रियम से आच्छादित भाग में दिन के समय प्राकृतिक रोशनी भी उपलब्ध हो सके।</p> <p>(ख) एट्रियम, भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी गणना भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के अन्तर्गत नहीं की जाएगी।</p> <p>(ग) एट्रियम के अन्तर्गत किसी प्रकार की स्थाई संरचना का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, परन्तु एट्रियम के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 5 प्रतिशत भाग विकास प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अरथाई काउन्टर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। अरथाई काउन्टर्स ऐसे स्थलों पर लगाए जाएं, जिससे सरकुलेशन बाधित न हो।</p>
<p>3.8.4 निकास सम्बन्धी अपेक्षाएं</p> <p>3.8.5 कारीडोर एवं पैसेज</p>	<p>भवनों से सुरक्षित निकासी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के भाग-4 के प्रस्तर-4.5 की अपेक्षाओं का पालन आवश्यक होगा।</p> <p>भवनों में कारीडोर एवं पैसेज के प्राविधान हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के भाग-4 के प्रस्तर-4.8 की अपेक्षाओं का पालन आवश्यक होगा।</p>



3.9 भू—गेह (बेसमेन्ट)

- 3.9.1 संरचना/प्रयोजन (I) बेसमेन्ट को रिहायर्सी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (II) आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
- (III) बेसमेन्ट का निर्माण बगल की संपत्तियों की स्ट्रक्चरल सेपटी सुनिश्चित करते हुए भूखण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 2 मीटर छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।
- (IV) बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा, अनुमन्य से भिन्न प्रयोजन होने पर बेसमेन्ट की गणना तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.) में की जाएगी:—
- (क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण,
 - (ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोषकक्ष, बैंक सेलर, आदि,
 - (ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य संरक्षा के लिए लगाई जाएं,
 - (घ) पार्किंग स्थल और गैराज,
 - (च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम),
 - (छ) वातानुकूल होने पर कार्यालय और वाणिज्यिक प्रयोजन, परन्तु इसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।
- 3.9.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं (I) बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 2.1 मीटर तथा अधिकतम 4.5 मीटर ऊँचा होगा, परन्तु बेसमेन्ट में मैकेनाइज्ड पार्किंग प्रस्तावित किए जाने की दशा में बेसमेन्ट की ऊँचाई वास्तविक डिजाइन पर आधारित होगी।
- (II) बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जाएगा। संवातन की कमी यान्त्रिक संवातन द्वारा पूरी की जाएगी और इसके लिए ब्लॉअर, एकजास्ट पंखे अथवा वातानुकूलन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
- (III) बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 0.9 मीटर तथा अधिकतम 1.2 मीटर ऊपर होगी।
- (IV) सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाए, इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।
- (V) आस—पास की मिट्टी और नमी को ध्यान में रखते हुए नमीरोधी उपचार की भी व्यवस्था करनी होगी।
- (VI) कार्यालय और वाणिज्यिक उपयोग हेतु बेसमेन्ट में पर्याप्त संख्या में द्वारों का प्राविधान करना होगा ताकि 15 मीटर से अधिक न चलना पड़े।
- (VII) स्टिल्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेविल में होगी और उसमें मैकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन, आदि फायर टेंडर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।



3.9.3 बेसमेन्ट के (I) विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:—
प्राविधान

क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भू—उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान
1.	100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर—व्यवसायिक	अनुमन्य नहीं
		1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक	भू—आच्छादन का 50 प्रतिशत
2.	100 से अधिक परन्तु 500 तक	2.1 आवासीय	भू—आच्छादन के बराबर
		2.2 गैर—आवासीय	भू—आच्छादन के बराबर
3.	500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक एक बेसमेन्ट
		3.2 गैर—आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक दो बेसमेन्ट
4.	1000 से अधिक	4.1 आवासीय / ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन	बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक— (क) 1000—2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में डबल बेसमेन्ट। (ख) 2000—10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 4 बेसमेन्ट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में कोई प्रतिबंध नहीं।
		4.2 औद्योगिक	बिल्डिंग एनवेल्प लाइन तक दो बेसमेन्ट

- (II) 2000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का निर्माण भूखण्ड की सीमाओं से चारों ओर 6.0 मीटर क्षेत्र छोड़ने के उपरान्त अवशेष क्षेत्र में अनुमन्य होगा, परन्तु ले—आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्र के रूप में वांछित न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्रफल के नीचे बेसमेन्ट अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण, लैण्डस्केपिंग तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग, आदि के उपयोग में लाया जाएगा।
- (III) 2000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिले भवनों में भू—आच्छादन एवं 'बिल्डिंग इन्वेल्प' की सीमा के मध्य बेसमेन्ट की ऊँचाई भूतल के लैविल में होगी ताकि सड़क का निर्माण या लैण्डस्केपिंग सम्भव हो सके।
- (IV) बेसमेन्ट में जाने के लिए सेट—बैक के अन्तर्गत रैम्प का निर्माण अनिशमन सुरक्षा हेतु फायर टेंडर के सुगम आवागमन के लिए वांछित क्षेत्र को अवरोधमुक्त आरक्षित रखते हुए अनुमन्य होगा।



3.10 वाहनों के खड़े करने के स्थान (पार्किंग)

3.10.1 पार्किंग की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक "समान कार स्थल" के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होगा:-

(क) खुले क्षेत्र में पार्किंग	:	23 वर्ग मीटर
(ख) कवर्ड पार्किंग	:	28 वर्ग मीटर
(ग) बेसमेन्ट में पार्किंग	:	32 वर्ग मीटर
(घ) मेकेनाइज्ड पार्किंग	:	16 वर्ग मीटर अथवा वास्तविक डिजाइन के आधार पर
(ज) दो पहिया वाहन	:	2.00 वर्ग मीटर

(साईकिल सहित)

टिप्पणी:-

- वाहनों के आवागमन हेतु एक तरफ पार्किंग का प्राविधान होने अथवा प्रवेश व निकास पृथक—पृथक होने पर न्यूनतमक 3.60 मी. सड़क/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर पार्किंग होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 5.5 मी. सड़क/रास्ता/गलियारा का प्राविधान अनिवार्य होगा।
 - दुपहिया वाहनों के आवागमन हेतु एकतरफ पार्किंग का प्राविधान होने पर व प्रवेश एवं निकास पृथक—पृथक होने पर न्यूनतम 1.50 मी. सड़क/रास्ता/गलियारा एवं दोनों ओर दुपहिया वाहनों की पार्किंग का प्राविधान होने पर अथवा प्रवेश व निकास एक ही होने पर न्यूनतम 2.0 मीटर सड़क/रास्ता/गलियारा का प्राविधान अनिवार्य होगा।
- 3.10.2 ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, संस्थागत, कार्यालय एवं अन्य बहुमंजिले भवन मानचित्रों के साथ पार्किंग मानचित्र अलग से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें समस्त प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र सहित उनके प्रवेश एवं निकास हेतु समुचित सर्कुलेशन की व्यवस्था दर्शायी जाएगी।
- 3.10.3 पार्किंग के मानक विभिन्न उपयोगों/अधिभोगों के भवनों के लिए पार्किंग व्यवस्था के मानक निम्नानुसार होंगे:-

क्र.सं.	उपयोग	समान कार स्थल की संख्या
1.	(क) आवासीय (प्लाटेड)*	<ul style="list-style-type: none"> • 100 से अधिक किन्तु 200 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु न्यूनतम 1.0 • 200 से अधिक किन्तु 300 व.मी. क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु न्यूनतम 2.0 • 300 से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु प्रति अनुमन्य इकाई पर 1.0 परन्तु न्यूनतम 3.0 • 50 वर्गमी. तल क्षेत्रफल से कम के प्रत्येक फ्लैट पर दो पहिया वाहन हेतु 02 वर्गमी. क्षेत्रफल • 50 वर्गमी.—100 वर्गमी. तक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.0 • 100 वर्गमी. से अधिक—150 वर्गमी. तक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.25 • 150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.50
	(ख) समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग)	नोट : उपरोक्तानुसार आंकित पार्किंग क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग के बराबर 'विजिटर्स पार्किंग' अतिरिक्त रूप से आरक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जाएगी।

2. (क) नगर केन्द्र/ सी.बी.डी.

(ख) उपनगर केन्द्र/सब-सी.बी.डी./
जोनल व्यावसायिक केन्द्र

मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0
अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.25



(ग) अन्य व्यावसायिक
(सेक्टर/नेबर-हुड/ स्थानीय स्तर
के शॉपिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट एवं
सुविधाजनक दुकानें)

मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.25
अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0

(घ) मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, थिएटर,
आडिटोरियम

10 सीटों पर 1.0 एवं इसके अतिरिक्त व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 2.0 पार्किंग स्थल ।

(च) शापिंग माल

प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 3.0

(छ) होटल

समस्त स्टार श्रेणी के होटलों हेतु प्रत्येक दो गेस्ट रुम पर 1.0 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक कार्यालय, सर्विस अपार्टमेंट्स एवं बैन्कवॉटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 2.0 पार्किंग स्थल / स्टार रहित/बजट होटल के लिए प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.5 पार्किंग स्थल ।

* आवासीय (प्लॉटेज) विकास हेतु 'समान कार स्थल' का न्यूनतम क्षेत्रफल 13.75 वर्गमी. होगा ।

3. (क) थोक बाजार

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.5

(ख) मण्डी

मण्डी स्थल के कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत

(ग) भाड़ा (Freight) काम्पलेक्स

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0

(घ) गोदाम/कोल्ड स्टोरेज

प्रति 550 घनमीटर भण्डारण क्षमता पर 1.0

4. कार्यालय

मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0 पार्किंग स्थल
अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5 पार्किंग स्थल

टिप्पणी:- ले आउट प्लान के अन्तर्गत पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अधिकतम 5 प्रतिशत भाग भूमिगत पार्किंग (बेसमेंट) के उपयोग में लाया जा सकता है।

5. उद्योग

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 0.5

6. (क) सामुदायिक भवन, कान्फ्रेन्स हाल,
बारातघर, उत्सव भवन

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0

(ख) अस्पताल, नर्सिंग होम

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.5

(ग) सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान, क्लब

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0

(घ) महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
तकनीकी एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं
(स्कूल एवं इंटर कालेज, आदि)

प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 1.0

(च) स्टेडियम

20 सीटों पर एक

(छ) एम्यूज़िमेंट पार्क/अन्य मनोरंजन
स्थल

योजना के कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत

3.10.4 बेसमेन्ट में प्राविधानित पार्किंग क्षेत्र हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्रकाश एवं संवातन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।

3.10.5 2000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का निर्माण भूखण्ड की सीमाओं से चारों ओर 6.0 मीटर क्षेत्र छोड़ने के उपरान्त अवशेष क्षेत्र में अनुमन्य होगा, परन्तु ले—आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्र के रूप में वर्धित न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्रफल के नीचे बेसमेन्ट अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण, लैण्डस्कॉपिंग तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग, आदि के उपयोग में लाया जाएगा ।



- 3.10.6 सड़क या समुचित निकास के प्राविधान सहित सड़क से पृथक वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की जाएगी।
- 3.10.7 पार्किंग हेतु तालाबन्द गैराज एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किए जाएंगे। भूखण्डीय विकास में तालाबन्द गैराज यदि भवन के साइड सेट-बैक के पृष्ठ भाग में प्रस्तावित/निर्मित किए जाते हैं, तो उनकी गणना एफ.ए.आर.में सम्मिलित नहीं की जाएगी।
- 3.10.8 (I) 100 वर्ग मीटर तक के अनावासीय भूखण्ड, जो निर्मित/विकसित/विकासशील क्षेत्र में स्थित हैं तथा जिनमें अधिकतम 12.5 मीटर ऊँचाई का निर्माण प्रस्तावित हो, में आगे के सेट-बैक में पार्किंग अनुमन्य होगी।
- (II) सेट-बैक क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग का उपयोग पार्किंग के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकेगा कि भवन के चारों ओर न्यूनतम 6.0 मीटर की दूरी अग्निशमन की अपेक्षाओं हेतु वाहनयोग्य एवं पूर्णतया अवरोधमुक्त रखी जाएगी तथा इसमें रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (III) मानचित्र के साथ पार्किंग प्लान अलग से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें समर्त प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र सहित उनके प्रवेश एवं निकास हेतु समुचित सर्कुलेशन की व्यवस्था दर्शायी जायेगी।
- 3.10.9 समर्त श्रेणी के भवनों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट का निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में गणना की जाएगी। स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किंग अनुमन्य होगी तथा उसे कवर्ड पार्किंग बनाने (दो से अधिक साइड्स में कवर करने) पर स्टिल्ट फ्लोर की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी। पार्किंग प्रयोजन हेतु पोडियम का निर्माण बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक निम्न प्रतिबन्धों के अधीन
- (i) भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर होगा।
 - (ii) सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होगी।
 - (iii) सेट-बैक के अन्तर्गत पोडियम पार्किंग के उपयोगार्थ रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (iv) पोडियम के निर्माण के फलस्वरूप पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल कम नहीं होना चाहिए।
 - (v) फायर सेफ्टी से सम्बन्धित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।
- टिप्पणी:** पोडियम पार्किंग में अनुमन्य भू-आच्छादन की अधिकतम 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत ड्राइवर रेस्टरूम, स्टोर, सैनिटरी ब्लाक एवं अन्य समरूप सेवाएं अनुमन्य होंगी।
- 3.10.10 युप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं कार्यालय काम्पलेक्स तथा संस्थागत भवनों में प्रस्तर 3.10.9 के अतिरिक्त निम्नानुसार पार्किंग व्यवस्था भी अनुमन्य होगी:-
- (I) स्टिल्ट फ्लोर के साथ अनुर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी:-
 - (क) प्रत्येक तल की फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी।
 - (ख) सेट-बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (ग) पार्किंग तलों की खुली साइड को अधिकतम एक मीटर ऊँची जाली (ग्रिल) से बन्द किया जा सकेगा परन्तु दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।
 - (घ) टेरेस पर खुली पार्किंग इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि चारों तरफ अधिकतम एक मी. ऊँची दीवार तथा उसके ऊपर एक मीटर ऊँची जाली लगायी जाएगी तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।
 - (II) एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी-लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6.0 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी।
 - (III) मैकेनाइज्ड मल्टी-लेवल पार्किंग की ऊँचाई तथा क्षेत्रफल वास्तविक डिजाइन के आधार पर होगा, जिसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र के साथ ही संलग्न करना होगा।



- (IV) मल्टी—लेवल पार्किंग में अधिकतम 03 बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे तथा पार्किंग ब्लाक भूमि के ऊपर होने की दशा में ब्लाक की अधिकतम ऊँचाई पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, परन्तु मुख्य भवन से नियमानुसार उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- 3.10.11 सिटी सेन्टर, ज़ोनल शापिंग सेन्टर तथा कार्यालय काम्पलेक्स की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग करते समय व्यक्तिगत (Individual) भूखण्डों हेतु अपेक्षित पार्किंग के अतिरिक्त, योजना के कुल क्षेत्रफल के 05 प्रतिशत भाग पर अलग से पार्किंग काम्पलेक्सेज़ की व्यवस्था करनी होगी।
- 3.10.12 **मल्टी—लेवल पार्किंग** महायोजना/ज़ोनल प्लान/ले—आउट प्लान में निर्धारित पार्किंग स्थलों अथवा आवासीय, व्यवसायिक एवं कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन नोड, आदि के अन्तर्गत 'पब्लिक—प्राइवेट—पार्टनरशिप' के आधार पर मल्टी—लेवल पार्किंग निम्न मापदण्डों के अनुसार विकसित की जाएगी:—
- (I) मल्टी—लेवल पार्किंग सुविधा के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 1000 वर्गमीटर होगा।
 - (II) पार्किंग हेतु चयनित स्थल निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा।
 - (III) पार्किंग भूखण्ड के लिए अधिकतम भू—आच्छादन 66.6 प्रतिशत एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) बेसमेन्ट सहित 3.0 अनुमन्य होगा।
 - (IV) पार्किंग ब्लाक की ऊँचाई 10.50 मीटर तक होने पर न्यूनतम सेट—बैक 3 मीटर होगा तथा इससे अधिक होने पर सेट—बैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर—3.4.5 के अनुसार होंगे।
 - (V) मल्टी—लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्त के अधीन अधिकतम तीन बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।
 - (VI) मल्टी—लेवल पार्किंग की लागत को पूरा करने/वायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कुल तल क्षेत्रफल के अधिकतम 25 प्रतिशत का उपयोग व्यवसायिक/कार्यालय एवं मनोरंजन के प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा।
- टिप्पणी:**—उपरोक्त मापदण्डों में छूट की अपेक्षा वाले विशिष्ट प्रस्तावों को प्राधिकरण बोर्ड में विचारार्थ प्रस्तुत कर निर्णय लिया जा सकेगा।



3.11 अन्य अनिवार्यताएं व अपेक्षाएं

- 3.11.1 फायर एस्केप या वाह्य जीना (I) फायर एस्केप की गणना भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. में नहीं होगी।
- (II) फायर एस्केप में प्रवेश के स्थान आन्तरिक जीनों से दूर एवं पृथक होंगे।
- (III) सभी फायर एस्केप भूमि से प्रत्यक्षतः जुड़े होंगे।
- (IV) फायर एस्केप तक जाने वाला एक दरवाजा अग्निरोधक क्षमता का होगा तथा फायर एस्केप को जाने वाला रास्ता हर समय अवरोध मुक्त होगा।
- (V) फायर एस्केप ज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होगा।
- (VI) फायर एस्केप की सीढ़ियों में सीधे उठान (फ्लाईट) होगी, जिसकी चौड़ाई 120 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगी। ट्रेड 28 सेन्टीमीटर से कम तथा राईजर 19 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं होगा।
- (VII) एक फ्लाईट में राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।
- (VIII) हाथ पट्टी की न्यूनतम ऊँचाई 1.0 मीटर होगी।
- 3.11.1.1 घुमावदार जीना (I) घुमावदार जीनों का प्रयोग लो-आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और **12.5 मीटर** तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टेरेस) से सम्बद्ध न हो।
- (II) यह बारजा या खुली छत के चबूतरों से जुड़ा होगा,
- (III) किसी घुमावदार जीने का व्यास न्यूनतम 150 सेन्टीमीटर होगा और उसमें पर्याप्त हेड रूम रहेगा तथा केन्द्र से 35 सेन्टीमीटर की दूरी पर ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेन्टीमीटर होगी।
- 3.11.1.2 निकास जीना चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, में न्यूनतम दो जीने होंगे, जो घिरे हुए (enclosed) होंगे, जिनमें से न्यूनतम एक जीना भवन की बाहरी दीवार पर होगा तथा यह बाह्य या आन्तरिक खुले स्थल अथवा अन्य सुरक्षित खुले स्थल पर खुलेगा। इन जीनों हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 की तालिका-22 में इंगित अधिकतम ड्रैवल डिस्टेन्स की अपेक्षाओं का पालन आवश्यक होगा।
- 3.11.2 रैम्प (I) सामान्यतया 1:10 का ढाल होगा, परन्तु किसी भी दशा में 1:8 से अधिक का ढाल नहीं होगा।
- (II) आच्छादन क्षमता, लम्बाई-चौड़ाई की परिसीमा सम्बन्धी सारी अपेक्षाएं लागू होंगी जो जीनों हेतु अपेक्षित हैं।
- (III) ढाल विशेष उपयोग में उपबन्धित किए जाएंगे, तथा 1:10 से अधिक ढाल में आवश्यक उपयोग होने एवं फिसलने का डर रहने पर रैम्प पर फिसलन रहित सतह बिछाई जाएगी।
- (IV) ड्राईव-वे में प्रवेश एवं निकास की एकल व्यवस्था प्रस्तावित होने पर रैम्प की न्यूनतम चौड़ाई 6.0 मीटर एवं अलग-अलग होने पर न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर होंगी।



3.11.3 अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाएं

3.11.3.1 विद्यमान भवन

अग्निशमन सुरक्षा की परिधि में आने वाले ऐसे भवन जो उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि अर्थात् 24.01.05 के पूर्व के निर्मित हों, विद्यमान भवन माने जाएंगे। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यमान भवनों को चिन्हीकृत कर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :—

- (I) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/शमनित ऐसे भवन जिनमें अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था और जो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुसार स्वीकृत हैं:-

अग्नि सुरक्षा हेतु इन भवनों में तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार लगायी गई शर्तों का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'रिस्क' एवं 'केस-टु-केस' के आधार पर निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी:-

- (1) पहुँच मार्ग
- (2) पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत / उपरी
- (3) स्वचालित स्प्रिंलिर पद्धति
- (4) फर्स्ट ऐड होज रील्स
- (5) भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त अग्निशामक
- (6) कम्पार्टमेन्टलाइजेशन
- (7) स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति
- (8) सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था
- (9) निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह
- (10) विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत
- (11) फायर मैन रिचर्च युक्त फायर लिफ्ट
- (12) वेट राइजर डाउन कार्नर सिस्टम
- (13) सेट-बैक
- (14) निकास की आवश्यकताएं एवं फायर एकेप
- (15) फायर ड्रिल
- (16) अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण
- (17) अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रेषिक्षण
- (18) निष्कमण योजना एवं ड्रिल
- (19) सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षण
- (20) विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण

टिप्पणी:- उपरोक्त बिन्दु संब्या— (1), (13) व (14) से सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन स्वीकृत मानचित्र में अंकित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।



(II) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ऐसे भवन जो तत्समय प्रचलित भवन उपविधियों के अनुसार निर्मित/विनियमित है तथा जिनमें अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था:-

ऐसे भवनों में उ. प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 में उल्लिखित विशेषकर पहुँच मार्ग, सेट-बैक व निकास मार्ग की अहताओं हेतु संरचनात्मक परिवर्तन अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्य 17 अपेक्षाएं 'रिस्क' एवं 'केस-टु-केस' आधार पर सुनिश्चित की जायेंगी।

(III) पुराने निर्मित ऐसे भवन जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं:-

(क) ऐसे भवन, जो तत्समय प्रवृत्त महायोजना से आच्छादित हैं।

(ख) ऐसे भवन, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्मित हैं और तत्समय प्रवृत्त महायोजना से आच्छादित नहीं हैं।

उपराकेत दोनों प्रकार के भवनों में पहुँच मार्ग, सेट-बैक तथा फायर एस्केप का प्राविधिक अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्य 17 अपेक्षाएं 'केस-टु-केस' के आधार पर सुनिश्चित की जाएंगी।

(IV) उ.प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के लागू होने अर्थात् 24.1.2005 तथा रिट याचिका सं. 5696(एम/बी)/2006 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.9.2006 के मध्य निर्मित भवन:-

ऐसे भवनों में उ.प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अनुसार भवन मानचित्र की स्वीकृति के पूर्व स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से चूंकि अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना अनिवार्य नहीं था, अतः विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन उपविधियों के अनुसार स्वीकृत ऐसे भवनों में अग्निशमन सम्बन्धी वही व्यवस्थाएं लागू होंगी, जो स्वीकृत भवन मानचित्र में दर्शायी गई हैं। इसके अतिरिक्त उ.प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के नियम-4 में उल्लिखित शर्त संख्या (1), (13) व (14) यदि पूर्ण नहीं हो रही हैं तो उन्हें अनिवार्य नहीं किया जाएगा, परन्तु अन्य समस्त 17 अपेक्षाओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

3.11.3.2 नए भवन (I)

नवनिर्मित होने वाले भवन नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के भाग-3 व 4 की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियोजित, अभिकल्पित और निर्मित होंगे तथा इन भवनों में उ. प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 की अपेक्षानुसार अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधिक किया जाना अनिवार्य होगा।

(II) 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, सभागार, व्यवसायिक, व्यापारिक, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण/भण्डारण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, की अनुज्ञा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3.11.4 इलैक्ट्रिक लाइन से दूरी

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा हेतु न्यूनतम दूरी:-

(I) लो एण्ड मीडिएम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन पर उर्ध्वाधर 2.5 मीटर तथा क्षैतिज 1.2 मीटर होने पर दी जाएगी।

(II) हाई वोल्टेज लाइन्स यथा 33,000 वोल्टेज होने पर उर्ध्वाधर 3.7 मीटर तथा क्षैतिज 2.0 मीटर होने पर दी जाएगी।

(III) 33,000 वोल्टेज से ऊपर अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाइन से उर्ध्वाधर



3.7 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर तथा क्षैतिज से 2.0 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर अनुमन्य होगी।

3.11.5 रेन वाटर हार्डस्टिंग हेतु अपेक्षाएं

जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के उपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायगा।

3.11.6 सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएं

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना अनुलग्नक-3 की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी:-

- (I) अस्पताल तथा नर्सिंग होम,
- (II) होटल,
- (III) अतिथि गृह,
- (IV) विश्राम गृह,
- (V) छात्रावास,
- (VI) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राविधिक संस्थाएं / प्रशिक्षण केन्द्र,
- (VII) सशस्त्र बल / अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक,
- (VIII) सामुदायिक केन्द्र, बैंकेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन,
- (IX) 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

3.11.7 शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएं

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए अध्याय-11 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार प्राविधान सुनिश्चित किए जाएंगे।

3.11.8 भूकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएं

भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचे भवन एवं 500 वर्गमीटर से अधिक भू-आच्छादनयुक्त महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवन अध्याय-13 की अपेक्षाओं के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये नियोजित, अभिकल्पित एवं निर्मित किए जाएंगे।

3.11.9 रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट

सरकारी संस्थानों / अर्द्धसरकारी संस्थानों / सरकारी स्वैच्छिक संस्थान / सहायता प्राप्त संस्थान / प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कार्मण्यालय काम्पलेक्स व अन्य भवनों में रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिष्ठत रूफटाप ऐरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।"

3.11.10 पर्यावरणीय सुरक्षा

"5000 वर्ग मीटर से 150000 वर्ग मीटर बिल्ट-अप क्षेत्रफल वाले भवनों में पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिगत परिशिष्ट-15 से परिशिष्ट-17 तक में वर्णित पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।"



३.११.११ भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुक्रम में भवनों की आन्तरिक विद्युत सुरक्षा के लिए निम्न प्राविधान किया जायेगा:-

- (I) Use of MCB & RCCB for all branch DB's shall be provided with RCCB's in the incomer 80mA for Residential/school/hospital and 100mA in other buildings.
 - (ii) Use of SPD's for the main incomer panel as well as for Dub DB. automation panels, Lifts escalators, fire panels. Roof top solar, CCTV Camera, LED street lights.
 - (iii) Lighting, Arrestor shall be as per NBC 2016 & IS-62305-1/2/3:2010
 - (iv) Fire Survival Cable for Essential Services-The power supply to fire and life safety systems shall be through fire proof enclosure or circuit integrity cable such as- Firepumps. smoke venting/pressurization, all lift, exit signage, emergency lighting, FA, PA etc.
 - (v) Gas suppression / Flooding System-For Main Panel. Fire Panel. Elevator Panel as per NBC 2016
 - (vi) For conductor sizes less than or equal to 16 mm². only copper conductor cables should be used.
 - (vii) Conduit used under False ceiling & inside shaft shall be MS type only.
 - (viii) Use only FR gage wire only.
 - (ix) Electrical shaft shall be separate & shall be sealed at each floor with non-combustible material & All provided with 2 Hr Fire door.
- (एक) एम.सी.बी. और आर.सी.सी.बी. का उपयोग – सभी शाखा के लिए वितरण बाक्स (डी.वी.) उपलब्ध कराना चाहिये जो आवासीय / स्कूल / अस्पताल के लिये आने वाला करंट 80 मिली एम्पीयर आर. सी.सी.बी. का और 100 मिली एम्पीयर अन्य के लिये होगा।
- (दो) एसपीडी का उपयोग— इसका उपयोग मुख्य चैनल के साथ—साथ डी.यू.बी. वितरण बोर्ड (डी.बी.) आटो मेशन पैनल, लिफ्ट स्वचालित सीड़ियां, अग्निरोध पैनल, छत के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल, सी.सी.टी.बी. कैमरा, एलईडी और मार्ग प्रकाश के लिए है
- (तीन) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 और आई.एस.— 62305 1/2/3:2010 के अनुसार विद्युत निरोधक होगा।
- (चार) आवश्यक सेवाओं के लिए अग्नि से बचाव के लिए केबिल अग्निशमन और जीवनरक्षक प्रणालियों के लिए विद्युत आपूर्ति को अग्निरोधी घेरों या सर्किट इन्टीग्रेटी केबिल जैसे फायरपम्प, स्मोक, वेन्टिंग प्रेशराइजेशन, सभी लिफ्ट निकास संकेतकों, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, एफ.ए. पी.ए. आदि के माध्यम से होनी चाहिये।
- (पाँच) गैस सप्रेशन फलडिंग सिस्टम— मेन पैनल, फायर पैनल, एलिवेटर पैनल आदि के लिये एन.बी.सी.— 2016 के अनुसार।
- (छह) 16 मि.मि.— 2 के बराबर या कम आकार के कण्डक्टर के लिए केवल कापर कण्डक्टर केबिल ही उपयोग किया जाना चाहिये।
- (सात) फॉल्स सीलिंग और आंतरिक शाफ्ट के अन्दर उपयोगी के लिए केवल कॉपर कण्डक्टर तारनाली केवल ऐस प्रकार की होगी।
- (आठ) केवल एफ.आर. ग्रेड के तारों का ही उपयोग करें।
- (नौ) इलेक्ट्रिक शाफ्ट अलग—अलग होगा और प्रत्येक तल पर गैर ज्वनशील पदार्थ से सील किया जायेगा और सभी में अग्नि कालीन निकास होगा।
- भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा संबंधी अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में लिखित उक्त प्राविधानों के संबंध में किसी प्रकार के विरोधाभाष उत्पन्न होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण के प्राविधान ही मान्य होंगे।)



अध्याय-4

बाजार मार्ग (बाजार स्ट्रीट) हेतु अपेक्षाएं

4.1 महायोजना में प्रस्तावित बाजार मार्ग (बाजार स्ट्रीट) हेतु निम्न प्राविधान लागू होंगे :-

- (I) बाजार मार्ग के अन्तर्गत विभिन्न उपयोगों/कियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित नगर की महायोजना एवं उसके जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- (II) बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 12 मी. अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई जो भी अधिक हो, माना जायेगा।
- (III) बाजार मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण महायोजना में इस उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा तक अनुमन्य होगा। परन्तु 24 मीटर और उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित किसी भूखण्ड पर होटल का प्रस्ताव होने की दशा में होटल केवल 'बाजार स्ट्रीट' की गहराई तक ही नहीं अपितु भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर अनुमन्य होगा।
- (IV) मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर भूखण्ड के सामने न्यूनतम खुला स्थल (फ्रंट सेट-बैक) निम्नानुसार होगा:-

मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	सामने न्यूनतम खुला स्थल (मीटर)
12	3.0
18	4.5
24	6.0
30	6.0
36	7.5
45	7.5
76	9.0

- (V) बाजार स्ट्रीट भूखण्डों में प्रस्तर-3.5.1 के अन्तर्गत "अन्य व्यवसायिक" हेतु निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा। 'बाजार-स्ट्रीट' भू-उपयोग में होटल के लिए अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर के मानक प्रस्तर- 3.5.1 के क्रमांक-8 के अनुसार होंगे।
- (VI) बेसमेंट के प्राविधान प्रस्तर 3.9 के अनुसार होंगे।
- (VII) भवन की अधिकतम ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई तथा फ्रंट सेट-बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भवन की अधिकतम ऊंचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फन्नेल ज़ोन तथा अन्य स्टेट्यूटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।
- (VIII) व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमन्य होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा। भूखण्ड स्वामी के अनुरोध पर सभी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (IX) पार्किंग की अपेक्षाएं इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 के अनुसार होंगी।



अध्याय—5

होटल निर्माण हेतु अपेक्षाएं

5.1 भूखण्ड का क्षेत्रफल

(I)

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले—आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है।

(II)

होटल की अनुमति पार्क एवं खुले स्थल, बाग—बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आदि भू—उपयोग को छोड़कर अन्य समस्त भू—उपयोगों में होटल हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन देय होगी, जिस हेतु महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा।

(III)

होटल अथवा व्यवसायिक उपयोग से भिन्न उपयोग में होटल की अनुमन्यता हेतु परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

5.2 एफ.ए.आर. एवं भू—आच्छादन

निर्मित/विकसित क्षेत्र तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में होटल हेतु भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक निम्नवत होंगे:—

	भू—आच्छादन	एफ.ए.आर.
(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र	40	2.00
(ख) नए/अविकसित क्षेत्र	40	2.50

4000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर होटल निर्माण हेतु सड़क की चौड़ाई एवं भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर क्रय योग्य एफ.ए.आर. सहित कुल एफ.ए.आर. निम्न सीमा तक अनुमन्य होगा:—

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)	क्रय योग्य एफ.ए.आर. सहित कुल अनुमन्य एफ.ए.आर.
4000	18	3.00
10000	24	3.50
10000 से अधिक	30	4.00

टिप्पणी :

- उपरोक्त तालिकानुसार क्रय—योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल तथा सड़क की न्यूनतम चौड़ाई—दोनों अपेक्षाओं की पूर्ति होना आवश्यक है।
- होटल भवन में 20 प्रतिशत एफ.ए.आर. का उपयोग कार्यालय एवं व्यवसायिक/रिटेल शॉप्स तथा 20 प्रतिशत एफ.ए.आर. का उपयोग सर्विस अपार्टमेन्ट्स हेतु किया जा सकेगा।
- होटल भवन में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू—आच्छादन पर एट्रियम बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी।
- व्यवसायिक भू—उपयोग में ‘न्यूनतम पांच स्टार होटल—कम—व्यवसायिक परियोजना’ के लिए विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में निम्न शर्तों के अधीन अनुमति देय होगी:—
 - भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 हैक्टेयर होगा जो न्यूनतम 30.0 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा।
 - अधिकतम भू—आच्छादन 40 प्रतिशत तथा बेसिक एफ.ए.आर. 3.0 होगा जिसके ऊपर 1.00 एफ.ए.आर. क्रय—योग्य आधार पर अनुमन्य होगा।



- (III) बेसिक एफ.ए.आर. का न्यूनतम 25 प्रतिशत होटल उपयोग में लाया जा सकेगा तथा शेष एफ.ए.आर. का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा। उक्त 25 प्रतिशत एफ.ए.आर. के अन्तर्गत कार्यालय एवं व्यवसायिक/रिटेल शाप्स तथा सर्विस अपार्टमेन्ट्स अनुमन्य नहीं होंगे।
- (IV) परियोजना स्थल हेतु सर्विस रोड के माध्यम से पहुंच की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी।
- (V) स्थल पर अन्य अवस्थापना सुविधाएं यथा— ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत विद्युत आपूर्ति, आदि एफ.ए.आर. के सापेक्ष उपलब्ध होनी चाहिए।
- (VI) पार्किंग व्यवस्था निम्नवत होगी :—

क्र. सं.	नगर का आकार	पार्किंग व्यवस्था
1.	मैट्रो नगर	प्रत्येक 02 गेस्ट रुम पर 01 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक, कार्यालय, सर्विस अपार्टमेन्ट्स एवं बैन्कवॉटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 03 कार पार्किंग स्थल।
2.	अन्य नगर	प्रत्येक 02 गेस्ट रुम पर 01 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक, कार्यालय, सर्विस अपार्टमेन्ट्स एवं बैन्कवॉटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 02 कार पार्किंग स्थल।

(VII) भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं यथा—सैट-बैक, फायर सेफ्टी एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी, आदि प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होंगी।

- 5.3 सैट-बैक
(I) 12.50 मीटर तक ऊँचाई के भवनों के लिए सामने 9 मीटर, पीछे 3 मीटर तथा दोनों पार्श्व में 3-3 मीटर सैट-बैक होगा।
- (II) 12.50 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों हेतु उपविधि के प्रस्तर-3.4.5 के अनुसार सैट-बैक छोड़े जाएंगे।

5.4 भवन की ऊँचाई
30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा फन्ट सैट-बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फनल ज़ोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।

5.5 पार्किंग
समस्त स्टार श्रेणी के होटलों हेतु प्रत्येक दो गेस्ट रुम पर 1.0 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक, कार्यालय, सर्विस अपार्टमेन्ट्स एवं बैन्कवॉटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 2.0 पार्किंग स्थल। स्टार रहित/बजट होटल के लिए प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.5 पार्किंग स्थल।

5.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया
आवासीय क्षेत्रों में होटल के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्थीकृति/अस्थीकृति की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

टिप्पणी : हैरीटेज, पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल जो होटल के विकास की दृष्टि से 'पोटेनशियल' हों परन्तु वहां न्यूनतम 18 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक न हो, को प्राधिकरण द्वारा बोर्ड रत्त से चिह्नित कर आस-पास निकटवर्ती क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत 'एप्रोच रोड' की न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता प्रदान करते हुए बजट होटल तथा गेस्ट हाउस/पेइंग गेस्ट हाउस की अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।



अध्याय–6

नर्सिंग होम के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

6.1 अनुमन्यता

नर्सिंग होम की अनुमन्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी। गैर-आवासीय भू-उपयोग में नर्सिंग होम की अनुमन्यता के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर, न्यूनतम फन्टेज 15 मीटर तथा मार्ग की विद्यमान चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर होगा। अन्य अपेक्षाएं इस भवन उपविधि में गैर-आवासीय भू-उपयोग हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार होंगी, जबकि आवासीय भू-उपयोग में नर्सिंग होम की अनुमन्यता हेतु अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी:-

6.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल

आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर होगा जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा तथा जिसका न्यूनतम फन्टेज 12 मीटर होगा।

6.3 शैय्याओं की संख्या

भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम अनुमन्य शैय्याओं की संख्या निम्न तालिका के अनुसार होंगी :-

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	शैय्याओं की संख्या
1.	300–400	10
2.	401–500	15
3.	500 से अधिक	20

6.4 भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर

अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.20 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त उपविधि के अनुसार क्या योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। नए/अविकसित क्षेत्र में भू-आच्छादन 35 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.50 होगा।

6.5 भवन की ऊँचाई

30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा फन्ट सेट-बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फनल ज़ोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।

6.6 सेट-बैक

नर्सिंग होम पृथकीकृत (डिटेच्ड) भवन के रूप में होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल तथा भवन की ऊँचाई के आधार पर सेट-बैक निम्नानुसार होंगे :-

भवन की ऊँचाई (मीटर)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट बैक (मीटर)			
		अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2
12.5 तक	300–500 तक	4.5	4.5	3.0	1.8
	501–1000 तक	9.0	4.5	3.0	3.0
	1000 से अधिक	9.0	4.5	3.0	3.0
12.5 से 15 तक	500 से अधिक	9.0	5.0	5.0	5.0

पार्किंग व्यवस्था भवन उपविधि के प्रस्तर-3.10 के अनुसार होगी।

आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम के निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्वीकृति/अर्सीकृति की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम अनुमन्य किए जाने पर महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानानुसार 'प्रभाव शुल्क' (Impact Fee) लिया जाएगा।

(I) मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायो-मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रॉल्स-1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों की अपेक्षानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(II) नर्सिंग होम में संकामक रोगों एवं छुआछूत सम्बन्धी बीमारियों का इलाज नहीं किया जाएगा।



अध्याय-7

फार्म हाउस के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 7.1 अनुमन्यता** फार्म हाउस की अनुमन्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 7.2 प्रयोजन** कृषि एवं बागवानी, सुअर पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य पशु पालन इत्यादि।
- 7.3 भूखण्ड का क्षेत्रफल** न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (5000 वर्गमीटर)।
- 7.4 भू-आच्छादन** अधिकतम भू-आच्छादन 5 प्रतिष्ठत परन्तु अधिकतम 500 वर्गमीटर, जिसमें आवासीय इकाई तथा सर्वेन्ट क्वार्टरों हेतु कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 2 प्रतिष्ठत होगा।
- 7.5 ऊँचाई का प्रतिबन्ध**
 - (I) फार्म हाउस एक मंजिला होगा। स्थाई/अस्थाई निर्माण की अधिकतम ऊँचाई भूतल से 5.0 मीटर होगी। तिकोनी/गेबिल/डबल गेबिल छत की औसत ऊँचाई 6.0 मीटर होगी, न्यूनतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा अधिकतम ऊँचाई 7.5 मीटर होगी। मेजनाइन फ्लोर अनुमन्य नहीं होगा।
 - (II) फार्म-शेड की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और आई लेविल पर ऊँचाई 3.0 मीटर होगी।
 - (III) यदि चिनाई की चहारदीवारी बनाई गई है तब उसकी ऊँचाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- 7.6 विशिष्टियाँ** शेड खम्भों पर बनाया जाएगा, जिसकी दीवारें 1.2 मीटर से अधिक ऊँची नहीं होंगी। शेष ऊँचाई नेटिंग या समान सामग्री से आच्छादित की जाएगी।
- 7.7 सैट बैक**
 - (I) भूखण्ड की सीमा रेखा से भवन की दूरी गार्ड रूम को छोड़कर कम से कम 15 मीटर होगी।
 - (II) आवासीय इकाई एवं अन्य निर्माणों में कम से कम 8 मीटर की दूरी होगी।
 - (III) फार्म हाउस के निर्माण की अनुज्ञा मार्गाधिकार/ग्रीन वर्ज (यदि हो) के उपरान्त ही देय होगी तथा "एक्सेस कन्ट्रोल" मार्गों पर फार्म हाउस के लिए पहुँच की सुविधा सर्विस रोड के माध्यम से दी जाएगी।
- 7.8 सड़कें**
 - (I) फार्म हाउस के लिए पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी, जिसमें कम से कम 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग 'पक्का' होगा।
 - (II) यदि पहुँच मार्ग एक से अधिक फार्मों के लिए हो, तो पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।
 - (III) फार्म हाउस के अन्दर के मार्गों की चौड़ाई कम से कम 3.5 मीटर होगी जिससे फार्म हाउस के अन्दर स्थित विभिन्न भवनों को पहुँच मिल सके।
- 7.9 वृक्षारोपण** भूखण्ड के 50 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण होगा जिसमें कम से कम 100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे।
- 7.10 विद्युत तथा अन्य सेवाएं** फार्म हाउस में बिजली, पानी की सम्पूर्ति तथा जल-निकासी का प्रबन्ध भू-स्वामी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
- 7.11 सेप्टिक टैंक** कुएं इत्यादि से सेप्टिक टैंक 15 मीटर दूरी पर होगा जिससे भूमिगत जल प्रदूषित न हो। चहारदीवारी से यह टैंक 4.5 मीटर दूरी पर होगा।



अध्याय—8

पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 8.1 अनुमन्यता पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन की अनुमन्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 8.2 प्रयोज्यता पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन—कम—सर्विस स्टेशन हेतु अनुमन्य भू—आच्छादन के अन्तर्गत ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिकतम 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 'कियास्क' (वाणिज्यिक उपयोग) अनुमन्य होगा।
- 8.3 भूखण्ड की मापें एवं मानक फिलिंग स्टेशन/फिलिंग स्टेशन—कम—सर्विस स्टेशन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल, मापें तथा मानक निम्नलिखित होंगे:—

प्रयोजन/भूखण्ड की मापें	भू—आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.	फन्ट सेट—बैक (मी.)	भवन की ऊँचाई (मीटर)
(अ) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन				
30मी.x17 मी.	निर्मित क्षेत्र/ विकसित क्षेत्र में: 10	निर्मित क्षेत्र/ विकसित क्षेत्र में: 0.1	3.0	6.0
	नये/ अविकसित क्षेत्र में: 10	नये/ अविकसित क्षेत्र में: 0.15		
(ब) फिलिंग स्टेशन कम— सर्विस स्टेशन				
36मी.x30मी.	निर्मित क्षेत्र/ विकसित क्षेत्र में: 20	निर्मित क्षेत्र/ विकसित क्षेत्र में: 0.2	6.0	6.0
	नये/ अविकसित क्षेत्र में: 10	नये/ अविकसित क्षेत्र में: 0.15		

टिप्पणी:

- (I) भवन की अधिकतम ऊँचाई 6.0 मीटर होगी।
- (II) कैनौपी का निर्माण सेट—बैक लाईन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6.0 मीटर होगी।
- (III) मैजेनार्इन फ्लोर का निर्माण करने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में होगी।
- (IV) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के आकार/मापों में अधिकतम 15 प्रतिशत शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि फिलिंग टावर के चारों ओर विस्फोटक सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम 6.0 मी. अवरोधमुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

- 8.4 अन्य अपेक्षाएं
- (I) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन— कम—सर्विस स्टेशन 'निर्मित' एवं 'विकसित क्षेत्र' में न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग तथा नए/ अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
 - (II) प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन—कम—सर्विस स्टेशन हेतु न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर होगा।
 - (III) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन का निर्माण महायोजना मार्गों के कासिंग से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। परन्तु महायोजना मार्गों के 'जंक्शन' से निर्धारित न्यूनतम दूरी (30 मीटर) में अधिकतम 15 प्रतिशत शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा जबकि पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड, जंक्शन के निकास की दिशा (एकिजट साइड) में स्थित हो।



- (IV) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एवं बाहर निकलने वाले वाहनों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।
- (V) प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी।
- (VI) क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सेट-बैक के अतिरिक्त होगी।
- (VII) नियमानुसार अग्निशमन प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
- (VIII) अन्य प्राविधान जो भारतीय पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हों, लागू होंगे।



अध्याय—9

एल.पी.जी. गैस गोदाम हेतु अपेक्षाएं

- 9.1 **अनुमत्यता** एल.पी.जी. गैस गोदाम की अनुमत्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 9.2 **पहुँच मार्ग** स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्ग न्यूनतम 18 मीटर चौड़ा होगा।
- 9.3 **क्षेत्रफल** भूखण्ड की माप — एल.पी.जी. गैस गोदाम हेतु भूखण्ड की माप न्यूनतम 26 मी. x 20 मी. होगी।
- 9.4 **सेट बैक** गैस गोदाम हेतु भू-खण्ड के चारों ओर 6.0 मीटर सैट-बैक होगा।
- 9.5 **भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर.** अनुमत्य भू—आच्छादन 25 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 0.25 होगा, जिसमें गैस गोदाम के उपयोगार्थ कार्यालय का निर्माण एवं अधिकतम 1.6 वर्गमीटर क्षेत्रफल का गार्ड रूम सम्मिलित हो सकता है।
- 9.6 **भवन की ऊँचाई** गैस गोदाम की न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी तथा इसके ऊपर कोई निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
- 9.7 **संवातन** तल क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिषत क्षेत्र संवातन हेतु खिड़कियों तथा वेन्टीलेटर्स, आदि के रूप में होगा।
- 9.8 **अन्य अपेक्षाएं**
- (I) गैस गोदाम अज्वलनशील सामग्री से निर्भित होंगे।
 - (II) गैस गोदाम के निर्माण हेतु स्थानीय अग्निशमन विभाग तथा मुख्य नियन्त्रक, विस्फोटक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।



अध्याय-10

डेरीफार्म के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 10.1 अनुमन्यता डेरी फार्म की अनुमन्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 10.2 पहुँच मार्ग डेरी फार्म के लिए मुख्य मार्ग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग/महायोजना/जोनल प्लान मार्ग) से पहुँच मार्ग की सुविधा न्यूनतम 9 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग से उपलब्ध होगी।
- 10.3 भूखण्ड का क्षेत्रफल, भू-आच्छादन एफ.ए.आर. तथा सैट-बैक डेरी फार्म हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा। पशुओं की संख्या के आधार पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. व सैट-बैक निम्न तालिका के अनुसार होंगे:-

पशुओं की संख्या	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.	चारों ओर सैट बैक (मीटर)
25	2000	10	0.15	6
50	4000	10	0.15	9
100	7000	10	0.15	10
200	15000	10	0.15	10

- टिप्पणी : (I) भूखण्ड का न्यूनतम फ़ार्नेज 25 मीटर होगा।
- (II) पशुओं की संख्या 200 से अधिक होने पर प्रति 10 पशुओं पर 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्रफल का प्राविधान आवश्यक होगा।
- (III) आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत कैटिल शेड, पशु चारे एवं भूसे का संग्रहण, दुग्ध संग्रहण एवं संरक्षण, दुग्ध विक्रय केन्द्र, पहरा-चौकी एवं पशुओं के रख-रखाव हेतु अनिवार्य कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा तथा पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा, अन्य अनुषांगिक कियाओं से सम्बन्धित निर्माण अनुमन्य होंगे।

- 10.4 भवन की ऊँचाई भवन की अधिकतम ऊँचाई दो मंजिल (7.5 मीटर) होगी।
- 10.5 वृक्षारोपण भूखण्ड के 50 प्रतिष्ठत भाग पर वृक्षारोपण होगा जिसमें कम से कम 100 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे।
- 10.6 ड्रेनेज तथा गोबर एवं कूड़ा—निस्तारण डेरी फार्म से निस्तारण स्थल तक ड्रेनेज की उचित व्यवस्था की जाएगी तथा गोबर एवं 'इफलुएंट' का उत्सारण गोबर गैस संयंत्र, सेप्टिक टैंक, कम्पोस्ट पिट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक के माध्यम से उपचारित करने के उपरान्त किया जाएगा।
- 10.7 अन्य अपेक्षाएं डेरी फार्म हेतु अन्य अपेक्षाओं यथा कैटिल शेड का आकार, चारा संग्रहण, दुग्ध संग्रहण/संरक्षण/भण्डारण की व्यवस्था, प्रबन्ध कार्यालय, पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधाएं, कर्मचारी आवास की व्यवस्था, तालाब, गोबर गैस संयन्त्र, आदि का प्राविधान नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मानकों के अनुसार किया जाएगा।



अध्याय—11

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु मानक

- 11.1 परिभाषाएं**
- (I) **पंगुता—गत अशक्तताएं**— ऐसी विकृतियां, जो किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के प्रकट रूप में सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए पहिएदार कुर्सी पर निर्भर बना देती हैं।
 - (II) **अर्द्ध—पंगुता अशक्तताएं**— ऐसी विकृतियाँ जिनके कारण व्यक्तियों को चलने—फिरने में कठिनाई अथवा असुरक्षा महसूस होती है। लाठी, बेंत या बैसाखियों के सहारे चलने वाले व्यक्ति, गठिया रोगी, दिमागी जड़ता से ग्रस्त व्यक्ति तथा दिल के मरीज अर्द्ध—पंगुता अषक्तता श्रेणी में आते हैं।
 - (III) **श्रवण शक्ति की अशक्तता—बहरापन** या ऊँचा सुनाई देने का रोग, जिससे ग्रस्त व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी संकेतों को बताने या सुनने—समझने में असमर्थ होने के कारण असुरक्षित महसूस करता है।
 - (IV) **दृष्टि अशक्तता—** पूर्ण अन्धापन या दृष्टि कमजोर होना, जिससे ग्रस्त व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आने—जाने और काम करने में असुरक्षा या खतरा महसूस करे।
 - (V) **पहिएदार कुर्सी—** वह कुर्सी, जो व्यक्तियों द्वारा चलने—फिरने के लिए प्रयोग में लाई जाए, पहिएदार कुर्सी का मानक आकार 1050X750 मिली मीटर का होगा।
- 11.2 व्याप्ति प्रभाव** यह उपविधि सभी जन उपयोगी भवनों, सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर प्रभावी होगी। यह उपविधि समूह आवास, निजी व सरकारी आवासों पर लागू नहीं होगी।
- 11.3 स्थल विकास** एरिया मानचित्र में सड़कों के तल, प्रवेश पथ व पार्किंग स्थलों का अलग—अलग रंगों में उल्लेख किया जाएगा।
- 11.3.1 प्रवेश पथ / उप—पथ** भवन परिसर द्वारा तथा भूतल पार्किंग से भवन के प्रवेश द्वार तक पथ समतल, सीढ़ियां रहित और न्यूनतम 1.8 मीटर चौड़ा होगा। यदि कोई ढलान बनाई जाती है तो उसकी ढाल 5 प्रतिष्ठत से अधिक नहीं होगी। फर्श निर्माण में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को भली—भौति प्रेरित या निर्देशित करने वाली हो। {यह फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एवं चमक आस—पास के क्षेत्र की सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिए भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्राविधान हो, जिसका विवरण “पथदर्शी फर्श सामग्री” (अनुलग्नक—4) में दिया गया है} धरातल फिसलन रहित होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर पहिएदार कुर्सी आसानी से चल सके, जो भी मोड़ बनाए जाएंगे, सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।
- 11.3.2 पार्किंग स्थल** विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहनों की पार्किंग हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी:—
- (क) अशक्त व्यक्तियों के वाहनों के लिए परिसर प्रवेश के निकट दो कारों के लायक भूतल पार्किंग बनाया जाएगा जो भवन के प्रवेश द्वार से अधिकतम 30 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।
 - (ख) पार्किंग जगह की न्यूनतम चौड़ाई 3.6 मीटर होगी।
 - (ग) उस स्थान के “पहिएदार कुर्सी प्रयोगकर्ताओं हेतु आरक्षित” होने की सूचना बड़े/साफ अक्षरों में लिखी जाएगी।



		(घ) पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यन्त्र लगाया जाएगा जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु ध्वनि सूचना देने वाले अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।
11.4	भवन सम्बन्धी अपेक्षाएं	शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन सम्बन्धी संगत सुविधाएं निम्न प्रकार से होंगी :—
11.4.1	कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग	<p>(I) कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग</p> <p>(II) विकलांगों के लिए प्रवेश/निकास द्वार को जोड़ने का गलियारा</p> <p>(III) सीढ़ी मार्ग</p> <p>(IV) लिफ्ट</p> <p>(V) शौचालय</p> <p>(VI) पेयजल</p> <p>प्रत्येक भवन में विकलांगों के आने-जाने के लिए एक प्रवेश द्वार अवश्य होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से संकेतों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए ढलान-सह सीढ़ीदार रास्ता बनाया जाएगा।</p> <p>(I) ढलानदार पहुँच मार्ग— भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया जाएगा। ढलान की चौड़ाई अधिकतम 1:12 ढाल देते हुए न्यूनतम 1.8 मीटर होगी। ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा इसके दोनों किनारों पर 0.8 मीटर ऊँची रेलिंग होगी जो ढाल के ऊपरी व निचले सिरे से 0.3 मीटर बाहर निकली हुई होगी। निकट की दीवाल से रेलिंग के बीच 5.0 सेन्टी मीटर तक का फासला होगा।</p> <p>(II) सीढ़ीदार पहुँच मार्ग— सीढ़ीदार पहुँच मार्ग हेतु पैड़ी(सीढ़ी पर पैर रखने की जगह) 30 सेन्टी मीटर से कम नहीं होगी और पैड़ी की ऊँचाई 15 सेन्टी मीटर तक की होगी। ढलानदार पहुँच मार्ग की ही तरह सीढ़ीदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ 80 सेन्टी मीटर ऊँची रेलिंग लगाई जाएगी।</p> <p>(III) प्रवेश/निकास द्वार— प्रवेश द्वार का न्यूनतम फाट (खुलाव) 90 सेन्टी मीटर होगा तथा छील चेयर के आसान आवागमन की दृष्टि से उसमें कोई पैड़ी-पायदान नहीं होगा। दहलीज 1.2 सेन्टी मीटर से अधिक उठी हुई नहीं होगी।</p> <p>(IV) वाहन से उत्तरना-चढ़ना— वाहन से उत्तरने-चढ़ने का स्थल ढलान के निकट रखा जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8×2.0 मीटर होगा। ढलान से संलग्न उत्तरने-चढ़ने का स्थल ऐसी फर्श सामग्री का होगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को प्रेरित/निर्देशित कर सके (यह फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एवं चमक आस-पास के क्षेत्र की फर्श सामग्री से भिन्न हो, जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथ दर्शन के लिए भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्राविधान हो, इसे अनुलग्नक-4 में “पथदर्शी सामग्री” कहा गया है)।</p> <p>विकलांग हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले जाने वाला गलियारा, जहाँ कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित भवन के उपयोग की जानकारी या तो किसी व्यक्ति द्वारा या संकेतों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो, इस प्रकार का होगा:-</p>
11.4.2	विकलांगों हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने वाला गलियारा	
		(घ) पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यन्त्र लगाया जाएगा जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु ध्वनि सूचना देने वाले अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।
11.4.1	कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग	<p>(I) कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग</p> <p>(II) विकलांगों के लिए प्रवेश/निकास द्वार को जोड़ने का गलियारा</p> <p>(III) सीढ़ी मार्ग</p> <p>(IV) लिफ्ट</p> <p>(V) शौचालय</p> <p>(VI) पेयजल</p> <p>प्रत्येक भवन में विकलांगों के आने-जाने के लिए एक प्रवेश द्वार अवश्य होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से संकेतों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए ढलान-सह सीढ़ीदार रास्ता बनाया जाएगा।</p> <p>(I) ढलानदार पहुँच मार्ग— भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया जाएगा। ढलान की चौड़ाई अधिकतम 1:12 ढाल देते हुए न्यूनतम 1.8 मीटर होगी। ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा इसके दोनों किनारों पर 0.8 मीटर ऊँची रेलिंग होगी जो ढाल के ऊपरी व निचले सिरे से 0.3 मीटर बाहर निकली हुई होगी। निकट की दीवाल से रेलिंग के बीच 5.0 सेन्टी मीटर तक का फासला होगा।</p> <p>(II) सीढ़ीदार पहुँच मार्ग— सीढ़ीदार पहुँच मार्ग हेतु पैड़ी(सीढ़ी पर पैर रखने की जगह) 30 सेन्टी मीटर से कम नहीं होगी और पैड़ी की ऊँचाई 15 सेन्टी मीटर तक की होगी। ढलानदार पहुँच मार्ग की ही तरह सीढ़ीदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ 80 सेन्टी मीटर ऊँची रेलिंग लगाई जाएगी।</p> <p>(III) प्रवेश/निकास द्वार— प्रवेश द्वार का न्यूनतम फाट (खुलाव) 90 सेन्टी मीटर होगा तथा छील चेयर के आसान आवागमन की दृष्टि से उसमें कोई पैड़ी-पायदान नहीं होगा। दहलीज 1.2 सेन्टी मीटर से अधिक उठी हुई नहीं होगी।</p> <p>(IV) वाहन से उत्तरना-चढ़ना— वाहन से उत्तरने-चढ़ने का स्थल ढलान के निकट रखा जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8×2.0 मीटर होगा। ढलान से संलग्न उत्तरने-चढ़ने का स्थल ऐसी फर्श सामग्री का होगा, जो कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को प्रेरित/निर्देशित कर सके (यह फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एवं चमक आस-पास के क्षेत्र की फर्श सामग्री से भिन्न हो, जिसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथ दर्शन के लिए भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्राविधान हो, इसे अनुलग्नक-4 में “पथदर्शी सामग्री” कहा गया है)।</p> <p>विकलांग हेतु प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले जाने वाला गलियारा, जहाँ कमजोर नजर वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित भवन के उपयोग की जानकारी या तो किसी व्यक्ति द्वारा या संकेतों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो, इस प्रकार का होगा:-</p>



- (क) उसमें कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के दिशा निर्देशन हेतु तल पर ही “पथदर्शी” ध्वन्यात्मक व्यवस्था की जाए या कोई यन्त्र लगाया जाए, जिससे ध्वनि संकेत दिए जा सकें।
- (ख) गलियारे की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी।
- (ग) ऊँचा-नीचा तल बनाए जाने की स्थिति में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाए जाएंगे।
- (घ) ढलानों/ढलान मार्ग पर रेलिंग लगाई जाएगी।

11.4.3 सीढ़ीदार मार्ग

सीढ़ी वाले मार्ग से विकलांगों हेतु प्रवेष/निकास द्वार के निकट के मार्ग में निम्नलिखित प्राविधान होंगे :—

- (क) न्यूनतम चौड़ाई 1.35 मीटर होगी।
- (ख) सीढ़ी की ऊँचाई और चौड़ाई कमप: 15 सेन्टीमीटर तथा 30 सेन्टीमीटर से अधिक नहीं होगी और पैड़ी के सिरे चिकने नुकीले नहीं होंगे।
- (ग) एक उठान सीढ़ी में 12 से अधिक सीढ़ियाँ नहीं होंगी।
- (घ) सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगाई जाएगी तथा ये पूरी सीढ़ी पर ऊपर से नीचे तक 30 सेन्टीमीटर बाहर निकली हुई होगी।

11.4.4 लिफ्ट

जहाँ कहीं लिफ्ट आवश्यक हैं, वहाँ कम से कम एक लिफ्ट पहिएदार कुर्सी प्रयोक्ता हेतु होगी। भारतीय मानक व्यूरो द्वारा 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट के लिए संस्तुत ढांचा इस प्रकार होगा:—

- आन्तरिक गहराई 1.1 मीटर
- आन्तरिक चौड़ाई 2.0 मीटर
- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 0.9 मीटर
- (क) फर्श तल से 1.0 मीटर ऊपर नियन्त्रण-फलक के निकट 0.6 मीटर लम्बी रेलिंग लगाई जाएगी।
- (ख) लिफ्ट वैल की आन्तरिक माप 1.8×1.8 मीटर से कम नहीं होगी।
- (ग) लिफ्ट द्वार के स्वचालित रूप से बन्द होने का न्यूनतम समय 5 सेकेण्ड होगा तथा बन्द होने की गति 0.25 मीटर प्रति सेकेण्ड से अधिक नहीं होगी।
- (घ) लिफ्ट के अन्दर ध्वनि संकेत लगे होंगे जो लिफ्ट पहुँचने वाले तल तथा लिफ्ट से बाहर-भीतर जाने आने हेतु लिफ्ट द्वार के खुलने या बन्द होने का संकेत देंगे।

11.4.5 शौचालय

शौचालय सैट में एक कमोडदार शौचालय विकलांगों के लिए होगा, जिसमें विकलांगों की सुविधा के अनुसार, शौचालय द्वार के निकट वाश बेसिन होगा।

- (क) शौचालय का न्यूनतम आकार 1.5×1.75 मीटर मीटर होगा।
- (ख) दरवाजा बाहर को खुलने वाला होगा तथा इसकी न्यूनतम चौड़ाई 90 सेन्टीमीटर होगी।
- (ग) शौचालय में दीवार से 5.0 सेन्टीमीटर की दूरी पर अच्छी तरह खड़ी/समानान्तर रेलिंग लगी होगी।
- (घ) कमोड की सीट फर्श से 50 सेन्टीमीटर ऊँची होगी।



11.4.6 पेयजल विकलांगों के लिए पेयजल की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौचालयों के निकट ही की जाएगी।

11.4.7 बच्चों के लिए भवन की डिजाइनें पूर्णतः बच्चों के उपयोग के भवनों (बाल भवनों) में बच्चों के कद आदि को ध्यान में रखकर रेलिंग व सजावटी सुविधा साधनों की ऊँचाई में घट-बढ़ करना जरूरी होगा।



अध्याय—12

सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 12.1 अनुमन्यता**
- (I) सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
 - (II) शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों में टावर के निर्माण की अनुज्ञा देय नहीं होगी।
 - (III) अनधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
 - (IV) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्भावित हानि को न्यूनतम करने के दृष्टिगत टावरों में सम्भावित हानि को न्यूनतम करने के दृस्टिगत टावरों का 06 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर अनुमन्य नहीं होगा।
- 12.2 निर्माण अनुज्ञा** समान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिरता और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं सम्बन्धी हेतु अपेक्षाएं मानकों का उल्लंघन न होने पर सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:—
- (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेंट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जेनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे जो किसी भी तल पर लगाए जा सकेंगे, परन्तु जेनरेटर लगाने हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (II) सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व 'काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर' में पंजीकृत 'आर्किटेक्ट' एवं अधिकृत 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर' द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण—पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो, तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफटी मानकों के आधार पर भवन की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्थान पर आई.आई.टी तथा इसके समकक्ष संस्थान, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आदि सरकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - (III) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।
 - (IV) जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - (V) सेवा आपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस—पास के भवन एवं जान—माल को किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी एवं भवन स्वामी का होगा।



(VI) निर्माण से पूर्व मानचित्र, शपथ—पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण—पत्र रूपया एक लाख की अनुज्ञा फीस के साथ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे तथा प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त अनुज्ञा फीस का 25 प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क जमा किया जाएगा। अनुज्ञा फीस के रूप में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के 'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड' में जमा की जायेगी।

12.3 अन्य अपेक्षाएं

- (I) निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त प्रस्तर.2(VI) के अतिरिक्त अन्य कोई विकास शुल्क, आदि नहीं लिया जायेगा।
- (II) शपथ पत्र 10 रूपये के 'नॉन—जुडीशियल' स्टाम्प पेपर पर आवेदक के फोटो सहित नोटरी से सत्यापित होगा।
- (III) आवेदन—पत्र की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन—पत्र की एक छाया प्रति जिलाधिकारी एवं एक छाया प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रथम सूचना के रूप में प्रेषित करनी होगी।
- (IV) 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स', 'वायब्रेशन', ध्वनि प्रदूषण, आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (V) टावर में जनसामान्य का प्रवेष वर्जित करने के लिए समुचित उपाय यथा 'वायर—फेन्सिंग', भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजे पर ताला, आदि का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (VI) टावर परिसर के प्रवेष द्वारा पर उचित स्थान पर चेतावनी सूचक 'साइन बोर्ड' लगाना अनिवार्य होगा जिसमें "खतरा ! आर. एफ. विकिरण, कृपया प्रवेष न करें" लिखा होगा।

12.4 4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेर्स्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति शासनादेश सं. -1485 / नौ—9—2012—161ज / 12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर—8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दि. 15.10.2012 में स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों / शर्तों के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी।



अध्याय—13

भूकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएं

13.1 प्रयोज्यता

(I) भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू—आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत सब—स्टेशन तथा विद्युत टावर, अस्पताल, छविगृह, ऑडीटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थायें, बस टर्मिनल, आदि) पर भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं लागू होंगी।

(II) उपर्युक्त प्रस्तर—(I) में इंगित भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परिशिष्ट—7 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अन्य सुसंगत गाईडलाइन्स एवं अभिलेखों के प्राविधानों को शत—प्रतिशत अपनाया जाना अनिवार्य होगा।

13.2 निर्माण अनुज्ञा हेतु आवश्यक प्रमाण—पत्र

(I) भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार वास्तुविदीय मानचित्र, जिसके साथ परिशिष्ट—8 में दिए गए प्रारूप पर “बिल्डिंग इनफार्मेशन शेड्यूल” में उल्लिखित विवरण के सुसंगत अंश (ड्राइंग से सम्बन्धित) एक तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित किए जाएंगे तथा परिशिष्ट—9 में दिए गए प्रारूप पर भू—स्वामी/बिल्डर, मानचित्र तैयार करने वाले आर्किटेक्ट एवं भवन की नींव तथा सुपरस्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि भवन मानचित्र एवं नींव तथा सुपरस्ट्रक्चर की डिजाइन में भूकम्परोधी सम्बन्धी सभी प्राविधानों का ऊपर उल्लिखित कोड, गाईडलाइन्स एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के प्राविधानों का शत—प्रतिशत अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षरयुक्त भवन की नींव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र भी, मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भू—स्वामी/बिल्डर, पंजीकृत आर्किटेक्ट के साथ—साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इन्जीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण—पत्र परिशिष्ट—10 में उल्लिखित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(II) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये भवन मानचित्र में यदि नियत प्राधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त कोई परिवर्तन/परिवर्धन कराया जाता है, तो स्ट्रक्चरल तथा सर्विसेज डिजाइन में भी भूकम्परोधी प्राविधानों का तदनुसार आवश्यक परिवर्तन स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पुनः कराकर मानचित्र पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें भी उपरोक्त के अनुसार प्रमाण—पत्र तथा बिल्डिंग इनफार्मेशन शेड्यूल का सुसंगत अंश अंकित किया जाएगा एवं अन्तिम रूप से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

13.3 निर्माण अनुज्ञा हेतु शर्तें

भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जायेगी :—

(क) प्रस्तावित निर्माण, सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार होगा।



(ख) निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद/अभियंता तथा विकासकर्ता की देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके :–

- (I) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु निर्धारित अनुभव प्राप्त साइट सिविल इंजीनियर, आबद्ध किया जोयगा। पर्यवेक्षण में विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
 - (II) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईंटें कोर्स सैण्ड एवं मार्टर तथा कन्कीट मिक्स, इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ, स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये, तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।
 - (III) निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। केंता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी, तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता व उसके सहायक किंमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फीट x 3 फीट आकार का एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामी का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:–
- (I) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - (II) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
 - (III) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपरस्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - (IV) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग्स जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल, इत्यादि शामिल होंगे।



- (V) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
- (VI) साईट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
- (VII) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।
- (ड) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न ही करने दिया जायेगा।

टिप्पणी: उपरोक्त के अतिरिक्त नियत प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।

- | | |
|------------------------------|---|
| 13.4 पूर्णता
प्रमाण—पत्र | <ul style="list-style-type: none"> (I) भू—स्वामी/बिल्डर द्वारा पूर्णता प्रमाण—पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन—पत्र के साथ ही परिशिष्ट—11 पर सम्बन्धित वास्तुविद्, साईट इंजीनियर, भू—स्वामी/बिल्डर द्वारा संयुक्त रूप से पुनः इस आशय का एक प्रमाण—पत्र दिया जायेगा कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित विशिष्टयों, गुणवत्ता तथा परिशिष्ट—7 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाईडलाइन्स पर आधारित स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं भूकम्परोधी समस्त प्राविधानों के साथ किया गया है तथा भवन उपयोग हेतु हर प्रकार से सुरक्षित है। पूर्णता प्रमाण—पत्र देने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत करने सम्बन्धी सभी अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने के साथ सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण—पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध हैं, इसके उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण—पत्र (कम्पलीशन सर्टीफिकेट) निर्गत किया जायेगा। (II) पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त किये बिना यदि कोई भवन अथवा उसका कोई अंश अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लाया जाता है अथवा लाये जाने की सम्भावना होती है, तो ऐसे निर्माण को सील कर दिया जायेगा तथा भवन स्वामी/निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। |
| 13.5 अर्हताओं का
निर्धारण | <ul style="list-style-type: none"> (I) निर्माण कार्य एवं भूकम्परोधी जोन के आधार पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, स्थल पर्यवेक्षण हेतु साईट सिविल इंजीनियर्स तथा निर्माण कार्य के दौरान कार्य के आकस्मिक निरीक्षण हेतु विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स की अर्हताएं कमशः परिशिष्ट—12, 13 एवं 14 के अनुसार होगी। (II) उक्त परिशिष्टों में उल्लिखित पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री के साथ—साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर में पोस्टग्रेजुएट डिग्री से, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त तकनीकी योग्यता से तथा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से है। |



अध्याय—14

मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 14.1 अनुमन्यता मल्टीप्लेक्स की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार होगी।
- 14.2 प्रयोज्यता मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत एक ही काम्प्लेक्स में छविगृह तथा वाणिज्यिक कियाएं एवं अन्य मनोरंजन सुविधाएं निर्धारित अनुपात में अनुमन्य होगी।
- 14.3 कियाओं का अनुपात मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत न्यूनतम दो छविगृहों का निर्माण अनिवार्य होगा। गैर-वाणिज्यिक (आवासीय तथा औद्योगिक) क्षेत्र में भूमि के आवंटन अथवा भू-उपयोग की अनुमन्यता के रूप में छूट/सुविधा निहित होने पर कुल तल क्षेत्रफल के न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग पर छविगृह तथा अधिकतम शेष 30 प्रतिशत भाग पर वाणिज्यिक एवं अन्य मनोरंजन कियाओं का निर्माण अनुमन्य होगा। यदि भूखण्ड का उपयोग वाणिज्यिक है, तो उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा तथा वाणिज्यिक भू-उपयोग अनुसार ही निर्माण अनुमन्य होगा। विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित भूखण्डों पर छविगृह तथा वाणिज्यिक (एवं मनोरंजन) कियाओं का अनुपात नीलामी की शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 14.4 भूखण्ड का क्षेत्रफल मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित स्थल/ भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमी. होगा परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले—आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात् भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल मान्य होगा।
- 14.5 पहुँच मार्ग मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड न्यूनतम 24.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले—आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात् भूखण्ड का विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा।
- 14.6 सेट-बैक मल्टीप्लेक्स भवन में आगे न्यूनतम 9 मीटर तथा शेष तीन ओर (पीछे व दोनों साईड में) न्यूनतम 6 मीटर सेट-बैक का प्राविधान आवश्यक होगा। परन्तु पार्किंग स्थल से 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क की ओर गाड़ियों की निकासी के लिए समुचित “सर्कुलेशन स्पेस” की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- 14.7 भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. नगर केन्द्र/सेन्ट्रल बिजेनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), उपनगर केन्द्र (सब-सी.बी.डी.)/जोनल व्यवसायिक केन्द्र, अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिन्हित किसी अन्य स्थल पर अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन उपविधियों के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 50 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.50 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में यथास्थिति महायोजना/भवन उपविधियों के अनुसार भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा।
- 14.8 पार्किंग व्यवस्था पार्किंग व्यवस्था भवन उपविधि के प्रस्तर—3.10 के अनुसार होगी।
- 14.9 बेसमेन्ट (I) पार्किंग, सर्विसिंग तथा स्टोरेज हेतु बिल्डिंग इन्वेलप लाइन तक तीन बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा जो एफ.ए.आर. की गणना में शामिल नहीं होगा। बेसमेन्ट में सिनेमाहाल का निर्माण कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
- (II) भवन की प्लिन्थ एवं बिल्डिंग इन्वेलप लाइन की सीमा के मध्य बेसमेन्ट की छत भूतल के लेविल में होगी एवं उसमें मेकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेन्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।



- 14.10 अन्य अपेक्षाएं (I) छविगृह भवन की प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं अग्निशमन व्यवस्था उ.प्र. सिनेमैटोग्राफ रूल्स, 1951 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड के संगत प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। मल्टीप्लेक्स में आवश्यक सेवाओं यथा पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन, कैण्टीन, आदि का निर्धारित मानकों के अनुसार 'कामन' रूप से प्राविधान किया जा सकता है।
- (II) मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत छविगृह के अतिरिक्त प्राविधानित की जाने वाली अन्य क्रियाओं/सुविधाओं हेतु यदि केन्द्र अथवा राज्य के अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अधीन किसी अन्य विभाग से विधिक औपचारिकता पूर्ण किया जाना अपेक्षित हो, तो सम्बन्धित क्रियाओं/सुविधाओं के लिये सक्षम स्तर से अनुज्ञा अथवा अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राधिकरण/परिषद में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (III) यदि मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा प्रदत्त छूट/सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो मल्टीप्लेक्स का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरण/परिषद द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय आवेदक से बैंक गारन्टी ली जाएगी जो प्रस्तावित भू—खण्ड के कुल क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय दर (प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सामान्य आवासीय सर्किल रेट) पर आंकलित मूल्य की 20 प्रतिशत होगी। यदि मल्टीप्लेक्स का निर्माण मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष में पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण/परिषद को बैंक गारन्टी दण्डस्वरूप जब्त करने का अधिकार होगा।
- (IV) मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति देने से पूर्व, सामूहिक व्यवस्थाओं के लिए उन्हीं नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो वर्तमान में एक सिनेमा के निर्माण के लिये उ.प्र. चलचित्र नियमावली—1951 के अन्तर्गत प्राविधानित है।
- (V) मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत प्रत्येक सिनेमा हाल के निर्माण को स्वीकृति देने से पूर्व व्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड्स द्वारा प्रकाशित "बाइलाज फार कन्स्ट्रक्शन आफ सिनेमा बिल्डिंग्स—1987" में सिनेमा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रचलित उपविधियों की धारा—5.2.2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रत्येका सिनेमा हाल हेतु प्रस्तावित भवन में ट्रैफिक लोड, पार्किंग व्यवस्था, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, वाटर सप्लाई, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें समुचित रूप में सुनिश्चित की जा सकें। इन सभी व्यवस्थाओं हेतु व्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड्स की विभिन्न उपविधियों में दिये गये पृथक—पृथक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (VI) सीटिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यूरो आफ इंडियन स्टैण्डर्ड्स की उपविधियों के प्रस्तर—10.12 में पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिसमें गैंगवे से दूरी तथा पंक्तियों के बीच में दूरी की व्यवस्थायें भी सम्मिलित हैं। इसमें गैंगवे से सीटों की दूरी से अधिकतम 10 फीट (जैसा कि उ.प्र. सिनेमैटोग्राफ रूल्स—1951 में व्यवस्था है) न होकर अधिकतम 7 सीटों की व्यवस्था है अर्थात प्रत्येक पंक्ति में गैंगवे से अधिकतम दूरी सातवीं सीट की होगी।



अध्याय—15

कन्वीनिएन्स स्टोर्स के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 15.1 अनुमत्यता** कन्वीनिएन्स स्टोर के निर्माण की अनुमत्यता महायोजना जॉनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 15.2 निर्माण अनुमति हेतु अपेक्षाएं** 'व्यवसायिक' भू-उपयोग व 'निर्मित क्षेत्र' में सम्बन्धित नगर की भवन उपविधि में निहित प्राविधानों/मानकों के अनुसार निर्माण अनुमत्य होगा, जबकि 'आवासीय' भू-उपयोग में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमत्य होगा:—
- 15.2.1 भूखण्ड का क्षेत्रफल** भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम फन्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए।
- 15.2.2 भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर.** आवासीय क्षेत्र में कन्वीनिएन्स स्टोर हेतु भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.20 अनुमत्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रभावी शासनादेशों/भवन उपविधि के अनुसार निर्धारित सीमा तक नियमानुसार क्रय-योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमत्य होगा।
- 15.2.3 भवन की ऊँचाई** 18 मीटर चौड़ी सड़क तक भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर होगी।
- 15.2.4 सैट-बैक** कन्वीनिएन्स स्टोर हेतु न्यूनतम फन्ट सैट-बैक 6 मीटर होगा, जबकि अन्य सैट-बैक उस भूखण्ड के लिए सम्बन्धित आवासीय कालोनी के ले—आउट प्लान में निर्धारित सैट-बैक के अनुसार रहेंगे, ताकि अगल—बगल व पीछे के भवनों में प्रकाश एवं संवातन की समस्या तथा गोपनीयता (प्राइवेसी) भंग न हो।
- 15.2.5 पार्किंग** वाहनों की पार्किंग हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 2 'समान कार स्थल' की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर की जाएगी। पार्किंग व्यवस्था हेतु नियमानुसार बेसमेन्ट का निर्माण अनुमत्य होगा। भवन उपविधि में निर्धारित प्रयोजनों के अनुसार बेसमेन्ट का उपयोग पार्किंग, वातानुकूलन उपकरणों के अवस्थापन या भवन की आवश्यक सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली मशीनों, उज्ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण में अनुमत्य होगा। इससे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी।
- 15.2.6 भू-उपयोग परिवर्तन/प्रभाव शुल्क** आवासीय क्षेत्र में 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर कन्वीनिएन्स स्टोर के निर्माण हेतु प्रभावी शासनादेशों के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा और नियमानुसार परिवर्तन शुल्क देय होगा। परन्तु ऐसे प्रकरण जहाँ जॉनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर आवासीय क्षेत्र में कन्वीनिएन्स स्टोर की अनुमति प्रदान की जाए, वहाँ प्रभाव शुल्क देय होगा।
- 15.3 अन्य अपेक्षाएं**
- (I) कन्वीनिएन्स स्टोर का निर्माण छोटी—छोटी उपविभाजित दुकानों के रूप में अनुमत्य नहीं होगा, बल्कि एक छत के नीचे किया जाना होगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास द्वारा हेतु सुनियोजित रूप से प्राविधान किया जायेगा।
 - (II) भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के प्राविधानों के अनुसार होंगी।



अध्याय—16

‘बारात घर’/‘उत्सव भवन’ के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

16.1	अनुमन्यता	‘बारात घर’/‘उत्सव भवन’ के निर्माण की अनुमन्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।																			
16.2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	न्यूनतम 1500 वर्गमीटर																			
16.3	भूखण्ड का फन्टेज	न्यूनतम 24 मीटर																			
16.4	सड़क की विद्यमान चौड़ाई	न्यूनतम 24 मीटर																			
16.5	भू—आच्छादन	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र 30 प्रतिशत (ख) नए/अविकसित क्षेत्र 40 प्रतिशत																			
16.6	एफ.ए.आर.	(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र 1.00 (ख) नए/अविकसित क्षेत्र 1.50																			
16.7	भवन की ऊँचाई	30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा फन्ट सेट—बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फनल ज़ोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।																			
16.8	सैट बैक	‘बारात घर’/‘उत्सव भवन’ पृथकीकृत (डिटेच्ड) भवन के रूप में होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सैट—बैक निम्नानुसार होंगे:—																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)</th> <th colspan="4">न्यूनतम सैट—बैक (मीटर)</th> </tr> <tr> <th>अग्र</th> <th>पृष्ठ</th> <th>पाश्व—1</th> <th>पाश्व—2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 तक</td> <td>12.0</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>2000 से अधिक</td> <td>12.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> </tr> </tbody> </table>	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	न्यूनतम सैट—बैक (मीटर)				अग्र	पृष्ठ	पाश्व—1	पाश्व—2	2000 तक	12.0	4.5	4.5	3.0	2000 से अधिक	12.0	5.0	5.0	5.0
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	न्यूनतम सैट—बैक (मीटर)																				
	अग्र	पृष्ठ	पाश्व—1	पाश्व—2																	
2000 तक	12.0	4.5	4.5	3.0																	
2000 से अधिक	12.0	5.0	5.0	5.0																	
16.9	पार्किंग मानक	प्रत्येक 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 2.0 ‘समान कार रथल’ की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर करनी होगी। पार्किंग की गणना भूखण्ड में अधिकतम अनुमन्य तल क्षेत्रफल पर की जाएगी।																			
16.10	बेसमेन्ट	बेसमेन्ट की अनुमन्यता भवन उपविधि के प्रस्तर—3.9 के अनुसार होगी।																			
16.11	अनुज्ञा की प्रक्रिया	नई योजनाओं/अनुमोदित होने वाले ले—आउट प्लान्स में बारात घर/ उत्सव भवन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार पहले ही अपेक्षित संख्या में भूखण्डों का चिन्हीकरण किया जाएगा और बारात घर के निर्माण की अनुज्ञा केवल इस प्रयोजन हेतु चिन्हित/आरक्षित भूखण्डों पर ही दी जाएगी। विद्यमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा बारात घर/उत्सव भवन अनुमन्य किए जाने पर आवेदक से ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रभाव शुल्क भी लिया जाएगा।																			



अध्याय—17

शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 17.1 **अनुमन्यता** शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) की अनुमन्यता महायोजना ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 17.2 **भूखण्ड का क्षेत्रफल** भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा जिसका न्यूनतम फन्टेज 25.0 मीटर होगा तथा जो न्यूनतम 18.0 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
- 17.3 **बाउन्ड्रीवाल की मुख्य मार्ग से दूरी** कोल्ड स्टोरेज की बाउन्ड्रीवाल राष्ट्रीय मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग की मध्य रेखा से न्यूनतम 45 मीटर तथा जनपदीय मार्ग/महायोजना मार्ग के मध्य से न्यूनतम 22.5 मीटर की दूरी पर होगी।
- 17.4 **सेट बैंक, भू—आच्छादन एवं भवन की ऊँचाई** भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट-बैंक, भू—आच्छादन एवं भवन की ऊँचाई निम्नानुसार होंगे:—

क. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सेट—बैंक (मीटर)				भू—आच्छादन (प्रतिष्ठत)	ऊँचाई (मीटर)
		अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व—1	पार्श्व—2		
1.	1,000 से 2,000 तक	9.0	5.0	5.0	5.0	30	12.0
2.	2,001 से 5,000 तक	12.0	5.0	5.0	5.0	30	15.0
3.	5,001 से 10,000 तक	16.0	9.0	6.0	6.0	35	15.0
4.	10,001 से 30,000 तक	18.0	9.0	7.5	7.5	35	16.5
5.	30,000 से अधिक	21.0	15.0	15.0	15.0	35	18.0

टिप्पणी: मशीनरुम, जनरेटर रुम, चौकीदार के कमरे हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 250 वर्ग मीटर) भू—आच्छादन अनुमन्य होगा।

- 17.5 **पार्किंग एवं निकास की अपेक्षाएं** माल की लोडिंग—अनलोडिंग हेतु कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के प्रत्येक 550 घन मीटर या उसके अंश पर एक ट्रक पार्किंग स्थल का प्राविधान किया जाएगा जिसका आकार 3.5×7.5 मीटर होगी। सेटबैंक के अन्तर्गत पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।
- 17.6 **अन्य अपेक्षाएं**
- (क) कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु उद्यान विभाग के अनुज्ञा पत्र के साथ—साथ निम्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने होंगे :—
 - (I) अग्निशमन विभाग,
 - (II) लोक निर्माण विभाग,
 - (III) स्थानीय एयरपोर्ट अथारिटी (यदि भूखण्ड 'फनल जोन' के अन्दर स्थित है)
 - (ख) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूर्णता प्रमाण—पत्र जिला उद्यान अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त जारी किया जायेगा।



अध्याय—18

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र 'स्पेशल इकोनोमिक जोन' (एस.ई.जे.ड.)

18.1 परिभाषा

'विशेष आर्थिक परिक्षेत्र' का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र से है, जो 'स्पेशल इकोनोमिक जोन' अधिनियम, 2005 की धारा—3 की उपधारा (4) एवं धारा—4 की उपधारा(1) (जिसमें फी—ट्रेड एवं वेयर हाउसिंग जोन भी शामिल हैं), के प्राविधानों के अधीन अधिसूचित किया गया हो एवं उसके अन्तर्गत विद्यमान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र भी शामिल हैं।

18.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नियमावली, 2006, की धारा—5 में निहित प्राविधानों के अनुसार किसी एक श्रेणी/विभिन्न श्रेणियों के विशेष आर्थिक परिक्षेत्र हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल निम्नवत् होगा:-

- (I) बहुल उत्पाद एस.ई.जे.ड. हेतु एक हजार हेक्टेयर अथवा अधिक, जो निरन्तरता में (कन्टीगुअस) होगा।

परन्तु:-

- (i) पूर्णरूपेण 'सर्विसेज' (सेवाओं) के लिए स्थापित किए जाने वाले एस.ई.जे.ड. का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर अथवा अधिक हो सकता है, जो निरन्तरता में होगा।

- (ii) न्यूनतम 25 प्रतिष्ठत क्षेत्रफल 'प्रोसेसिंग एरिया' के रूप में विकसित करने के लिए आरक्षित करना होगा।

- (II) विशिष्ट सेक्टर हेतु एस.ई.जे.ड अथवा पोर्ट अथवा एयरपोर्ट में एस.ई.जे.ड की स्थापना हेतु क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर अथवा अधिक होगा, जो निरन्तरता में होगा।

परन्तु :-

- (i) पूर्ण रूप से इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर जिसमें 'इन्फारेंसन टेक्नॉलॉजी' से सम्बन्धित सेवाएं भी शामिल हैं, के प्रयोजनार्थ भूखण्ड का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर अथवा अधिक होगा, जिसके अन्तर्गत 'प्रोसेसिंग' हेतु न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल एक लाख वर्ग मीटर होगा।

- (ii) पूर्ण रूप से बायोटेक्नॉलॉजी, गैर-पारम्परिक ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा इक्विपमेन्ट/सेल भी शामिल हैं, अथवा जेम एवं ज्वैलरी सेक्टर से सम्बन्धित एस.ई.जे.ड. का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर अथवा अधिक होगा।

- (iii) एस.ई.जे.ड. का न्यूनतम 50 प्रतिष्ठत क्षेत्र 'प्रोसेसिंग एरिया' के विकास हेतु आरक्षित करना होगा।

- (III) फी—ट्रेड एवं वेयर—हाउसिंग हेतु एस.ई.जे.ड. का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर अथवा अधिक होगा, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल एक लाख वर्ग मीटर होगा।

परन्तु :-

- (i) फी—ट्रेड एवं वेयर—हाउसिंग एस.ई.जे.ड., बहुल उत्पाद



एस.ई.जे.ड. के भाग के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है।

(ii) किसी विशिष्ट सेक्टर के एस.ई.जे.ड. के अन्तर्गत फी—ट्रेड एवं वेयर हाउसिंग जोन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते ऐसे फी—ट्रेड एवं वेयर हाउसिंग जोन का अधिकतम क्षेत्रफल उस सेक्टर विशेष की प्रोसेसिंग एरिया के 20 प्रतिशत से अनधिक हो।

18.3 अनुज्ञा की प्रक्रिया (सिंगिल प्लाइण्ट विष्णो किल्यरेन्स सिस्टम)

- 18.3.1 राज्य द्वारा एस.ई.जे.ड. के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के लिए अनुमतियां एक ही बिन्दु पर उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार के समस्त विभाग एस.ई.जे.ड. के विकास आयुक्त अथवा उनके अधीन गठित समिति के माध्यम से इसकी व्यवस्था करेंगे तथा इस उद्देश्य हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश जारी करेंगे तथा तदनुसार अनुमति जारी करने की व्यवस्था करेंगे।
- 18.3.2 प्रत्येक विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकास आयुक्त के अधीन एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समिति को प्रदेश सरकार से सम्बन्धित सभी अनुमतियां प्रदान करने का अधिकार होगा तथा केन्द्र सरकार से सम्बन्धित अनुमतियां प्रदान करने में सहयोगकर्ता का कार्य करेगी तथा व्यक्तिगत इकाई को प्रार्थना—पत्र की प्राप्ति के पश्चात् सभी सम्बन्धित विभागों से पूर्व निर्धारित समय—सीमा के अन्तर्गत सभी अनुमतियाँ प्रदान करने की व्यवस्था करेगी।
- 18.3.3 एस.ई.जे.ड. एकट—2005 की धारा—14 (जी) के तहत सम्बन्धित विभाग अनुमति के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों का प्रतिनिधायन/कार्य बंटवारा धारा—13 के तहत गठित एप्रूवल कमेटी को अधिकृत करेंगे।
- 18.3.4 अधिकांश राज्य सम्बन्धी अनुमतियां स्वचालित अनुमति व्यवस्था के अधीन लाई जाएगी, अर्थात् विकासकर्ता अथवा इकाई द्वारा कार्यात्तर दी गई सूचना पर्याप्त होगी।
- 18.3.5 राज्य सम्बन्धी अनुमतियों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एक संगठित प्रार्थना—पत्र अधिसूचित करेगी तथा विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनुमति—पत्र में प्रार्थना—पत्र द्वारा आच्छादित सभी विषयों का उल्लेख किया जाएगा।

18.4 भूमि का विभिन्न विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों में निर्धारित भू—उपयोग उपयोग

क्र.सं.	भू—उपयोग	सीमा
1.	प्रोसेसिंग एरिया	न्यूनतम 50 प्रतिशत
2.	हरित क्षेत्र एवं आधारभूत सुविधाएँ	प्रोसेसिंग तथा नान—प्रोसेसिंग एरिया दोनों का 25—25 प्रतिशत न्यूनतम।
3.	वाणिज्यिक, संस्थागत एवं आवासीय	कुल क्षेत्रफल का अधिकतम क्रमशः 10, 10 तथा 15 प्रतिशत।

18.5 महायोजना के अन्तर्गत एस.ई.जे.ड

- 18.5.1 एस.ई.जे.ड. हेतु अनुमोदित क्षेत्र का मास्टर प्लान भू—उपयोग एस.ई.जे.ड. होगा, जो एक अलग भू—उपयोग होगा। एस.ई.जे.ड. अधिनियम 2005 की धारा—4(1) के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने पर सम्बन्धित क्षेत्र का भू—उपयोग एस.ई.जे.ड. में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार



भू-उपयोग

अधिसूचना जारी कर देगी। प्रस्तर-18.5.2.2 की स्थिति में बिना किसी परिवर्तन शुल्क के तथा प्रस्तर-18.5.2.3 की स्थिति में आवश्यक परिवर्तन शुल्क के भुगतान के उपरान्त इस भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सामान्य विधिक प्रक्रिया से अलग रखी जाएगी। इस हेतु उपयुक्त संशोधित विधिक प्रक्रिया की जाएगी।

- 18.5.2 चूंकि एस.ई.जे.ड. में औद्योगिक (प्रोसेसिंग एरिया) के अतिरिक्त नान प्रोसेसिंग एरिया में आवासीय, वाणिज्यिक, आदि प्रयोजन भी अनुमन्य हैं, अतः—

- 18.5.2.1 एस.ई.जे.ड. भू-उपयोग (लैण्ड यूज) अन्तर्गत व्यवसायिक तथा सामाजिक प्रयोजन जैसे—शैक्षणिक, चिकित्सा, होटल, मनोरंजन, आवासीय तथा व्यवसायिक काम्पलेक्स आदि ऐसी सीमा तक अनुमन्य होंगे जो भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 अन्तर्गत अधिसूचित नियमों द्वारा अथवा उपबन्धों के अधीन अनुमन्य /स्वीकृत किए गए हैं। प्रोसेसिंग एरिया में वही एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. उपलब्ध होगा जो उस विकास क्षेत्र में औद्योगिक भू-उपयोग हेतु अनुमन्य होगा। परन्तु आई.टी., जेम्स एवं जैलरी तथा बायोटेक एस.ई.जे.ड. में यह संस्थागत भू-उपयोग हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. होगा। एस.ई.जे.ड के गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र में एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. का निर्धारण सम्बंधित विकास प्राधिकरण/ निगम की अद्यतन महायोजना तथा जोनिंग रेग्युलेशन्स में वर्णित भू-उपयोग के अनुसार अनुमन्यता के आधार पर किए जाएंगे, महायोजना तथा भवन उपविधियों में एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. के प्राविधानों की भिन्नता होने की दशा में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. अनुमन्य किए जायेंगे। यह एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. मैप प्रस्तुतीकरण की तिथि को जो अनुमन्य होगा वही लागू होगा। श्रीणी—‘सी’ में एस.ई.जे.ड. हेतु एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. की उपरोक्तानुसार अनुमन्यता के लिए उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्राविधानों का अनुसरण किया जाएगा।
- 18.5.2.2 यदि कोई भूमि नोडल एजेन्सी द्वारा एस.ई.जे.ड. हेतु उपलब्ध कराई जाती है अथवा अनुमन्य की जाती है तो ऐसी भूमि का भू-उपयोग एस.ई.जे.ड. निःशुल्क निर्धारित किया जाएगा।
- 18.5.2.3 यदि कोई भूमि विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है तथा पूर्व में आवंटित भूमि पर एस.ई.जे.ड. की स्वीकृति दी जाती है, तो प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु निर्धारित परिवर्तन शुल्क लेते हुए तथा गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु निर्धारित परिवर्तन शुल्क लेते हुए भू-उपयोग एस.ई.जे.ड. में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- 18.5.2.4 यदि एस.ई.जे.ड. की भूमि किसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र से बाहर है, तो भू-उपयोग एस.ई.जे.ड. निःशुल्क निर्धारित कर दिया जाएगा, परन्तु इसमें शर्त यह होगी कि गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र के निर्माण मानचित्र तभी स्वीकृत किए जाएंगे



जब न्यूनतम 50 प्रतिष्ठत प्रोसेसिंग क्षेत्र का विकास हो गया हो। परन्तु ऐसे में भी गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र के निर्माण मानचित्र भी उसी अनुपातिक क्षेत्रफल के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों को उपयुक्त नियोजन प्राधिकारी के क्षेत्र में लाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

- 18.6 विकास शुल्क की देयता तथा ले—आउट प्लान/सबले—आउट प्लान/भवन मानचित्र की स्वीकृति**
- 18.6.1 क्योंकि आन्तरिक विकास, विकासकर्ता द्वारा स्वयं किया जाएगा/कराया जाएगा, आन्तरिक विकास शुल्क की देयता नहीं होगी।
 - 18.6.2 यदि आवश्यक वाह्य विकास कार्य एस.ई.जेड. विकासकर्ता स्वयं करता है तो वाह्य विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई वाह्य विकास कार्य शासन/शासकीय संस्था से कराया जाएगा तो उसकी लागत नियमनुसार देय होगी।
 - 18.6.3 किसी भी विद्यमान सार्वजनिक अवस्थापना के उपयोग हेतु किसी भी प्रकार का वाह्य विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, परन्तु यदि एस.ई.जेड. हेतु उन अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की आवश्यकता होगी तो, उसका अनुपातिक व्यय एस.ई.जेड. विकासकर्ता द्वारा देय होगा।
 - 18.6.4 **विकास कार्यों के प्लान की स्वीकृति**

जहाँ पर डी.आर.ए. (डेवलपमेन्ट राइट्स एग्रीमेन्ट) अनुबन्धित है, यह कार्य तदनुसार किया जाएगा। अन्य प्रकरणों में ले—आउट प्लान सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। भवन मानचित्र, भूमि आवंटित करने वाली सम्बन्धित संस्था/प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध आर्कीटेक्ट (यदि सूचीबद्ध किया गया हो, अन्यथा किसी पंजीकृत आर्कीटेक्ट) के प्रमाणीकरण (स्थानीय भवन उपविधियों/स्वीकृत ले—आउट प्लान/मास्टर प्लान के अनुसार होने) पर स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।



अध्याय—19

अतिथिगृह, पेइंग गेस्ट एवं हास्टल के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

(क) अतिथि गृह के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 19.1 अनुमन्यता अतिथि गृह की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार दी जाएगी।
- 19.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर होना आवश्यक है।
- 19.3 पहुँच मार्ग अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 12.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
- 19.4 सैट-बैक (I) भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर 10.5 मीटर ऊँचाई तक के भवन हेतु न्यूनतम सैट-बैक निम्नवत होंगे:-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सैट-बैक (मीटर)			
	सामने	पीछे	साइड-1	साइड-2
400 से 500 तक	4.5	4.5	3.0	—
500 से अधिक	6.0	6.0	3.0	1.5

- (II) 10.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों हेतु सैट-बैक प्रस्तर—3.4.5 के अनुसार होंगे।
- 19.5 भू—आच्छादन भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अधिकतम भू—आच्छादन 50 प्रतिशत तथा 500 वर्गमीटर से अधिक होने पर 45 प्रतिशत अनुमन्य होगा। अतिथि गृह भवन के लिए अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा तथा नियमानुसार क्य—योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा।
- 19.6 भवन की ऊँचाई 30 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा फन्ट सेट—बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरीटेज स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फनल जॉन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।
- 19.7 पार्किंग व्यवस्था प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर न्यूनतम एक कार पार्किंग का प्राविधान किया जाना होगा। पार्किंग व्यवस्था हेतु अधिकतम दो बेसमेन्ट का निर्माण बिल्डिंग इच्चेलप तक इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2.00 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट में आवास हेतु कोई कमरा/कम्पार्टमेन्ट, आदि सृजित नहीं किया जायेगा और यह केवल पार्किंग व्यवस्था, स्टोरेज एवं जनरेटर, इत्यादि स्थापित करने के प्रयोग में ही लाया जाएगा। जनरेटर ईको—फेन्डली/साइलेन्ट (Silent) प्रकृति का होगा। पार्किंग व्यवस्था मैकेनिकल पार्किंग नार्स के अनुसार भी की जा सकेगी।
- 19.8 अन्य अपेक्षाएं (I) किसी भी अतिथि गृह के कुल तल क्षेत्रफल का अधिकतम 55 प्रतिशत क्षेत्रफल ही कमरों हेतु रखा जाएगा तथा शेष 45 प्रतिशत क्षेत्रफल बरामदा, रसोईघर, जल—पान गृह, प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत कक्ष, पैसेज एवं सीढ़ियों, इत्यादि हेतु समिलित रूप से रखा जाएगा।
- (II) अतिथि गृह केवल पर्यटकों/यात्रियों के ही निवास हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा इसमें कोई भी वाणिज्यिक उपयोग/किया यथा—विवाह, जन्मदिन, कान्फ्रेन्स, इत्यादि जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जायेंगे।
- (III) निर्मित होने वाले भवन में विकास प्राधिकरण की प्रचलित भवन निर्माण एवं



विकास उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा हेतु नियमानुसार भूकम्परोधी निर्माण, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी व्यवस्थाएँ रुफ-टॉप रेन वाटर हार्डस्ट्रिंग तथा लैण्डस्केपिंग के प्राविधान सुनिश्चित किए जाएंगे।

19.9 प्रभाव शुल्क आवासीय भू-उपयोग में अतिथि गृह का निर्माण अनुमन्य किए जाने पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के कूल क्षेत्रफल पर, प्रचलित जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार प्रभाव शुल्क देय होगा।

19.10 सेवाओं के मानक (I) **विद्युतीकरण** अतिथि गृह में प्रकाश व्यवस्था, एआर कन्डीशनिंग, हीटिंग, मैकेनिकल वैन्टीलेशन, रसोईघर एवं अन्य विद्युत उपकरणों में प्रयोग होने वाले विद्युत भार का ऑकलन विद्युत विभाग से कराए जाने के उपरान्त ही निर्धारित क्षमता का लोड लेना होगा। प्रकाश व्यवस्था, एआर- कन्डीशनिंग, हीटिंग, मैकेनिकल वैन्टीलेशन, लिफ्ट, आदि की प्लानिंग, डिजाइन एवं इन्स्टालेशन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया, 2005 के पार्ट-8 के अनुसार सुनिश्चित किए जाएंगे।

(II) जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन

जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण एवं इन्स्टालेशन नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया, 2005 के पार्ट-9 सेक्शन-1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। रसोई, गेस्ट हाउस स्टाफ, विजिटर्स, इत्यादि की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जलापूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का वाटर स्टोरेज अपेक्षित होगा। गर्म पानी के लिए विकास प्राधिकरण की प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की व्यवस्था भी की जानी होगी।

(ख) पेइंग गेस्ट एकमोडेशन हेतु अपेक्षाएँ

19.11 विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं में आवासीय भवनों पर पेइंग गेस्ट एकमोडेशन की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन देय होगी :—

- भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मी. होगा।
- कुल अनुमन्य/निर्मित एफ.ए.आर.(जो भी न्यूनतम हो) का अधिकतम 50 प्रतिशत तल क्षेत्रफल पेइंग गेस्ट एकमोडेशन के उपयोग में लाया जा सकेंगा।
- पेइंग गेस्ट एकमोडेशन की अनुमति के लिए भवन स्वामी को संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिस हेतु "ऑनलाइन" पंजीकरण कराने की सुविधा अनुमन्य होगी।
- भवन स्वामी द्वारा पेइंग गेस्ट से वसूल किए जाने वाले किराये(टैरिफ) की 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान शुल्क के रूप में सम्बंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को किया जायेगा जिस हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त शुल्क से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण की अवस्थापना विकास कोष में जमा की जायेगी।

(ग) हॉस्टल निर्माण हेतु अपेक्षाएँ

19.12 (I) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 300 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होना चाहिए।

(II) भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक समतुल्य क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे।

(III) कमरों की अधिकतम संख्या 15 होगी।

(IV) पार्किंग हेतु 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 1.0 समान कार स्थल की व्यवस्था करनी होगी।



अध्याय—20

आवासीय क्षेत्र में ए.टी.एम. के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 20.1 **अनुमन्यता** आवासीय भू—उपयोग में ए.टी.एम. का निर्माण न्यूनतम 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अनुमन्य होगा।
- 20.2 **पहुँच मार्ग** ए.टी.एम. के लिए विद्यमान पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।
- 20.3 **ए.टी.एम. का आकार** ए.टी.एम. का अधिकतम तल क्षेत्रफल 6 वर्गमीटर होगा, जो मूल भवन में अनुमन्य तल क्षेत्रफल की सीमा के अन्तर्गत ही होगा।
- 20.4 **प्रभाव शुल्क** वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग से भिन्न भू—उपयोगों में ए.टी.एम. का निर्माण अनुमन्य किए जाने पर आवेदक द्वारा ए.टी.एम. के क्षेत्रफल पर प्रचलित ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार प्रभाव शुल्क देय होगा।
- 20.5 **अन्य अपेक्षाएँ**
- (I) ए.टी.एम. की अनुज्ञा दिए जाते समय कोने के भूखण्डों को वरीयता दी जाएगी।
 - (II) निर्मित भवनों में ए.टी.एम. की अनुज्ञा प्रदान करते समय यहसुनिश्चित किया जाएगा कि भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार ही विद्यमान भवन निर्मित हुआ हो।
 - (III) ए.टी.एम. हेतु अनुज्ञा की प्रक्रिया वही होगी, जो विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं हेतु ज़ोनिंग रेगुलेशन्स में निर्धारित हैं।



अध्याय—21

शॉपिंग माल के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

21.1 अनुमत्यता

शॉपिंग माल का निर्माण व्यवसायिक (सी.बी.डी., सब—सी.बी.डी., अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिह्नित व्यवसायिक स्थल), तथा लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषणमुक्त व संकटरहित) भू—उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शॉपिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत—आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें नियमानुसार सुनिश्चित की जाएंगी।

21.2 प्रयोज्यता

शॉपिंग माल्स के अन्तर्गत एक ही काम्प्लेक्स में विविध वाणिज्यिक क्रियाएं यथा—शोरूम, रिटेल आउटलेट्स, फैक्टरी आउटलेट्स, होटल, रेस्तरां, फूड कोर्ट, आदि तथा मनोरंजन क्रियाएँ, आदि अनुमन्य होंगी।

21.3 भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं फ्रन्टेज

शॉपिंग माल हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज निम्नानुसार होगा:-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	न्यूनतम फ्रन्टेज (मीटर)
● 4000	40
● 4001 से 15000 तक	50
● 15001 से 50000 तक	100
● 50000 से अधिक	200

21.4 पहुँच मार्ग

शॉपिंग माल हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

21.5 सेट—बैक

शॉपिंग माल में भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सेट—बैक निम्नानुसार होंगे:-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	न्यूनतम सेट—बैक (मीटर)			
	सामने	पीछे	साइड—1	साइड—2
● 4000	12.0	60	6.0	6.0
● 4001 से 15000 तक	15.0	9.0	9.0	9.0
● 15001 से 50000 तक	18.0	12.0	12.0	12.0
● 50000 से अधिक	24.0	15.0	15.0	15.0

21.6 भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर.

(I) सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर, सेक्टर शापिंग सेन्टर अथवा महायोजना में चिह्नित अन्य वाणिज्यिक स्थल पर अधिकतम भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य होंगे।



- (II) शापिंग माल में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन पर 'एट्रियम' बनाया जा सकेगा, जो स्कार्फ लाइटेड होगा एवं उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। 'एट्रियम' के अन्तर्गत स्थायी प्रकृति का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि सर्कुलेशन के उपयोग में लाया जाएगा तथा अधिकतम 5 प्रतिशत भाग में अस्थायी प्रकृति के 'कियोर्स्क' अनुमन्य होंगे।
- 21.7 पार्किंग व्यवस्था** पार्किंग व्यवस्था भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर 3.10 के अनुसार होगी।
- 21.8 बेसमेन्ट**
- (I) पार्किंग, सर्विसेज़ तथा स्टोरेज हेतु 'बिल्डिंग इन्वेलप' तक तीन बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी।
 - (II) भवन की प्लिन्थ एवं 'बिल्डिंग इन्वेलप लाइन' की सीमा के मध्य बेसमेन्ट की छत भूतल के लैविल में होगी एवं उसमें मेकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन, आदि फायर टेन्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगा।
- 21.9 अन्य अपेक्षाएं**
- (I) शापिंग माल की अनुमति सामान्यतः चौराहों से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी पर दी जाएगी। शापिंग माल हेतु 'एन्ट्री' एवं 'एकिजट' मुख्य मार्ग से न देकर सर्विस रोड से दी जाएगी, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी होगी एवं सर्विस रोड यदि मुख्य मार्ग के साथ उपलब्ध नहीं है, तो उसका प्राविधान भूखण्ड रखामी द्वारा अपने भूखण्ड के अन्दर किया जाएगा।
 - (II) भवन उपविधियों की अपेक्षानुसार अग्नि सुरक्षा, रेन वाटर हार्डिंग, सोलर वाटर हार्डिंग संयंत्र, भूकम्परोधी निर्माण एवं शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षित व्यवस्थाएं की जानी होंगी।
 - (III) बिल्डिंग सर्विसेज यथा—'लाइटिंग एण्ड वेन्टीलेशन', 'इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इन्स्टालेशन्स', 'एयरकन्डीशनिंग', 'हीटिंग एण्ड मेकेनिकल वेन्टीलेशन', 'इन्स्टालेशन आफ लिफ्ट्स एण्ड स्केलेटर्स', आदि के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के पार्ट-8 की अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के पार्ट-9 की अपेक्षानुसार 'प्लम्बिंग सर्विसेज़' की व्यवस्था की जाएगी।
 - (IV) शापिंग माल हेतु प्रस्तावित निर्माण निर्मित क्षेत्र के बाहर स्थित होने की दशा में प्राधिकरण में लागू वाह्य विकास शुल्क का 50 प्रतिशत विकास शुल्क कुल अनुमन्य भू-आच्छादन पर देय होगा।



आडीटोरियम एवं कन्वेन्शन सेन्टर्स हेतु अपेक्षाएं

- 22.1 अनुमन्यता** आडीटोरियम एवं कन्वेन्शन सेन्टर्स की अनुमन्यता महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार होगी।
- 22.2 पहुँच मार्ग** कन्वेन्शन सेन्टर हेतु प्रस्तावित स्थल निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 30 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
- 22.3 एफ.ए.आर.** 10 एकड़ से कम क्षेत्रफल में प्रस्तावित कन्वेन्शन सेन्टर के लिए अधिकतम एफ. ए. आर. 2.0 अनुमन्य होगा, जबकि 10 एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल में प्रस्तावित कन्वेन्शन सेन्टर जो अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप हो तथा जिसमें न्यूनतम 4000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का आडीटोरियम हो, के लिए अधिकतम 3.0 एफ. ए. आर. अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार एफ. ए. आर. इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्पूर्ण कन्वेन्शन सेन्टर/काम्पलेक्स के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य अनुषांगिक उपयोगों यथा—व्यावसायिक, होटल, कार्यालय, मनोरंजन, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक सुविधाएं, आदि का निर्माण इसी एफ.ए.आर. के अधीन किया जाएगा।
- 22.4 अन्य अपेक्षाएं** सेट बैंक, पार्किंग तथा अन्य अपेक्षाएं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होंगी।



सर्विस अपार्टमेन्ट्स हेतु अपेक्षाएं

- 23.1 अनुमत्यता** सर्विस अपार्टमेन्ट्स की अनुमति व्यवसायिक, होटल तथा कार्यालय/ संस्थागत भू-उपयोगों/भवनों में देय होगी।
- 23.2 प्रयोजन** सर्विस अपार्टमेन्ट्स पूर्णतया सुसज्जित एवं 'सेल्फ कन्ट्रोल अपार्टमेन्ट्स' होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोइघर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।
- 23.3 अन्य अपेक्षाएं**
- (I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनों तथा व्यवसायिक भू-उपयोग में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिष्ठत सर्विस अपार्टमेन्ट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
 - (II) व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेन्ट्स बनाए जा सकते हैं।
 - (III) पृथक रूप से नियोजित किये जाने वाले सर्विस अपार्टमेन्ट्स के अन्तर्गत कुल तल क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल कार्यालय, कान्फेन्स सुविधाएं, गेट रम तथा रिटेल एवं सर्विस शाप्स हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।



दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तथा अन्य आय वर्गों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग के मानक

24.1	इ.डब्लू.एस. एवं एल.आई. जी. की पत्रता	इ.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. की पात्रता मासिक आय सीमा के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।
------	---	---

24.1.1 क्षेत्रफल/स्थिति एरिया, डेन्सिटी, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. तथा पार्किंग के मानक

क्र.सं.	अपेक्षाएँ	प्रस्ताविक मानक	
		इ.डब्लू.एस.	एल.आई.जी.
(क)	प्लॉटेड डेवलपमेन्ट		
	● भूखण्ड का क्षेत्रफल	30–35 वर्गमीटर	40–50 वर्गमीटर
	● डेन्सिटी	250 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/ 1250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर	150 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/ 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
	● अधिकतम भू-आच्छादन	75 प्रतिशत	75 प्रतिशत
	● एफ.ए.आर.	2.0	2.0
(ख)	ग्रुप हाउसिंग		
	● बिल्ट-अप एरिया	35–40 वर्गमीटर	41–48 वर्गमीटर
	टिप्पणी :-		
		ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों में कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर होगा और उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.4 मीटर होगी।	
	● डेन्सिटी	650 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/ 3250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर	500 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/ 2500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
	● अधिकतम भू-आच्छादन	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	● एफ.ए.आर.	2.0	2.0
(ग)	पार्किंग व्यवस्था	मोटर साईकिल/ स्कूटर/ सार्जिकिल हेतु प्रत्येक इकाई पर 2.0 वर्गमीटर क्षेत्रफल	"मेट्रो नगरों हेतु प्रत्येक 3 इकाईयों पर 1 समान कार स्थल तथा अन्य नगरों में प्रत्येक 4 इकाईयों पर 1 समान कार स्थल, जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्गमीटर होगा।"

टिप्पणी: (I) शासकीय अभिकरणों तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में निर्मित की जाने वाली कुल आवासीय इकाईयों का न्यूनतम 10 प्रतिशत इ.डब्लू.एस. एवं 10 प्रतिशत एल.आई.जी (कुल 20 प्रतिशत) इकाईयों 'कास- सब्सिडाइजेशन' के माध्यम से निर्मित की जाएगी।



- (II) किसी निजी विकासकर्ता द्वारा अपनी योजनान्तर्गत उपरोक्त मानकों के अनुसार ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासों का निर्माण करने पर ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवासों की डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. को उस योजना की डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (III) अधिसूचना संख्या: 5136 / 8-3-2008-11विविध/08, दिनांक 25.9.08 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत प्लॉटेड डेवलपमेन्ट के लिए निर्धारित अधिकतम 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और युप हाउसिंग के लिए 200 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर डेन्सिटी की सीमा ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग में लागू नहीं होगी।
- (IV) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार निर्मित/विकसित क्षेत्र में युप हाउसिंग के लिए बेसिक एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य है, परन्तु ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के लिए 2.0 एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा और बेसिक से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए सिटी डेवलपमेंट चार्ज देय नहीं होगा।

24.1.2 योजना का नियोजन एवं अभिकल्पन

- 24.1.2.1 विकास कार्यों की लागत कम करने एवं भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु 'मॉड्यूलर क्लस्टर डिज़ाइन' एवं बहुमंजिले निर्माण (सामान्यतः ग्राउण्ड + 3) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 24.1.2.2 भवन मानचित्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि भूखण्ड के सीमित क्षेत्रफल का अधिकतम उपयोग सुनिष्चित हो सके, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सरलीकृत हो और दीवारों की लम्बाई न्यूनतम हो, ताकि भवन की लागत को कम किया जा सके।
- 24.1.2.3 आवास एवं रोज़गार की सम्बद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवास का प्राविधान यथासम्बद्ध कार्य-केंद्रों के समीप किया जाएगा।

24.1.3 सड़कें एवं 'पाथ-वे'

- 24.1.3.1 जहां मोटर वाहनों का आवागमन आवश्यक हो, ऐसे मार्गों का न्यूनतम 'राइट-ऑफ-वे' 6.0 मीटर होगा।
- 24.1.3.2 पेडेस्ट्रियन सर्कुलेशन होने पर 'पाथ-वे' की न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी, परन्तु 'पाथ-वे' के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर हो सकती है। 3.0 मीटर चौड़े 'पाथ-वे' की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े 'पाथ-वे' की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी।
- 24.1.3.3 कोई भी आवासीय इकाई 9.0 मीटर चौड़े मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी।

24.1.4 अवस्थापना विकास

- 24.1.4.1 प्रत्येक आवासीय इकाई में एक जल संयोजन तथा वाटरसील शौचालय का प्राविधान किया जाएगा। लाभार्थियों की आर्थिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय अवस्थापना सुविधाएँ यथा-स्टैण्ड पोर्ट, शौचालय, आदि सामूहिक रूप से प्राविधानित की जा सकती हैं।
- 24.1.4.2 प्रकाश व्यवस्था हेतु अपाराम्परिक ऊर्जा स्रोतों यथा-सौर ऊर्जा एवं बायोगैस को प्रोत्साहित किया जाएगा।

24.1.5 भवन का अभिकल्पन एवं निर्माण हेतु अपेक्षाएँ

- 24.1.5.1 एक कमरे की इकाई में कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 12.50 वर्ग मीटर होगा, जबकि 2 कमरों की इकाई में पहले कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.00 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी तथा दूसरे कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 6.50 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.10 मीटर होगी। दोनों कमरों का संयुक्त क्षेत्रफल 15.50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।



- 24.1.5.2 पृथक शौचालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.90 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर होगी। बाथरूम का क्षेत्रफल 1.20 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 1.00 मीटर होगी, जबकि संयुक्त बाथरूम एवं शौचालय का कुल क्षेत्रफल 1.80 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 1.0 मीटर होगी।
- 24.1.5.3 रसोई/कुकिंग स्पेस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.4 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर होगी। दो कमरों की इकाई में पृथक रसोई का न्यूनतम क्षेत्रफल 3.30 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी।
- 24.1.5.4 बॉलकनी की न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर एवं अधिकतम चौड़ाई 1.20 मीटर होगी और बॉलकनी को भूखण्ड की सीमा के बाहर सड़क अथवा रास्ते पर प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा।
- 24.1.5.5 आवासीय कमरे तथा रसोई की न्यूनतम ऊँचाई 2.60 मीटर, बाथरूम/शौचालय तथा कॉरीडोर की न्यूनतम ऊँचाई 2.10 मीटर होगी।
- 24.1.5.6 जीने की न्यूनतम चौड़ाई दो मैंजिले भवन में सीधा जीना होने पर न्यूनतम 0.60 मीटर, घुमावदार होने पर 0.75 मीटर होगी, जबकि 3 अथवा अधिक मैंजिले भवन में सीधे जीने की न्यूनतम चौड़ाई 0.75 मीटर और घुमावदार जीने की न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर होगी। 'राइजर' अधिकतम 200 मिलीमीटर तथा 'ट्रेड' 2 मैंजिले भवन में न्यूनतम 225 मिलीमीटर और 3 मैंजिल और अधिक भवन में न्यूनतम 250 मिलीमीटर होगा।

24.1.6 अन्य अपेक्षाएँ

- 24.1.6.1 भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था, संरचनात्मक सुरक्षा हेतु स्ट्रक्चरल डिजाइन तथा बिल्डिंग एवं प्लम्बिंग सर्विसेज नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के अनुसार होगी।

24.1.7 क्लस्टर प्लानिंग के लिए मानक

'क्लस्टर' का तात्पर्य खुले क्षेत्र के चारों ओर समूह के रूप में नियोजित भूखण्डों/आवासीय इकाईयों से है। क्लस्टर के रूप में निर्मित किए जाने वाले आवासों के नियोजन एवं भवन निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएँ निम्नवत होंगी:-

- 24.1.7.1 भूखण्ड का न्यूनतम आकार 15 वर्ग मीटर होगा, 15–25 वर्ग मीटर के भूखण्डों हेतु भू-आच्छादन 100 प्रतिष्ठत एवं एफ.ए.आर. 2.0 अनुमन्य होगा।
- 24.1.7.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर से अधिक होने पर भू-आच्छादन 75 प्रतिष्ठत एवं एफ.ए.आर. 2.0 अनुमन्य होगा।
- 24.1.7.3 एक क्लस्टर में अधिकतम 20 इकाईयां नियोजित की जाएंगी।
- 24.1.7.4 क्लस्टर प्लानिंग के अन्तर्गत युप हाउसिंग भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर होगी।
- 24.1.7.5 क्लस्टर ओपन स्पेस का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर होगा, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 6.0 मीटर होगी अथवा क्लस्टर ओपन स्पेस के साथ स्थित भवनों की ऊँचाई के आधे, दोनों में जो अधिक हो, से कम नहीं होगी।
- 24.1.7.6 क्लस्टर के चारों ओर स्थित पैदल मार्ग/सड़कों से किसी सेट-बैक के प्राविधान की आवश्यकता नहीं होगी।
- 24.1.7.7 क्लस्टर तक पहुँचने के लिए न्यूनतम 'राइट-ऑफ-वे' 6.0 मीटर होगा, जबकि फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर होगी।
- 24.1.7.8 क्लस्टर हाउसिंग में ई.डब्ल्यू.एस. के लिए सामूहिक शौचालय का प्राविधान किए जाने की दशा में 3 परिवारों हेतु 01 शौचालय, 01



बाथरूम तथा धुलाई हेतु 01 स्थान की व्यवस्था की जा सकती है।

24.1.7.9 भवन निर्माण की अन्य अपेक्षाएं तथा अग्रिम उपयोग के लिए बिल्डिंग सर्विसेज एवं प्लम्बिंग सर्विसेज की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी होगी।

टिप्पणी: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे तथा ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग से सम्बन्धित जो प्राविधान उपरोक्त मानकों में शामिल नहीं हैं, के सम्बन्ध में एन.बी.सी.-2005 और आई.एस./बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा।

24.1.8 निर्माण सामग्री एवं विशिष्टियाँ

24.1.8.1 ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवन निर्माण में पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित निर्माण सामग्री यथा—फ्लाई ऐश, कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित कम लागत की एवं स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

24.1.8.2 भवन निर्माण की विशिष्टियाँ यथासम्बव संलग्नक-1 के अनुसार रखी जाएंगी।

24.1.8.3 'प्री—फैब्रीकेटेड' तकनीक द्वारा भवन निर्माण हेतु मानक एवं विशिष्टियाँ संलग्नक-2 के अनुसार रखी जाएंगी।

24.1.9 भवनों की लागत

24.1.9.1 विकास प्राधिकरणों आवास एवं विकास परिषद तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों की लागत का अनुमोदन शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

24.1.9.2 निजी विकासकर्ता द्वारा यदि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिया जाता है, तो उन योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं एवं अन्य अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अन्य योजनाओं से 'डब-टेलिंग'

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों की आवासीय योजनाओं में विभिन्न विभागों यथा—आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन/सूडा, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, आदि के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की 'डब-टेलिंग' सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विभिन्न विभागों के वित्तीय संसाधनों का समोक्त उपयोग सुनिश्चित हो सके।

24.1.11 अफोर्डेबल हाउसिंग योजना

अफोर्डेबल हाउसिंग योजना हेतु निम्नलिखित शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था का पालन किया जायेगा—

- (I) शा.सं.-73 / 2965 / आठ-1-14-34बैठक / 2014 दिनांक 12.12.2014
- (II) शा.सं.-74 / 2965 / आठ-1-14-34बैठक / 2014 दिनांक 12.12.2014
- (III) शा.सं.-12 / 2016 / 119 / आठ-1-16-34बैठक / 2014 दिनांक 12.01.2016
- (IV) शा.सं-13 / 2016 / 120 / आठ-1-16-34बैठक / 2014 दिनांक 12.01.2016



संलग्नक-१

Specifications for EWS & LIG Housing

1. Structure	
(a)	Ground plus three
	<ul style="list-style-type: none"> • Stepped footing in brick masonry for sub-structure. • Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry. • RCC lintel band and roof level band for earthquake resistance.
(b)	Above Ground plus three
	<ul style="list-style-type: none"> • RCC framed structure. • Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry.
2. Roof/Floor	<ul style="list-style-type: none"> • Reinforced Brick Slab or Pre-cast Reinforced Brick Panel for roofing placed over partially pre-cast RCC Joists with screed. • CC flooring.
3. Doors/Windows	<ul style="list-style-type: none"> • For main entrance 35 mm thick flush door with 35x35x5 MS Angle Iron Frame. • T&Z Section window with glass panes.
4. Finishing	<ul style="list-style-type: none"> • Internal plastering. • External walls exposed finish with ordinary colour wash. • Enamel painting on doors/windows.

Note: Above specifications are recommendatory.



प्री-फैब्रीकेटेड तकनीक से ई.डब्लू.एस. भवन निर्माण हेतु मानक

1. प्री-फैब्रीकेटेड तकनीक से दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण यदि एक मंजिले भवन (रो-हाउसिंग) के रूप में किया जाता है, उस स्थिति में भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 26 वर्ग मीटर होगा तथा इसमें निर्मित क्षेत्रफल लगभग 17 वर्ग मीटर होगा, जिसमें एक लिविंग रूम, किचन/पैन्ट्री व शौचालय का प्राविधान होगा। लिविंग रूम का साइज लगभग 140 से 150 वर्ग फीट तक होगा, यथासम्भव इस कमरे के क्षेत्रफल में ही किचन/पैन्ट्री का प्राविधान किया जाएगा।
2. इस प्रकार के एक मंजिला भवनों में स्लैब (लिविंग रूम, किचन/पैन्ट्री व शौचालय की स्लैब) व लिन्टल, प्रीफैब्रीकेटेड/प्रीस्ट्रेस्ड होंगे, इन्हें अलग कास्टिंग यार्ड में कास्टिंग करने के उपरान्त केन से उठाकर (लिफ्ट करके) भवनों के ऊपर रख दिया जाएगा। स्लैब की कास्टिंग करते समय स्लैब के चारों कोनों पर चार स्टील रिंग्स भी कॉस्ट कर दिए जाएंगे, ताकि प्रीफैब्रीकेटेड स्लैब, केन से सुगमता से उठ सके।
3. एक मंजिला भवनों के निर्माण में स्लैब व लिन्टल के अतिरिक्त, दीवारों का निर्माण कार्य कन्वेशनल पद्धति से, ब्रिकवर्क की दीवारों के रूप में किया जाएगा तथा लिविंग रूम, किचन/पैन्ट्री व शौचालय में एक इन्च सीमेंट कंकीट के फर्श का भी प्राविधान किया जाएगा।
4. एक मंजिला भवनों में कमरे की सीलिंग हाईट लगभग 9 फीट होगी व शौचालय की स्लैब हाईट 7.5 फीट होगी।
5. इन भवनों के जनरल स्पेसीफिकेशन्स संलग्न हैं, जिनमें विस्तृत विवरण दर्शित है कि भवन में किन-किन सुविधाओं का प्राविधान किया जाएगा।
6. यदि एक मंजिले भवन के स्थान पर क्लस्टर हाउसिंग/बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया जाता है, तो कालम, बीम, लिन्टल व स्लैब, प्रीफैब्रीकेटेड/प्रीस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स के रूप में कॉस्टिंग यार्ड में कॉस्ट करने के उपरान्त प्रयोग की जाएंगी। दीवारें, इत्यादि कन्वेशनल निर्माण पद्धति के अनुसार ब्रिकवर्क की निर्मित की जा सकती हैं।
7. क्लस्टर हाउसिंग/बहुमंजिले भवनों में प्रथम तल व उसके ऊपर के तलों में सीमेंट कंकीट की फलोरिंग देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रीफैब्रीकेटेड स्लैब ही फर्श के रूप में उपयोग की जा सकेगी।

संलग्नक: जनरल स्पेसीफिकेशन्स



General Specifications

Slab: Slab of Room, Kitchen and Toilet will be prefabricated & pre-stressed.

Walls: All the walls will be 9"/4½" thick Brickwork walls and shall be plastered inside and outside both with 1:6 Cement and fine sand mortar.

Finishing Items:

I) Flooring:

- (a) Room: Average 25 mm thick CC flooring.
- (b) Kitchen: Average 25 mm thick CC flooring.
- (c) Bath-room: Average 25 mm thick CC flooring.
- (d) W.C.: Average 25 mm thick CC flooring.

II) Doors, Windows and Ventilators:

- (a) Door: For main entrance 35 mm thick flush door with 35x35x5 MS angle Iron frame along with 2 Nos. tower bolts of length 6" or 9" as suitable with 2 Nos. handles and 1 No 12" MS aldrop.
- (b) Toilet door will be of flush door panels with angle Iron frame along with 2 Nos. tower bolts and 2 Nos. handles.
- (c) Windows: All windows will be T & Z section.

III) Painting:

- (a) Inside, the unit for wall and ceiling: Two coat white wash for wall and ceiling.
- (b) Outside: Two coat of ordinary colour wash for walls.
- (c) Door and Window frame: Door, window frame should be with one coat primer and one coat of oil paint.

IV) Dado

- (a) For toilet 450 mm dado with cement punning.
- (b) For kitchen 150 mm dado with cement punning.
- (c) W.C.- 450 mm high dado in cement punning.

V) Plumbing & Sanitary:

- (a) WC: Indian type of 18" ceramic/mosaic.
- (b) Two number ½" PVC tap of good quality in the toilet.
- (c) One number ½" PVC tap of good quality in the kitchen.
- (d) Soil line, waste water line should be of 4" dia PVC Pipe of 4 Kg/Sq.cm. pressure.
- (e) 4" dia PVC nahani trap with jalli one in toilet & one in kitchen.
- (f) Heavy duty PVC solvent pipe for all water line.

VI) Electrification:

One number fan-hook and PVC conduit pipe in slab.

VII) Pre-cast Kitchen platform of size 450 mm x 1000 mm to be provided in the kitchen.



अध्याय—25

I

प्राधिकरण के सूजन के पूर्व नियोजित सिनेमा भूखण्ड अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर व्यवसायिक सुविधाओं से युक्त सिनेमाहाल / मल्टीप्लेक्स बनाए जाने हेतु अपेक्षाएं

- 25.1** प्राधिकरण के सूजन के पूर्व नियोजित सिनेमा भूखण्ड अथवा विद्यमान छविगृह, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित ले—आउट प्लान का भाग हैं, का भू—उपयोग छविगृह (व्यवसायिक) ही माना जाएगा भले ही महायोजना में उनका भू—उपयोग इससे इतर दर्शाया गया हो।
- 25.2** छविगृह के प्रयोजनार्थ नियोजित भूखण्डों/छविगृह के भू—उपयोग का स्तर महायोजनात्तर्गत निर्धारित न होने की दशा में 'उपनगर केन्द्र (व्यवसायिक) माना जाएगा।
- 25.3** सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ले—आउट प्लान के अन्तर्गत छविगृह हेतु नियोजित भूखण्ड/विद्यमान छविगृह का भू—उपयोग व्यवसायिक होने के कारण भू—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी, अतः भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।
- 25.4** ऐसे भूखण्ड/विद्यमान छविगृह यदि शासनादेश संख्या—4218/9—आ—3—99—42विविध/99, दिनांक 14.12.2000 यथासंशोधित शासनादेश संख्या—1663/9—आ—3—01—42विविध/99, दिनांक 18.04.2001 तथा शासनादेश सं.—1806/9—आ—3—2004—42वि/99, दिनांक 08.06.2004 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों अथवा विद्यमान छविगृह को तोड़कर उसके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित हो, तो इन पर मल्टीप्लेक्स की अनुमति देय होगी।
- 25.5** छविगृह/मल्टीप्लेक्स हेतु भू—आच्छादन एवं एफ.ए.आर. की अनुमन्यता आवंटन/लीज़ की शर्तों के अनुसार होगी। यदि लीज़ में उक्त प्राविधान नहीं है, तो भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2008 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम भू—आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.75 अनुमन्य होगा। आवंटन/लीज़ की शर्तों के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. के ऊपर यथास्थिति नियमानुसार क्रय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- 25.6** छविगृह/मल्टीप्लेक्स के निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार होंगी।
- 25.7** विद्यमान छविगृह को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स/मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1669/11—क.नि.—6—2004—बीस—एम.(36)/99, दिनांक 03.9.2004 एवं अधिसूचना संख्या क.नि.—6—1723/11—2005—बीस—एम(36)/2005, दिनांक 03 अक्टूबर, 2005 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।



अध्याय—26

आवासीय भूखण्डों में बहु—आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

26.1 सामान्य अपेक्षाएं	<p>(i) महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन बहु—आवासीय इकाईयों की अनुमति देय होगी।</p> <p>(ii) शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले—आउट प्लान्स के अन्तर्गत बहु—आवासीय इकाईयों की अनुमति ले—आउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को विन्हाकित किया जाएगा जहाँ बड़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सृदृढ़ीकरण सम्भव है, अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है।</p>																																																	
26.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से कम होगा।																																																	
26.3 पहुँच मार्ग	भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होगा																																																	
26.4 आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल एवं इकाईयों की संख्या	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर होगा तथा आवासीय भूखण्डीय विकास में अधिकतम 20 इकाईयाँ अनुमन्य होंगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर प्रत्येक तल पर एक ही आवासीय इकाई अनुमन्य होगी जबकि 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में 300 वर्ग मीटर के पञ्चात प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त आवासीय इकाई अनुमन्य होगी।																																																	
26.5 भवन की अधिकतम ऊँचाई	भवन की अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट प्लॉर सहित 17.5 मीटर होगी।																																																	
26.6 सैट—बैंक, भू—आच्छादन, एफ.ए.आर.	<p>(I) भवनों में सैट—बैंक निम्नवत होंगे:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)</th> <th colspan="4">सैट—बैंक (मीटर)</th> </tr> <tr> <th>अग्र भाग</th> <th>पृष्ठ भाग</th> <th>पाश्व—1</th> <th>पाश्व—2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क) रो— हाउसिंग</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 तक</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(ख) सेमी—डिटेच्ड</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 से अधिक 500 तक</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>3.0</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(ग) डिटेच्ड</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 से अधिक 1000 तक</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>3.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>1000 से अधिक 1500 तक</td> <td>9.0</td> <td>6.0</td> <td>4.5</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>1500 से अधिक 2000 से कम</td> <td>9.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table>	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सैट—बैंक (मीटर)				अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पाश्व—1	पाश्व—2	(क) रो— हाउसिंग					300 तक	3.0	3.0	—	—	(ख) सेमी—डिटेच्ड					300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	—	(ग) डिटेच्ड					500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5	1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0	1500 से अधिक 2000 से कम	9.0	6.0	6.0	6.0
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सैट—बैंक (मीटर)																																																	
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पाश्व—1	पाश्व—2																																														
(क) रो— हाउसिंग																																																		
300 तक	3.0	3.0	—	—																																														
(ख) सेमी—डिटेच्ड																																																		
300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	—																																														
(ग) डिटेच्ड																																																		
500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5																																														
1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0																																														
1500 से अधिक 2000 से कम	9.0	6.0	6.0	6.0																																														

टिप्पणी—

पृष्ठ सेट—बैंक के 40 प्रतिशत भाग पर अधिकतम 7.0 मीटर की ऊँचाई तक कुल आच्छादन के अन्तर्गत निर्माण अनुमन्य होगा। परन्तु कोने के भूखण्ड में उक्त आच्छादन पाश्व सेट बैंक छोड़ने के उपरान्त ही अनुपन्य होगा। केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट प्लॉर सभी प्रकार के भवनों में अनुमन्य होगा, परन्तु डिटेच्ड भवनों में पीछे के सेट—बैंक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।



(II) भवनों में भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. निम्नवत होंगे:-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.
300 तक	65	1.75
300 से अधिक 500 तक	50	1.50
500 से अधिक 2000 से कम	45	1.25

26.7 पार्किंग व्यवस्था

(i)

आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार निम्नवत पार्किंग का प्राविधान करना होगा:-

आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल	प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु समान कार स्थल की संख्या
100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	01
100 से अधिक—150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	1.25
150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल	1.50

(ii)

'समान कार स्थल' के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होंगे:-

(क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर

(ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर

(ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर

(iii)

पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनिवार्य होगा। स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा। इसमें जीना/लिफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा।

(i)

उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु-आवासीय इकाईयां अनुमन्य किये जाने से पूर्व आवेदक से उ.प्र. नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्राविधानानुसार विकास शुल्क जमा कराया जाएगा।

(ii)

नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(iii)

सम्बन्धित कालोनी/क्षेत्र (अनुमोदित ले-आउट प्लान से आच्छादित क्षेत्र) की डेन्सिटी महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में निर्धारित अधिकतम डेन्सिटी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अन्यथा डेन्सिटी में संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त ही इकाईयों का निर्माण अनुमन्य किया जाएगा।

(iv)

भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v)

भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के रेगुलेटेड एरिया, एयरपोर्ट फनल जौन तथा अन्य स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), आदि से नियन्त्रित होगी।

(vi)

भवनों का नियोजन, अभिकल्पन एवं निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 'फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी' की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(vii)

भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार होंगी।

(viii)

चार से अधिक आवासीय इकाईयों की स्थिति में उ.प्र. अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुकरण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 एवं तदधीन बनाए गए रॉल्स एवं बाई लाज प्रभावी होंगे।



अध्याय-27

PROVISION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE

1.0 Electric Vehicle Charging Infrastructure (EVCI):

Based on the occupancy pattern and the total parking provisions in the premises of the various building types, charging infrastructures shall be provided only for EVs, which is currently assumed to be 20% of all 'vehicle holding capacity/parking capacity' at the premise.

Additionally, the building premise will have to have an additional power load, equivalent to the power required for all charging points (in a PCS) to be operated simultaneously, with a safety factor of 1.25 (refer Explanatory Note- Annexure E-1)

1.1 Residential Buildings (plotted house)

Table1: Charging Infrastructure requirements for individual house/self-use

Building Type	Plotted House
Ownership of Station	Private(Owner)
Connection and Metering	Domestic meter
Type of Charger	Slow charger as per owner's specific requirements
Modes of Charger	AC(Singlecharginggun)
Norms of Provisions	Min. 1 SC and additional provisions as per the owner individual

Note:

The charging infrastructure installed by a home owner shall be construed as a Private CI meant for self-use (non-commercial basis) as per the note at clause no 4 of the explanatory note at Annexure E-1.

1.2 All other buildings (including Group Housing)

Any PCS installed at. Public/Private areas or building premises of any category that caters to commercial mode of charging of EVs shall be deemed as a Public Charging Station and shall have to install the minimum requirements of chargers as specified in the Guidelines dated 14.12.2018 of Ministry of Power (refer Annexure E-2 for MoP Guidelines). However, in order to provide sufficient charging points for the EV share in all vehicles (refer clause 3 of the Explanatory Note-AnnexureE-1), ratio of types of chargers is recommended in the table below-

Table2: Charging Infrastructure requirements for PCS (commercial use)

Building Type	Any building type			
Ownership of Station	Service provider			
Connection and Metering	Commercial Metering and Payment			
Type of Charger	as per min requirements specified in MoP Guidelines (refer Annexure E-2)			
Additional Chargers	PCS service providers shall install additional number of kiosk/chargers beyond the minimum specified requirements to meet the ratio of charging points as prescribed below (by the type of vehicles)			
Norms of Provisions for charging points	4Ws 1 SC-each 3 EVs" 1 FC-each 10 EVs	3Ws 1 SC-each 2 EVs	2Ws 1 SC- each 2 EVs	PV (Buses) 1FC-each 10 EVS



Note:

- Charging bays shall be planned currently at 20% capacity of all vehicles including 2Ws and PVs(cars)
- Open metering and on-spot payment options to be available for all users.
- Provision of FCB CS and BS shall not be mandatory, and will be at the discretion of the service provider.

Abbreviations used:

2Ws	- Two wheelers
3Ws	- Three wheelers
4Ws	- Four wheelers/PV(cars)
PVs	- Passenger Vehicles
EV	- Electric Vehicle
SC	- Slow Charger/Slow Charging (AC)
FC	- Fast Charger/Fast Charging (DC and a few AC ones)
PCS	- Public Charging Stations
FCB CS	- Fluid Cooled Battery Charging Station
BS	- Battery Swap

Space Norms for Electric Vehicle Charging Infrastructure

Sl. No.	Category	Population served per unit	Land area requirement		Other controls
			Type of Facility	Area required	
A.	Public Charging Stations	Every 25 Kms. both sides along the highways/ roads	PCS with charger ratio (minimum requirements of PCS as pwr Mop) 1 FC for every 10 Evs 1 SC for every 3 Evs	Additional area as per total parking capacity at the Restaurants/ Eateries	Equipped with CCE and LCC, required for fast charging.
B.	Fast Charging facility/FCB CS (for long Distance & Heavy Duty EVs)	Every 100 Kms. both sides along the highways/ roads	At least 2 charges 1 CCC type 1 CHAdeMO type (min. 100KW each)	Min 15mx7m	May be coupled with the PCS at item A above with CCE and LCC.
C.	Battery Swapping Station	Optional provisions as per MoP Guidelines	Standalone Provided along with FBC charging Stations	Min 5.5mx2.75m	May be coupled with PCS at item A or FCB CS at item B above.

(Source: Urban, & Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines (URDPFI-2014))



Annexure E-1
Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure

Abbreviations :

UNFCCC	- United Nations Framework Convention on Climate Change
IPCC	- Intergovernmental Panel on Climate Change
GHG	- Green House Gases
2Ws	- Two wheelers
3Ws	- Three wheelers
4Ws	- Four wheelers/PV(cars)
PVs	- Passenger Vehicles
CVs	- Commercial Vehicles
EV	- Electric Vehicle
EVSE	- Electric Vehicle Supply Equipment
SC	- Slow Charger/Slow Charging (AC)
FC	- Fast Charger/Fast Charging (DC and a few AC ones)
BS	- Battery Swap
PCS	- Public Charging Stations
PCI	- Public Charging Infrastructure
Private CI	- Private Charging Infrastructure
NSP	- Network Service Provider (information network)
SP	- Service Provider

Contents:

1. Rationale for EVCI establishment
2. EV Charging Technology
3. Options for EV Charging
4. Charger Specifications and PCS Infrastructure
5. Location of PCS/FCB CS in local area/Building Precincts



1. Rationale for EVCI establishment

Rapid urbanization coupled with adoption of mechanized transportation modes has resulted in high emissions of Green House Gases that goes on to impact Global warming. Unless, the global surface temperature rise is restricted to no more than 2°C compared with pre-industrial levels, the IPCC has warned that the world will see irreversible catastrophic climate change.

India being a signatory to the UNFCCC, has pledged for efforts to assess the Greenhouse Gas Emissions (GHG) of anthropogenic origin and removal by sinks. India's per capita emissions are still considered low at 1.9 tonnes (2013), but its total emissions are next only to China and the US and is likely to overtake those of the EU by 2019.

While comparing the Indian cities for their emission scores, Delhi is on top as the biggest emitter at over 38.38 million tonnes of carbon dioxide equivalent overall emissions, followed by Greater Mumbai at 22.7 million tonnes and Chennai at 22.1 million tonnes, Kolkata at 14.8 million tonnes, Bangalore at 19.8 million tonnes, Hyderabad at 13.7 million tonnes and Ahmedabad at 9 million tonnes were the other cities whose emissions for the year were calculated sector wise.

As per the statistics of Transport Department (GNCTD), total number of vehicles in Delhi is more than the combined total vehicles in Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi has 85 private cars per 1000 population against the national average of 8 cars per 1000 population. In terms of CO₂ emissions due to motor vehicles, Delhi emits about 12.4 million tonnes while the city of Bengaluru emits about 8.6 million tonnes.

Therefore, addressing the quantum of emissions from the "Transport" and "Domestic" sector emerges to be the high priority subjects under the overarching umbrella of "Climate change mitigation" as committed to the UNFCC.

Encouraging "Electric Vehicles" as a viable option for phased transportation in terms of short and long distance trips with appropriate "Charging Infrastructure" is therefore, the precondition for this paradigm shift I phased migration to sustainable transportation.

For this changes are required in Infrastructure provisions (at Regional and City levels) and in Development Control Regulations (in terms of provisions therein) to include the formulations of norms and standards for "Charging Infrastructure" in the said Master Plan Regulations and State Bye-Laws for adoption across the country suiting local conditions

2. EV Charging Technology.

2.1 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE):

An EVSE is a wall mounted box that supplies electric energy for recharging of electric vehicle batteries. Also EVSEs have a safety lock-out feature that does not allow current to flow from the device until the plug is physically inserted into the car.

EVSEs can be customized with added features like:

- Authentication
- Integrated payment gateways
- Software for remote monitoring.

As electric vehicle charging technology continues to advance, several standards and guidelines have become widely accepted across the industry. This section gives a brief overview of charging infrastructure technology, standards, and terminology.



2.2 Different types of EVSE:

Charging speeds:

Charging power, which determines the time required to charge a vehicle, can vary by orders of magnitude across charge points, as shown in Table 1. A small household outlet may charge as slowly as 1.2 KW, while the most advanced rapid charging stations can charge at up to 350 KW. Charging infrastructure is broadly broken into three categories based on speed: Level 1, Level 2, and direct current (DC) fast charging (sometimes referred to as Level 3).

(Source: -*Emerging Best Practices for Electric Vehicle Charging Infrastructure*- Oct '2017)

Private Charging:

Charging batteries of privately owned cars through domestic charging points. Billing is mostly part of home/domestic metering.

AC "Slow" Charging:

The home private chargers are generally used with 230V/15A single phase plug which can deliver a maximum of up to about 2.5 KW of power. The EVSE supplies AC current to the vehicle's onboard charger which in turn converts the AC power to DC allowing the battery to be charged.

Public Charging

For charging outside the home premises, electric power needs to be billed and payment needs to be collected. The power drawn by these chargers may need to be managed from time to time.

DC "Fast" Charging:

DC current is sent to the electric car's, battery directly via the charge port. Fe chargers (usually 50 KW or more) can supply 100 or more kilometers of range per hour of charging. The fast chargers would generally be used as a top-up, rather than fully charging vehicles. These are important for cab companies and corporate users who have a fleet of electric cars.

3. Options for EV Charging

There is an urgent need to offer flexible charging infrastructure for different vehicle segments to drive adoption of EVs. Charging infrastructure is the most crucial enabler in the entire EV value chain. The exploration of different charging models according to the local conditions shall enable faster deployment of electric vehicles in the country.

EV share in all vehicles- It has been broadly projected that by the current rate of adoption of EVs, about 15% of all vehicles in the country would be EVs by the year 2020. Therefore, while assuming percentage composition of all proposed capacities in Public facilities of vehicle holding capacity, the Metropolitan and 'Tier I' cities will be assumed to have a higher percentage share of EVs, say 20% for now. The charging infrastructure prescriptions in all urban development guidelines shall, therefore, be in consonance with the said percentage.

Power Load sanction to premises -While adding these Charging Infrastructures to the proposed set of building types of the Indian cities, enhanced Power Load shall have to be had for each such building type by the Power DISCOMS, commensurate to the total.



additional power requirement of simultaneous operation of all the prescribed charging points in the premise. With further advancement of charging technologies and the enhanced capacity of chargers to draw more power, it is advised that the load capacity assigned to each premise should be kept with a safety factor of 1.25 with a long-term vision of 30 years.

Table I'.EVs charging "modes" and 'availability'

Vehicle type	Slow Charging	Fast Charging.	Public CI
2 Wheelers	Y	N	Yes/Limited
3 Wheelers	Y	N	Yes/Limited
PVs (Cars)	Y	Y	Yes
PVs (Buses)	N	Y	Yes

Table 2 & Charging options for EV types (by ownership)

Vehicle Type	Private CI	Public CS	Predominant place of charging
2 Wheelers	SC/BS	SC	Point of residence / Work
3 Wheelers	SC/BS	SC/BS	Residence/Parking stations
PVs (Cars)	SC/BS	FC	Residence/Point of work / other public places
PVs (Buses)	-	FC/BS	Bus Terminals/Depots

Note:

- The option of Battery Swapping (BS) for privately owned 2Ws and PV(Cars) is limited to Private CI.
- For 3 Ws the BS is proposed to be made available in PCS- for faster recharge experience only
- For PV (Buses). Captive Fast charging infrastructure for 100% internal use for fleets may be adopted by privately owned Depots/Garages.

Based on the above stated EV charging technologies available and the current trend of evolving technologies of faster charging experience, the Ministry of Power, has issued **Guidelines and Standards for setting up Charging Infrastructure for Electric Vehicles [Ministry of Power (MoP) Guidelines dated 14-12-2018** for charging infrastructure to be installed at every Public Charging Station (PCS)'Connectivity regulations and Safety norms' shall be defined by respective authorities such as Central Electric Authority/MoP for grid access to such PCS/ any other charging station/infrastructure.

4. Charger Specifications and PCS Infrastructure

Any installed PCS shall have one or more electric kiosk/boards with installation of all charger models as prescribed in the **Guidelines and Standards** notified by **Ministry of Power dated 14 December 2018 for "Charging Infrastructure for EVs"** (at Annexure E-2), with other necessary arrangements as deemed necessary.

Public Charging Station service providers shall be free to create charging hubs and to install additional number of kiosk/chargers in addition to the minimum chargers prescribed vide the MoP Guidelines, including options for installation of additional chargers, if required.

Note:

- Minimum infrastructure requirements do not apply to Private Charging Points meant for self use of individual EV owners (non & commercial basis)
- Captive charging infrastructure for 100% internal use for a company's own fleet will not be required to install all type of chargers and to have NSP tie ups.



5. Location of PCS / FCB CS in local area / building precincts

In accordance with the Guidelines issued by the Ministry of Power (MoP), following minimum standards with regard to density of / distance between PCS in local level facilities in building premise / urban precincts shall be followed:

(i) At the Local levels (within the urban area):

- At least 1 Public Charging Station is to be available within a grid of 3Km x 3Km.

(ii) At the Building premise levels (for various building types)

- Private charging infrastructure (non-commercial use) for individuals.
- For all commercial modes of charging EVs, at least 1 PCS, as per minimum specifications laid under MoP guidelines.
- Standalone Battery Swapping Stations may be added with the PCs.





No.12/2/2018-EN
 Government of India
 Ministry of Power
 Shram Shakil Bhawan, Rafi Marg.

New Delhi, the 14th December, 2018

To,

1. The Secretaries of all the Ministries/Departments of Government of India.
2. The Chief Secretaries of the States/UTs.

Sub: Charging Infrastructure for Electric Vehicles - Guidelines and Standards-reg.

Sir/Madam,

:

Government of India have undertaken multiple initiatives to promote manufacturing and adoption of electric vehicles in India. With support of the Government, electric vehicles have started penetrating in the Indian market. However, availability of adequate Charging Infrastructure is one of the key requirements for accelerated adoption of electric vehicles in India. It is proposed to encourage this by laying down an enabling framework.

Objectives

- To enable faster adoption of electric vehicles in India by ensuring safe, reliable, accessible and affordable Charging Infrastructure and eco-systems
- To promote affordable tariff chargeable from EV owners and Charging Station Operators/Owners
- To generate employment/income opportunities for small entrepreneurs
- To proactively support creation of EV Charging Infrastructure in the initial phase and eventually create market for EV Charging business
- To encourage preparedness of Electrical Distribution System in adopt EV Charging Infrastructure.

In light of the above, it has been decided as follows:

1. Private charging at residences; offices shall be permitted. DISCOMMs may facilitate the same
2. Setting up of Public Charging Stations (PCS) shall be a licensed activity and any individual/entity is free to set up public charging stations, provided that such stations meet the technical as well as performance standards and protocols laid down below as well as any further norms/standards specifications laid down by Ministry of Power and Central Electricity Authority from time to time.



- 2.1 Any person seeking to set up a Public Charging Station may apply for connectivity and he shall be provided connectivity on priority by the Distribution Company licensee to supply power in the area.
- 2.2 Any Charging Station Chain of Charging Stations may also obtain electricity from any generation company through open access.

3. Public Charging Infrastructure (PCI)- Minimum Requirements:

- 3.1 Every Public Charging Station (PCS) shall have the following minimum infrastructure:
- An exclusive transformer with all related substation equipment including safety appliance.
 - 33/11 KV line/cables with associated equipment including as needed for line termination/metering; etc.
 - Appropriate civil works.
 - Adequate space for Charging and entry/exit of vehicles.
 - Current international standards that are prevalent and used by most vehicle manufacturers internationally are CCS and CHaDeMO. Hence, Public Charging Stations shall have, the or more electric kiosk/boards with installation of all the charger models as follows:

Charger Type	Charger Connectors	Rated Voltage (V)	No. of Charging Points/No. of Connector gunns (CG)
Fast	CCS (min 50kW)	200-1000	1/1 CG
	CHaDe MO (min 50kW)	200-1000	1/1 CG
	Type-2 AC (min 22kW)	380-180	1/1 CG
Slow/Moderate	Bharai DC-001 (15kW)	72-200	1/1 CG
	Bharai AC-001 (10kW)	230	3/3 CG of 3.3 kW each
In addition, any other fast/slow/moderate charger as per approved: BIS standards whenever notified.			

- vi. The kiosk/board may have options for installation of additional chargers if required.
 - vii. The Public Charging Station Providers are free to create Charging Hubs-ind to install additional number of Kiosk/Chargers in addition to the minimum number of chargers prescribed above.
 - viii. Tie up with at least one online Network Service Providers (NSPs) to enable advance remote/online booking of charging slots by EV owners. Such online information to EV owners should also include information regarding location, types and numbers of chargers installed available etc.
 - ix. Share charging station data with appropriate DISCOM and to maintain appropriate protocols as prescribed by such DISCOM for this purpose. CEA shall have access to this database.
 - x. Appropriate public amenities.
 - xi. Where, in addition to the above, fast charging facility is also planned to be provided at the PCS by the PCI provider, the following additional infrastructure must be provided:
 - Appropriate Liquid Cooled cables it High Speed Charging Facility for onboard charging of fluid Cooled Batteries (FCBs) is also planned.
 - Appropriate Climate Control Equipment for Fast Charging of Batteries to be used for swapping (i.e. not onboard)
- 3.2 Every Public Charging Station (PCS) shall be operational only after inspection and clearance as communicated by a suitable clearance certificate, by the concerned electrical inspectors technical personnel



- designated specifically by the respective DISCOM for this purpose. DISCOMs may also empanel one or more third party authorized technical agencies for this purpose.
- 3.3 Electric Vehicle Service Equipment (EVSE) shall be type tested by an appropriate reputed authority.
- 3.4 The above minimum infrastructure requirements do not apply to Private Charging Points meant for self-use of individual EV owners (non-commercial basis),
- 3.5 Captive charging infrastructure for 100% internal use for a company's own/leased fleet for its own use will not be required to install all type of chargers and to have NSP tie ups.
- 3.6 Public Charging Station can also have the option to add Standalone battery swapping facilities in addition to the above mandatory facilities, provided space other conditions permit,

4. Public charging Infrastructure (PCI) for long distance EV's and/or heavy duty EVs:

- 4.1 Public charging stations for long distance EVs and/or heavy duty EVs (like trucks, busses etc.) shall have the following minimum requirements:
- i. At least two chargers of minimum 100 kW (with 200-1000 V1 each of different specification (CCS & Chademo), and with single connector gun each in addition to the minimum charging infrastructure requirements as mandated -for Public Charging Stations in plinu 3.
 - ii. Appropriate Liquid Cooled Cables for high speed charging facility for onboard charging of Fluid Cooled Batteries (currently available in some long range EVs).
 - iii. In addition to 4.1 (i) and (ii) above, the Fast Charging Stations (FCS) for Long Distance EVs and/or Heavy Duty EVs may also have the option of swapping facilities for batteries for meeting the charging requirements as per para 3 and para 4.1(I)& (ii) above. It is notable that Fluid Cooled Batteries (FCBs) are generally necessary for Fast Charging/Long Distance use of EVs and/or for Heavy Duty Vehicles like buses trucks etc. FCBs will have higher charging rate and longer life.
- 4.2 Such Fast Charging Stations (FCS) which are meant only for 100% in house/captive utilisation, for example buses of a company, would be free to decide the charging specifications as per requirement for its in-house company EVs.

5. Location of Public Charging Stations:

- 5.1 In case of Public Charging Stations, the following minimum requirements are laid down with regard to density/distance between two charging points:
- i. At least one Charging Station should be available in a grid of 3 Km X 3 Km. Further, one Charging Station ve set up at every 25 Km on both sides of highways/roads.
 - ii. For long range EVs (like long range SUVs) and heavy duty EVs like buses/trucks etc. there should be at least one Fast Charging Station with Charging Infrastructure Specifications as per para4. I at every 100 Kms, one on each side of the highways/road located preferably within/alongside the stations laid in para3 above. Within cities, such charging facilities for heavy duty EVs shall be located within Transport Nagars, bus depots, Moreover, swapping facilities are also not mandatory within cities for Buses trucks.
- 5.2 Additional public charging stations shall be set up in any area only after meeting the above requirements.
- 5.3 The above density/distance requirements shall be used by the concerned state: UT Governments their Agencies for the win purposes of arrangement of land in any manner for public charging stations as well as for priority in installation of distribution network including transformers feeders etc. This shall be done in all cases including where no central-state subsidy is provided.
- 5.4 The appropriate Governments (Central 'State'1 UTs) may also give priority to existing retail satiets Rosy of ton siatecting Companies (OMC's) or installation of Public EV Charying Statious fin compliance with safety norms including firewalls' etc. to meet the requirements as laid above, Further, within such ROs. Company Owned and Company Opérated (COCO) ROs. may be given higher preferene.
- 5.5 Any deviation from above norms shall be admissible only after specific approval of State Nodal Agency in consultation with the Central Nodal Agency.

6. Database of Public EV Charging Stations:

Central Electricity Authority (CEA) shall create and maintain a national online database of all the Public Charging Stations through DISCOMs. Appropriate protocols shall be notified by DISCOMs for this purpose which shall be mandatorily complied by the PCS/BCS. This database shall have restricted access as finalised between CEA and Ministry of Power.



7. Tariff for supply of electricity to EV Public Charging Stations:

- 7.1 The tariff for supply of electricity to EV Public Charging Station shall be determined by the appropriate commission, provided however that the tariff shall not be more than the average cost of supply plus 15 (fifteen) percent.
- 7.2 The tariff applicable for domestic consumption shall be applicable for domestic charging.

8. Service charges at PCS/BCS:

- 8.1 Charging of EVs is a service as already clarified by Ministry of Power vide letter No. 23/08/2018-R&R dated 13.04.2018.
- 8.2 The State Nodal Agency shall fix the ceiling of the Service Charges to be charged by the Public Charging Stations.

9. Priority for Rollout of EV Public Charging Infrastructure:

After extensive consultation with State Governments and different Department/Agencies of Central Government phasing as follows are laid down as national priority for rollout of EV Public Charging Infrastructure:

9.1 Phase 1(1-3 Years):

All Mega Cities with population of 4 million plus as per census 2011- all existing expressways connected to these Mega Cities & important Highways connected with each of these Mega Cities shall be taken up for coverage- A list of these Mega Cities and existing connected expressways is attached at Annexure 1.

9.2 Phase 11 (3-5 Years):

Big cities like State Capitals] UT headquarters shall be covered for distributed and demonstrative effect- Further important Highways connected with each of these Mega Cities shall be taken up for coverage.

- 9.3 The above priorities for phasing of tollout shall be kept in mind by all concerned- including- different agencies of Central State Governments while framing of further policies guidelines for Public Charging infrastructure of EVs including for declaring further incentives subsidies for such infrastructure and for such other purpose

10. Implementation Mechanism for Rollout:

- 10.1 Ministry of Power shall designate a Central Nodal Agency for the tollout- All relevant agencies including Central electricity Authority (CEA) shall provide necessary support to this nodal agency-

- 10.2 Every State Government shall nominate a Nodal Agency for that State for setting up charging infrastructure- The State DISCOM shall generally be the Nodal Agency for such purposes- However- State Ciaverumem shall be free to select a Cemral: State Public Sector Undertaking (PSU) including Urban Local Bodies (111 Bs)- Urban/Area Development Authorities etc- as its Nodal Agency-

11. Selection of Implementation Agency for Rollout:

- 11.1 The Central Nodal Agency shall finalize the cities and expressways/highways to be finally taken up from the above phasing- in consultation with the respective State Governments-

- 11.2 An Implementation Agency shall be selected by the respective State Nodal Agency and shall be entrusted with responsibility of installation] operation and maintenance of PCS FCS/BCS/BSF for designated period as per parameters laid down in this document and as entrusted by the concerned Nodal Agency- The Implementation Agency can be an Aggregator as mutually decided between Central and State Nodal Agencies- However they can also decide to choose different PCS/FCS providers for bundled packages or for individual locations as mutually decided&Further- whenever bundled packages are carved for bidding such packages shall necessarily include atleast one identified expressway/highway or part thereof to prepare a

cohesive regional package: the selected identified cities may be divided into one or more parts as necessary for such purposes.

- 11.3 Where Implementing Agency is selected by bidding, all hidden shall be conducted by the State Nodal Agency.

- 11.4 There shall be an upper cap on the Service Charges declared by the State Nodal Agency as per para 8.2 above. Subsidy, if admissible from Central State government, shall be suitably factored in such calculations of Upper Cup Bid Variable.



This issues with the approval of Hon'ble Minister of State (IC) for Power and New & Renewable Energy.

(Anoop Singh
Bisht)
Under Secretary to the Govt. of India
India

Tel:23766236 Email:anoopsingh.bisht@nic.in

Copy to:

1. Prime Ministers Office-Cabinet: Secretariat.
2. CEO, NITI Aayog
3. The Secretaries of the CFRC State Commissions JMRC's

(Anoop Singh
Bishi)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel:23766236
Email:anoupsingh.bishi@nic.in

Copy for information to:

1. to Mus (IC) for Power and
2. PPS to Secretary (Power)
3. PPS to Adell Secretary (SNS)
4. PPS 10 Joint Secretary (Thermai). Mop
5. PPS to Director (UMPP), Mop

(Anoop Singh Bisht)
(Under Secretary to the Govt. of India
Tel:23766236
Email:anoopsingh.bisht@nic.in



Annexure 11. List of 4 million plus cities (as per census 2011)

1	Mumbai
2	Delhi
3	Bangaluru
4	Hyderabad
5	Ahmedabad
6	Chennai
7	Kolkata
8	Surat
9	Pune

1. List of corridors

1	Mumbai-Pune Expressway
2	Ahmedabad-Vadodara Expressway
3	Delhi-Agra Yamuna Expressway
4	Delhi-Jaipur
5	Bengaluru-Mysore
6	Bengaluru-Chennai
7	Surat-Mumbai Expressway
8	Agra-Lucknow Expressway
9	Eastern Peripheral Expressway
10	Delhi-Agra NH2 Expressway
11	Hyderabad ORR Expressway
12	5 connected highway to each megacity



अध्याय-27

विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना की व्यवस्था

1. विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना (ई.वी.सी.आई.)-

अधिभोग की प्रकृति और विभिन्न प्रकार के भवनों के परिसरों में कुल पार्किंग व्यवस्था के आधार पर केवल विद्युत वाहनों के लिये, जो परिसर में समस्त वाहन रखने की क्षमता / पार्किंग क्षमता का वर्तमान में अनुमानतः 20 प्रतिशत है, चार्जिंग अवसंरचना की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त, 1.25 के सुरक्षा कारक के साथ (व्याख्यात्मक टिप्पणी-संलग्नक ई-1 देखिये) एक साथ प्रचालित करने वाले सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र में सभी चार्जिंग बिन्दुओं (सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना हेतु) के लिये आवश्यक ऊर्जा के समतुल्य एक अतिरिक्त ऊर्जाभार की व्यवस्था भवन परिसर में किया जाना होगा।

1.1 आवासीय भवन (भूखण्डीय भवन)

तालिका-1 अलग-अलग	भवन / स्वयं उपयोग के लिये आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना
भवन का प्रकार	भूखण्डीय आवास
केन्द्र का स्वामित्व	निजी (स्वामी)
संयोजन और मीटर	घरेलू मीटर
चार्जर के प्रकार	भवन स्वामी की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मन्द गति का चार्जर।
चार्जर की रीतियां	ए.सी. (एकल चार्जिंग गन)

व्यवस्था के मानक न्यूनतम-1 एकल चार्जिंग और स्वामी / व्यक्ति के अनुसार अतिरिक्त व्यवस्था।

टिप्पणी: किसी भवन स्वामी द्वारा स्थापित चार्जिंग अवसंरचना को, संलग्नक-ई-1 में स्पष्टीकरण टिप्पणी के प्रस्तर-4 की टिप्पणी के अनुसार स्वयं उपयोग (गैर व्यावसायिक आधार) के लिये निजी चार्जिंग अवसंरचना के रूप में माना जायेगा।

1.2 अन्य समस्त भवन (समूह आवास सहित)

सार्वजनिक / निजी क्षेत्रों अथवा किसी भी प्रकार के भवनों के परिसरों में स्थापित किसी सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र को, जो विद्युत वाहनों की चार्जिंग के व्यावसायिक रूप से पूरा करते हों, सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र के रूप में माना जायेगा और यहां पर ऊर्जा मंत्रलय के दिनांक 14-12-2018 के दिशा निर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट चार्जरों की न्यूनतम आवश्यकता को स्थापित करना होगा (ऊर्जा मंत्रलय के दिशा निर्देश के लिये संलग्नक- ई-2 देखिये)। तथापि सभी वाहनों में विद्युत वाहनों के लिये पर्याप्त चार्जिंग बिन्दुओं की व्यवस्था के उद्देश्य से (संलग्नक-ई-1 की स्पष्टीकरण टिप्पणी का खण्ड-3 देखिये) चार्जरों के प्रकार के अनुपात की संस्तुति निम्नांकित तालिका में की गई है:-

तालिका-2 सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र (व्यावसायिक उपयोग) के लिए आवश्यक चार्जिंग

अवसंरचना

भवन का प्रकार	किसी भी प्रकार के भवन
केन्द्र का स्वामित्व	सेवा प्रदाता
संयोजन और मीटर	व्यावसायिक मीटर और भुगतान
चार्जर का प्रकार	ऊर्जा मंत्रलय के दिशा निर्देश में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार/संलग्नक- ई-2देखिये)
अतिरिक्त चार्जर	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों के सेवा प्रदाता (वाहनों के प्रकार के अनुसार) को



	निम्नलिखित तालिकानुसार विहित चार्जिंग बिन्दुओं के अनुपात को पूरा करने के लिये न्यूनतम विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं से अधिक कियास्क /चार्जर अतिरिक्त संख्या में स्थापित करेंगे।			
चार्जिंग बिन्दुओं की व्यवस्था के लिये मानक	चार पहिया वाहन	तीन पहिया वाहन	दुपहिया वाहन	सवारी वाहन (बसें)
	प्रत्येक तीन विद्युत वाहन पर- एक मंदगति चार्जर	प्रत्येक दो विद्युत वाहन पर एक मंदगति चार्जर	प्रत्येक दो विद्युत वाहन पर एक-मंदगति चार्जर	प्रत्येक 10 विद्युत वाहन पर एक द्रुतगति चार्जर
	प्रत्येक दो विद्युत वाहन पर - एक द्रुत गति चार्जर			

टिप्पणी-

- चार्जिंग प्लेटफार्म को दोपहिया और यात्री वाहन (कारों) सहित सभी वाहनों की 20 प्रतिशत क्षमता पर वर्तमान में सुनियोजित किया जायेगा।
- सभी उपयोगकर्ताओं के लिये ओपेन मीटरिंग और त्वरित भुगतान का विकल्प उपलब्ध होगा।
- फ्लूयड कूल्ड बैटरी चार्जिंग केन्द्र और बैटरी की अदला-बदली की व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी और यह सेवा प्रदाता के विवेक पर होगी।

उपयोग में आये संक्षिप्त नाम-

2Ws-	दो पहिया
3Ws-	तीन पहिया
4Ws-	चार पहिया/यात्री वाहन (कारें)
पी.टी.-	यात्री वाहन
ई.वी.-	विद्युत वाहन
एस.सी.-	मंदगति चार्जर / मंद गति चार्जिंग (एसी)
एफ.सी.-	द्रुतगति चार्जर / द्रुतगति चार्जिंग (डीसी और कतिपय एसी भी)
पी.सी.एस.-	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र
एफ.सी.बी.सी.एस.-	फ्लूयड कूल्ड बैटरी चार्जिंग केन्द्र
बी.एस.-	बैटरी की अदला-बदली (विनिमय)

विद्युत वाहन चार्जिंग अवसरंचना के लिये स्थान का मानक

क्रम सं०	श्रेणी	प्रति इकाई सेवा प्राप्त जनसंख्या	आवश्यक भूखण्ड का क्षेत्रफल		अन्य सहायक नियंत्रक
			सुविधा का प्रकार	आवश्यक क्षेत्र	
क.	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र	राजमार्गों / मार्गों के किनारे दोनों ओर प्रत्येक 25 किलो मीटर पर।	चार्जर अनुपात सहित सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र (ऊर्जा मंत्रलय के अनुसार सार्वजनिक, चार्जिंग केन्द्रों की न्यूनतम आवश्यकता) प्रत्येक 10 विद्युत वाहन के लिये 1 द्रुतगति चार्जर प्रत्येक 3 विद्युत वाहन के लिये 1 मंदगति चार्जर।	रेस्तरां / भोजनालय में कुल पार्किंग क्षमता के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र।	सी.सी.ई. और एल.सी.सी. से सज्जित द्रुतगति की चार्जिंग के लिये यथा आवश्यकता।



ख.	द्रुतगति चार्जिंग सुविधा / फ्लूयड कूल्ड बैटरी चार्जिंग केन्द्र (लम्बी दूरी और हैवी ड्यूटी विद्युत वाहन के लिये)।	राजमार्गों / मार्गों के किनारे-किनारे दोनों ओर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर।	न्यूनतम 2 चार्जर एक सी. सी. प्रकार का और एक सी.एच.एडी.ई.एम.ओ. प्रकार का (प्रत्येक न्यूनतम 100 किलोवाट का)	न्यूनतम 15 मीटर X 7 मीटर	सी.सी.ई. और एल.सी.सी. के साथ उपरोक्त मद क पर सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र के साथ-साथ जोड़ा जा सकता है।
ग.	बैटरी अदला-बदली	ऊर्जा मंत्रलय के दिशानिर्देश के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था	पृथक से फ्लूयड कूल्ड बैटरी चार्जिंग केन्द्र के साथ-साथ प्रदान किया जायेगा।	न्यूनतम 5.5 मीटर गुणा 2.75. मीटर	मद क पर सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र के साथ-साथ जोड़ा जा सकता है अथवा पलूयड कूल्ड बैटरी चार्जिंग केन्द्र उपरोक्त मद ख के साथ जोड़ा जा सकता है।

(स्रोत- अर्बन और रीजनल डेवलपमेन्ट प्लान फार्मूलेशन और इम्लीमेन्टेशन गाइडलाइन्स (यू.आर.डी.पी.एफ.आई.-2014).

संलग्नक-ई-1.

विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

सर्वेक्षित नाम-

यू.एन.एफ.सी.सी.-	यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज
आई.पी.सी.सी.-	जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल
जी.एच.जी-	ग्रीन हाउस गैसेस
2Ws-	दो पहिया वाहन
3Ws-	तीन पहिया वाहन
4Ws-	चारपहिया वाहन / यात्री वाहन (कारें)
पी.वी.-	सवारी वाहन
सी.वी.-	व्यावसायिक वाहन
ई.वी.-	विद्युत वाहन
ई.वी.एस.ई.-	विद्युत वाहन आपूर्ति उपस्कर
एस.सी.-	मन्दगति चार्जर / मन्दगति चार्जिंग (ए.सी.)
एफ.सी.-	द्रुतगति चार्जर / द्रुतगति चार्जिंग (डी.सी. और कतिपय ए.सी.)
बी.एस.-	बैटरी की अंदला-बदली (विनिमय)
पी.सी.एस.-	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र



पी. सी. आई.-	निजी चार्जिंग अवसंरचना
प्राइवेट सी.आई.-	निजी चार्जिंग अवसंरचना
एन.एस.पी.-	नेटवर्क सेवा प्रदाता (सूचना संबंधी नेटवर्क)
एस.पी.-	सेवा प्रदाता

विषयवस्तु-

1. विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिये युक्तियुक्त कारण
2. विद्युत वाहन चार्जिंग तकनीकी
3. विद्युत वाहन चार्जिंग के विकल्प
4. चार्जर विनिर्देश और सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र अवसंरचना
5. स्थानीय क्षेत्र/भवन परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र / फ्लूयड कूल्ड बैटरी चार्जिंग केन्द्र की अवस्थिति

1. विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिये युक्ति युक्त करण

तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के साथ-साथ मशीनी परिवहन के तरीकों को अपनाने के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उच्च उत्सर्जन हो रहा है जिसका प्रभाव वैश्विक ऊष्मीकरण पर हो रहा है। जब तक औद्योगीकरण पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक धरातल तापमान में वृद्धि को 2 प्रतिशत से कम पर नियंत्रित किया जाता है तब तक जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) ने चेतावनी दी है कि विश्व को अप्रत्यावर्ती विपक्षिपूर्ण जलवायु परिवर्तन का सामना करना होगा।

यू.एन.एफ.सी. का हस्ताक्षर कर्ता होने के नाते भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मानवजनित स्रोतों का आंकलन करने तथा उनके सिंक्स (Sinks) को हटाने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.9 टन सन् (2013) तक है परन्तु यहां पर कुल उत्सर्जन चीन और अमेरिका के बाद ही है और 2019 तक यूरोपीय संघ से अधिक हो जाने की आशंका है।

भारतीय नगरों में उनके उत्सर्जन आंकड़ों की तुलना करने पर दिल्ली कुल उत्सर्जन के समतुल्य कार्बन डाई आक्साइड के 38.38 मिलियन टन से अधिक उत्सर्जन के सर्वोच्च स्तर पर शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद बृहत्तर मुम्बई 22.7 मिलियन टन और चेन्नई साल 22.1 मिलियन टन, कोलकाता 14.8 मिलियन टन, बंगलौर 19.8 मिलियन टन, हैदराबाद 13.7 मिलियन टन और अहमदाबाद 9 मिलियन टन के साथ अन्य नगर आते हैं जिनका उस वर्ष का उत्सर्जन सेक्टर वार आगणित किया गया है। परिवहन विभाग (जी.एन.सी.टी.डी.) के आंकड़ों के अनुसार मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाकर के वाहनों से अधिक वाहनों की कुल संख्या दिल्ली में है। एक जनसंख्या के 1000 प्रति के राष्ट्रीय औसत 8 कारों के सापेक्ष दिल्ली में जनसंख्या के प्रति हजार पर 85 निजी कारें हैं। मोटर वाहनों के कारण कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन के मामले में दिल्ली में लगभग 12.4 मिलियन टन का उत्सर्जन होता है जबकि बंगलौर में 8.6 मिलियन टन का उत्सर्जन होता है।

अतएव परिवहन और घरेलू क्षेत्र से उत्सर्जन के परिमाण पर ध्यान देना पर्यावरण परिवर्तन में कमी के बायुमण्डलीय क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय हो गया है जैसा यू.एन.एफ.सी.सी. के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

छोटी और लम्बी दूरी की यात्राओं के मामले में समुचित चार्जिंग केन्द्रों के साथ चरणबद्ध परिवहन के लिये विकासक्षम: विकल्प के रूप में दीर्घकालिक परिवहन के लिये चरणबद्ध परिवर्तन के उदाहरण: स्वरूप विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करना पहली शर्त है।



स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समूचे देश में अपनाये जाने के लिये उक्त महायोजना विनिप्रभावलियों और राज्य उपविधियों में चार्जिंग अवसंरचना के लिये नियमों को सम्मिलित करने हेतु अवसंरचना उपबंधों (क्षेत्रीय और नगरीय स्तर पर) में और विकास नियंत्रण विनियमों (उनके उपबंधों के संबंध में) परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।

2. ई.वी. चार्जिंग तकनीकी

2.1 विद्युत वाहन आपूर्ति उपस्कर (ई.वी.एस.ई)-

एक ई.वी.एस.ई. मशीन दीवार में लगा हुआ चौखटा रूपी है जो विद्युत वाहन की बैटरियों को चार्ज करने के लिये विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। साथ ही ई.वी.ए.स.ई. मशीन में एक सुरक्षा सन्निरोध विशिष्टता भी है जो विद्युत धारा को तब तक आगे नहीं बढ़ाता है जब तक कि तार के प्लग को कार में हाथ से लगाया नहीं जाता है।

इसी ई.वी.एस.ई. को कतिपय विशिष्टताओं को बढ़ाकर अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे:-

विश्वसनीयता

समेकित भुगतान के तरीके

दूर से अनुश्रवण करने के लिये सॉफ्टवेयर

चूंकि विद्युत वाहन चार्जिंग तकनीकी निरंतर विकसित होती जा रही है, इस पूरे उद्योग में विभिन्न मानक मानदण्ड और दिशा-निर्देश व्यापक रूप से अपनाये जा रहे हैं। इस परिच्छेद में चार्जिंग अवसंरचना तकनीकी, मानदण्डों और पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त विवरण है।

2.2. ई.वी.एस.ई. के विभिन्न प्रकार

चार्जिंग गति:

चार्जिंग ऊर्जा, जो किसी वाहन को चार्ज करने में लगने वाले समय का निर्धारण करती है, सभी चार्जिंग बिन्दुओं पर फैलाव विस्तार /फैलाव के क्रम में भिन्न-भिन्न हो सकती है, जैसा कि तालिका-1 में दिखाया गया है। किसी घरेलू केन्द्र पर 1.2 किलोवाट तक धीमी चार्जिंग हो सकती है, जबकि अत्याधुनिक तीव्र चार्जिंग केन्द्रों पर 350 किलोवाट तक चार्जिंग हो सकती है। चार्जिंग अवसंरचना को व्यापक रूप में तीन श्रेणियों में गति के आंधार पर बांटा गया है: स्तर-1, स्तर 2 और डायरेक्ट करंट (डी.सी.) द्वात चार्जिंग (जिसे कभी-कभी स्तर-3 के रूप में कहा गया है)।

(स्रोत: इमर्जिंग वेस्ट प्रैक्टिसेस फार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फास्ट्रक्चर - अक्टूबर-2017)

निजी चार्जिंग:

घरेलू चार्जिंग बिन्दुओं के माध्यम से निजी स्वामित्व वाली कारों की बैटरियों की चार्जिंग / इस का बिल घरेलू मीटर के बिल का ही अंश होता है।

ए.सी.मन्दगति चार्जिंग:

घरेलू निजी चार्जरों का उपयोग साधारणतया 230 गोल्ट / 15 एम्पीयर एकल फेज प्लग के साथ किया जाता है जो अधिकतम 2.5 किलोवाट की ऊर्जा दे सकते हैं। इवीएसई वाहन के चार्जर को एसी करण्ट की आपूर्ति करता है जो एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है।

सावर्जनिक चार्जिंग:

घरेलू परिसर से बाहर चार्ज करनें के लिये विद्युत ऊर्जा का बिल बनाया जाता है और भुगतान प्राप्त करना होता है। इन चार्जरों के द्वारा खर्च की गयी ऊर्जा को समय समय पर व्यवस्थित करना होता है।



डी.सी. द्रुत चार्जिंग:

डी.सी. करण्ट को चार्जर मशीन के माध्यम से विद्युत कार की बैटरी को सीधे भेजा जाता है। कतिपय चार्जर (साधारणतया 50 किलोवाट या अधिक) 100 या इससे अधिक किलोमीटर की सीमा प्रतिघण्टा चार्जिंग तक आपूर्ति कर सकते हैं। द्रुत चार्जरों का उपयोग सामान्यतया टापअप के रूप में किया जाना होगा न कि वाहन को पूरी तरह चार्ज करने के लिये किया जाय। ये कैब कम्पनियों और संगठित उपयोग कर्ताओं के लिये आवश्यक हैं जिनके पास विद्युत कारों का बेड़ा होता है।

3. ई.वी. चार्जिंग के लिये विकल्प:

विद्युत वाहनों को चलाने को अपनाये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये सुगम चार्जिंग अवसंरचना की व्यवस्था बनाने की तात्कालिक आवश्यकता है। सभी विद्युत वाहन की महत्वपूर्ण कड़ी में चार्जिंग अवसंरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न चार्जिंग रूपों की खोज से देश में विद्युत वाहनों को तीव्रतर अपनाये जाने में सहायता होगी।

सभी वाहनों में ई.वी. की हुई हिस्सेदारी:- मोटे तौर पर यह बताया गया है कि विद्युत वाहनों को अपनाये जाने की वर्तमान दर पर वर्ष 2020 तक देश में कुल वाहनों का लगभग 15 प्रतिशत विद्युत वाहन हो जायेंगे। इस प्रकार वाहन रखने की क्षमता को सार्वजनिक सुविधाओं में समस्त प्रस्तावित क्षमताओं के प्रतिशत हिस्सेदारी का अनुमान लगाते समय, मेट्रोपोलिटन और टीयर-1 के शहरों में अनुमानतः ई.वी. का। प्रतिशत अधिक है अर्थात् इस समय यह 20 प्रतिशत है। अतएव सभी नगरी विकास दिशा निर्देशों में चार्जिंग अवसंरचना निर्धारण उक्त प्रतिशत से सुसंगत हो।

परिसरों में ऊर्जा भार की स्वीकृति-भारतीय नगरों के भवन प्रकारों की प्रस्तावित व्यवस्था के लिये चार्जिंग अवसंरचना को सम्मिलित करते समय ऊर्जा वितरण कम्पनियों द्वारा प्रत्येक ऐसे भवन प्रकार के लिये बढ़ाया गया ऊर्जा भार परिसर में निर्धारित सभी चार्जिंग बिन्दुओं के एक साथ प्रचालन के कुल अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता के समनुपात में होना चाहिये। चार्जिंग तकनीकी के अग्रतर आधुनिकीकरण और इससे अधिक ऊर्जा पाने के लिये चार्जरों की बढ़ी हुयी क्षमता होने के कारण यह परामर्श दिया जाता है कि 30 वर्षों की दीर्घ अवधि को दूर दृष्टि के साथ प्रत्येक परिसर को दी जाने वाली भार क्षमता को 1.25 गुना के सुरक्षा कारक के साथ दिया जाना चाहिये।

तालिका-1-ई.वी. चार्जिंग के “तरीके” और “उपलब्धता”

वाहन प्रकार	मन्दगति चार्जिंग	तीव्रगति चार्जिंग	सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना
दोपहिया वाहन	हाँ	नहीं	हाँ / सीमित
तीन पहिया वाहन	हाँ	नहीं	हाँ / सीमित
सार्वजनिक वाहन (कार)	हाँ	हाँ	हाँ
सार्वजनिक वाहन (बस)	नहीं	हाँ	हाँ

तालिका-2-ई.वी. प्रकार (स्वामित्व द्वारा) के लिये चार्जिंग विकल्प

वाहन प्रकार	निजी चार्जिंग अवसंरचना	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र	चार्जिंग के लिये प्रधान स्थल
दोपहिया वाहन	मन्दगति चार्जर / बैटरी की अंदलां-बदली	मन्दगति चार्जर	आगास/कार्य स्थल का बिन्दु
तीन पहिया वाहन	एस.सी./बी.एस.	एस.सी./बी.एस.	आगास/पार्किंग स्थल
सार्वजनिक वाहन (कार)	एस.सी./बी.एस.	द्रुतगति चार्जर	आगास/कार्यस्थल /अन्य सार्वजनिक स्थल
सार्वजनिक वाहन		एफ. सी./बी. एस.	बस टर्मिनल / डिपो



टिप्पणी:

- निजी स्वामित्व वाली दो पहिया और सार्वजनिक वाहन (कार) के लिये बैटरी की अदला बदली (विनिमय) का विकल्प निजी चार्जिंग अवसंरचना तक ही सीमित होगा।
- तीन पहिया वाहनों के लिये सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों में मात्र तीव्र रीचार्ज अनुभव के लिये बी.एस. उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- सार्वजनिक वाहनों (बसों) के लिये, बेड़ों के लिये 100 प्रतिशत आन्तरिक उपयोग के लिये कैप्टिव द्रुतगति चार्जिंग अवसंरचना को निजी स्वामित्व के डिपो / गैराजों द्वारा अपनाया जा सकेगा।

उपरिवर्णित उपलब्ध ई.वी. चार्जिंग तकनीकी और तीव्र चार्जिंग अनुभव नित नयी चार्जिंग तकनीकी के वर्तमान चलन के आधार पर प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र पर स्थापित होने वाले चार्जिंग अवसंरचना के लिये ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत वाहनों के लिये चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश और मानक, दिनांक 14-12-2018 को निर्गत किया है। संयोजकता विनियमों और सुरक्षा मानदण्डों को संबंधित प्राधिकरणों जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण / ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऐसे पीसीएस किसी अन्य चार्जिंग केन्द्र / अवसंरचना के ग्रिड तक पहुंच के लिये परिभाषित किया जायेगा।

4. चार्जिंग विशिष्टताएं और पीसीएस अवसंरचना:

किसी स्थापित पीसीएस पर विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 14-12-2018 द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देश और मानदण्ड में यथा निर्धारित एक या अधिक विद्युत कियास्क/ बोर्ड होगा जिस पर सभी प्रकार के चार्जर स्थापित होंगे (संलग्नक-ई-2) और साथ में अन्य आवश्यक व्यवस्थायें, जिन्हें आवश्यक समझा जाय, होंगी।

सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र का सेवा प्रदाता चार्जिंग का प्रधान केन्द्र सृजित करने और ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश द्वारा निर्धारित न्यूनतम चार्जरों के साथ ही अतिरिक्त संख्या में कियास्क / चार्जर स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त चार्जर स्थापित करने का विकल्प भी होगा।

टिप्पणी:

1. व्यक्तिगत विद्युत वाहन स्वामियों के स्वयं के उपयोग के लिये आशयित निजी चार्जर बिन्दुओं पर (गैर व्यवसायिक आधार पर) न्यूनतम अंवसरंचना आवश्यकताएं लागू नहीं होती है।
2. कम्पनी के अपने बेड़े के लिये 100 प्रतिशत आन्तरिक उपयोग हेतु बनायी गयी कैप्टिव चार्जिंग अवसंरचनाओं के लिये सभी प्रकार के चार्जर स्थापित करने और नेटवर्क सेवा प्रदाता के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. पी.सी.एस./ एफ.सी.बी. सी.एस. स्थानीय क्षेत्र में / भवन परिसर की अवस्थिति:-

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार भवन परिसर / नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सुविधाओं में पीसीएस के लिए घनत्व / दूरी के संबंध में निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन किया जायेगा:-

(एक) स्थानीय स्तर पर (नगरीय क्षेत्र के भीतर)

3 किलोमीटर x 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर कम से कम 1 सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र उपलब्ध कराया जाये।

(दो) भवन परिसर स्तर पर (विभिन्न भवन प्रकारों के लिये)

व्यक्तिगत के लिये निजी चार्जिंग केन्द्र (गैर व्यावसायिक उपयोग)।

- विद्युत वाहनों को चार्ज करने के सभी व्यावसायिक तरीकों के लिए ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अधीन निर्धारित न्यूनतम विशिष्टता के अनुसार कम से कम एक सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र।
- पी.सी.एस. के साथ स्वतंत्र रूप से बैटरी अदला-बदली केन्द्र भी जोड़ा जा सकता है।



संख्या - 12/2/2018 ई.वी.

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

1. सचिवगण, समस्त मंत्रलय/ विभाग, भारत सरकार
2. मुख्य सचिव गण, समस्त राज्य / संघ क्षेत्र

विषय: विद्युत वाहन के लिये चार्जिंग अवसंरचना: दिशा-निर्देश और मानक के विषय में- महोदय/महोदया,

भारत में विद्युत वाहनों के निर्माण और अपनाये जाने को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार में अनेक पहल के लिये कदम उठाये हैं। सरकार की सहायता से विद्युत वाहनों में भारतीय बाजार में पैठ बनानी शुरू कर दी है। तथापि भारत में विद्युत वाहनों को अपनाये जाने में तेजी लाने के लिये पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना की उपलब्धता एक प्रमुख आवश्यकता है। एक समर्थकारी रूप रेखा तैयार करके इसको प्रोत्साहित किया प्रस्तावित है।

उद्देश्य

- सुरक्षित, भरोसेमंद, सुगम और आर्थिक पहुँच वाले चार्जिंग अवसंरचना और पर्यावरणीय व्यवस्था सुनिश्चित करके भारत में विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाये जाने के लिए समर्थ बनाना। विद्युत वाहन स्वामियों और चार्जिंग केन्द्रों के संचालकों / स्वामियों से वसूले जाने वाले शुल्क को आर्थिक रूप से सुगम बनाने को बढ़ावा देना ।
- लघु उद्यमियों के लिये रोजगार / आय के अवसर सृजित करना।
- प्रारंभिक चरण में विद्युत वाहनों के चार्जिंग अवसंरचना के सृजन में अग्रसक्रियता के साथ सहायता देना और फलतः ई.वी. चार्जिंग केन्द्रों के लिये बाजार का सृजन करना ।

ई.वी. चार्जिंग अवसंरचना को अपनाये जाने के लिये विद्युत वितरण व्यवस्था की तैयारी को बढ़ावा देना।

उपरोक्त के दृष्टिगत निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:

1. आवासों / कार्यालयों पर निजी चार्जिंग की अनुमति दी जायेगी। वितरण कम्पनियां इसमें सुविधा दे सकेंगी।
2. सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों (पी.सी.एस.) की स्थापना लाइसेन्स मुक्त कार्यकलाप होगा और कोई भी व्यक्ति /इकाई सार्वजनिक चार्जिंग की स्थापना के लिये स्वतंत्र होगा। परंतु शर्त यह है कि ऐसे केन्द्रों को तकनीकी के साथ-साथ निम्नवत निर्धारित निष्पादन मानकों और सुनिश्चित नियमों के साथ-साथ ऊर्जा मंत्रलय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बनाये गये किसी अग्रतर मानदण्डों और मानकों को पूरा करना होगा।
- 2.1 सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र स्थापित करने के लिये इच्छुक कोई भी व्यक्ति संयोजन के लिये आवेदन कर सकता है और उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिये लाइसेन्स प्राप्त वितरण कंपनी प्राथमिकता पर उसको संयोजन प्रदान करेगी ।



2.2 कोई भी चार्जिंग केन्द्र / चार्जिंग केन्द्रों की श्रृंखला भी स्वतंत्र पहुंच के माध्यम से किसी भी उत्पादन कंपनी से विद्युत प्राप्त कर सकती है।

3. सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (पी.सी.आई.) न्यूनतम अपेक्षायें:

3.1 प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र (पी.सी.आई.) के पास निम्नवत न्यूनतम अपेक्षायें होनी चाहिये:

(एक) सुरक्षा उपकरणों सहित सभी उपकेन्द्र संबंधित उपस्करणों के साथ एक स्वतंत्र ट्रांसफारमर।

(दो) लाइन समाप्ति / मीटर आदि के लिये यथा आवश्यक सहित सहयुक्त उपस्करणों के साथ 33/11 किलो वोल्ट की लाइन / केबिल।

(तीन) समुचित निर्माण कार्य।

(चार) वाहनों की चार्जिंग और प्रवेश / निकास के लिये पर्याप्त स्थान।

(पांच) प्रचलित और अधिकांश वाहन निर्माताओं द्वारा उपयोग किये जा रहे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानक सी. सी.एस. और सी.हेड.एम.ओ. हैं।

इसलिये

सार्वजनिक चार्जिंग: केन्द्रों के पास निम्नवत समस्त चार्जर माडलों की स्थापना के साथ एक या अधिक विद्युत कियास्क / बोर्ड होना चाहिये:

चार्जर टाइप	चार्जर कनेक्टर	निर्धारित वोल्टेज	चार्जिंग बिन्दुओं की संख्या / कनेक्टर मशीन की संख्या
द्रुतगति	सी.सी.एस. (न्यूनतम 50 किलोवाट)	200-1000	1/1 कनेक्टर गन
	सी.एच.डी.एम.ओ.(न्यूनतम 50 किलोवाट)	200-1000	1/1 कनेक्टर गन
	टाइप-2 एसी (न्यूनतम 22 किलोवाट)	380-480	1/1 कनेक्टर गन
मन्दगति / सामान्य	भारत डी.सी.-001 (न्यूनतम 15 किलोवाट)	72-200	1/1 सी.जी
	भारत ए.सी.-001 (10 किलोवाट)	230	33 किलोवाट प्रत्येक के 3/3 कनेक्टर गन

इसके अतिरिक्त अनुमोदित बी.आई.एस मानकों के अनुसार कोई अन्य द्रुतगति/मन्दगति /सामान्य चार्जर जब भी अधिसूचित क्रिया जाय।

- (छह) कियास्क/बोर्ड के पास, यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त चार्जर की स्थापना के लिये विकल्प हो सकेगा।
- (सात) सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र प्रदाता चार्जिंग का प्रधान केन्द्र सृजित करने और अपर निर्धारित चार्जरों की न्यूनतम संख्या के साथ ही अतिरिक्त संख्या में कियास्क / चार्जर स्थापित करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- (आठ) विद्युत वाहन स्वामियों द्वारा चार्जिंग स्थान की अग्रिम रूप से दूरवर्ती / ऑनलाईन बुकिंग में समर्थ बनाने के लिये कम से कम एक ऑनलाइन नेटवर्क सेवा प्रदाता (एन.एस.पी.) के साथ अपने को जोड़ेगा। ई.वी. स्वामियों को ऐसी ऑनलाईन सूचनाओं में आवस्थिति, प्रकार और स्थापित / उपलब्ध चार्जरों की संख्या भी सम्मिलित की जानी चाहिये।
- (नौ) इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त वितरण कम्पनी के साथ चार्जिंग केन्द्र के आकड़ों को साझा करेगा और ऐसी वितरण कम्पनी द्वारा निर्धारित उचित सुनिश्चित नियमों को अनुरक्षित रखेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण। की रेइस सूचना। सामग्री (डाटाबेस) तक पहुँच होगी।
- (दस) समुचित (जन) सुविधायें
- (ग्यारह) जहां पर उपर्युक्त के अतिरिक्त पी.सी.आई. प्रदाता द्वारा पी.सी.एल. पर द्रुतगति चार्जिंग सुविधा देने की भी योजना है, वहां



निम्नलिखित अतिरिक्त अवसंरचना भी अवश्य उपलब्ध करायी जानी चाहिये:-

(क) यदि फ्लूयड कूल्ड बैटरी (एफ.सी.बी.) की ऑनबोर्ड चार्जिंग के लिए उच्चगति की चार्जिंग सुविधा भी प्रस्तावित है तो समुचित लिक्विड कूल्ड केबिन की भी व्यवस्था ।

(ख) अदला-बदली के लिये उपयोग में लाने के लिये (अर्थात् आनबोर्ड नहीं) बैटरियों की द्रुतगति से चार्जिंग हेतु समुचित वातावरण नियंत्रण उपस्कर की व्यवस्था ।

3.2 प्रत्येक सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र का प्रचालन संबंधित वितरण कंपनी द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से अभिहित संबंधित विद्युत निरीक्षकों/तकनीकी कार्मिकों द्वारा निरीक्षण और उपर्युक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात ही प्रारंभ होगा। वितरण कंपनियां इस प्रयोजन के लिये एक या अधिक की अन्य पक्षीय प्राधिकृत तकनीकी अभिकरण को भी आबद्ध कर सकती हैं।

3.3 विद्युत वाहन. सेवा उस्करों की समुचित प्रतिष्ठित प्राधिकारी द्वारा गहनं परीक्षा की जायेगी।

3.4 उपर्युक्त न्यूनतम अवसंरचना अपेक्षायें व्यक्ति ई.वी. स्वामियों (गैरव्यावसायिक आधार पर) के स्वयं उपयोग के लिये बनाये गये निजी चार्जिंग बिन्दुओं पर लागू नहीं होगी।

3.5 कम्पनी की स्वामित्व /उथार पट्टे पर दिये गये बेड़े को अपने उपयोग के शतप्रतिशत आंतरिक उपयोग में लाये जाने वाले कैप्टिव चार्जिंग अवसंरचना से सभी प्रकार के चार्जरों की स्थापना करने और एनएसपी से अपने को जोड़ने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

3.6 सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र का यह विकल्प होगा कि वे उक्त अनिवार्य सुविधाओं के अतिरिक्त स्वतंत्र बैटरी अदला-बदली की सुविधा भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते स्थान हो / अन्य स्थितियां अनुमति देती हों।

लम्बी दूरी के विद्युत वाहनों और /अथवा हैवी ड्यूटी ई.वी. के लिये सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना:

4.1 लम्बी दूरी के ई.वी. और/अथवा हैवी ड्यूटी ई.वी. (यथा-ट्रक, बस आदि) के लिये सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के पास निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें होंगी:-

(एक) प्रस्तर-3 में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिये यथा अनिवार्य न्यूनतम चार्जिंग अवसंरचना के साथ ही न्यूनतम 100 किलोवाट (200-1000 बोल्ट के साथ) के कम से कम दो चार्जर जिनमें प्रत्येक भिन्न विशिष्टताओं (सी.सी.एस. और सी.एच.ए. दोनों) का होगा और प्रत्येक में एकल कनेक्टर गन होगा।

(दो) फ्लूयड कूल्ड बैटरियों (वर्तमान में कतिपय लम्बी दूरी के ई.वी. में उपलब्ध) की ऑनबोर्ड चार्जिंग के लिये उच्च गति चार्जिंग सुविधा हेतु समुचित लिक्विड कूल्ड केबिल होगा।

(तीन) उपर्युक्त 4.1 (एक) और (दो) के अतिरिक्त लम्बी दूरी की ई.वी. और / अथवा हैवी ड्यूटी ई.वी. के लिये द्रुतगति चार्जिंग केन्द्रों के पास उपर्युक्त प्रस्तर-3 और प्रस्तर - 4.1 (एक) और (दो) के अनुसार चार्जिंग आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैटरियों की अदला-बदलीं का भी विकल्प होना चाहिये। यह उल्लेखनीय है कि बसों / ट्रकों जैसे ई.वी. और/अथवा हैवी ड्यूटी वाहनों के द्रुतगति चार्जिंग /लम्बी दूरी के उपयोग के लिये फ्लूयड कूल्ड बैटरियां सामान्य तथा आवश्यक होती हैं। एफ.सी.बी. की उच्चतर चार्जिंग दर और दीर्घ जीवन होगा।

4.2 ऐसे द्रुतगति चार्जिंग केन्द्र 100 प्रतिशत केन्द्र जो घर के भीतर / कैप्टिव उपयोग, जैसे किसी कम्पनी की बसें हैं, के लिये ही होती हैं, अपने घरेलू कम्पनी के ई.वी. के लिये आवश्यकतानुसार चार्जिंग विशिष्टताओं को सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की अवस्थिति:

5.1 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के मामले में दो चार्जिंग बिन्दुओं के मध्य आबादी घनत्व / दूरी के संबंध में निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें निर्धारित की जाती हैं:-

(एक) 3 किलोमीटर X 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होना चाहिये। अग्रतर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर राजमार्ग /मार्ग के किनारे-किनारे दोनों ओर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाय।

(दो) लम्बी दूरी की ई.वी. (जैसे लम्बी दूरी की एसयूवी) और हैवी ड्यूटी ई.वी. जैसे बस/ट्रक आदि के लिये प्रस्तर 4.1 के अनुसार



चार्जिंग अवसंरचना विशिष्टताओं युक्त प्रत्येक 100 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग केन्द्र होना चाहिये जो राजमार्ग / मार्ग के प्रत्येक तरफ एक-एक हो और वरीयतः उपर्युक्त प्रस्तर-3 में दिये गये स्टेशनों के भीतर / किनारे-किनारे हों। नगर की सीमा के भीतर हैवी ड्यूटी ई.वी. के लिये ऐसी चार्जिंग सुविधायें ट्रांसपोर्ट नगर, बस डिपों के भीतर होंगी। साथ ही बसों / ट्रकों के लिये नगर के भीतर बैटरी की अदला-बदली की सुविधायें भी अनिवार्य नहीं हैं।

- 5.2 उपरोक्त अपेक्षायें पूरी करने के बाद ही अतिरिक्त चार्जिंग केन्द्र किसी भी क्षेत्र में खोले जायेंगे।
- 5.3 उपरोक्त घनत्व / दूरी अपेक्षाओं का उपयोग संबंधित राज्य / संघ क्षेत्र सरकारों / उनके अंभिकरणों द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों के लिये किसी भी रीति से भूमि की व्यवस्था करने के साथ-साथ ट्रांसफारमर/ फीडर आदि सहित वितरण नेटवर्क की स्थापना में प्राथमिकता के लिये दोहरे प्रयोजनों के लिये किया जायेगा। यह सभी मामलों में किया जायेगा जिसमें जहां केन्द्रीय / राज्य राजसहायता उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्र भी शामिल होंगे।
- 5.4 संबंधित सरकारें (केन्द्र/राज्य/संघ क्षेत्र) उपरोक्त निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये सार्वजनिक ई.वी. चार्जिंग स्टेशनों (सुरक्षा मानदण्डों जिसमें अग्निसुरक्षा भित्ति भी है के अनुपालन में) की स्थापना के लिये तेल विपणन कम्पनियाँ विद्यमान खुदरा दुकानों को प्राथमिकता भी देंगी। अग्रतर ऐसी खुदरा दुकानों में से कपनी की स्वामित्व वाली और कंपनी द्वारा परिचालित खुदरा दुकानों को उच्च प्राथमिकता दी जा सकेगी।
- 5.5 उपरोक्त मानदण्डों में से कोई भी विचलन केन्द्रीय नोडल एजेंसी के परामर्श से राज्य नोडल एजेंसी के विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात ही, अनुमन्य होगा।

सार्वजनिक ई.वी. चार्जिंग केन्द्र की सूचना सामग्री (डाटाबेस):-

केन्द्रीय, विद्युत प्राधिकरण वितरण कम्पनियों के माध्यम से समस्त सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों का राष्ट्रीय ऑनलाइन सूचना सामग्री (डाटाबेस) तैयार करेगा और अनुरक्षित करेगा। इस प्रयोजन के लिये वितरण कंपनियों द्वारा समुचित सुनिश्चित नियमों को अधिसूचित किया जायेगा जिसका पीसीएस / बीसीएस, द्वारा अनिवार्यतः पालन किया जायेगा। इस सूचना सामग्री तक नियंत्रित पहुंच होगी जैसे कि सी.ई.ए. और ऊर्जा मंत्रलय के मध्य निर्णय हुआ हैं।

ई.वी. सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों को विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ़:-

- 7.1 ई.वी. सार्वजनिक रिचार्जिंग केन्द्रों को विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ़ का निर्धारण समुचित आयोग द्वारा किया जायेगा तथापि शर्त यह होगी कि आपूर्ति की लागत में 15 (पन्द्रह) प्रतिशत जोड़कर से अधिक टैरिफ़ नहीं होगा।

- 7.2 घरेलू खपत के लिये लागू टैरिफ़ घरेलू चार्जिंग के लिये लागू होगा।

पी.सी.एस./बी.सी.एस. पर सेवा प्रभारः

- 8.1 ऊर्जा मंत्रलय के पत्र संख्या 23/8/2018 आर एण्ड आर दिनांक 13/04/2018 द्वारा जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, ई.वी. की चार्जिंग एक सेवा है।

- 8.2 राज्य नोडल एजेंसी सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्रों द्वारा प्रमारित की जाने वाली सेवा प्रभार की सीमा को नियत करेगी।

ई.वी. सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के आरंभ के लिये प्राथमिकता:-

राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों / अभिकरणों के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात ई.वी. सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के आरंभ के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में निम्नवत् चरणों को निर्धारित किया गया है:-

चरण एक (1 से 3 वर्ष):

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले सभी विशाल शहरों, इन शहरों से जुड़े सभी विद्यमान एक्सप्रेसवे और इन प्रत्येक विशाल शहरों से जुड़े प्रमुख राजमार्गों को इसमें सम्मिलित करने के लिये लिया जायेगा। ऐसे विशाल शहरों और विद्यमान जुड़े हुए एक्सप्रेसवे की सूची संलग्नक में है।

चरण-दो (3 से 5वर्ष):

बड़े शहर जैसे राज्यों की राजधानियाँ / संघक्षेत्र के मुख्यालयों को पूर्ण व्याप्त और सांकेतिक प्रभाव के लिये आच्छादित किया



जायेगा। अग्रतर प्रमुख राजमार्गों से जुड़े इन प्रत्येक शहरों को आच्छादन के लिये लिया जायेगा।

- 9.3 आरंभ करने के लिये चरणों हेतु उपरोक्त प्राथमिकताओं को सभी संबंधित, जिसमें केन्द्र, राज्य सरकारों विभिन्न अभिकरण भी हैं द्वारा ध्यान में रखा जायेंगा और ई.वी. के सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के लिये अग्रतर नीति / दिशा निर्देश, जिसमें ऐसे अवसंरचना के लिये अग्रतर प्रोत्साहन /राज सहायता की घोषणा और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा।

10. आरंभ करने के लिये क्रियान्वयन की क्रियाविधि:-

- 10.1 ऊर्जा मंत्रालय, आरंभ करने के लिये एक केन्द्रीय नोडल अधिकरण मनोनीत करेगा। सभी सुसंगत अभिकरण, जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी है, इस नोडल अभिकरण को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेंगे।
- 10.2 प्रत्येक राज्य सरकार अपने-अपने राज्य के लिये चार्जिंग अवसंरचना, स्थापित करने हेतु एक नोडल अभिकरण मनोनीत करेगी। सामान्यतया राज्य वितरण कम्पनी इंस प्रयोजनों के लिये नोडल अभिकरण होगा। तथापि राज्य सरकार नगरीय स्थानीय निकायों, नगरीय / क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण आदि सहित केन्द्र / राज्य के किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) को अपने नोडल अभिकरण के रूप में चयन करने के लिये स्वतंत्र होंगी।

11. आरंभ करने के लिये क्रियान्वयन अभिकरण का चयन:-

- 11.1 केन्द्रीय नोडल अभिकरण संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से उपरोक्त चरण में से अंतिम रूप से लिये आने वाले नगरों / एक्सप्रेसवे / राजमार्गों को अंतिम रूप देंगा।
- 11.2 संबंधित राज्य नोडल अभिकरण द्वारा एक क्रियान्वयन अभिकरण का चयन किया जायेगा और ऐसे अभिकरण को इस प्रलेख में दिये गये पैरामीटर और जैसा संबंधित नोडल अभिकरण द्वारा सौंपा गया हो, के अनुसार अनिहित अवधि के लिये पी.सी.एस. /एफ.सी.एस./बी.सी.एस./बी.एस.एफ. की स्थापना परिचालन और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण एक समुच्चय हो सकता है जैसा केन्द्र और राज्य नोडल अभिकरणों के मध्य आपसी सहमति से निर्णय लिया गया हो तथापि समूह पैकेजों के लिये अथवा एकल स्थलों के लिये विभिन्न पी.सी.एफ./एफ. सी. एस. को चुनने का निर्णय भी ले सकते हैं, जैसा आपसी सहमति से निर्णय हो। अग्रतर जब कभी भी बोली लगाने के लिये समूह पैकेजों को तैयार किया जाय तो एक संबद्धतापूर्ण पैकेज तैयार करने में कम से कम एक चिन्हित एक्सप्रेसवे / राजमार्ग को अवश्यं सम्मिलित किया जाय, चयनित चिन्हित किये गये नगरों को ऐसे प्रयोजनों के लिये यथा आवश्यकता एक या अधिक भाग में विभाजित किया जा सकेगा।
- 11.3 जहाँ क्रियान्वयन अभिकरण का चयन बोली द्वारा किया गया हो वहाँ सभी बोलियों का संचालन राज्य नोडल अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- 11.4 उपरोक्त प्रस्तर 8.2 के अनुसार राज्य नोडल अभिकरण द्वारा घोषित सेवा प्रभार की उच्चतर सीमा होगी। यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा राजसहायता अनुमन्य है तो इसे उच्चतर सीमा/बोली के उतार चढ़ाव की गणना में समुचित रूप से गुणन खण्ड किया जायेगा। यह माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अनुमोदन से निर्गत किया गया है।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मंत्री कार्यालय / कैबिनेट सचिवालय
2. सी.ई.ओ., नीति आयोग
3. सी.ई.आर.सी./राज्य आयोग/जे.ई.आर.सी. के सचिव गण

हस्ताक्षर

(अनूपसिंह विष्ट)

अनुसचिव, भारत सरकार-

दूरभाष-23766236

ईमेल-annopsingh-bisht@mic-in



(1). 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)

1. मुम्बई
2. दिल्ली
3. बंगलौर
4. अहमदाबाद
5. चेन्नई
6. कोलकाता
7. सूरत
8. पुणे

(2). गलियारों की सूची

1. मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे
2. अहमदाबाद बुडोदरा एक्सप्रेसवे
3. दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे
4. दिल्ली-जयपुर
5. बंगलौर-मैसूर
6. बंगलौर-चेन्नई
7. सूरत-मुम्बई एक्सप्रेसवे
8. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
9. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
10. दिल्ली आगरा-एन०एच०-२ एक्सप्रेसवे
11. हैदराबाद - ओ.आर.आर. एक्सप्रेसवे
12. प्रत्येक विशाल नगरों से जुड़े हुये 5 राजमार्ग



संलग्नक-3

अध्याय-28

PROVISIONS FOR IN & BUILDING SOLUTIONS Digital Communication Infrastructure



वाराणसी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2008 (यथा संशोधित 2023)

Addendum to Model Building Bye-laws, 2016

CONTENTS

1. Introduction: Communication System	3
2. Emerging Technologies in Telecommunication Services	5
3. Policy Efforts	6
4. In Building and Gated Buildings Solutions	8
5. Incorporation in State /UT Building Bye Laws	9
6. At Layout Level	10
7. Other procedures for setting up In&Building Solution (IBS) /Fiber Networks	12
References	16

ABBREVIATION

CCTV	Close Circuit Television
CTI	Common Telecommunication Infrastructure
DoT	Department of Telecommunication
FTTX	Fiber to the X Fiber Fiber To The Home (FTTH) Fiber To The Premises (FTTP) Fiber To The Building (FTTB) Fiber To The Node (FTTN) Fiber- To The Curb/Cabinet (FTTC)
GDP	Gross Domestic Product
IBS	In Building Solutions
ISP	Internet Service Provider
MBIT	Megabit
OFC	Optic Fiber Communication
QoS	Quality of Service
RWA	Residential Welfare Association
TRAI	Telecom Regulatory Authority of India
TSP	Telecommunication Service Provider



Annexure III to MBBL-2016

In-Building Solutions for CTI

1- Introduction: Communication System

Data growth is exploding globally and in India as, per Nokia MBiT 2021 Report] the average monthly data usage per user in India has increased almost 17 times over the past 5 years- Covid 19 has further pushed data consumption with people staying indoors. Government has facilitated Work from Home (WFH) guidelines with a Work from Anywhere (within India) permitted. Home consumption of data has therefore grown exponentially through 2020. According to the Tower and Infrastructure Providers Association, almost 85% data traffic and 70% voice traffic is now generated indoors.

The World Bank has clearly demonstrated that every 10% increase in broadband penetration leads to nearly 1.40% increase in GDP growth rate. While that is a global average] even the India specific study by the reputed quasi-Government research agency, ICRIER, has shown that every 10%increase in internet traffic delivers 3.1% increase in GDP per capita and a 10% increase in investment in Telecom Infrastructure will increase GDP by 3.3% The entire consumer pull today is focused on dataand broadband now with the new digital services providing voice services free with the data services. Video and app-based services are driving the demand for broadband with Apps for e-commerce, e- healthcare etc. in everyday use. It is very clear that internet traffic and Apps are contributing to GDP growth and for this to grow even- further] conventional connectivity needs to be replaced with duct-sharing and fibre especially, which is an essential requirement In-Building as much as it is for FTTx and Tower Fiberization.

(Note - "Service Provider": an agency that provides any type of telecom/IT services in a building complex, as per scope defined by DOT i.e. TSP/ISP/IP1 etc.)

A broad variety of Information Communication Technology (ICT) systems are expected to be installed in buildings. In order to facilitate proper cabling and installation /up gradation of ICT systems and their cost effectiveness and maintenance, adequate physical infrastructure is required within buildings. This infrastructure will include common ducts; cable riser systems, conduits, cable trays and utility closets etc. among other things. The same can also be retrofitted into existing buildings wherever possible and feasible and must be designed in all new, re-developed and renovated structures. This section describes the general and specific requirements of such an ICT infrastructure in Building specially in respect of cabling aspects.



Communication systems are general utility in much the same way as water, power, gas, cable TV & CCTV/Security. Unlike traditional communication systems which are constantly evolving, the recommended Digital infrastructure has to be designed to be flexible enough to accommodate a variety of ICT systems and emerging technologies and be future proof for the next 25&30 years. Space and power is required for installation of common ducts, optical fibre, small cells, antennas, smart sensors etc, space, power and earthing is required for electronic equipment installation for supporting the various digital technologies of now and the future. Most communication utilities can share the same space since the physical topology and wiring requirements are similar and no significant power is present in the cables. However, in some cases state-of-the - art communication cabling or equipment will involve new or more specific requirements for utility spaces such as:

- Cable routing layout and cable length restrictions between Work-Space and utility closet.
- Bending radius and working clearance requirements for different cable types, e.g. Fiberoptic
- cables, Cat-6 Cables and co-axial cables
- Isolated power circuits for permanent communication equipment
- Protection, Safety, Grounding and environmental requirements of communication equipment.

2. Emerging Technologies in Telecommunication Services

The technologies used for telecommunications have changed greatly and over the past few years and particularly during the pandemic, India has experienced a massive surge in indoor voice and data consumption. According to the Tower and Infrastructure Providers Association, almost 85% data traffic and 70% voice traffic is now generated indoors. Telecommunication network architecture is changing to meet new requirements for a number of services/applications viz. 5G, massive Internet of things Artificial Intelligence etc.

Choosing efficient and cost-effective and fast-deployment technologies such as wired and wireless networks will improve accessibility. Based on type of building and profile of customers in the buildings, the needs of wired and wireless may vary. Further, the architecture of the information and communication infrastructure is changing to accommodate the requirements of a growing number of ICT-enabled services/applications (broadband, IP, mobile, multimedia, surveillance, IoT etc.)

In line with the changing market needs, the Digital Service Providers (TSPs) ISPs/IP-1's have been scaling up the deployment of in-building solutions (IBS) and FTTx, covering active and/or passive infrastructure. Further, industry stakeholders are putting greater emphasis on sharing in-building infrastructure to save opex and capex, as well as to avoid the duplication of infrastructure deployment.



Moving forward, the humongous growth of data traffic riding on the use of the digital infrastructure during the pandemic and with the new WFH (Work- from-Home) and work- from- anywhere paradigms and with the emergence of 5G are expected to create huge opportunities for extension of ubiquitous, reliable and high speed digital infrastructure into the homes and inside residential buildings, and lead to huge growth of shared in-Building Solutions sites.

Theoretically, wireless services can be provided from outside the building. However, there are appreciable losses in signal strength when it penetrates building walls. While all wireless services can suffer from poor in-building coverage, this problem is particularly pronounced for the high-speed services. These services require a much better signal quality than their voice counterpart. Therefore, in order to improve in-building coverage and to offer better-quality high-speed data services, there is a definite need to install in- building solutions (IBS) for augmenting the wireless- based voice and data services. This is equally true for installing 5G and Wi- Fi hotspots along with Fibre to x(FTTX) distribution network of Fiber and Cat-6 Cables for seamless data connectivity.

Provisioning of telecom services and broadcasting services viz. Cable TV, DTH and Security Services viz. CCTV Cameras and futuristic services viz. IoT based sensors would require suitable wireline connectivity inside the buildings inside buildings are not confined to wireless medium only. Wireline services through cables such as copper cables, optical fibre cables (OFC), LAN Cat-6 cables are also equally important for having uninterrupted connectivity. Also, for services such as Cable TV, DTH and Smart Devices Solutions (IoT), suitable cabling within building premises is a pre- requisite and for that, shared duct space across the building riser and floors is critical to achieve the flexibility in the future.

Improved IBS coverage MNOS / Network operators should be allowed to install such appropriate instruments as provided by licensor/ Regulator from time to time.

3- Policy Efforts

The proliferation of in-building connectivity has become a key component of government policies- The National Digital Communications Policy, 2018 proposes to make the installation of telecom infrastructure and associated cabling and in-building. solutions mandatory in all commercial, residential and official buildings (including government buildings) by amending the National Building Code of India with the help of the Bureau of Indian Standards.

The Government has been taking a number of steps for promoting the sharing of in-building infrastructure, in line with TRAI recommendations.

- In October 2019, the Digital Communications Commission (DCC) approved in-building access and sharing of infrastructure among TSPs, thereby allowing them to share infrastructure and, in the process, curbing



TSPs' monopoly to install infrastructure through exclusive contracts with the owners/builders.

- b) In November 2019, the Department of Telecommunications Issued an advisory to encourage all TSPs/IP-1s to share their in- building infrastructure such as systems, optical fibre, other cables, ducts and boosters on government premises and other public places such as airports, railway stations, bus terminals and hospitals.

The government's policy and regulatory push coupled with the ever-expanding data usage has propelled TSPS/IP-1s to scale up the deployment of IBS- There is an urgent requirement to allow TSPs/IP-1s to own active built and manage active infrastructure in addition to passive infrastructure to help them cater to the ever-increasing data demand.

Bureau of Indian Standards (BIS) has framed National Building Code of India under which provision of Common Telecom Infrastructure (CTI) housed inside the buildings for convenient provision of telecom services has been envisaged.

Making cities smarter: Ministry of Housing and Urban Affairs led Smart Cities Mission is another key driver that is encouraging the adoption of in-building solutions (IBS) and FTTx/IP networks covering Fiber and LAN cables. Since, the success of the mission relies on the underlying digital communication infrastructure, the cities identified under this programs have mandated to install common infrastructure inside buildings to enable seamless connectivity. To this end, certain smart cities have started collaborating with infrastructure providers to scale up the deployment of IBS and Fiber network- Moving forward IBS and FTTx/IP networks covering Fiber and LAN cables should be included as one of the key parameters in the selection of smart cities for granting financial assistance.

4. In-Building and Gated Buildings Solutions

It is important to ensure quality telecom services inside a building - in residential, multi- story building, commercial complex, hotel or airport, police/Government offices/buildings etc. It is also essential for Telecommunication Service Providers/IP- 1s to work on sharing of telecom infrastructure which may be made mandatory as they extend the services in the buildings.

Telecom Service Providers/IP-1s require a non-discriminatory and unhindered access inside the building / along the premises to install the telecom infrastructure or lay their cables.

At present, mobile operators and the building owner or building developer or Resident Welfare Associations (RWA) enter into commercial agreements for



in- building deployment. Building owners or building developers delay the negotiations or request exorbitant rents slowing down the speed of deployment. The Urban Local Body /Urban Development Authority may intervene in this regard wherein commercial agreements are insisted upon-TSPS/IP-1s should be given legal rights and permissions to use the Common Telecom Infrastructure (CTI) within the premises of Building / Gated Society free of charge or for a standardized nominal charge just like other essential services like water electricity and/or gas. Provision of CTI in a building should not be deemed as a revenue source in any way, much as the water and electricity utilities are not. Sufficient space should be provided within the premises to install telecom services by MNOs/ network operators.

The issue is not limited to sharing of IBS/ Distributed Antenna System (DAS) systems only] but TSP should get access to all telecom infrastructures including Fiber Cable and LAN cables for provision of wired and wireless network, other telecom/ ICT and IoT services.

It is important for telecom service providers to provide mobile coverage / network presence/high speed connectivity inside big residential / commercial complexes to improve QoS of their networks. It may not be practical to install individual in-building infrastructure by TSPs/IP-1s as this will result in not only duplication of network resources but will also entail huge avoidable cost. It may also be not advisable to lay down cables again and again on the same land / building by several TSPs/IP-1s.

5. Incorporation in State /UT Building Bye Laws

The buildings are to be constructed in such a way that they are '*Digital Infrastructure deployment*' '*Digital Connectivity*' ready. There should be provision of telecom ducts / common pathways /runways(digital access paths) to reach to the accessible parts of the buildings. The common ducts digital access paths to access buildings from outside should invariably be part of the CTI, which could be used by TSPs/IP-1s for laying/deploying digital infrastructure including cables. While approving the building plans, it has to be ensured that plan for creation of CTI including the common duct to access the common space used as telecom room inside the building is also prepared and separate set of drawings showing the inter/ intra connectivity access to the building with distribution network need to be furnished.

Occupancy- cum- Completion certificate to a building to be granted only after ensuring that the CTI as per the prescribed standards is in place and an undertaking by the Architect or Engineer to be insisted to certify that building has ensured common access to all digital Infrastructure to all Service providers in accordance with plan of creation of CTI. Provision of visit from Department of Telecom (DoT) / TRAI officials along-with joint inspection with TSPs - who may suggest any relevant modification in the plan to be ensured.



As part of Building Bye - Laws the builder/RWA should be mandated to ensure that

1. While preparing the building plans, there is a need to mandate to have properly demarcated sections within buildings and on rooftops for housing Broad Band/digital connectivity infrastructure/antenna. These areas should have access to power supply for reliable, always-on services.
2. Access to building as well as CTI facilities inside the building should be available on a fair, transparent and non-discriminatory manner to all Service Providers/IP1's.
3. The Service Providers / IP1's should have unrestricted access for maintenance work.
4. The permission to in-building access and/or CTI facilities inside the building should not be seen as a source of revenue generation for builder(s)/RWA(s) but as a means for facilitating penetration of broadband access and thereby helping in socio-economic growth of all the residents..
5. Charges (rentals/power rates etc.) levied to the TSPs/IP-1s should be fair, transparent and non-discriminatory and should be on residential rates.

Suitable provision for the creation of Common Telecom Infrastructure (CTI) inside the newlyconstructed public places like Airports, commercial complexes and residential complexes, be incorporated in State/UT Building Bye Laws.

6. At Layout Level

While developing Greenfield cities/towns, the layout plans should clearly indicate the telecom as Utility Infrastructure lines. Standards followed for Utility planning shall be published and work shall be done by the respective department for bringing in the standardization of the utility coding and sequences. The placement and sequence of above- and below- ground utilities at the appropriate location in the right-of-way to be ensured for unconstrained movement as well as easy access for maintenance. Telecommunication cables should be placed in a duct that can be accessed at frequent service points with sufficient spare capacity to enable scaling and future expansion, and empty pipes (large size hume pipes / HDPE pipes) should be laid before planting trees in order to accommodate additional infrastructure.

Digital Readiness Rating of Buildings / Society in line to the GREEN ratings shall be created where the existing and new buildings shall be rated on standardized parameters such as; but not limited to; Digital Infrastructure access, provisions for Emerging Technologies, Maintenance and Operational ease to TSPs / IPv1, Quality of Wireless Services, Quality / Interchangeability ease of Wireline Services till each Unit Security, redundancy and Expand ability of the digital infrastructure etc. A detailed rating parameters and calculation mechanism of Points/Stars shall be devised and benchmarked for all new /retrofitting of buildings/ societies.



Digital Asset repository which will ensure Proper planning and mapping of utilities through GIS is necessary especially when the alignments of telecommunication cables are identified. Design criteria and standards Utilities should meet the following criteria:

- Telecommunication cables should ideally be placed below the parking area or service lane, which may be dug up easily without causing major inconvenience. Where this is not possible, the cables may be placed at the outer edge of the right-of-way.
- There is a need to reduce conflicts with pedestrian movements is to place com boxes in easements just off the right-of-way. Where this is not possible, they should be placed within parking or landscaping areas. If cables have to be located in the pedestrian path, a space of at least 2m should be

maintained for the through movement of pedestrians. Telecom boxes should never constrain the width of a cycle track.

In order to minimize disruptions, cables should be installed with proper maintenance infrastructure.

7. Other procedures for setting up In-Building Solution (IBS)/Fiber Networks

(1) There is a need to promote installation of In-Building Solution (IBS) / Smart Connectivity infrastructure, where there is a poor connectivity in terms of weak signal strength inside the office, shopping mall, hospitals, multi-story building, education institutions and the objective has to be to strengthen quality of service of the voice & data of mobile and Fiber broadband network and access to digital services being offered by TSP And IP1's

A) Procedures of obtaining IBS-NOC during plan approval and completion:

- a) While submitting the proposed Building plan seeking approval from the relevant sanctioning Authority, applicant shall also submit)
 - i. A complete Service Plan for IBS-infrastructure along with required specifications (in consultation with, and certified by a credible Telecom Networking hardware-consultant)
 - ii. An undertaking that such IBS Infrastructure, when constructed shall be available for sharing by various TSPs/IP-Is.
 - iii. Such Service Plan (IBS) shall be forwarded by the concerned Local Authority to the Telecom Enforcement Resource and Monitoring (TERM) cell of the State(external NOC agency) - for approval NOC.
 - iv. During the Joint Site Inspection of the completed building structure the TERM cell shall undertake inspection of the constructed/installed



IBS infrastructure for issuance of NOC for OCC.

- b) The Local Authority shall liaise with the TERM cell as per its relevant online/offline process of communication to seek the relevant NOCs within the specified time as per the Service Charter/service Guarantee Act and rules in place. Separate communication from the applicant shall be needed to secure the IBS, NOC.



Addendum to Model Building Bye-laws, 2016

B) Provision of IBS components in building premises: (as per NBC 2016)

Entrance Facilities (EF) /Lead-In conduits: (clause 3.1.4, of Part 8: Sec 6) min. 1.2m x 1.83m space to be allocated for each TSP adjacent to the EF.

Underground conduits/pipes to MDF room: min 100mm dia encased conduits.

Main Distribution Frame (MDF)/Equipment Room(ER):

(clause 3.1.2, Part 8: Sec 6)

- prescribed size with L:W ratio between 1:1 to 2:1
- appropriate ventilation of MDF room
- proper Lighting for vision of equipments,
- located at a level above from the Natural Ground lvl to avoid incidence of flooding

Electric distribution panels, isolators, sockets and earthing as per specific requirements w.r.t the area proposed for coverage (DUs/ service subscribers)

Telecommunications Room (TR) at each building block unless provided with MDF room:

(all provisions of space to be as per clause 3.1.3.2, Part 8: Sec 6)

Appropriate nos. of Service/Telecom risers (vertical shafts) for all multi- storeyed buildings w.r.t

the area proposed for coverage (DUs/ service subscribers):

- of appropriate nos and size (width & depth) to accommodate cable trays-
- with access door at each floor.

Telecommunications Enclosures(TE) at each floor of a block or TR (clause 3.1.5, Part 8: Sec 6) Telecom Media and Connecting Hardware (TE):

(clause 3.2, Part 8: Sec6) Various cabling system and trays: (clause 3.2.4, Part 8: Sec6) Wireless systems: (clause 3.2.5, Part 8: Sec6) Backbone Cabling Media Distribution and Bldg. pathways :

(clause 3.3, Part 8: Sec6) Horizontal Cabling Media Distribution and Bldg. pathways (clause 3.4, Part 8: Sec6)

IBS installation spaces: area for rooms or systems (e.g. antennas, base stations, remote units, power distribution boxes etc.) to be provided as per requirements w.r.t the area proposed for coverage/ no. of proposed users (as per clause 3.1.3.2, Part.8: Sec6, table stated below)

1 Telecom room space norm for buildings with Built-up area >465 sqmt

SI.	Area to be covered by IBS	Size of Telecom Room (all dimension in m)
1	Upto 465 sqmt	3.0 x 2.4
2	465.0 sqmt to 930.0 sqmt	3.0 x 3.4
3	More than 930.0 sqmt	Additional TR required with same space norms



Addendum to Model Building Bye-laws, 2016

Space requirements for smaller buildings with Built-up area <465 sqmt

SI.	Area to be covered by IBS	Space provisions (all dimensions in m)
1.	Upto 93.0 sqmt	Wall cabinets, self-contained enclosed cabinets.
2.	93.0 sqmt to 465.0 sqmt	Shallow Room (0.6 x 2.6) Walk-in Roorn (1.3 x 1.3)

IBS installation spaces, so provided, should be:

- not susceptible to flooding
- not exposed to water, moisture, fumes, gases or dust
- able to withstand designed equipment load (to be specified in design)
- located away from any vibrations to avoid dislocation/dislodgement

For any other necessary detailing of building components and service installations with respect to common Telecom/Digital connectivity Infrastructure architects/ developers and other service consultants involved in preparing building and service drawings may refer Part 8- Section 6: Information and Communication Enabled Installations of Volume 2 of the National Building Code, 2016

- (2) Mode of deployment of In-Building, FTTx/IP Solution: There shall be various mode of deployment of In Building solutions such as: The possible modes are deployment by a neutral host infrastructure provider or build and managed by mobile operator and sharing with other service providers on non- discriminatory basis. The In-Build Solutions (IBS), FTTx/IP Solutions can also be deployed by TSPs/ IPs. Moreover, if TSP/ IP1 requires to install optical fiber for connecting In-Building Solution (IBS)/ Distributed Antenna System (DAS) nodes/ FTTx solutions, RoW/ permissions should be granted by the road owning agency through online mode (if same is working seamlessly) or offline mode till online system is established. For deploying indoor solutions these companies should have deemed permissions from the premises owners for Installation of Distribution Network within the utility shafts common spaces with provisions for common / shared Points of Interconnect for Connectivity to Individual units. Moreover, if the TSP/IP requires to install optical fiber for connecting In-Building Solution (IBS) / Distributed Antenna System (DAS) nodes, FTTX/IP Solutions for which RoW / permissions should be granted by the road owning agency through online mode.
- (3) Permissibility: The IBS, FTTx/IP component being small equipment can be installed on any type of land/building/utility pole and shall be exempted from obtaining the permission for installation of these components from the respective Urban Local Body/Urban Development Authority but should get permission from the Administrative Authority of the concerned premises.



- (4) Procedure for submitting application for obtaining clearance: TSP/ IP-1 will apply to the administrative authority of the building/ head of the office with layout diagram for implementing IBS in the building as mentioned in the RoW Rules 2016 or State notified RoW Policy
- (5) Fees: No fee will be charged for IBS/ FTTx Network. However, charges may be levied for power (as per Industry tariffs), fixtures, etc. provided by building owners to TSP/IP-1s as per actuals.
- (6) Access and Distribution Fiber and IP/LAN networks for connectivity for the Shopping Malls, Multi-Storey Residential Buildings, Cooperative Housing Societies, Residential Welfare Association and Commercial Buildings to be planned and deployed by TSP/IP-1s as per standard requirement of providing high bandwidth and adequate indoor coverage to each unit/apartment in these complexes.

References.

1. Telecom Regulatory Authority of India (2011): *Recommendations on Telecommunications Infrastructure Policy.*
2. Telecom Regulatory Authority of India (2017): *Recommendations on In-Building Access by Telecom Service Providers:*
3. Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (2018): Guidelines for Applicants for ducting & laying of optical fiber.



अध्याय-28

भवन के भीतर समाधान के लिये उपबंध डिजिटल संचार अवसरंचना

विषय वस्तु

1. परिचयः संचार प्रणाली
2. दूरसंचार सेवाओं में उभरती हुयी तकनीक
3. इस नीति के प्रयास-
4. भवन के भीतर और फाटक वाले भवनों के लिये समाधान
5. राज्य / संघ क्षेत्र के भवन उपविधियों में समावेश करना
6. अभिविन्यास स्तर पर
7. भवन के भीतर समाधान / फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिये अन्य प्रक्रियायें

सक्षिप्त नाम :-

सी.सी.टी.वी.-	क्लोज सर्किट टेलीविजन
सी.टी.आई.-	(साझा) दूरसंचार अवसरंचना
डि.ओ.टी.-	दूरसंचार विभाग
एफ.टी.टी.एक्स.-	फाइबर से एक्स फाइबर फाइबर से होम (एफ.टी.टी.एच.)
फाइबर से परिसर (एफ.टी.टी.पी.)	
फाइबर से भवन (एफ.टी.टी.बी.)	
फाइबर से नोड (एफ.टी.टी.एन.)	
फाइबर से कर्व कैबिनेट (एफ.टी.टी.सी.)	
जी.डी.पी.-	सकल घरेलू उत्पाद
आई.बी.एस.-	भवन के भीतर समाधान
आई.एस.पी.-	इन्टरनेट सेवा प्रदाता
एम.बी.आई.टी.-	मेगाबिट
ओ.एफ.सी.-	आप्टिकल फाइबर कंम्यूनिकेशन
क्यू.ओ.एस.-	सेवा की गुणवत्ता
आर.डब्ल्यू.ए.-	निवासी कल्याण संघ
टी.आर.ए.आई.-	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टी.एस.पी.-	दूरसंचार सेवा प्रदाता



सामान्य दूरसंचार अवसंरचना सी.टी.आई. के लिये भवन के भीतर समाधान

1. परिचयः संचार प्रणालीः

वैशिक रूप में डेटा वृद्धि विस्फुटित हो रही है और नोकिया मेगाबिट-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विगत पाँच वर्षों की अवधि में भारत में प्रति उपयोगकर्ता मासिक डेटा उपयोग में लगभग 17 गुना की वृद्धि हो गयी है। कोविड-19 ने घरों में ही लोगों के बने रहने से डेटा उपयोग में और भी वृद्धि हो गयी है। सरकार ने घर से ही कार्य (WFH) दिशा निर्देश को बनाकर कहीं से भी (भारत के भीतर) कार्य करने की अनुमति दी है। इस प्रकार वर्ष 2020 से डेटा का घरेलू उपयोग स्पष्टतः बढ़ गया है। टावर और अवसंरचना प्रदाता संघ के अनुसार अब लगभग 85 प्रतिशत डेटा व्यवसाय (ट्रैफिक) और 70 प्रतिशत वायस ट्रैफिक घरों के भीतर से ही सृजित होता है।

विश्व बैंक ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ब्राडबैण्ड की पैठ में 10 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद दर में लगभग 1.40 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। यह तो वैशिक औसत दर है, जबकि प्रतिष्ठित अर्द्धसरकारी एजेंसी आई.सी.आर. आई.ई.आर. (ICRIER) द्वारा भारत के संबंध में विशिष्ट अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया है कि इन्टरनेट व्यवसाय में प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि से प्रति व्यक्ति जी.डी.पी में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है और दूरसंचार अवसंरचना में 10 प्रतिशत की वृद्धि से जीडीपी में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। नयी डिजिटल सेवाओं द्वारा डेटा सेवाओं के साथ निःशुल्क वायस सेवा प्रदान करने से अब सम्पूर्ण उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये डेटा और ब्राडबैण्ड पर ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो और ऐप आधारित सेवायें नित्य प्रति उपयोग में ई-कामर्स, ई-हेल्थकेयर के ऐप्स के साथ ब्राडबैण्ड के लिए अत्यधिक मांग में हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्टरनेट व्यवसाय और ऐप्स का जी.डी.पी. वृद्धि में योगदान है और इसमें और भी अधिक वृद्धि के लिये कनेक्टिविटी के परंपरागत तरीकों को डक्ट शेयरिंग और फाइबर से बदलने की विशेष आवश्यकता है जोकि जितनी भवन के भीतर उतनी ही एफ.टी.टी.एक्स. और टावर फाइबराइजेशन के लिये अनिवार्य आवश्यकता है।

(टिप्पणी: “सेवा प्रदान” वह अभिकरण है जो किसी भवन समूह में दूरसंचार विभाग अर्थात टी.एस.पी. / आई.एस.पी./आई.पी. इत्यादि द्वारा परिभाषित आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार की दूरसंचार ईआई.टी. सेवायें प्रदान करती हों।)

सूचना संचार तकनीक प्रणाली के व्यापक रूप को भवनों में स्थापित किया जाता है। समुचित रूप से तार बिछाने और आई.सी.टी. प्रणाली की स्थापना उन्नयन में सहायता देने और लागत मूल्य पर अधिक लाभ देने और अनुरक्षण के उद्देश्य से भवन के भीतर ही पर्याप्त भौतिक अवसंरचना आवश्यक है। इस अवसंरचना में अन्य बातों के साथ-साथ साझा गढ़े, तारों के ऊपर लगाने की संरचना, नालियां, तारों को बिछाने के लिये खांचे और यूटिलिटी क्लाजेस्ट आदि शामिल हैं। विद्यमान भवनों में भी, जहाँ कहीं संभव हो और उचित हो, इसे बाद में फिट किया जा सकता है और पूरी तरह से नये, पुनर्विकसित और नूतन अवसंरचना में अभिकल्पित किया जाना चाहिये। इस भाग में भवनों में विशेषकर तार लगाने की दृष्टि से ऐसी आई.सी.टी. अवसंरचना की सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन है।

संचार प्रणाली उसी रूप में जनोपयोगी है जैसे जल, विद्युत, गैस, केबिल टी.वी. और सी.सी.टी.वी. सुरक्षा सेवायें हैं। परंपरागत संचार प्रणाली, जो निरंतर विकसित हो रही हैं से इतर संस्तुत किये, जा. रहे डिजिटल अवसंरचना को इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिये कि वह विभिन्न प्रकार के आई.सी.



टी. प्रणाली और उभर रही तकनीक के अनुरूप हो और आगामी 25 से 30 वर्षों के लिये भावी रूप में सक्षम हो। साझा गढ़ों, आप्टिकल फाइबर, लघु सेलों, ऐन्टिना, स्मार्ट सेंसर आदि की स्थापना के लिये स्थान और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अभी और भावी विभिन्न डिजिटल तकनीकों की सहायता के लिये विद्युत उपस्करों की स्थापना हेतु स्थान, ऊर्जा और भूमि की आवश्यकता होती है। अधिकांश संचार उपयोगितायें एक ही स्थान को साझा कर सकती हैं क्योंकि भौतिक रूप से स्थान और तारों को बिछाना एक समान है और केबिल में कोई प्रभाव पूर्ण ऊर्जा नहीं होती है। तथापि कठिपय मामलों में अत्याधुनिक संचार केबलिंग या उपस्कर में उपयोगिता स्थानों के लिये नये या अधिक विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी जैसे:

- कार्य स्थान और उपयोगिता स्थान के मध्य तार ले जाने के नक्शे और तार की लम्बाई की पाबंदी।
- विभिन्न प्रकार के केबिलों उदाहरणार्थ- फाइबरास्टिक केबल, कैट-6 केबिल और को. ऐक्सियल केबिल के लिये बेन्डिंग रेडियस और वर्किंग किलयरेंस
- स्थायी संचार उपस्कर के लिए एकाकी ऊर्जा सर्किट।
- संचार उपस्करों का बचाव, सुरक्षा, जमीन में लगाने और पर्यावरणीय अपेक्षायें।

2. दूरसंचार सेवाओं में उभरती हुयी तकनीक:

दूरसंचार के लिये उपयोग में लायी जाने वाली तकनीक में अत्यंत परिवर्तन हो गया है और विगत कुछ वर्षों और विशेषकर महामारी के दौरान

भारत में घर के भीतर वायस और डेटा खपत में अत्यधिक चढ़ाव देखा है। टावर और अवसंरचना प्रदाता संघ के अनुसार आजकल लगभग 85 प्रतिशत डाटाव्यवसाय और 70 प्रतिशत वायस ट्रैफिक घर के भीतर सृजित हो रहा है। दूरसंचार नेटवर्क वास्तु कठिपय सेवाओं जैसे- 5जी, वस्तुओं के विशिष्ट नेटवर्क, कृत्रिम (यांत्रिक) बुद्धि के लिये अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु बदल रहा है।

कुशल और लागत से अधिक लाभ देने वाली और तेजी से प्रयोग में लायी जाने वाली तकनीकों जैसे तारवाली और बेतार नेटवर्क का चयन करने से पहुंच में सुधार आयेगा। भवनों के प्रकार और भवनों में उपभोक्ताओं की प्रोफाइल के आधार पर तारवाली और बेतार वाली की आवश्यकता में भिन्नता हो सकती। अग्रतर सूचना और संचार अवसंरचना की वास्तु में बढ़ रहे आई.सी.टी. समर्थ सेवाओं / उपयोग (ब्राडबैण्ड, आई.पी., मोबाइल, मल्टीमीडिया, निगरानी आदि) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिवर्तन हो रहा है।

परिवर्तनशील बाजार की मांग के अनुरूप डिजिटल सेवा प्रदाता / दूरसंचार सेवा प्रदाता / इन्टरनेट सेवा प्रदाता /आई.पी.-1 आदि और तेज /या धीमा अवसंरचना आच्छादन वाले भवनों के भीतर समाधान और एफ.टी.टी.एक्स. लगाये जाने को बढ़ा रहे हैं। अग्रतर इस उद्योग के हितधारक अवसंरचना लगाये जाने के दुहराव से बचने के साथ ही साथ प्रचालन व्यय (ओपेक्स) और पूंजी व्यय (कैपेक्स) की बचत के लिये भवन के भीतर अवसंरचना को साझा करने पर बहुत महत्व दे रहे हैं। इससे भी आगे, महामारी के दौरान डिजिटल अवसंरचना के उपयोग डेटा व्यवसाय में भारी वृद्धि के कारण और घर से कार्य करने (डब्लू.एफ.एच.) और कहीं से भी कार्य करने के नये उदाहरण और 5जी के आं जाने से घरों में और आवासीय भवनों के भीतर सर्वव्यापक, विश्वसनीय और उच्च गति वाले डिजिटल अवसंरचना के विस्तार

के लिये विशाल अवसर सृजित होने की आशा है और इससे घर के भीतर समाधान स्थलों को साझा करने में अत्यंत वृद्धि होगी। सैद्धांतिक रूप में बेतार सेवायें भवन के बाहर से प्रदान की जा सकती हैं। तथापि जब यह भवन की दीवारों को भेदकर जाती है तो सिग्नल



की क्षमता में पर्याप्त हानि होती है जबकि सभी बेतार सेवाओं में भवन के भीतर आच्छादन में कमी हो सकती है और यह समस्या उच्चगति की सेवाओं में विशेषतः सामने आती है। इन सेवाओं का वायस सेवाओं की तुलना में बेहतर सिग्नल गुणवत्ता की अपेक्षा होती है। अतएव भवन के भीतर आच्छादन में सुधार के उद्देश्य से बेहतर गुणवत्ता वाले उच्च गति डेटा सेवायें प्रदान करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि बेतार आधारित वायस और डेटा सेवाओं में वृद्धि करने हेतु भवन के भीतर समाधान (आई.बी.एस.) स्थापित की जाय। यह भी उतना ही सत्य है कि फाइबर से फाइबर एक्स (एफ.टी.एफ.एक्स.) तक वितरण नेटवर्क और निर्वाध डेटा कनेक्टिविटी के लिये कैट-6 केबिन के साथ ही 5 जी और हॉटस्पाट को स्थापित किया जाय।

दूरसंचार सेवाओं और प्रसारण सेवाओं यथा केबिल टीवी, डी.टी.एच. और सुरक्षा सेवाओं यथा- सी. सी.टी.वी. कैमरा और भावी सेवाओं यथा आई. ओ.टी. आधारित सेंसरों की व्यवस्था करने में भवनों के भीतर उपयुक्त तार वाली कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी क्योंकि भवनों के भीतर बेतार माध्यम तक ही व्यवस्था सीमित नहीं है। केबिल के माध्यम जैसे कॉपर केबिल, आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ.एफ.सी.), एल. ए.एन. कैट-6 के बिल से बेतार सेवायें भी बाधा रहित कनेक्टिविटी के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही सेवाओं जैसे केबिल, टी.वी., डी.टी.एच. और स्मार्ट डिवायस सॉल्यूशन (आई.ओ.टी) के लिये भवन के भीतर ही उपयुक्त तार बिछाना एक पूर्वपेक्षा है और इसके लिये भविष्य में लचीलेपन के लिये भवन के आर-पार चबूतरों और धरातल में साझा गढ़ों के स्थान पर विचार करना आवश्यक है।

समुन्नत आई.बी.एस. आच्छादन वाले एमएनओ / नेटवर्क संचालकों को ऐसे समुचित उपकरणों, जैसे समय-समय पर अनुज्ञापी / विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट किये जाय, को स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

3. इस नीति के प्रयास

भवन के भीतर कनेक्टिविटी की संवृद्धि करना सरकारी नीतियों का एक प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 समस्त व्यावसायिक, आवासीय, सरकारी भवनों (सरकर के भवनों सहित) में भारतीय मानक ब्यूरो की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय भवन सहिता में संशोधन करके संचार अवसंरचना और इससे जुड़े तार बिछाने और भवन के भीतर समाधान की स्थापना को अनिवार्य करने का प्रस्ताव करती है। सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संस्तुतियों के समानुकूल भवन के भीतर अवसंरचना को साझा करने को बढ़ावा देने के लिये, कई उपाय कर रही है।

(क) अक्टूबर 2019 में डिजिटल संचार आयोग ने भवन के भीतर पहुंच और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य अवसंरचना को साझा करने जिसके द्वारा अवसंरचना को साझा करने की उनको दी गयी है, और इसी प्रक्रिया में टीएसपी की स्वामियों/बिल्डरों के साथ एक मेर संविदा के माध्यम अवसंरचना स्थापित करने के उनके एकाधिकार पर रोकथाम की गयी है।

(ख) नवम्बर 2019 में दूरसंचार विभाग ने सभी टी.एस.पी./IP-1 को प्रोत्साहित करने के लिये अपने-अपने भवन के भीतर अवसंरचनाओं जैसे उपकरणों, आप्टिकल फाइबर, अन्य केबिलों गढ़ों और बूस्टरों को, जो सरकारी परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों यथा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बसों के विश्राम स्थलों और अस्पतालों में लगे हैं, साझा करने के लिये सलाहकारी पत्र निर्गत किया है।

सरकार की नीतियों और विनियामक समर्थन के साथ ही निरंतर विस्तारित हो रहे डेटा उपयोग ने टी.एस.पी./आई.पी-1 को आई. बी. एंस लगाने में तेजी लाने के लिये प्रेरित किया है। संचार सेवा प्रदाताओं/IP-1 को निरंतर बढ़ रही डेटा की मांग को पूरा करने के लिये धीमे अवसंरचना के अतिरिक्त तेजी से निर्मित और प्रबंधित तेज अवसंरचना को स्वामित्व में रखने की अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता है।



भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता बनायी है जिसके अधीन संचार सेवाओं को सुविधापूर्वक प्रदान करने के लिये भवनों के भीतर स्थित साझा संचार अवसंरचना (सी.टी.आई.) की व्यवस्था पर विचार किया गया है।

शहरों को स्मार्ट बनाना:- आवास एवं शहरी मामले कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित स्मार्ट शहर योजना एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी है जो भवन के भीतर समाधान, (आई.बी.एस.) और फाइबर और एल.ए.एन. केबिल से आच्छादित एफ.टी.टी.एक्स./आई.पी. नेटवर्क को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करती है। चूंकि इस योजना की सफलता अधो रेखांकित डिजिटल संचार अवसंरचना पर निर्भर करती है, इस कारण इस कार्यक्रम के अधीन चिन्हित शहरों ने निर्वाध कनेक्टिविटी सुलभ कराने हेतु साझा अवसंरचना भवन के भीतर ही स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। कंपिय पर स्मार्ट शहरों ने आई.बी.एस. और फाइबर नेटवर्क को लगाने में तेजी लाने के लिये अवसंरचना प्रदाताओं के साथ सहयोग प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद फाइबर और एल.ए.एन. केबिल से आच्छादित आई.बी.एस. और एफ.टी.टी.एक्स. / आईपी नेटवर्क को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु स्मार्ट शहरों के चयन में प्रमुख मापदण्ड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

4. भवन के भीतर और फाटक वाले भवनों के लिये समाधान:

आवासीय, बहुमंजिले भवनों, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, होटल या हवाई अड्डा पुनिस / सरकारी कार्यालयों भवनों आदि में भवन के भीतर गुणवत्तापूर्ण संचार सेवा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिये यह भी आवश्यक है कि वे संचार अवसंरचना को साझा करने पर कार्य करें जिसे अनिवार्य किया जा सकेगा, क्योंकि भवन के भीतर सेवाओं का विस्तार करते हैं।

संचार सेवा प्रदाता/नेटवर्क प्रदाता-1 के लिये आवश्यक है कि संचार अवसंरचना स्थापित करने या अपना तार बिछाने के लिये भवन के भीतर / परिसर के साथ-साथ बिना भेदभाव और बिना किसी निषेध के प्रवेश/पहुंचा दिया जाए।

वर्तमान में मोबाइल प्रचालक और भवन स्वामी या भवन विकास या भवन विकासकर्ता या निवासी कल्याण संघ (आर.डब्लू.ए.) भवन के भीतर साज-सज्जा लगाने के लिए एक अनुबन्ध करते हैं। भवन, स्वामी या भवन विकासकर्ता समझौता करने में विलम्ब करते हैं। या अत्यधिक किराया मांगते हैं। जिससे उपकरण लगाने की गति कम हो जाती है। शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास प्राधिकरण इस संबंध में, जिसमें व्यावसायिक अनुबन्ध करने पर बल दिया जाता है, हस्तक्षेप कर सकते हैं। संचार सेवा प्रदाता/नेटवर्क-1 प्रदाताओं को भवन फाटक वाली सोसायटीके भीतर अन्य अनिवार्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत और / या गैस के समान निःशुल्क या मानक न्यूनतम दरों पर साझा दूरसंचार अवसंरचना का उपयोग करने के लिये विधिक अधिकार और अनुमति दी जानी चाहिये। किसी भवन में साझा दूरसंचार अवसंरचना कर जल और विद्युत उपयोगिताओं के ही समान किसी भी रूप में राजस्व आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिये। एम.एन.ओ. / नेटवर्क प्रचालकों द्वारा संचार सेवाओं की स्थापना के लिये परिसर के भीतर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

यह मुद्दा आई.बी.एस/विभाजित ऐन्टीना प्रणाली को साझा करने तक ही केवल सीमित नहीं है वरन् टी.एस.पी. को समस्त दूरसंचार अवसंरचना जिसमें तार गाले और बेतार नेटवर्क की व्यवस्था के लिये फाइबर केबिल और एल.ए.एन. केबिल, अन्य दूरसंचार /आई.सी.टी.. और आई.ओ.टी. सेवायें सम्मिलित हैं, तक पहुँच होनी चाहिये।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिये यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने नेटवर्क की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के प्रयोजन से विशाल आवासीय /व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के भीतर मोबाइल कवरेज / नेटवर्क उपस्थित/उच्च गति कनेक्टिविटी उपलब्ध करायें। टी.एस.पी. आई.पी.-1 द्वारा अपना-अपना भवन के भीतर अवसंरचना स्थापित करना व्यावहारिक नहीं हो सकेगा क्योंकि इसे नेटवर्क संसाधनों की न केवल पुनरावृत्ति होगी वरन् बड़ी परिहार्य लागत का भार भी पड़ेगा। विभिन्न टी.एस.पी./आई.पी.-1 द्वारा उसी भूमि/भवन में बार-बार तार बिछाना भी उचित नहीं होगा।



5. राज्य संघ शासित क्षेत्र की उपविधियों में समावेश करना:

भवनों का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि वे डिजिटल अवसंरचना लगाने डिजिटल कनेक्टिविटी के अनुकूल हों। भवन के पहुंच वाले हिस्सों तक पहुंचने के लिये दूरसंचार गढ़ों / साझा रास्ता / पगडण्डी (डिजिटल पहुंच मार्ग) की व्यवस्था की जानी चाहिये। बाहर-बाहर से भवन तक पहुंच के लिये साझा गढ़ों/ डिजिटल पहुंच मार्ग अनिवार्य रूप से सी.टी.आई. का हिस्सा होना चाहिये जिसका उपयोग टी.एस.पी / आई.पी.-1 द्वारा केबिल सहित डिजिटल अवसंरचना बिछाने / लगाने के लिये किया जा सके। भवन के नक्शों को अनुमोदित करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि सी.टी.आई. के सृजन, जिसमें भवन के भीतर दूरसंचार कक्ष के रूप में उपयोग के लिये साझा स्थान तक पहुंच के लिये साझा नाली भी शामिल है, का नक्शा भी तैयार किया जाय और वितरण नेटवर्क के साथ भवन तक पहुंचने वाले अन्तर और अन्तः कनेक्टिविटी पहुंच को प्रदर्शित करने वाले आलेखन को दो सेट में प्रस्तुत किया जाना होगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि विहित मानकों के अनुसार सी.टी.आई. इसमें दिया गया है और वास्तुविद अथवा अभियंता द्वारा, इस बात को प्रमाणित करने के लिये बल देते हुए कि सी.टी.आई. के सृजन के नक्शे के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं की सभी डिजिटल अवसंरचना तक साझा पहुंच भवन में सुनिश्चित की गयी है, एक वचनबंध लिया गया है, किसी भवन का अधिभोग और पूर्णता प्रमाणपत्र स्वीकृत किया जाय। दूरसंचार विभाग/टी.ए.आई. के अधिकारियों के साथ-साथ टी.एस.पी. का एक संयुक्त निरीक्षण, दौरा की, भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जो नक्शे में किसी सुसंगत, संशोधन का सुझाव दे सकते हैं।

भवन उपविधियों के एक हिस्से के रूप में निर्माता/आर.डब्लू.ए. के लिये यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे :

1. भवनों का मानचित्र बनाते समय यह अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता है कि भवनों के भीतर और छतों पर ब्राडबैण्ड / डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना / ऐन्टिना लगाने के लिये उचित सीमांकित भाग हो। इन क्षेत्रों में विश्वसनीय, सदैव सेवा के लिए ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच होनी चाहिये।
2. सभी सेवा प्रदाताओं / आई.पी.-1 को भवनों के साथ ही भवन के भीतर सी.टी.आई. सुविधा तक निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभाव रहित पहुंच उपलब्ध होनी चाहिये।
3. अनुरक्षण कार्यों के लिये सेवा प्रदाताओं / आई.पी.-1 की बेरोक पहुंच होनी चाहिये।

4. भवन के भीतर पहुंच और / या भवन के भीतरी भाग में सी.टी.आई. सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति को निर्माताओं / निवासी कल्याण संघों के लिये

राजस्व स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये वरन् इसे ब्राडबैण्ड पहुंच के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के साधन बनाने के रूप में देखना चाहिए और

इससे समस्त निवासियों की सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता भी होती है।

5. टी.एस.पी./ आई.पी.-1 से उद्गृहीत किये जाने वाला प्रभार (किराया / ऊर्जादरें) उचित, पारदर्शी और भेदभाव रहित होना चाहिये और यह आवासीय दरों पर होना चाहिये।

नये निर्मित सार्वजनिक स्थलों जैसे हवाई अड्डे, व्यावसायिक संकुल और आवासीय संकुलों के अन्दर साझा दूरसंचार अवसंरचना को बनाने के लिये राज्य / संघ की भवन उपविधि में समुचित उपबंधों का समावेश किया जाय।

6. अभिविन्यास स्तर पर:

हरित शहरों / नगरों का विकास करते समय दूरसंचार को अभिविन्यास मानचित्र में उपयोगिता अवसंरचना लाइन के रूप में स्पष्टतः अंकित किया जाना चाहिये। उपयोगिता योजना तैयार करने में अपनायें गये मानकों को प्रकाशित किया जायेगा और उपयोगिता के संकेतों का अनुक्रम में मानकीकरण लाने के लिये यह कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। निर्बाध आवागमन के साथ ही अनुरक्षण के



लिये सुगम पहुँच हेतु मार्ग अधिकार में समुचित स्थान पर धरातल से ऊपर नीचे की उपयोगिताओं की व्यवस्था और अनुक्रम सुनिश्चित की जाये। दूरसंचार के बिलों को एक नाली में रखा जाना चाहिये जहाँ परिमाप और भावी प्रसार में सहायता के लिये पर्याप्त खाली क्षमता के साथ जगह-जगह पर सेवा बिन्दुओं तक पहुँचा जा सके और अतिरिक्त अवसंरचना के लिये जगह देने के उददेश्य से वृक्षारोपण करने से पूर्व खाली पाइप (बड़े गाले हयूम पाइप / एच.डी.पी.ई. पाइप) डाले जाने चाहिये।

हरित (ग्रीन) रेटिंग के समानुकूल भवनों / सोसायटीयों की डिजिटल रेडिनेस रेटिंग बनायी जायेगी जिसमें विद्यमान और नवीन भवनों का मानकीकृत परिमापों, जैसे परन्तु इन्हों तक सीमित नहीं - डिजिटल अवसंरचना पहुँच, उभरती हुयी प्रौद्योगिकी की व्यवस्था, टी.एस.पी./ आई.पी.-1 को अनुरक्षण और परिचालन की सुविधा, बेतार सेवा की गुणवत्ता, प्रत्येक इकाई की सुरक्षा तक तारगाली सेवाओं की गुणवत्ता और अन्तरपरीवर्तनीयता की सुविधा, डिजिटल अवसंरचना की प्रचुरता और प्रसरणशीलता आदि

के आधार पर रेटिंग की जायेगी। सभी नये और पूर्व विद्यमान भवनों / सोसायटी के लिये अंक / स्टार की विस्तृत रेटिंग परिमाप गणना की युक्ति तैयार और चिन्हित की जायेगी।

डिजिटल सम्पत्ति भण्डार आवश्यक है जो भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) के माध्यम से उपयोगिताओं की उपयुक्त योजना और मानचित्रण करेगा विशेषकर तब जब दूरसंचार के बिलों की शीघ्र की पहचान हो जाती है। उपयोगिताओं के अभिकल्प मानदण्डों और मानकों को निम्नलिखित मानदण्डों पर करना चाहिये:

दूरसंचार के बिलों को आदर्शतः पार्किंग क्षेत्र या सर्विस लेन के नीचे रखा जाना चाहिये जिसे सरलतापूर्वक बिना किसी असुविधा के खोदा जा सकता है। जहाँ यह संभव न हो वहाँ मार्ग अधिकार के बाहरी सीमा पर इसे रखा जा सकेगा। पैदल आवागमन के साथ विवाद को कम करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि मार्ग अधिकार से हटकर बने सुविधा गृहों में दूरसंचार बक्सों को रख दिया जाये जहाँ यह सम्भव न हो, वहाँ इन्हें पार्किंग या भू-दृश्य क्षेत्रों के भीतर रखा जाना चाहिये। यदि केबिलों को पैदल पथ के नीचे रखना है तो कम से कम 2 मीटर की दूरी पैदल चलने वालों के सुगम आवागमन के लिये बनाये रखा जाना चाहिये। दूरसंचार बक्सों को कभी भी साईकिल ट्रैक की चौड़ाई पर बाधा नहीं डालनी चाहिये। व्यवधानों को कम करने के उद्देश्य से केबिलों को समुचित अनुरक्षण अवसंरचना के साथ बिछाना चाहिए।

7. भवन के भीतर समाधान (आई.बी.एस. /फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिये अन्य प्रक्रियायें:-

(1) जहाँ पर कार्यालय, शॉपिंग माल, अस्पताल, बहुमंजिले भवनों, शिक्षा संस्थानों के भीतर कमज़ोर सिग्नल के मामले में क्षीण कनेक्टिविटी है, वहाँ पर भवन के भीतर समाधान (आई.बी.एस.) स्मार्ट कनेक्टिविटी अवसंरचना की स्थापना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और उद्देश्य यह हो कि मोबाइल और फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क की वॉयस और डेटा सेवा की गुणवत्ता को सुदृढ़ किया जाय।

क. मानचित्र अनुमोदन और पूर्णता की अवधि में आई.बी.एस.० अनापति प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

- (क) सुसंगत स्वीकृति प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित भवन मानचित्र प्रस्तुत करते समय आवेदक निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा:-
- (एक) आई.बी.एस. अवसंरचना के साथ-साथ अपेक्षित विशिष्ट विवरण के लिये सम्पूर्ण सेवा मानचित्र (प्रामाणिक दूरसंचार नेटवर्किंग हार्डवेयर परामर्शी के परामर्श से और उसके द्वारा प्रमाणित)
- (दो) इस बात का वचनबद्ध कि तैयार हो जाने पर यह आई.बी.एस. अवसंरचना विभिन्न टी०एस०पी०. आई.पी.-1 द्वारा



साझा करने के लिये उपलब्ध रहेगी।

- (तीन) ऐसे सेवां मानचित्र को स्थानीय संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति अनुमोदन के लिये राज्य के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और अनुश्रवण (टी.ई.आर.एम.) कोष्ठक को (बाह्य अनापत्ति एजेंसी) अग्रसारित किया जायेगा।
- (चार) पूर्ण निर्मित भवन संरचना के संयुक्त रूप से स्थल के निरीक्षण के दौरान टी.ई.आर.एम. कोष्ठक अधिभोग प्रमाण पत्र की अनापत्ति जारी करने के लिये निर्मित / स्थापित आई.बी.एस. अवसंरचना का निरीक्षण करेंगें।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी संचार की सुसंगत ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रक्रिया के अनुसार सुसंगत अनापत्ति प्रमाणपत्र सेवा चार्टर/ सेवा गारंटी अधिनियम और उपलब्ध नियमों के अनुसार विर्निदिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त करने के लिये टी.ई.आर.एम. से सम्पर्क बनायेगा। आवेदक द्वारा भी आई.बी.एस. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अलंग पत्रचार किया जाना आवश्यक होगा।

ख. भवन परिसर में आई.बी.एस. संघटकों की व्यवस्था (एन.बी.सी. 2016 के अनुसार):

- प्रवेश सुविधायें / बिछाने की नालियां: (धारा 6, भाग 8 का खण्ड 3.1.4) तक।
 - प्रवेश सुविधा से लगे प्रत्येक टी.एस.पी. के लिये न्यूनतम् 1.2 मीटर \times 1.8 मीटर का स्थान आवंटित करें।
 - एमडीएफ तक भूमिगत नालियाँ / पाइप: न्यूनतम 100 मिलीमीटर आवरण से ढांपी गयी नाली।
 - मुख्य वितरण फेम (एमडीफ) / उपस्कर कक्ष: (धारा 6, भाग 8 का खण्ड 3.1.2.)
 - 1:1 से 2:1 के मध्य लम्बाईः चौड़ाई अनुपात के साथ निर्धारित आकार
 - एम.डी.एफ. कक्ष का समुचित संवातन
 - उपकरणों के दिखने के लिये सुस्पष्ट प्रकाश व्यवस्था
 - बाढ़ की घटना से बचने के लिये स्वाभाविक धरातल से ऊपर स्थित हो।
 - आच्छादन के लिये (डी.यू./ सेवा अभिदाता) प्रस्तावित क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार विद्युत वितरण पैनल, आइसोलेटर, साकेट और अर्थिंग की व्यवस्था।
 - यदि एम.डी.एफ. कक्ष में न हो तो प्रत्येक भवन के ब्लाक में दूरसंचार कक्ष (टी.आर.): (स्थान की सभी व्यवस्था धारा 6, भाग-8 के खण्ड 3.1.3.2 के अनुसार हो।
 - आच्छादन के लिये (डी.यू./ सेवा अभिदाताओं) प्रस्तावित क्षेत्र में सभी बहु मंजली भवनों के लिये समुचित संख्या में सेवा / दूरसंचार स्तंभ (उर्ध्वाधर खम्भे):
 - केबल ट्रे को रखने हेतु समुचित संख्या और आकार (लम्बाई और चौड़ाई)
 - प्रत्येक तल पर पहुँच द्वारा के साथ
 - ब्लाक या टी.आर. के प्रत्येक तल पर दूरसंचार संलग्नक (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.1.5.)
 - दूरसंचार मीडिया और संबंधित हार्डवेयर (टी.ई.)रु (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.2)
 - विविध केबिल प्रणाली और ट्रे (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.2.4)
 - बेतार प्राणाली: (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.2.5)
 - बैंकबोन केवलिंग मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और भवन पाथरे: (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.3)
 - क्षैतिज केबलिंग भी मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और भवन पाथरे: (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.4)
- आई.वी.एस. स्थापना स्थान: आच्छादन/ उपभोक्ताओं की संख्या के लिये प्रस्तावित क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कक्षों या प्रणाली स्थापना (यथा एन्टीना, बस स्टेशन, रिमोट यूनिट, ऊर्जा वितरण बाक्स आदि) के लिये स्थान उपलब्ध कराना होगा। (धारा 6, भाग-8 का खण्ड 3.1.3.2 के अनुसार तालिका नीचे दी गयी है।)

तालिका- 465 वर्गमीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र के भवनों के लिए दूरसंचार कक्ष स्थान



क्रमांक	आई.बी.एस. द्वारा आच्छादित किया जाने वाला क्षेत्र	दूरसंचार कक्ष का आकार (सभी माप मीटर में)
1.	465 वर्गमीटर तक	3.0 x 2.4
2.	465 वर्गमीटर से 930 वर्ग मीटर तक	3.0 x 2.4
3.	930.0 वर्ग मीटर से अधिक	कठिपय स्थान संबंधी मानकों के साथ अतिरिक्त टी०आर०

तालिका-2- 465 वर्गमीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र के भवनों के लिये स्थान की आवश्यकता

क्रमांक	आई.बी.एस. द्वारा आच्छादित किया जाने वाला क्षेत्र	स्थान की व्यवस्था (सभी माप मीटर में)
1.	93.0 वर्ग मीटर तक	वाल कैबिनेट स्वतः समावेशित संलग्न कैबिनेट
2.	93.0 वर्गमीटर से 465 वर्गमीटर तक	उभरा हुआ कक्ष (0.6×2.6) प्रवेश योग्य कक्ष (1.3×1.3)

इस प्रकार उपलब्ध कराये गये आई.बी.एस स्थापना को:-

- बाढ़ से अप्रभावी होना चाहिए।
- जल, नमी, धुआँ, गैस या धूल के लिये खुला हुआ नहीं होना चाहिये।
- डिजाईन युक्त उपस्कर भार (डिजाईन में बताया जाय) के साथ संतुलन बनाये रखें।
- स्थान से सरकने / स्थान से हटने से बचने के लिये किसी भी कम्पन से दूर स्थित होना चाहिये। साझा दूरसंचार/ डिजिटल कैनेक्टिविटी अवसंरचना, भवन और सेवा आरेखण बनाने में लगे हुये वास्तुविदों, विकासकर्ताओं और अन्य सेवा सलाहकारों के संबंध में भवन वो और सेवा स्थापनाओं के किसी अन्य आवश्यक विस्तृत जानकारी के लिये राष्ट्रीय भवन सहित, 2016 की धारा-6 भाग 8 को तथा सूचना और संचार स्थापनाओं के लिये के लिये जिल्द-2 को देखा जा सकता है।

(2) भवन के भीतर, एफ.टी.टी.एक्स. / आई.पी. समाधान को लगाने की विधि: भवन के भीतर समाधान को लगाने के विभिन्न विधियां होंगी जैसे- समाव्य विधियाँ हैं- तटस्थ समूह अवसंरचना प्रदाता द्वारा लगाना, या मोबाइल प्रचालक द्वारा निर्मित और प्रबंधित और बिना भेदभाव के आधार पर अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा रूप में। भवन के भीतर समाधान (आई.बी.एस.) / एफ.टी.टी.एक्स/ आई.पी. समाधान को टी.पी. एस./ आई.पी. द्वारा भी लगाया जा सकता है इसके अतिरिक्त यदि टी.पी./ आई.पी.-1 भवन के भीतर समाधान (आई.बी.एस.) / वितरित एण्टीना प्रणाली (डी.ए.एस.) नोड/ एफ.टी.टी.एक्स. समाधान के संयोजन के लिये आप्टिकल फाइबर लगाने की अपेक्षा करता है तो मार्ग के स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा ऑनलाइन विधि (यदि यह निर्वाध रूप से कार्य कर रही है) या ऑनलाइन प्रणाली स्थापित होने तक ऑफलाइन विधि के माध्यम से मार्ग अधिकार (आर.ओ.डब्लू.) / अनुमति दी जानी चाहिये। अन्तः कक्षीय समाधान लगाने के लिये इन कम्पनियों के पास उपयोगित स्थानों के भीतर / साझा स्थानों पर प्रत्येक इकाई के लिये कनेक्टिविटी हेतु इन्टरकनेक्ट के साझा / सामान्य बिन्दुओं के लिये व्यवस्था के साथ वितरण नेटवर्क की स्थापना हेतु परिसर के स्वामियों से मानित अनुमति होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि टी.पी./ आई.पी.-1 भवन के भीतर समाधान (आई.बी.एस.) / वितरित एण्टीना प्रणाली (डी.ए.एस.) नोड, एफ.टी.टी.एक्स/ आई.पी. समाधान के संयोजन के लिये आप्टिकल फाइबर लगाने की अपेक्षा करता है तो इसके लिये मार्ग के स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा आनलाइन विधि के माध्यम से मार्ग अधिकार अनुमति दी जानी चाहिए।

(3) अनुज्ञेय: आई.बी.एस., एफ.टी.टी.एक्स./ आई.पी. अवयव छोटे होने के कारण किसी भी प्रकार की भूमि/ भवन / उपयोगित खंभों पर लगाये जा सकते हैं और इन अवयवों को लगाने के लिये संबंधित शहरी स्थानीय निकाय / शहरी विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने की छूट दी जानी चाहिए परन्तु इसके लिये संबंधित परिसर के प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी चाहिये।

(4) अनापत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया: टी.पी./ आई.पी.-1 को मार्ग अधिकार नियमावली, 2016 अथवा राज्य द्वारा अधिसूचित मार्ग अधिकार नीति में यथा उल्लिखित भवन आई.बी.एस. लगाने के लिये नक्शा मानचित्र के साथ भवन के



प्रशासनिक प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को आवेदन करना होगा।

(5) फीस: आई.बी.एस./ एफ.टी.टी.एक्स. नेटवर्क के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी। तथापि भवन स्वामियों द्वारा टी.एस.पी./ आई.पी.-1 को उपलब्ध कराये गये ऊर्जा (उद्योग शुल्क के अनुसार), उपकरणों के लिये उद्गृहीत प्रभार लगाया जा सकेगा।

(6) पहुंच और वितरण: शॉपिंगमालों, बहुमंजिले आवासी भवनों, सहकारी आवास समितियों, निवासी कल्याण संघों और व्यावसायिक भवनों के लिये कनेक्टिविटी हेतु फाइबर और आई.पी./ एल.ए.एन. नेटवर्क की योजना बनानी होगी और इन कॉम्प्लेक्सों में प्रत्येक इकाई / अपार्टमेंट को मानक आवश्यकता के अनुसार टी.एस.पी.एआई.पी.-1 द्वारा लगाया जायेगा।

संदर्भ सूची

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (2011): दूरसंचार अवसंरचना नीति पर संस्तुतियाँ।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (2017): दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भवन के भीतर पहुंच कर संस्तुतियाँ।
3. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (2018): आप्टिकल फाइबर की नाली बनाने और बिछाने के लिये दिशा-निर्देश।



प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

30प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

3. अध्यक्ष

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

ई-मेल

संख्या-785/आठ-3-2023

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी

समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: | 01 अप्रैल, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने संबंधी।

महोदय,

वैशिक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./ स्टार्टअप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अधिसूचना संख्या-4/ 2021/ 1792 / 78-2-2020/ 254 एल.सी./2019 दिनांक 28.01.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 एवं अधिसूचना संख्या-1399/78-2-2022/10 (एम)/2021 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति, 2021 जारी की गयी है। आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/2021/ 1274/ 78-2-2020/ 254 एल.सी./ 2019 दिनांक 23.09.2021 द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्रस्तर 3 (IV) में व्यवस्था है कि नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित और वित्तीय प्रोत्साहन पावती-पत्र निर्गत होने के बाद लागू होंगे। नीति के प्रस्तर-6.1 डाटा सेन्टर पार्क, प्रस्तर-6.2 डाटा सेन्टर इकाई एवं प्रस्तर-8.3 भवन मान दण्डों में विशेष प्राविधान के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था हैं :-

प्रस्तर-6.1 डाटा सेन्टर पार्क: डाटा सेन्टर इंकाई (यों) की स्थापनार्थ न्यूनतम 40 मेगावॉट डाटा सेन्टर क्षमता को डाटा सेन्टर पार्क की परिभाषा के अन्तर्गत स्वीकार किया जाएगा।

प्रस्तर-6.2 डाटा सेन्टर इकाई: एक डाटा सेन्टर इकाई (>2 मेगावॉट तथा <40 मेगावॉट क्षमता) एक भवन / केन्द्रिकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहां पर कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्किंग उपकरण वृहद परिमाण में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उद्देश्य से संग्रहित हैं। इस नीति के अन्तर्गत कैप्टिव डाटा सेन्टर्स पर विचार नहीं किया जाएगा।



प्रस्तर-8.3

भवन निर्माण मान दण्डों में विशेष प्राविधान:-

- (i) सब-लीजिंग: डाटा सेन्टर पार्क्स को बिना किसी सब-लीज/ हस्तान्तरण शुल्क के इकाइयों / एसपीवी को भूमि / भवन को सब-लीज करने की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) **फ्लोर एरिया रेशियो:** डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाइयों को 3.+1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जाएगी। भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजल जनरेटिंग सेट्स हेतु उपयोग किए जा रहे स्थान को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा। डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना के लिये आवश्यक अतिरिक्त स्थान प्रदान किये जाने हेतु, अनुमन्य फ्लोर एरिया रेशियो से पृथक व अतिरिक्त, भवन उपनियमों में प्रदत्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा 40 प्रतिशत तक बढ़ायी जायेगी। तथापि प्राधिकरण के भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों के अनुपालन पर विचार करते समय डाटा सेन्टर पार्क/ इकाई को डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु फ्लोर एरिया रेशियो के उपयोग का विकल्प होगा। जिससे उनके द्वारा न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों का अनुपालन किया जा सके एवं यथा प्राविधानित अतिरिक्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो का लाभ बाद में उठाया जा सके।
- आंशिक पूर्णता:** डाटा सेन्टर पार्क्स अपने अध्यासन प्रयोजनों तथा व्यवसायिक परिचालन के लिये न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों को पूरा किये बिना सम्बन्धित प्राधिकरण से आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति हेतु पात्र होंगे, जोकि सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे।
- (iii) एक मैंजिल में फर्श से छत की ऊँचाई : यदि मेजनाइन (Mezzanine) सेन्टर फ्लोर नहीं है तथा समग्र ऊँचाई सम्बन्धी नियमों और उपयुक्त संरचनात्मक एवं अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया गया है तो फर्श से छत की ऊँचाई समबन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (iv) रुफटॉप पर चिलर्स की स्थापना : संरचनात्मक सुरक्षा तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति के अधीन, बिना फ्लोर एरिया रेशियो में सम्मिलित किए हुए चिलर्स की स्थापना छत पर की जा सकती है।
- (v) **पार्किंग शिथिलता :** खुले में पार्किंग उपलब्ध कराने के प्रतिबन्ध सहित, डाटा सेन्टर पार्क/ इकाइयों के लिए पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता कुल निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होगी। यदि भूमि का उपयोग डाटा सेन्टर पार्क / इकाई के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो पार्किंग सम्बन्धी इन शिथिलताओं को निरस्त कर दिया जायेगा। डाटा सेन्टर पार्क /इकाइयों द्वारा अनुमानित यातायात का एक वचन-पत्र प्रदान किया जायेगा तथा यातायात में वृद्धि के कारण आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पार्किंग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सम्बन्धित प्राधिकारियों को संसूचित की जायेगी।
- (vi) **चहारदीवारी :** डाटा सेन्टर पार्क / इकाइयों को 3.6 मीटर ऊँची तक चहारदीवारी तथा 600 मिमी 'Y' खुले आकार की बाड़ लगाने की अनुमति होगी।
- (vii) **भवन में गतायन :** डाटा सेन्टर पार्क / इकाइयों को भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन तथा परिसर के अन्दर आधुनिक अग्निशमन उपकरण रखने के प्रतिबन्ध सहित न्यूनतम संख्या में खिड़कियाँ लगाने की अनुमति दी जाएगी।
- (viii) **बहुस्तरीय डी.जी. स्टैकिंग:** अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति के अधीन बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजल जनरेटिंग सेट्स की स्थापना को अनुमति दी जाएगी।
- (ix) **भूमि आच्छादन:** डाटा सेन्टर पार्क्स / इकाइयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी। यदि आवंटन के समय पहले से अनुमति नहीं है तो 60 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त भूमि आच्छादन क्रय योग्य आधार पर होगा।



3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अहं डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों के भवन मानचित्रकी अनुज्ञा देते समय नीति के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-785(1)/ आठ-3-2023-तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
- (2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० ।
- (3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (4) प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- (6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०, चतुर्थ तल, ए-ल्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (8) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ। (9) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- (10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव



ई-मेल
संख्या-1904 आठ-3-2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
 अपर मुख्य सचिव
 उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. आवास आयुक्त | 2. उपाध्यक्ष, |
| उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर एवं विकास परिषद | समस्त विकास प्राधिकरण, |
| लखनऊ। | उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष | 4. जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी |
| समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | समस्त विनियमित क्षेत्र |
| उत्तर प्रदेश। | उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 01 सितम्बर, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का अनुपालन संबंधी शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को अंगीकृत किये जाने संबंधी।

गहोदय,

वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./ स्टार्टअप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अधिसूचना संख्या-4/ 2021/ 1792 /78-2-2020/ 254 एल.सी./ 2019 दिनांक 28.01.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 एवं अधिसूचना संख्या-1399/ 78-2-2022/ 10 (एम)/ 2021 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति, 2021 जारी की गयी है।

2- उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर(यथा संशोधित) नीति, 2021 के क्रियान्वयन हेतु आई.टी.एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/2021/1274/ 78-2-2020 / 254 एल.सी/2019 दिनांक 23.09.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-785 / आठ-3-2023 दिनांक 10.04.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अर्ह डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों के भवन मानचित्र की अनुज्ञा देते समय नीति के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3- प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के पत्र संख्या-675/78-2-2023-10 (एम) 2021 दिनांक 28.07.2023 द्वारा उल्लेख किया गया है कि कतिपय अभिकरणों में उक्त शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को अंगीकृत नहीं किया गया है।



4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के क्रियान्वयन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक. 10.04.2023 को तत्काल अंगीकृत कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या-1904 (1)/ आठ-3-2023-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
- (5) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० ।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्राधिकरण की 130वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2024 का कार्यवृत्त

आयुक्त, वाराणसी मण्डल / अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में दिनांक 08.02.2024 को अपराह्न 12:30 बजे से वाराणसी विकास प्राधिकरण की 130वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुयी, जिसका संचालन सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

उपस्थिति

1.	श्री कौशल राज शर्मा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।	अध्यक्ष
2.	श्री पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।	उपाध्यक्ष
3.	श्री एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी।	सदस्य
4.	श्री अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।	सदस्य
5.	श्री अवीनाश कुमार, उप-जिलाधिकारी, चन्दौली। (प्रतिनिधि- जिलाधिकारी चन्दौली) उपरियोजना अधिकारी, हूडा, चन्दौली।	सदस्य
6.	श्री गोविन्द सिंह, उप-निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, वाराणसी। (प्रतिनिधि- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन, लखनऊ)	सदस्य
7.	श्री आर०क० उदयन, सहयुक्त नियोजक, वाराणसी। (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ)	सदस्य
8.	श्री सुरेन्द्र यादव, सहायक अभियन्ता, ३०प्र० जल निगम, वाराणसी। (प्रतिनिधि- प्रबन्ध निदेशक, ३०प्र० जल निगम, ६ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ)	सदस्य
9.	श्री प्रभु नारायण, अवर अभियन्ता, मिर्जापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मिर्जापुर। (प्रतिनिधि- जिलाधिकारी, मिर्जापुर)	सदस्य
10.	श्रीमती साधना वेदान्ती, के. १८/५२, रत्न फाटक नारायण दीक्षित लेन, विशेश्वरगंज वाराणसी। (माध्यम-वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)	सदस्य
11.	श्री अम्बरीश कुमार सिंह (भोला), सी. के. ६५/४६७ ए, बड़ी पियरी, वाराणसी।	सदस्य
12.	श्री प्रदीप अग्रहरी, मलदहिया, लोहामण्डी, वाराणसी।	सदस्य

अन्य

- श्री सुनील कुमार वर्मा, सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
- श्री आर०क० रावत, उप-निदेशक, पर्यटन, वाराणसी। (प्रतिनिधि निदेशक, पर्यटन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ)
- श्री एम०क० नायक, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी। (प्रतिनिधि- मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, वाराणसी)
- डॉ० एस०सी० मौर्या, उप-मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी। (प्रतिनिधि-मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी)



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

130वीं बैठक दिनांक:

08.02.2024

स्थान:

सभागार, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

समय:

अपराह्न 12:30 बजे।

कार्यवृत्त

**प्राधिकरण बोर्ड की 119वीं बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय की
अनुपालन आख्याओं पर प्रदत्त निर्देशः-**

मद सं०	विषय	अनुपालन आख्या	निर्णय
11.	<p>वाराणसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तरफ एच०एफ०एल० लाइन (उच्चतम बाढ़ बिन्दु) के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 115वीं बैठक दि० 25.01.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण एजेन्सी में जियोटेक टेक्निकल ऐसोसिएट प्रा०लि० को कार्यादेश जारी किया गया है। सर्वे एजेन्सी द्वारा प्रथम चरण में रामनगर-मुगलसराय महायोजना क्षेत्र का सर्वेक्षण मानचित्र उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण मानचित्र का प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा अध्ययन किया गया (समिति की दिनांक 04.03. 2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है) जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार प्रस्तावित एलाइनमेन्ट के तीन स्टैच (मानचित्र पर इन्गित कर संलग्न) पर सड़क बन्धा रोड की ऊँचाई बढ़ाते हुए एच०एफ०एल० लेबल से उच्च करने तथा इस एलाइनमेन्ट को क्रॉस करने वाले नालों पर पलैपर गेट लगाने की संस्तुति करते हुए प्रस्तावित नये एलाइनमेन्ट को एच.एफ.एल. लाइन निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी है।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार समिति की अध्ययन रिपोर्ट / संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ रखने हेतु प्रस्तुत है। उक्त क्षेत्र को एच०एफ०एल० लाईन (उच्चतम बाढ़ बिन्दु) से बाहर करने हेतु सिंचाई हो विभाग द्वारा फ्लैपर गेट एवं सड़क को प्रस्ताव एच०एफ०एल० लेबल (उच्चतम बाढ़ बिन्दु) से ऊँचाई के सत्यापन हेतु सिंचाई विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में सड़क के लेबिल का</p>	<p>बोर्ड के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उच्चतम बाढ़ बिन्दु से कुल रोड का उच्चीकरण कर दिया गया है। इस प्रकार पूर्व में विशेषज्ञ संस्था/एजेन्सी से ऊँच करायी गयी। तत्पश्चात् रोड का निर्माण हेतु कार्य योजना बनायी गयी, जिसका सत्यापन सिंचाई विभाग द्वारा किया गया। पुनर्श वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वाराणसी जनपद हेतु एच०एफ०एल० के निर्धारण हेतु लगायी गयी एजेन्सी एस०आर० सी० के द्वारा भी सत्यापन कर रिपोर्ट दी गयी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये रोड के क्रम में वर्तमान में एच०एफ० एल० का निर्धारण हो गया है। तदनुसार उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि एच०एफ०एल० से बाहर किये गये क्षेत्र की सूचना जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाये।</p>



	<p>प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.10.2023 को प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।</p> <p>अतः उपरोक्त के क्रम में चूँकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि रु० 4.00 लाख से ऊपर है, इसलिए प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बैठक के मद स०-१२ पर वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अधिकारियों / कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में श्री संजीव कुमार गुप्ता, लेखाकार द्वारा अपनी माता के उपचार पर व्यय किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि रु० 13,61,897.00 (रूपया तेरह लाख इक्सठ हजार आठ सौ सत्तानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>	
04	<p>प्राधिकरणों द्वारा शासनादेश संख्या-3388/ आठ-१-११-८० विविध/ 2010 दिनांक 26.09.2011 के आलोक में बड़े मानचित्र/ ले आउट स्वीकृत के समय राष्ट्रीय एवं राज्य शहरी आवास नीतियों में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों को आर्थिक क्षमतानुसार आवासीय सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में फीस "सब्सिडी डाईजेशन" के माध्यम से ई०डब्लू० एस० एवं एल०आई०जी० श्रेणी के व्यक्तियों के आवास निर्माण सुनिश्चित करने हेतु 20. प्रतिशत इकाइयों के निर्माण में विकासकर्ता से शेल्टर फीस प्राप्त की जाती है। प्रावधान के अनुसार प्राप्त शेल्टर फीस का उपयोग केवल ई०डब्लू० एस० एवं एल०आई०जी० हाउसिंग के लिए भूमि जुटाव, भूमि विकास एवं भवन / निर्माण और उससे सम्बन्धित कार्यों पर ही किया जाता है।</p> <p>यहाँ उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र के अनुमोदन के समय शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अवस्थापना मद के अन्तर्गत निर्माण एवं विकास कार्य के लिए शमन / विकास भू-उपयोग परिवर्तन / नगरीय विकास प्रभार शुल्क / एफ०ए०आर० आदि शुल्क लिए जाते हैं, जिसमें से प्राधिकरण के राजस्व व्यय हेतु 20 प्रतिशत अंश शासनादेश के अनुसार प्रावधानित है। चूँकि शेल्टर फीस की धनराशि भी मानचित्र सम्बन्धित ही है और इसके अन्तर्गत भी भूमि विकास एवं निर्माण कार्य किए जाते हैं। जिसके कलेक्शन एवं प्रबंधन का कार्य प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है इसलिए अवस्थापना मद में प्रावधानित राजस्व व्यय की तरह ही कलेक्शन शेल्टर फीस का 20 प्रतिशत राजस्व मद में व्यय हेतु हस्तान्तरण किए जाने का प्रस्ताव बार्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।</p>	<p>बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति ठीक होने के कारण प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।</p>
05	<p>कृपया आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३ के पत्र संख्या-1904/ आठ-३-२०२३ दिनांक 01 सितम्बर, 2023 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के क्रियान्वयन सम्बन्धी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३. उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-785 / आठ-३-२०२३, दिनांक 10.04. 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अह डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों के भवन मानचित्र की अनुज्ञा देते समय नीति के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को अंगीकृत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>1. वैशिक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा</p>	<p>बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त स्वकृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये गये कि प्रकरण से सम्बन्धित सूचना वाराणसी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाये तथा भवन उपविधि में भी संकलित करा लिया जाये।</p>



<p>डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./ स्टार्टअप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अधिसूचना संख्या-4/2021/ 1792/ 78-2-2020/ 254 एल.सी./2019 दिनांक 28.01.2021 एवं अधिसूचना संख्या-1399/ 78-2-2022/10 (एम)/2021, दिनांक 07. 11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधित) नीति, 2021 जारी की गयी है। आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या - 22/2021/1274/78-2-2020/254 एल.सी. /2019 दिनांक 23.09.2021 द्वारा नीति के कियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।</p> <p>2. उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्रस्तर 3(iv) में व्यवस्था है कि नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित गैर वित्तीय प्रोत्साहन पावती-पत्र निर्गत होने के बाद लागू होंगे। नीति के प्रस्तर-6. 1 डाटा सेन्टर पार्क, प्रस्तर-6.2 डाटा सेन्टर इकाई एवं प्रस्तर-8.3 भवन माप दण्डों में विशेष प्राविधान के अन्तर्गत निम्नवत व्यवस्था हैं:-</p> <p>प्रस्तर-6.1 डाटा सेन्टर पार्क: डाटा सेन्टर इकाई (यों) की स्थापनार्थ न्यूनतम 40 मेगावॉट डाटा सेन्टरश क्षमता को डाटा सेन्टर पार्क की परिभाषा के अन्तर्गत स्वीकार किया जाएगा।</p> <p>प्रस्तर-6.2 डाटा सेन्टर इकाई: एक डाटा सेन्टर इकाई (>2 मेगावॉट तथा <40 मेगावॉट क्षमता) एक भवन / केन्द्रिकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है, जहाँ पर कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्किंग उपकरण वृहद परिणाम में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उद्देश्य से संग्रहित हैं। इस नीति के अन्तर्गत कैपिटिव डाटा सेन्टर्स पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>प्रस्तर-8.3 भवन निर्माण मान दण्डों में विशेष प्राविधान:-</p> <p>(i) सब-लजिंग:डाटा सेन्टर पार्क्स को बिना किसी सब-लीज/हस्तान्तरण शुल्क के इकाईयों / एसपीवी को भूमि/ भवन को सब-लीज करने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ii) फ्लोर एरिया रेशियो: डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों को 3.0+1.0 (क्य योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जाएगी। भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजल जनरेटिंग सेट्स हेतु उपयोग किए जा रहे स्थान को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा। डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना के लिये आवश्यक अतिरिक्त स्थान प्रदान किये जाने हेतु, अनुमन्य फ्लोर एरिया रेशियो से पृथक व अतिरिक्त, भवन उपनियमों में ग्रदत्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा 40 प्रतिशत तक बढ़ायी ' जायेगी। तथापि प्राधिकरण के भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों के अनुपालन पर विचार करते समय डाटा सेन्टर पार्क / इकाई को डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु फ्लोर एरिया रेशियो के उपयोग का विकल्प होगा, जिससे उनके द्वारा न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों का अनुपालन किया जा</p>
--



	<p>सके एवं यथा प्राविधानित अतिरिक्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो का लाभ बाद में उठाया जा सके।</p> <p>आंशिक पूर्णता: डाटा सेन्टर पार्क्स अपने अध्यासन प्रयोजनों तथा व्यवसायिक परिचालन के लिये न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों को पूरा किये बिना सम्बन्धित प्राधिकरण से आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति हेतु पात्र होंगे, जोकि सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे।</p> <p>(iii) एक मजिला में फर्श से छत की ऊँचाई यदि मेजनाइन (Mezzanine) सेन्टर फ्लोर नहीं है तथा समग्र ऊँचाई सम्बन्धी नियमों और उपयुक्त संरचनात्मक एवं अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया गया है, तो फर्श से छत की ऊँचाई सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।</p> <p>(iv) रूफटॉप पर चिलर्स की स्थापना: संरचनात्मक सुरक्षा तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति के अधीन, बिना फ्लोर एरिया रेशियो में सम्मिलित किए हुए चिलर्स की स्थापना छत पर की जा सकती है।</p> <p>(v) पार्किंग शिथिलता: खुले में पार्किंग उपलब्ध कराने के प्रतिबन्ध सहित, डाटा सेन्टर पार्क/ इकाईयों के लिए पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता कुल निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होगी। यदि भूमि का उपयोग डाटा सेन्टर पार्क / इकाई के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो पार्किंग सम्बन्धी इन शिथिलताओं को निरस्त कर दिया जायेगा। डाटा सेन्टर पार्क / इकाईयों द्वारा अनुमानित यातायात का एक वर्चन-पत्र प्रदान किया जायेगा तथा यातायात में वृद्धि के कारण आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पार्किंग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सम्बन्धित प्राधिकारियों को संसूचित की जायेगी।</p> <p>(vi) चहारदीवारी: डाटा सेन्टर पार्क / इकाईयों को 3.6 मीटर ऊँची तक चहारदीवारी तथा 600 मिमी 'Y' खुले आकार की बाझ लगाने की अनुमति होगी।</p> <p>(vii) भवन में वातायान: डाटा सेन्टर पार्क / इकाईयों को भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन तथा परिसर के अन्दर आधुनिक अग्निशमन उपकरण रखने के प्रतिबन्ध सहित न्यूनतम संख्या में खिड़कियाँ लगाने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(viii) बहुस्तरीय डी. जी. स्टैकिंग: अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति के अधीन बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजल जनरेटिंग सेट्स की स्थापना को अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ix) भूमि आच्छादन: डाटा सेन्टर पार्क्स / इकाईयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी। यदि आवंटन के समय पहले से अनुमति नहीं है, तो 60 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त भूमि आच्छादन कर्य योग्य आधार पर होगा।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का अनुपालन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 10.04. 2023 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>
--	--



06 कृपया प्राधिकरण द्वारा विकसित लालपुर आवासीय योजना-प्रथम चरण के बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृत अन्तर्गत कुल-141.1 एकड़ में आवासीय योजना विकसित किया गया है, जिसमें प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया यथा आवासीय, कामर्शियल, स्कूल, पार्क एवं खुला क्षेत्र, फायर स्टेशन, गार्बेज कलेक्शन, ओवर हेड टैंक, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, बारात घर, रेस्टूरेंट, कम्युनिटी सेन्टर, हेल्थ सेन्टर, लाईब्रेरी एवं नर्सिंग होम के भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। प्राधिकरण के ले-आउट प्लान में प्राइमरी स्कूल हेतु भी भूखण्ड प्रस्तावित / दर्शित है।

उल्लेखनीय है कि सम्पत्ति अनुभाग द्वारा कई बार ई-ऑक्शन के माध्यम से उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का प्रयास किया गया, परन्तु कई प्रयासों के उपरान्त उक्त भूखण्ड का विक्रय नहीं हो पाया। उक्त भूखण्ड के बिक्रय न होने से प्राधिकरण को उक्त भूखण्ड के सापेक्ष कोई आय अर्जित नहीं हो पा रही है, और न ही उक्त स्कूल का विकास हो पा रहा है। उक्त भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है, तथा योजना में शैक्षणिक संस्थान के दृष्टिगत पूर्व में ही अन्य शैक्षणिक संस्था हेतु कठिपय भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, जिसका क्षेत्रफल 12957.72 वर्गमीटर है। चूंकि उक्त भूखण्ड के आस-पास प्राधिकरण द्वारा EWS भूखण्डों को नियोजित कर आवंटन किया गया है। अतः वर्तमान में उक्त रिक्त स्कूल भूखण्ड पर EWS भूखण्ड नियोजित कर विक्रय किया जाना प्रतीत होता है। लालपुर आवासीय योजना के ले-आउट प्लान के अनुसार नियोजित विभिन्न प्रकार के भूखण्डों के सापेक्ष भूखण्डों का विवरण निम्नवत है :-

भूखण्डों का प्रकार	संख्या
आवासीय भूखण्ड	1,184
लैण्डमार्क टॉवर-1 (फ्लैट)	140
लैण्डमार्क टॉवर-2 (फ्लैट)	45
लैण्डमार्क टॉवर-3 (फ्लैट)	90
LIG भूखण्ड	140
EWS भूखण्ड	108
LIG भूखण्ड ऐडे	204
EWS भूखण्ड ऐडे	36
कुल योग:-	1,947

यदि एक भूखण्ड/ फ्लैट हेतु पाँच सदस्यों की पारिवारिक जनसंख्या को अनुमानित करते हुये योजना अन्तर्गत रहने वालों की जनसंख्या लगभग-9,735 आ रही है, जो कि 10,000 से कम है। वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018 (Building Byelaws) अध्याय 2. 4 के पैरा-2.4.1 के अनुसार 10,000.00 जनसंख्या पर सुविधाओं के मानक के अनुसार नियोजित किये जाने आवश्यक हैं :-

एक नर्सरी स्कूल/ 500 वर्गमीटर

एक प्राइमरी स्कूल / 1,000 वर्गमीटर

एक जूनियर हाई स्कूल/ 2,000 वर्गमीटर

एक इंटर कालेज / 4,000 वर्गमीटर

इस प्रकार योजना में कुल शैक्षिक भूखण्ड हेतु 7,500 वर्गमीटर के भूखण्ड ही आवश्यक है, परन्तु योजनान्तर्गत फेज-1 में दर्शाये गये शैक्षिक भूखण्डों का कुल योग 12,957.72 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-



उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वाराणसी महायोजना-2031 को प्राधिकरण की 129वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11.07.2023 को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुनरीक्षित महायोजना का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया, जिसमें ड्राफ्ट महायोजना के उपरान्त प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई पर शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित महायोजना में किये गये परिवर्तन सम्मिलित हैं। बोर्ड द्वारा प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया तथा पुनरीक्षित वाराणसी महायोजना-2031 को स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया, जिसका परीक्षण सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 22.11.2023 में किया गया।

वाराणसी महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) का प्रस्तुतीकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष दिनांक 25.12.2023 को किया गया। तत्काल में शासन द्वारा वाराणसी महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) की धारा-8 (4) एवं 10 (2) के प्रविधानों के अन्तर्गत वाराणसी महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) को इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने के निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण द्वारा वाराणसी महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के सम्बन्ध में शासन / शासकीय समिति द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन की प्राधिकरण बोर्ड से पुष्टि कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-File No.8-3099/ 566/ 2023-3 दिनांक 23 जनवरी, 2024 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्त के अधीन अनुमोदित वाराणसी महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) को जनसामान्य की जानकारी हेतु न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराते हुए महायोजना के मानचित्रों को जनसामान्य हेतु प्राधिकरण के डिस्प्ले-बोर्ड/ टेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी०आई०एस० प्लेटफार्म पर तैयार की गयी वाराणसी महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) पर शासन / शासकीय समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुमोदन एवं उक्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों एवं अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये वाराणसी विकास प्राधिकरण की 130वीं बोर्ड बैठक समाप्त की गयी।

(सुनील कुमार वर्मा)
सचिव।

(पुलकित गर्ग)
उपाध्यक्ष।

(कौशल राज शर्मा)
अध्यक्ष।



GUIDELINES FOR THE QUALIFICATIONS AND COMPETENCE OF PROFESSIONALS

(उपविधि संख्या—1.2.4)

A-1 ESSENTIAL REQUIREMENTS

A-1.1 Every building/development work for which permission is sought under the Code shall be planned, designed and supervised by registered professionals. The registered professionals for carrying out the various activities shall be: a) architect, (b) engineer, (c) structural engineer, (d) supervisor, (e) town planner, (f) landscape architect, (g) urban designer, and (h) utility service engineer. Requirements of registration for various professionals by the Authority or by the body governing such profession and constituted under a statute, as applicable to practice within the local body's jurisdiction, are given in A-2.1 to A-2.5. The competence of such registered personnel to carry out various activities is also indicated in A-2.1.1 to A-2.5.1.

A-2 REQUIREMENTS FOR REGISTRATION AND COMPETENCE OF PROFESSIONALS

A-2.1 Architect

The minimum qualifications for an architect shall be the qualifications as provided for in the Architects Act, 1972 for registration with the Council of Architecture.

A-2.1.1 The registered architect shall be competent to carryout the work related to the building/development permit as given below:

- All plans and information connected with building permit except engineering services of multistoreyed/special buildings.
- Issuing certificate of supervision and completion of all buildings pertaining to architectural aspects.
- Preparation of sub-division/layout plans and related information connected with development permit of area up to 1 hectare for metro-cities and 2 hectare for other places.
- Issuing certificate of supervision for development of land of area up to 1 hectare for metro-cities and 2 hectare for other places.

A-2.2 Engineer

The minimum qualifications for an engineer shall be graduate in civil engineering/architectural engineering of recognized Indian or foreign university, or the Member of Civil Engineering Division/Architectural Engineering Division of the Institution of Engineers (India) or the statutory body governing such profession, as and when established.

A-2.2.1 Competence

The registered engineer shall be competent to carryout the work related to the building/development permit as given below:

- All plans and information connected with building permit;
- Structural details and calculations of buildings on plot up to 500 m² and up to 5 storeys or 16 m in height



- c) Issuing certificate of supervision and completion for all buildings;
- d) Preparation of all service plans and related information connected with development permit; and
- e) Issuing certificate of supervision for development of land for all area.

A-2.3 Structural Engineer

The minimum qualifications for a structural engineer shall be graduate in civil engineering of recognized Indian or foreign university, or Corporate Member of Civil Engineering Division of Institution of Engineers (India), and with minimum 3 years experience in structural engineering practice with designing and field work.

NOTE- The 3 years experience shall be relaxed to 2 years in the case of post-graduate degree of recognized Indian or foreign university in the branch of structural engineering. In case of doctorate in structural engineering, the experience required would be one year.

A-2.3.1 Competence

The registered structural engineer shall be competent to prepare the structural design, calculations and details for all buildings and supervision.

A-2.3.1.1 In case of buildings having special structural features, as decided by the Authority, which are within the horizontal areas and vertical limits specified in A-2.2.1(b) and A-2.4.1(a) shall be designed only by structural engineers.

A-2.4 Supervisor

The minimum qualifications for a supervisor shall be diploma in civil engineering or architectural assistantship, or the qualification in architecture or engineering equivalent to the minimum qualification prescribed for recruitment to non-gazetted service by the Government of India plus 5 years experience in building design, construction and supervision.

A-2.4.1 Competence

The registered supervisor shall be competent to carryout the work related to the building permit as given below:

- a) All plans and related information connected with building permit for residential buildings on plot up to 100 m² and up to two storeys or 7.5 m in height; and
- b) Issuing certificate of supervision for buildings as per (a)

A-2.5 Town Planner

The minimum qualification for a town planner shall be graduate or post-graduate degree in town and country planning with Associate Membership of the Institute of Town Planners.

A-2.5.1 Competence

The registered town planner shall be competent to carryout the work related to the development permit as given below;



- a) Preparation of plans for land sub-division/layout and related information connected with development permit for all areas.
- b) Issuing of certificate of supervision for development of land of all areas.

NOTE- However, for land layouts for development permit above 5 hectare in area, landscape architect shall also be associated, and for land development infrastructural services for roads, water supplies, sewerage/drainage, electrification, etc. the registered engineers for utility services shall be associated.

A-2.6 Landscape Architect

The minimum qualification for a landscape architect shall be the bachelor or master's degree in landscape architecture or equivalent from recognized Indian or foreign university.

A-2.6.1. Competence

The registered landscape Architect shall be competent to carryout the work related to landscape design for building development permit for land areas 5 hectares and above. In case of metro-cities, this limit of land area shall be 2 hectares and above.

Note: For smaller areas below the limits indicated above, association of landscape architect may also be considered from the point of view of desired landscape development.

A-2.7 Urban Designer

The minimum qualification for an urban designer shall be master's degree in urban design or equivalent from recognized Indian or foreign university.

A-2.7.1 Competence

The registered urban designer shall be competent to carryout the work related to the building permit for urban design for land areas more than 5 hectares and campur area more than 2 hectares. He/She shall also be competent to carryout the work of urban renewal for all areas.

Note: For smaller areas below the limits indicated above, association of landscape architect may also be considered from the point of view of desired urban design.

A-2.8 Engineers for Utility Services

For multi-storeyed/special buildings the work of building and plumbing services shall be executed under the planning, design and supervision of competent personnel. The qualification for registered mechanical engineer (including HVAC), electrical engineer and plumbing engineers for carrying out the work of Air-conditioning, Heating and Mechanical Ventilation, Electrical Installations, Lifts and Escalators and Water Supply, Drainage, Sanitation and Gas Supply installation respectively shall be as given in Part 8 'Building Services' and Part 9 'Plumbing Services' of National Building Code, 2005 or as decided by the Authority taking into account practices of the National Professional bodies dealing with the specialist engineering services.

A-3 BUILDER/CONSTRUCTOR ENTITY

The minimum qualification and competence for the builder/constructor entity for various categories of building and infrastructural development shall be as decided by the Authority to ensure compliance of quality, safety and construction practices as required under the National Building Code, 2005.



अनुलग्नक-2

(पृष्ठ 1/2)

**उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—15ए
के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया
(उपविधि संख्या—2.1.8 एवं 3.1.8)**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. वर्गीकरण | <p>(I) “आवासीय भवन” हेतु “प्रपत्र—अ” प्रदेश</p> <p>टिप्पणी: 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवासीय भवन हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।</p> <p>(II) “ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों” हेतु “प्रपत्र—ब”।</p> <p>(III) आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के भवनों हेतु “प्रपत्र—स”।</p> <p>(IV) “ले—आउट प्लान” हेतु “प्रपत्र—द”।</p> |
| 2. अभिलेखों का जमा किया जाना | <p>प्राधिकरण अनुज्ञापित व्यक्ति के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णता मानचित्र की तीन प्रतियाँ तथा दो प्रतियों में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ पूर्णता की नोटिस दी जाएगी :—</p> <p>(i) चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू—आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, हेतु अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।</p> <p>(ii) भूतल सहित तीन मंजिलों से अधिक ऊँचे भवनों की संरचनात्मक रिस्थरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण—पत्र।</p> |
| 3. परीक्षण एवं जॉच | <p>पूर्णता प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 07 कार्य—दिवस में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय—समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार “रेन्डम बैसिस” पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा, किन्तु व्यवसायिक, बहुखण्डी एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जॉच/परीक्षण किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं ‘रेन्डम सलेक्शन’ की प्रक्रिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जॉच नहीं की जाएगी।</p> |
| 4. पूर्णता प्रमाण—पत्र | <p>अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जॉच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर 01 कार्य—दिवस में पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा।</p> |
| 5. पूर्णता प्रमाण—पत्र अस्वीकार करना | <p>पूर्णता प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम सात कार्य—दिवस में जॉच/परीक्षण कर स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संशोधनों सहित आवेदक को आवेदन करने के 08 कार्य—दिवस में सूचित कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जायेगा।</p> |



अनुलग्नक—2
(पृष्ठ 2/2)

6. अस्वीकृति का पुनरीक्षण

आवेदक द्वारा अस्वीकृति के कारणों से असंतुष्ट होने की स्थिति में अस्वीकृति की सूचना के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण के आधार व कारणों सहित पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा।

7. पूर्णता प्रमाण—पत्र हेतु पुनः आवेदन

पूर्णता प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने की दषा में अस्वीकृति के कारणों के समाधान करने के साथ पुनः नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. अपील

अस्वीकृति के आदेष जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के समक्ष अपील की जा सकेगी जिस पर अपीलकर्ता एवं यदि आवश्यक हो तो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील को निरस्त करने अथवा यथा आवश्यक संघोधन अथवा प्रतिबन्धों के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं।

9. आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र

आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र:— आवेदन द्वारा आंशिक पूर्णता प्रमाण—पत्र हेतु निम्न प्रतिबन्ध के अधीन आवेदन किया जा सकता है:—

(i) एक से अधिक भवनों की स्थिति में:— भवन समूह समस्त अवस्थापना सुविधाओं के साथ निर्मित है तथा भवनों के निवासियों के उपयोग हेतु समस्त अवस्थापना सुविधायें यथा पहुँच मार्ग, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युतीकरण, पार्किंग, कूड़ा, निस्तारण, पार्क (यदि कोई हों) आदि विकसित हो चुके हों तथा कार्यशील हों।

(ii) ले—आउट की स्थिति में:— ले—आउट का आंशिक भाग जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, में समस्त अवस्थापन सुविधायें यथा मार्ग, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युतीकरण, पार्क एवं खुले क्षेत्र, कूड़ा निस्तारण आदि विकसित हो चुके हों तथा इस प्रकार कार्यशील हों कि ले—आउट के अन्तर्गत आवण्टित अथवा आवण्टित होने वाले भूखण्डों के स्वामियों द्वारा भवन निर्मित कर उसका उपयोग करने में कोई कठिनाई न हो एवं तलपट मानचित्र में ई.डब्लू.एस. एवं ए.ल. आई. जी. भवनों का निर्माण प्रस्तावित होने की स्थिति में समानुपातिक रूप से आवश्यक ई.डब्लू.एस. एवं ए.ल. आई. जी. भवनों का निर्माण समस्त सुविधाओं सहित पूर्ण हो चुका हो।



सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु अपेक्षाएं (उपविधि संख्या 3.11.7)

1.1 प्रयोज्यता

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र स्थापित किया जाएगा:-

- (I) अस्पताल तथा नर्सिंग होम
- (II) होटल
- (III) अतिथि गृह
- (IV) विश्राम गृह
- (V) छात्रावास
- (VI) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / प्राविधिक संस्थाएं / प्रशिक्षण केन्द्र
- (VII) सशस्त्र बल / अद्वैत-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक
- (VIII) सामुदायिक केन्द्र, बैंकेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन
- (IX) 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

1.2 निर्माण

अनुज्ञा

उक्त प्रकृति के भवनों में निर्माण अनुज्ञा तभी देय होगी जबकि भवन के डिजाइन में छत से विभिन्न वितरण स्थलों तक, जहाँ गर्म पानी की आवश्यकता हो, तापरोधक पाइपों का प्राविधान हो एवं भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र हेतु उपयुक्त स्थान हो। छत की लोड बियरिंग क्षमता न्यूनतम 50 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए तथा भवन की छत पर संयन्त्र की स्थापना हेतु खुला स्थान उपलब्ध होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी सीधे प्राप्त हो सके।

1.3 संयन्त्र की क्षमता एवं मानदण्ड

1.4 विशिष्टियाँ

स्नानागार एवं रसोईघर हेतु सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करने के संयन्त्र की न्यूनतम क्षमता 25 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति होनी चाहिए बशर्ते छत का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग ही सौर ऊर्जा संयन्त्र के उपयोग में लाया गया हो।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र एवं प्रणाली “ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड” (B.I.S.) विशिष्ट I.S. 12933 के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहाँ कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो, तो वहाँ सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।



पथदर्शी / चेतावनी सूचक फर्श सामग्री

(उपविधि संख्या – 11.3.1 एवं 11.4.1)

कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के पथ दर्शन हेतु सामान्य फर्श सामग्री से पृथक पहचान वाली भिन्न रंग या तत्वों वाली और स्पष्ट दिखाई देने वाली सामग्री “पथदर्शी या चेतावनी सूचक सामग्री” कहलाती है। भिन्न बनावट वाली सामग्री उस पर छड़ी सहित चलने पर, संवेदना/चेतना सूचक ध्वनि/आवाज करती है। ये पथदर्शी/चेतावनी सूचक फर्श—सामग्री इस पर चलने वाले व्यक्ति को दिशा-बोध कराने वाली अथवा चेतावनी देने वाली होती है। यह फर्श सामग्री निम्नलिखित क्षेत्रों में लगाई जाएगी :—

- (क) भवन एवं पार्किंग स्थल को जाने वाले पहुँच मार्ग पर।
- (ख) सूचना पट, स्वागत कक्ष, लिफ्ट, सीढ़ी क्षेत्र के निकट, अषक्त व्यक्तियों के वाहन से उतरने—चढ़ने के स्थान तथा क्षेत्र में।
- (ग) वाहन ट्रैफिक मार्ग से संलग्न पैदल मार्गों के एकदम शुरू या आखिर के स्थलों पर।
- (घ) ऐसे स्थलों पर, जहाँ तलों में एकाएक उतार – चढ़ाव हो, अथवा ढलान के शुरू और आखिर में।
- (ङ) प्रवेष/निकास द्वार के एकदम सामने तथा वाहन से उतरने के स्थलों पर।

यथोचित (Proper) संकेत चिन्ह: अषक्त व्यक्तियों के लिए भवन के अन्दर की विशिष्ट सुविधाओं की समुचित पहचान का मार्ग यथोचित संकेत चिन्हों के माध्यम से किया जाना चाहिए। कमजोर नजर वाले व्यक्ति दृष्टि की कमी को पूरा करने हेतु, श्रवण एवं स्पर्श जैसी अन्य संवेदनाओं का सहारा लेते हैं जबकि दृष्टि संकेत उन लोगों के लिए लाभदायक होते हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर होती है।

संकेतों को उपयुक्त आकार के अक्षरों का प्रयोग करते हुए ऐसे आकार में और ऐसे स्थानों (20 सेन्टीमीटर से कम ऊँचे पर नहीं) पर लगाया जाए, ताकि वे आसानी से पढ़े—समझे जा सकें। कमजोर नजर वाले व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में सूचना पट दीवार पर समुचित ऊचाई पर लगाए जाएंगे तथा इनके नजदीक पहुँचने के लिए सहज रास्ता होगा। सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से कोई भी संकेत निकला हुआ नहीं होगा, जिससे आने—जाने में कोई रुकावट आए। व्यस्त भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जन सम्बोधक प्रणाली की भी व्यवस्था की जाए।

सभी प्रतीक/सूचनाएं भिन्न और चमकदार रंगों में लगाई जाएंगी, ताकि कमजोर नजर वाले व्यक्ति प्राइमरी रंगों के बीच अन्तर कर सकें। पहिएदार कुर्सी के लिए, विकलांगों हेतु सुलभ लिफ्ट, शौचालय, सीढ़ियों, पार्किंग क्षेत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाएंगे।



परिशिष्ट-1

विकास/पुर्नविकास हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(उपविधि संख्या-2.1.1)

सेवा में,

**उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
वाराणसी**

महोदय,

मैं एतद्वारा यह आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करता हूँ कि मैं सजरा संख्या भूखण्ड संख्या उपनिवेश/मार्ग मोहल्ला/बाजार नगर में विकास/पुर्नविकास करने का इच्छुक हूँ और भवन उपविधियों के सुसंगत उपविधि संख्या 2.1.1 के अनुसार आवेदित करता हूँ और मैं इसके साथ मानचित्रों एवं विशिष्टियों (मद 1 से 6) चार प्रतियों में जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित की गई हैं, और अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति (नाम मोटे अक्षरों में) अनुज्ञापित संख्या जो कि विकास कार्य का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा भी हस्ताक्षरित की गई है और प्रत्येक विवरण/प्रपत्र (मद 7 से 9) संलग्न करता हूँ।

1. की प्लान
2. साइट प्लान
3. महायोजना में स्थिति का मानचित्र
4. तलपट मानचित्र
5. सर्विसेज प्लान
6. विशिष्टियों
7. स्वामित्व प्रमाण—पत्र
8. आवेदन शुल्क की प्रमाणित प्रतिलिपि
9. आवश्यक सूचनाएं एवं दस्तावेज

मैं निवेदन करता हूँ कि योजना अनुमोदित कर दी जाए और भूमि को विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी का नाम
(मोटे अक्षरों में)
स्वामी का पता

दिनांक :



भूमि विकास का कार्य आरम्भ करने की सूचना (उपविधि संख्या-2.1.6)

सेवा में,

.....
वाराणसी विकास प्राधिकरण,

महोदय,

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि भूमि का विकास कार्य जो खसरा संख्या
भूखण्ड संख्या पर उपनिवेश/मार्ग मोहल्ला/बाजार
नगर में स्थित है, दिनांक को आपकी स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र संख्या
दिनांक के अनुसार आरम्भ किया जाएगा जो अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति
(नाम) अनुज्ञापित संख्या द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी का नाम

(मोटे अक्षरों में)

स्वामी का पता

दिनांक :

स्थान :



परिशिष्ट —3
(पृष्ठ 1 / 5)

प्रपत्र—द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या—2.1.8)

..... विकास प्राधिकरण

भाग—अ

1. (I) आवेदक का नाम
(II) वर्तमान पता
2. खसरा / भूखण्ड संख्या तथा
योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)
4. अनुमन्य भू—उपयोग
(I) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि
(II) परमिट संख्या
(III) यदि अनधिकृत विकास का शमन
कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा
करने की रसीद संख्या व दिनांक का
विवरण देते हुए शमन मानचित्र की
प्रति संलग्न करें
5. भू—उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू—उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिष्ठत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिष्ठत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिष्ठत
1	2	3	4	5	6	7	8
I	आवासीय						
II	वाणिज्यिक						
III	अन्य						
IV	पार्क एवं खुला स्थान						
V	सड़कें तथा गलियाँ						



परिशिष्ट —3
(पृष्ठ 2 / 5)

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(I)	प्राइमरी स्कूल						
(II)	हायर सेकेन्डरी स्कूल						
(III)	डिग्री कालेज						
(IV)	डिस्पेन्सरी						
(V)	अस्पताल						
(VI)	पोस्ट ऑफिस						
(VII)	कम्युनिटी सेन्टर						
(VIII)	पुलिस स्टेषन						
(IX)	फायर स्टेषन						
(X)	टेलीफोन एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेषन						
(XII)	टैक्सी स्टैण्ड						
(XIII)	जन—सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें:-

- (I) सड़कें
- (II) सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्वर)
- (III) पुलिया (कल्वर्ट)
- (IV) मार्ग प्रकाष व्यवस्था
- (V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस—वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- (VI) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाषयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।
- (VII) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्चर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति।
- (VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेषन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- (IX) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- (X) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मर्स तथा 11 के.वी.ए. सब—स्टेषन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मर्स की क्षमता अंकित हो।
- (XI) सीवर का अन्तिम निस्तारण—विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।



परिषिष्ट-3
(पृष्ठ 3 / 5)

- (XII) ग्राउण्ड वाटर रिचाजिंग सिस्टम।
8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :
- सड़कें
 - पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
 - पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
 - विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)
 - सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति
9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन
- उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं हैं
 - यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है।
- अथवा
- पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। हैं/नहीं
- (यदि हॉं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना:
- विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।
- अथवा
- विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है(प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं! अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले-आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेखः

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक:

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट: उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।



परिशिष्ट –3
(पृष्ठ 4 / 5)

भाग—ब

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र (विन्यास मानचित्र हेतु)

मैंने श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) का. वार्ड स्थित क्षेत्र/योजना का निरीक्षण दिनांक को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जूँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है:-

विकास के सभी कार्य (प्राधिकरण का नाम). विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक—9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग—स

रेनवाटर हार्डस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र (विन्यास मानचित्र हेतु)

विकसित योजना में रेनवाटर हार्डस्टिंग (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक



परिशिष्ट —3
(पृष्ठ 5 / 5)

भाग—द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

(प्रार्थना पत्र के भाग—‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

. वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री (पदनाम) . . . दिनांक . . . को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—15 के (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर.

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक



परिशिष्ट-4

**भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र के शपथ पत्र का प्रारूप
(उपविधि संख्या-3.1.2)**

सेवा में

— — — — —
— — — — —

महोदय,

मैं भूखण्ड संख्या — — — — — सजरा संख्या — — — — — पर/मैं भवन संख्या — — — — — मोहल्ला/बाजार — — — — — कालोनी/मार्ग — — — — — नगर — — — — — में निर्माण अथवा परिवर्तन करने हेतु आवेदन भवन निर्माण उपविधि संख्या 3.1.2 के अन्तर्गत करता हूँ और इस हेतु निम्न मानचित्र एवं विशिष्टियों (मद संख्या 1 से 4) 4 प्रतियों में जो कि मेरे द्वारा एवं अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति — — — — — (नाम मोटे अक्षरों में) — — — — — अनुज्ञापित संख्या — — — — — जो इस निर्माण का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा हस्ताक्षरित हैं एवं अन्य घोषणाएं एवं वांछित प्रपत्र संलग्न हैं (मद संख्या 5 एवं 6)।

1. स्थल मानचित्र
2. भवन मानचित्र
3. सेवाओं हेतु मानचित्र
4. सामान्य विशिष्टियाँ
5. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
6. आवेदन शुल्क की प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति

कृपया उपर्युक्त निर्माण को स्वीकृत करते हुए कार्य सम्पादन कराने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

स्वामी के हस्ताक्षर— — — — —

स्वामी का नाम — — — — —

स्वामी का पता — — — — —

दिनांक : — — — — —



परिशिष्ट-5

**भवन निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना देने हेतु प्रपत्र
(उपविधि संख्या-3.1.6)**

सेवा में

महोदय,

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे भवन संख्या — — — — — सजरा संख्या — — — — — स्थित कालोनी/मार्ग — — — — — मोहल्ला/बाजार — — — — — में स्थित निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन अथवा ध्वस्तीकरण का कार्य दिनांक — — — — — को आप द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या — — — — — के अनुसार अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति अनुज्ञापित संख्या — — — — — नाम — — — — — के पर्यवेक्षण में आरम्भ होगा।

भवन स्वामी के हस्ताक्षर — — — — —
भवन स्वामी का नाम — — — — —
भवन स्वामी का पता — — — — —

दिनांक : — — — — —



परिशिष्ट-6

((प्रपत्र-'अ') 'पृष्ठ 1 / 4)

प्रपत्र-'अ'

आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
 (केवल 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर आवासीय भवन के लिए)
 (उपविधि संख्या-3.1.8)
 वाराणसी विकास प्राधिकरण

भाग—अ

1.	(I) आवेदक का नाम
	(II) वर्तमान पता
2.	भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड संख्या
3.	भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
4.	भवन का अनुमन्य उपयोग
5.	(I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
	(II) परमिट संख्या
	(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो उस प्राविधान के विवरण के साथ अन्य संगत विवरण भी दें जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह प्रकरण स्वतः अनुमोदित प्राविधान से आच्छादित है एवं निर्धारित शर्तें पूर्ण की जा चुकी हैं।
6.	(I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र के अनुमोदन की संख्या तथा तिथि अंकित करें
	(II) शमन षुल्क भुगतान की तिथि/तिथियाँ एवं रसीद संख्या/संख्याएं तथा शमन मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
	रसीद संख्या :
	दिनांक :



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-'अ') 'पृष्ठ 2 / 4)

7. निर्माण की स्थिति: (निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र/षमन मानचित्र जो लागू हो, उसके अनुसार विवरण दें)

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/षमन किया गया
1	2	3	4	5

- 7.1 सेट बैक (मीटर में)
 (क) सामने
 (ख) पीछे
 (ग) दाएं
 (घ) बाएं
- 7.2 बेसमेन्ट(क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)
- 7.3 सुविधाएं (हॉ / नहीं में)
 (क) जल आपूर्ति (है / नहीं)
 (ख) मलोत्सारण (है / नहीं)
 (ग) जल निकास (है / नहीं)
 (घ) विद्युत आपूर्ति (है / नहीं)
 (च) रुफटाप रेनवाटर हार्डस्टिंग प्रणाली (है / नहीं)
 (छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में) (है / नहीं)
- 7.4 भवन में आन्तरिक परिवर्तन :-
 (क) भवन उपविधि के अन्तर्गत हॉ / नहीं
 (ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
 उसका शमन हो चुका है। हॉ / नहीं
8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। ऐसा कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भवन पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत
आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)



परिशिष्ट-6

(प्रपत्र-'अ') 'पृष्ठ 3/4)

**पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण-पत्र
(आवासीय भवन हेतु)**

भाग-ब

मैंने श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भवन संख्या - - - - (पता सहित)
- - - - का निरीक्षण दिनांक - - - - - को किया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं
जॉचोपरान्त सही पाई गई हैं। मेरी जॉच के निष्कर्ष निम्नवत् हैं : -

(I) निर्मित भवन विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

(II) निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र। अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

अथवा

(III) निर्मित भवन में जो भाग शमन के योग्य नहीं था उसे ध्वस्त करा दिया गया है। शेष निर्माण स्वीकृत मानचित्र/शमन मानचित्र के अनुसार है।

उक्त स्थिति में पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता
नाम/पता

काउन्सिल आफ आर्कटेक्चर
की पंजीकरण संख्या/लाइसेन्स
संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक :

भाग-स

**रेनवाटर हार्डस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र
(आवासीय भवन हेतु)**

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्डस्टिंग (रूप टॉप रेनवाटर हार्डस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति
नाम/पता
लाइसेन्स संख्या

दिनांक



परिशिष्ट-6
((प्रपत्र-'अ') 'पृष्ठ 4 / 4)

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या — — — —
 पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री — — — —
 (पदनाम) — — — — विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत
 मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973
 की धारा-15 के (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अथवा

निम्नलिखित कारणों से स्थल निरीक्षण/सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, अतः पूर्णता प्रमाण पत्र
 वास्तुविद्/अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है:-

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर— — — — —

पदनाम — — — — —

कार्यालय की मुहर — — —

दिनांक — — — — —



परिशिष्ट-6
((प्रपत्र-'ब') 'पृष्ठ 1 / 4)

प्रपत्र—"ब"

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)
वाराणसी विकास प्राधिकरण

भाग-अ

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | (I) आवेदक का नाम | — — — — — |
| | (II) वर्तमान पता | — — — — — |
| 2.. | भूखण्ड संख्या तथा योजना का
नाम / मोहल्ला / वार्ड | — — — — — |
| 3. | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | — — — — — |
| 4. | भवन का अनुमन्य उपयोग | — — — — — |
| 5. | (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि | — — — — — |
| | (II) परमिट संख्या | — — — — — |
| | (III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो
प्राविधान का विवरण :

यदि भवन मानचित्र जमा करने
की तिथि से निर्धारित अवधि में
भवन मानचित्र अस्वीकृति की
सूचना न दी गई हो –

मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद
संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति
संलग्न करें : | — — — — — |
| 6. | (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया
हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें | — — — — — |
| | (II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या
एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें | — — — — — |
| 7. | निर्माण की स्थिति: | |

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आच्छादन (प्रतिषत)
 7.2 एफ.ए.आर.
 7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)
 (क) सामने
 (ख) पीछे
 (ग) दाएं
 (घ) बाएं



परिशिष्ट-6
((प्रपत्र-'ब') 'पृष्ठ 2 / 4)

क्रमांक	प्राविधिक अनुमति	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन	
1	2	3	4	5

- | | |
|-----|---|
| 7.4 | (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में) |
| 7.4 | (ब) बेसमेन्ट का उपयोग |
| 7.5 | स्टिल्ट फ्लॉर |
| | (अ) क्षेत्रफल |
| | (ब) उपयोग |
| 7.6 | पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में) |
| 7.7 | भवन की ऊँचाई (मीटर में) |
| 7.8 | मंजिलों की संख्या |
| 8. | अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण—पत्र संलग्न करें) |
| 9. | सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाएः
(क) जल—आपूर्ति
(ख) मलोत्सारण
(ग) जल निकास
(घ) सोलर वाटर संयंत्र
(ङ) विद्युत आपूर्ति
(च) लिफ्ट
(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण—पत्र संलग्न करें) |
| 10. | गारवेज शूट
(है / नहीं) |
| 11. | एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दषा में
एविएशन लाइट्स
लगी हैं / नहीं लगी हैं |
| 12. | रेनवाटर हार्डस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
(है / नहीं) |
| 13. | भवन में आन्तरिक परिवर्तनः
(क) उपविधियों के अन्तर्गत
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है।
है / नहीं है
हॉ / नहीं |

संलग्नक अभिलेखः

1. आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)
 - 2.
 - 3.

दिनांक

टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2.. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।



परिशिष्ट-6
((प्रपत्र-'ब') 'पृष्ठ 3/4)

भाग-ब

**पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या. खसरा संख्या - - - - - पर स्थित भवन संख्या - - - - - का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :—

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता—प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक . . .	हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता
	नाम/पता
	काउन्सिल आफ आर्कटेक्चर का
	पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या
	लाइसेन्स वैधता की अवधि

भाग-स

**रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)**

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रुफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

दिनांक . . .	हस्ताक्षर:
	पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति
	नाम/पता
	लाइसेन्स संख्या

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2008 (यथा संशोधित 2023)



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-'ब') 'पृष्ठ 4 / 4)

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या — — — — पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री — — — (पदनाम) — — — विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक — — — को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 के (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय की मुहर



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-'स') 'पृष्ठ 1 / 4)

प्रपत्र—"स"

आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुमंजिला भवनों के अतिरिक्त अन्य भवनों के पूर्णता
प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)
..... विकास प्राधिकरण

भाग—अ

1. (I) आवेदक का नाम	-----
(II) वर्तमान पता	-----
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड	-----
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	-----
4. अनुमन्य उपयोग	-----
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि	-----
(II) परमिट संख्या	-----
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो : मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें	-----
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें	-----
(II) षमन शुल्क भुगतान की तिथि व रसीद संख्या	-----
(III) एवं उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें	-----
— —	-----



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-'स') 'पृष्ठ 2 / 4)

7. निर्माण की स्थिति:

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया
1	2	3	4	5

- 7.1 भू—आच्छादन(प्रतिष्ठत)
- 7.2 एफ.ए.आर.
- 7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)
 (अ) सामने
 (ब) पीछे
 (स) दाएं
 (द) बाएं
 (य) बेसमेन्ट(क्षेत्रफल ५०मी०)
- 7.4 सुविधाएं
 (क) जल आपूर्ति हैं/नहीं
 (ख) मलोत्सारण हैं/नहीं
 (ग) जल निकास हैं/नहीं
 (घ) विद्युत आपूर्ति हैं/नहीं
8. भवन में आन्तरिक परिवर्तन
 (क) उपविधियों के अन्तर्गत, हौं/नहीं
 (ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हौं/नहीं
9. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेखः

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक
के हस्ताक्षर (प्रमाण—पत्र सहित)

- टिप्पणी :— 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी, अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।
 2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग—अलग आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने होंगे।



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-'स') 'पृष्ठ 3 / 4)

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवन के अतिरिक्त
अन्य भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या - - - - - पर स्थित भवन संख्या - - - - - का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :—

निर्मित भवन लागू उपविधियों एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र, अथवा स्वीकृत/शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

उक्त रिथ्ति में पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम/पता
काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर
की पंजीकरण संख्या/
लाइसेन्स संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवन के अतिरिक्त अन्य भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:
पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति
नाम/पता
लाइसेन्स संख्या

दिनांक



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-'स') 'पृष्ठ 4 / 4)

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या — — — —
पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री — — — — (पदनाम)
— — — विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक — — — को कर लिया गया है एवं विकास कार्य
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर
योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया
जाता है।

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय की मुहर

दिनांक



STRUCTURAL SAFETY AND NATURAL HAZARD PROTECTION OF BUILDINGS (उपविधि संख्या-13.1)

- Requirements specified in the following Indian Standards, Codes and guidelines and other documents needs to be observed for structural safety and natural hazard protection of buildings etc:-

a) For General Structural Safety

- IS : 1905 –1987 “Code of Practice for Structural use of unreinforced Masonry (third revision)” Indian Standards Institution, March 1981
- IS : 1904 –1978 “Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Foundations” Indian Standards Institution
- IS : 456 –2000 “Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete” Indian Standards Institution, September 2000
- IS : 800 –1984 “Code of Practice for general Construction in Steel” Indian Standards Institution, February, 1985
- IS : 883 –1966 “Code of Practice for Design of Structural Timber in Building”, Indian Standards Institution, March, 1967
- IS 875 (Part 2) : 1987 “Code of Practice for design loads (other than earthquake) for building and structures : Part 2 Imposed loads (Second revision)**
- IS 875 (Part 3) : 1988 “Code of Practice for design loads (other than earthquake) for building and structures : Part 3 Wind loads (Second revision)**
- IS 875 (Part 5) : 1987 “Code of Practice for design loads (other than earthquake) for building and structures : Part 5 Special loads and load combinations (Second revision)**

Besides, any other relevant Indian Standards will need to be referred to.

b) For Earthquake Protection

- IS : 1893 (**Part 1**) “Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures ; **General Provisions and Buildings Part 1**(fifth Revision)”
- IS : 13920-1993 “Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic forces- Code of Practice” November 1993
- IS : 4326-1993 “Code of Practice for Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings (Second Revision)” October 1993
- IS : 13828-1993 “ Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonary Buildings – Guidelines “ August 1993
- IS : 13827-1993 “ Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings – Guidelines “ October 1993
- IS : 13935-1993 “ Repair and Seismic Strengthening of Buildings – Guidelines“ November 1993



परिशिष्ट-7
(पृष्ठ 2 / 2)

7. “ Improving Earthquake Resistance of Buildings – Guidelines “ by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1998
8. The National Building Code of India-2005
For location of the building in hazard prone area of earthquakes, cyclone or wind storms and floods, reference may be made to the following:
9. “Vulnerability Atlas of India”, by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1997

Note:

1. As and when anyone of the above referred standards and documents is revised, the design and construction of buildings thereafter must satisfy the latest version for approval of the building plans by the concerned local authority.



परिशिष्ट-८

BUILDING INFORMATION SCHEDULE

(उपविधि संख्या-13.2)

(पृष्ठ-1 / 2)

1.	Building Address	Plot No.	Scheme/Colony	Town	District
2. Building function & Locations					
2.1	Use	Institutional	Commercial	Industrial	*
2.2	Importance	Ordinary	Important	Hazardous	*
2.3	Seismic Zone (Design Intensity Used)	V(IX)	IV(VIII)	III(VII)	II(VI) IS:1893
3.	Design EQ Factor IS:1893	$\square 0=.....$	I=	$\square =$	$\square h_{\square \square} =$
4. Foundation					
4.1	Soil type at site (Note 2)	Rock/stiff Medium # Soft	Liquefiable	Expensive (B.C.)	IS:1904
4.2	Type of Foundation	Strip Indiv.Col. Fottings/Raft	Bearing Piles	Friction Piles	IS:1893
5. Load Bearing Wall Buildings					
5.1 Building Category A($\square h < .05$) B($\square h = .05$ to $.06$) C($\square h = .06$ to $<.08$) D($\square h = .08$ to $<.12$) E ($\square h > .12$) IS:4326					
5.2	Bearing Walls	Brick	Stone	Solid Block	Hollow Block
5.3	Mortar (note 4)	C : S=1: ...	C:L:S =1: ...	L:S=1: ...	Clay Mud
5.4	Floors	R.C.slabs	Stone slabs on joists	Prefab flooring elements	*
5.5	Roof structure	Flat like floors/ pitched	Trussed/ Raftered / A Frame/ Slopping	R.C. Slab	
5.6	Roof covering	CGI Sheeting	AC sheeting	Clay tiles/Slate	Wood shingle *
5.7	Opening in walls	Control used on sizes ?	Control used on location ?	Strengthening around ?	IS:4326
		Yes/No/NA	Yes/No/NA	Yes/No/NA	IS:13828
5.8	Bands Provided	Plinth Band	Lintel Band	Roof/Eave Band	Gable Band Ridge Band -do-
5.9	Vertical Bars	At corners of rooms	At jambs of openings		-do-
5.10	Stiffening of Prefab Floors/Roofs	R.C. screed & Band	Peripheral band and connectors	Diagonal planks and alround band	IS:4326



परिशिष्ट-८
(पृष्ठ-२ / २)

6. Steel / R.C. frame buildings

6.1 Building Shape	Both axes near symmetrical	One axis near symmetrical / Unsymmetrical (Torsion considered)		
6.2 Infills / partitions	Out of plane stability check? Yes/ No	In Plane stiffness considered? Yes/ No IS:1893,IS:4326		
6.3 Ductile Detailing of RC Frames	Beams ? YES / NO	Columns ? YES / NO	Beam column Joint ? YES / NO	Sheer Walls? IS:13920 YES / NO
6.4 Ductile Detailing of Steel Frames	Beams ? YES / NO	Columns ? YES / NO	Beam Column Joint ? YES / NO	SP6(6)

Notes:-

1. Encircle the applicable Data point or insert information.
2. Stiff. N>30:Medium. N=10.3:Soft.N<10:Liquefiable,poorly graded Sands with N<15 under Water Table (see Note 5 of Table 1 in IS:1893) Where N=Standard Penetration (IS:2131-1981).
3. * Means any other, specify.
4. C= Cement, S= Sand, L= Lime

The above information is factually correct.

Signature of Owner with date

Name (Block).....

Signature of the Engineer who will Supervise the construction

Name (Block)..... Address:

Legible Seal:

(with address)

Signature of the Architect who had Supervised the construction

Name (Block).....

COA Registration No.....

Legible Seal :

(with address)



परिशिष्ट-9

CERTIFICATE

(उपविधि संख्या—13.2)

(The certificate to be submitted with the application for building permission along with the building drawings and Building Information Schedule).

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy the safety requirements as stipulated in the Indian Standard, Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-I of the Building Bye-Laws regarding earthquake safety awareness and the information given in the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer along with Post Graduate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.
3. **Location/Address of Building**

Plot No.....

Scheme/Colony.....

Town.....

District.....

4. **Particulars of Building**

1. Ground Coverage (sq mt)
2. Total covered area(sq mt)
3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of Owner with date

Name (Block).....
(Block).....

Address :

.....
.....
.....

**Signature of the Structural Engineer
who had prepared the design with date**

Name

Legible Seal: (with address)

**Signature of the Architect who had
Prepared the design with date**

Name (Block).....
COA Registration No.....
Legible Seal (with address)



परिशिष्ट-10

(Certificate to be given in each building plan to be submitted for sanction)

(उपविधि संख्या-13.2)

It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant India Standard Codes, National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-1 Building Bye-Laws.

Signature of Owner with date	Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date	Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name(Block)..... Address:.....	Name Block)..... Legible Seal: (With address)	Name (Block)..... COA Registration No..... Legible Seal (with address)



परिशिष्ट-11

CERTIFICATE
(उपविधि संख्या-13.4)

(To be submitted with the application for obtaining completion certificate)

1. Certified that the Building for which completion plan has been submitted for approval, conforms to the requirements of relevant Indian Standard Codes and National Building Code as referred in Annexure-1 of Building Bye-Laws in respect of Structural Safety in general and National hazards including earthquake in particular.
2. It is also certified that the Building has been constructed as per approved foundation and structural designs provided by the Structural Engineer which are certified to be based on relevant Indian Standard Code and National Building Code as referred above and the building is safe for occupancy.

3. Location/Address of Building

Plot No.....
Scheme/Colony.....
Town.....
District.....

4. Particulars of Building

1. Ground Coverage (sq mt)
2. Total covered area(sq mt)
3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of Owner with date

Name (Block).....
Address:
.....
.....

**Signature of the Engineer who had
Supervised the construction**

Name (Block).....
Legible Seal: (with address)

**Signature of the Architect who had
Supervised the construction**

Name (Block).....
COA Registration No.....
Legible Seal
(with address)



परिशिष्ट-12

निर्माण कार्य एवं भूकम्प जोन के आधार पर 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स' की अर्हताएं (उपविधि संख्या-13.5)

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट इंजीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्प जोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)		अन्य विवरण
			ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के लिए	पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए	
1	2	3	4	5	6
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मीटर ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	3 5	1 3	— —
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	7 9	5 7	— —
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	10	8	स्ट्रक्चरल डिजाइन, को आई. आई. टी., रुडकी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।



परिशिष्ट-13

निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु स्थल सिविल इंजीनियर (Site Civil Engineer) की अर्हताएं (उपविधि संख्या-13.5)

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसके पर्यवेक्षण हेतु कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट साईट इंजीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु अधिकृत साईट इंजीनियर का बहुमंजिले भवन एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)			अन्य विवरण
			डिप्लोमा सिविल इंजीनियर	ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर		
1	2	3	4	5	6	
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मीटर ऊँचाई अथवा 2500 वर्गमीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	6 10	3 5	प्रत्येक 2500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया के पर्यवेक्षण हेतु निर्दिष्ट अर्हता के एक साईट इंजीनियर की तैनाती करनी होगी।	
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए।	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	अधिकृत नहीं तदैव	6 10		तदैव
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	तदैव	15		तदैव



परिशिष्ट-14

विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स (Expert Inspecting Civil Engineers) का वर्गीकरण (उपविधि संख्या-13.5)

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसके लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट विशेषज्ञ सिविल इंजीनियर निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे	भूकम्प जोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी० ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी० कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	5 7	
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए।	(i) जोन 3 तक (ii) जोन 4 व 5	8 10	
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	15	इन निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु दो सेवारत/सेवानिवृत् विशेषज्ञों का संयुक्त पैनल तैनात किया जाएगा, जिसमें एक विशेषज्ञ कम से कम प्रदेश/केन्द्र सरकार के किसी अभियन्त्रण विभाग/उपकर्म के मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर का रहा हो, तथा दूसरा विशेषज्ञ यथासम्भव किसी निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर स्तर का होगा, जिनके उपलब्ध न होने पर दोनों विशेषज्ञ मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर के रहेंगे।



**Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "A": 5000 sqmt - 20000 sqmt)**

(उपविधि संख्या-3.11.10)

Sl. No.	Medium	Environmental conditions	MBBL Ref. Clause
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.	-
2	Water conservations – Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.	Table 9.1
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.	10.2.1 (iv)
3	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.	10.2.5 (b)
4	Energy	In common areas, LED/ solar lights must be provided.	10.2.3c)
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/ tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.	-
5 a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.	-
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.	10.2.1 (i)
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.	10.2.1 (ii)



Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "B": 20000 sqmt - 50000 sqmt)
(उपविधि संख्या-3.11.10)

SI. No.	Medium	Environmental conditions	MBBL Ref. Clause
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.	-
2	Water conservations – Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.	Table 9.1
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.	10.2.1 (iv)
3.	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.	10.2.5 (b)
4.	Energy	In common areas, LED/ solar lights must be provided.	10.2.3c)
4(a)		At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid should be provided.	10.2
4(b)		As per the provisions of the Ministry of New and Renewable energy solar water heater of minimum capacity 10 litres/4 persons (2.5 litres per capita) shall be installed.	10.-2.4-IV
4(c)		Use of flyash bricks: Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from time to time.	10.2.6(b)
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/ tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.	-
5 a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.	-
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.	10.2.1 (i)
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.	10.2.1 (ii)



परिशिष्ट-17
(पृष्ठ-1 / 2)

Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "C": 50000 sqmt - 150000 sqmt)
(उपविधि संख्या-3.11.10)

Sl. No.	Medium	Environmental conditions	MBBL Ref. Clause
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.	-
2	Water conservations – Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested is to be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.	Table 9.1
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.	10.2.1 (iv)
2(b)		The ground water shall not be withdrawn without approval from the competent authority	
2(c)		Use of potable water in construction should be minimized.	
2(d)		Low flow fixtures and sensors must be used to promote water conservation.	
2(e)		Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system.	
3.	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.	10.2.5 (b)
3(a)		All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie-up must be done with the authorized recyclers.	
3(b)		Organic waste composter/vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 Kg/tenement/day must be installed wherein the STP sludge may be used to be converted to manure which could be used at the site or handed over to authorized recyclers for which a written tie-up must be done with the authorized recyclers.	
4.	Energy	In common areas, LED/solar lights must be provided.	10.2.3c)
4(a)		At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid should be provided.	10.2
4(b)		As per the provisions of the Ministry of New and Renewable energy solar water heater of minimum capacity 10 litres/4 persons (2.5 litres per capita) shall be installed.	10.2.4-IV
4(c)		Use of flyash bricks: Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from time to time.	10.2.6(b)



परिशिष्ट-17
(पृष्ठ-2 / 2)

4(d)		Use of concept of passive solar design of buildings using architectural design approaches that minimize energy consumption in buildings by integrating conventional energy-efficient devices, such as mechanical and electric pumps, fans, lighting fixtures and other equipment, with the passive design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass.	10.2(3)
4(e)		Optimize use of energy systems in buildings that should maintain a specific indoor environment conducive to the functional requirements of the building by following mandatory compliance measures (for all applicable buildings) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India.	10.2(3)
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/ tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.	-
5 a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.	-
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.	10.2.1 (i)
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.	10.2.1 (ii)
7	Sewage Treatment Plant	Sewage treatment plant with capacity of treating 100% waste water shall be installed. Treated water must be recycled for gardening and flushing.	4.32.4
8	Environment Management Plan	The environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Power backup for environment, Infrastructure, Environment Monitoring, Solid Waste Management and Solar and Energy conservation, should be kept operational through Environment Monitoring Committee with defined functions and responsibility.	-



परिशिष्ट – 18**शपथ–पत्र**

(एक सौ रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)
(उपविधि संख्या–3.1.6क)

समक्षः उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण

मैं पुत्र श्री आयु लगभग वर्ष

पदनाम..... फर्म का नाम एवं पता.....
शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि शपथी/शपथनी फर्म में पर पर तैनात है व (भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) के सम्बन्ध में फर्म की ओर से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हूँ।
2. यह कि योजनान्तर्गत (भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण कर लिया गया है जिसके प्रमाण के रूप में जी.पी.एस. को-आर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ स्थल के डिजिटल फोटोग्राफ्स संलग्न कर रहा हूँ जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
3. यह कि यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अन्तर्गत वर्णित अनुज्ञा से आच्छादित कार्य उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–52 के अन्तर्गत अनुमन्य निर्माण से इतर निर्माण कराया गया है तो शासकीय अभिकरण द्वारा सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

शपथी/शपथनी घोषणा करता है कि उपरोक्तानुसार किये गये समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही हैं तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

(शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

सत्यापन

मैं शपथी/शपथनी सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा–1 लगायत 3 तक मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसकी पुष्टि करता/करती हूँ।

(शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर)

नाम :

पता :



परिशिष्ट – 19

(उपविधि संख्या–3.1.6क)

सेवा में,

.....विकासकर्ता का नाम

.....पता

.....

विषय: (भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) का दिनांक
को स्थल निरीक्षण उपरान्त नोटिस।

महोदय,

आप द्वारा दिनांक को प्रस्तुत किए गए एफिडेविट के साथ.....
स्थल पर किए गए निर्माण सम्बन्धी फोटोग्राफ्स का स्थल पर
विद्यमान निर्माण के सापेक्ष दिनांक..... को मिलान किया गया। स्थल निरीक्षण के
आधार पर आप द्वारा प्रस्तुत विवरण सही पाया गया/निम्न विचलन/त्रुटि पायी गयी:—

1.
2.
3.
4.

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(प्रभारी अभियन्ता)
(मोहर सहित)

.....

प्रतिलिपि : उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ/इस अनुरोध के साथ कि कृपया स्थल
पर हुए निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का कष्ट करें (जो लागू न हो
काट दें)।

(प्रभारी अभियन्ता)
(मोहर सहित)

.....



(शमन शुल्क की अनुसूची (नियम संख्या-4) का संशोधन)

क्र.सं.	निर्माण की प्रकृति	आवासीय	लिखित भू-उपयोगों हेतु शमन शुल्क की दरें				सुविधाएं/ अन्य
			ब्लवसाइक	कार्यालय	औद्योगिक	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	अनुमत्य भू-आवासिन एवं तल क्षेत्र अनुपात के अन्तर्गत बिना अनुमति निर्माण करने पर	1.1 100 वर्ग.मी. तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 22 प्रति वर्ग.मी. 1.2 101-300 वर्ग.मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 34 प्रति वर्ग.मी. 1.3 301-500 वर्ग.मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु.45 प्रति वर्ग.मी. 1.4 501-2000 वर्ग.मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु.56 प्रति वर्ग.मी. 1.5 2000 वर्ग.मी.से अधिक क्षेत्रफल/गृष्ण हाउसिंग भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु रु. 56 प्रति वर्ग.मी.	आवासीय का दो गुना	आवासीय का 1.5 गुना	गुना	आवासीय का 0.40 गुना	आवासीय का 0. 50 गुना
	1.6 अनुमत्य इकाइयों से अतिरिक्त शमनीय इकाइयों पर रु. 1,11,824,00 प्रति इकाई।		—	—	—	—	
2	अनुमत्य भू-आवासिन के अन्तर्गत अतिरिक्त तल क्षेत्र (एक.ए.आर.) पर	भूखण्डीय विकास एवं गृष्ण हाउसिंग-दोनों प्रकृति के निर्माण में रु.447 प्रति वर्ग.मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु गांजित भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत।	रु. 895 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु गांजित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	रु. 671 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु गांजित भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	रु. 335 प्रति वर्ग मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु गांजित भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	रु. 335 प्रति वर्ग मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु गांजित भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	



3.	अनुमत्य भू-आद्यान से अतिरिक्त भू-आवश्यकन पर	(क) ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमिति ले भवनों में प्रत्येक दिशा में	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 200 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
		(ख) भूखण्डीय विकास					
	(1) फ़्रन्ट सेट बैक में	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 200 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	
	(2) पार्श्व (साइड) सेट बैक में	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 150 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 40 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
	(3) पीछे के सेट बैक में	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
4.	अनुमत्य सीमा से अतिरिक्त बेसमेण्ट के निर्माण पर	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 20 प्रतिशत	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
5.	कमरे की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 224 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 447 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 335 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 112 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 168 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 168 प्रति व.मी.
6.	कमरे की ऊँचाई न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु.112 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 224 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 168 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 45 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.
7.	कमरे का क्षेत्रफल विहित कमरे के क्षेत्रफल पर रु.112 प्रति व.मी. क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 224 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 168 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 45 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.
8.	कमरे का प्रकाश तथा संवाचन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु.112 प्रति व.मी.	कमरे का क्षेत्रफल पर रु. 224 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 168 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 45 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 56 प्रति व.मी.



9	कम्पाउन्ड वाल की कंचाई निर्धारित ऊचाई से अधिक होने पर	रु. 112 प्रति रनिंग मीटर परन्तु न्यूनतम रु. 11,182/-	रु. 224 प्रति रनिंग मी. परन्तु न्यूनतम रु. 22,365 /-	रु. 335 प्रति रनिंग मी. परन्तु न्यूनतम रु.16,774/-	रु. 45 प्रति रनिंग मी. परन्तु न्यूनतम रु. 2,236/-	रु. 56 प्रति रनिंग मी. परन्तु न्यूनतम रु. 5,591/-
10	बिना स्वीकृत भू - विभाजन/ विकास कार्य, जो भवन उपविधि के अनुमन्य हो	विक्रय-योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 1.0 प्रतिशत	विक्रय- योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 2.0 प्रतिशत	विक्रय- योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 0.40 प्रतिशत	विक्रय- योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 0.50 प्रतिशत	विक्रय- योग्य क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य का 0.50 प्रतिशत
11	एक एकड़ से अधिक का भू-विभाजन जिसकी स्वीकृति नियमनुसार अनुमन्य न हो।	उप विभाजित भूखण्ड के अन्तर्गत सइके, पार्क एवं खुले स्थल तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु नियमों के अनुसार गांठित क्षेत्रफल में की गयी कमी के समतुल्य भूमि मूल्य का दो-गुना शमन शुल्क लिया जायेगा।				
12	एक एकड़ से अधिक का भू-विभाजन जिसका स्वीकृति नियमनुसार अनुमन्य न हो ।	ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा जारी अनधिकृत कालोनियों के नियमितकरण की गाइडलाइन्स के अनुसार ¹ कार्यवाही की जायेगी ।				

टिप्पणी:-

- उक्त प्रकृति के नियमों के अतिरिक्त अन्य अवैध नियम जो उपलिखि अथवा निर्देश के विपरीत हों अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गई हों (यथा- पोर्ट, बालकनी, छज्जे आदि) परन्तु शमनीय हो, पर रु. 447.00/- प्रति वर्ग मीटर की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। व्यवसायिक हेतु इसकी दरें दोगुनी, कार्यालय हेतु 1.5 गुना आधोग्राम हेतु 0.40 गुना, सुविधाएं एवं अन्य उपयोगों में 0.50 गुना होंगी।
- महायोजना जोनिंग रेग्लेशन्स के अनुसार सामान्यतः एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/ उपयोगों के शमन हेतु नियमनुसार देय प्रभाव शुल्क के अतिरिक्त प्रभाव शुल्क का दस प्रतिशत शुल्क भी देय होगा।
- चौरिटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80 (जी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्राविधिक सुविधाओं एवं सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दर आवासीय दर की 50 प्रतिशत होगी।
- भूखण्डीय विकास में तलों की संख्या परिवर्तित किये बिना भवन की ऊचाई अनुमन्य ऊचाई से 10 प्रतिशत तक अधिक होने की दशा में रु. 5,591.00/- प्रति मीटर ऊचाई की दर से शमन शुल्क देय होगा।
- अनधिकृत नियम के शमन हेतु जो दरें भूमि मूल्य पर आधारित नहीं हैं, अर्थात प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित हैं, को प्रत्येक वर्ग कास्ट इडेक्स के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अद्याधिक किया जायेगा।

